



India's Port of Millennium

Kamarajar Port Limited

(A Company of Chennai Port Authority)

(Ministry of Ports, Shipping and Waterways - Government of India)



SAGARMALA
PORT-LED PROSPERITY

कामराजर पोर्ट लिमिटेड

(चेन्नई पत्तन प्राधिकरण की एक कंपनी)

(पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय – भारत सरकार)

(CIN: U45203TN1999PLC043322)



ANNUAL REPORT 2024-2025





Kamarajar Port Limited

(A Company of Chennai Port Authority)

(Ministry of Ports, Shipping and Waterways - Government of India)

Corporate cum Registered Office :

"Jawahar Building", 2nd Floor,
(North Wing) & 3rd Floor,
17, Rajaji Salai, Chennai - 600 001.

Port Office :

Vallur Post, Chennai - 600120
Tel : 044-2795 0030 - 40
Fax : 044-2795 0002

Email : info@kplmail.in

Website : www.kamarajarport.in

facebook.com/kamarajarport

twitter@kamarajarport



Inauguration of Kamarajar Port Silver Jubilee Block at Loganathan Narayanaswamy Govt.Arts College, Ponneri under CSR of KPL.



Swabodhini School & Vocational Centre for Special Children at Tondiarpet under CSR of KPL & ChPA



Construction of Classroom Building at Chinnasekkadu High School under Nammaku Namme Thittam



Construction of Classroom Building at GCC Middle School, Padasalai Street, Manali under Nammaku Namme Thittam



KAMARAJAR PORT LIMITED
(A Company of Chennai Port Authority)
(Ministry of Ports, Shipping and Waterways - Government of India)
(CIN: U45203TN1999PLC043322)



TWENTY FIFTH ANNUAL REPORT
2024-25



Kamarajar Port Limited

(A Company of Chennai Port Authority)

(Ministry of Ports, Shipping and Waterways - Government of India)

Board of Directors

	DIN
Shri Sunil Paliwal, Chairman	01310101
Smt. J.P. Irene Cynthia, Managing Director	08839241
Shri S. Viswanathan, Nominee Director- ChPA	09634577
Capt. Anoop Kumar Sharma, Independent Director	03531392
Smt. Sarla Balagopal, Independent Director	01572718
Shri R.M. Narayanan, Independent Director (w.e.f.13.11.2024)	02853368
Shri V.M.V. Subba Rao, Independent Director (upto 05.11.2024)	02435597

Key Officials

General Manager (MS)

Shri G.M. Balan

General Manager (Finance)

Smt. Kavita Satvi

General Manager

Shri Yatin Kishorbhai Patel

General Manager (Operations)

Shri K. Thirumurugan (w.e.f.28.11.2024)

Chief Financial Officer

Smt. Kavita Satvi

Deputy General Manager (Finance)

Shri C.S. Vemanna

Deputy General Manager (Civil)

Shri A. Karuppiah

Deputy General Manager (MS)

Shri C. Uma Shankar

Company Secretary & Compliance Officer

Smt. Jayalakshmi Srinivasan (upto 30.04.2025)

Smt. R. Roopa (w.e.f. 07.07.2025)

Registered Office

2nd Floor (North Wing) & 3rd Floor
Jawahar Building, 17, Rajaji Salai,
Chennai - 600 001.

Ph: 044-25251666-70/ Fax : 044 – 25251665.

Registrar & Share Transfer Agent

MUFG Intime India Private Limited,
(erstwhile Link Intime India Private Limited)
C-101, 247 Park, L.B.S Marg,
Vikhroli (West), Mumbai – 400 083.
Ph : 022 – 49186000

Depositories

National Securities Depository Limited
Central Depositories Services (India) Limited

Statutory Auditors

M/s. Jasminder Singh & Associates
Chartered Accountants

Internal Auditors

M/s. Joseph & Rajaram,
Chartered Accountants

Secretarial Auditors

M/s.S. Dhanapal & Associates
Company Secretaries

Bankers

State Bank of India
Axis Bank
HDFC Bank

Vision & Mission

Vision

To develop Kamarajar Port as a Mega Port with world class facilities to become the Eastern Gateway Port of India

Mission

To provide Port Services of International Standards





Kamarajar Port Limited

(A Company of Chennai Port Authority)

(Ministry of Ports, Shipping and Waterways - Government of India)

BOARD OF DIRECTORS

(As on 13.08.2025)



SHRI SUNIL PALIWAL, I.A.S.
CHAIRMAN



SMT. J.P. IRENE CYNTHIA, IAS
MANAGING DIRECTOR



SHRI S.VISWANATHAN, IAS
NOMINEE DIRECTOR




CAPT. ANOOP KUMAR SHARMA
INDEPENDENT DIRECTOR




SMT. SARLA BALAGOPAL, IRTS (Retd)
INDEPENDENT DIRECTOR



SHRI R.M. NARAYANAN
INDEPENDENT DIRECTOR



Operating Income & PBT during the last five years



Cargoes handled during the last 5 years



Kamarajar Port Limited

Annual Report 2024-25

Index

Sl.No	Contents	Page No.
1.	Chairman's Message.....	9
2.	Notice	12
3.	Board's Report	16
4.	Annual Report on CSR Activities.....	38
5.	Secretarial Audit Report.....	43
6.	Report on Corporate Governance.....	49
7.	Comments of Comptroller & Auditor General	54
8.	Independent Auditors' Report	58
9.	Statement of Assets And Liabilities	70
10.	Statement of Profit and Loss Account	71
11.	Cash Flow Statement.....	72
12.	Notes to the Financial Statements.....	74

Chairman's Message



Dear Shareholders,

I welcome you all to the 25th Annual General Meeting of the Company. It is my pleasure to share with you the progress and achievements that have defined your Company's journey in financial year 2024-2025.

At the outset, I would like to state that your Company celebrated its 25th Corporate Day during the year. To mark the occasion of Silver Jubilee Celebrations, your Port released 25th year logo of KPL on 10th May 2024. Shri Sarbananda Sonowal, Hon'ble Union Minister of Ports, Shipping & Waterways, GoI released Master Plan 2047 envisioning your Port's expansion from 9 to 27 berths and increasing its capacity from 57.44 MT to 254.52 MT and a Coffee Table Book highlighting KPL's legacy and achievements over 25 years, on 7th December 2024.

Physical Performance & Highlights

I am also pleased to inform that your Company has handled an all time high cargo throughput of 48.41 million tonnes and an all-time high of 986 vessels in its 25th year.

Maersk Line operating at KPL has commenced a new weekly service, namely ME2 service (directly connecting to Europe) and their first vessel M.V. Maersk Stadelhorn berthed at the Container Terminal in our Port on 08.02.2025.

PCA Automobiles India Pvt Ltd has commenced the export of Citroen EC3 Electric cars from Kamarajar Port on 11.04.2024. The maiden shipment of 500 units of Citroen EC3 Electric cars was exported to Indonesia.

Nissan Motor India Pvt Ltd achieved a milestone by exporting their 11th Lakh car from the General Cargo Berth-2 on 29.06.2024.

CONCOR commenced the inaugural TVS GO GREEN EXPRESS' Container Train with Direct Port Entry (DPE) Export Containers of M/s. TVS Motor Company from Jolarpet to KPL Railway siding (KPCA) on 28.11.2024, for export to African nations through KPL.

Other achievements during the year are

- Common User Coal Terminal handled 10.19 million Tonnes of Cargo throughput by exceeding its capacity of 10.00 million Tonnes.

- Multi Cargo Terminal handled 2.12 million Tonnes of Cargo throughput for the first time by exceeding its capacity of 2.00 million Tonnes.
- LNG Terminal crossed 1.00 million Tonnes of Cargo throughput for the first time by handling 1.22 million Tonnes.
- Your Company achieved the record of :
 - handling highest volume of import of 3,739 automobile units at General Cargo Berth (GCB) by BYD India & Toyota Kirloskar.
 - earning an all-time high net revenue of Rs.75.10 Crore from Cargo related charges towards export and import of automobiles/ project cargoes from GCBs 1 & 2.
 - exporting 3,111 units of Gear Boxes which is the highest volume of Gear boxes ever handled at GCB.
 - handling an all-time high record of 8,231 TEUs of Containers from the vessel M.V. CAP SAN SOUNIO berthed at Container Terminal on 23.02.2025 within the berth stay of 60 hours.

Financial Performance

During the year under review, your Company reported an Operating Income of Rs.1138.42 Crore as against Rs.1062.22 Crore representing an increase of 7.17% over the previous year. Consequently, your Company made a higher Profit Before Tax of Rs. 837.54 Crore compared to Rs.766.59 Crore (an increase of 9.26%).

Dividend

For the Financial Year 2024-25, your Company has paid an Interim Dividend @ 30% of paid-up equity share capital (which is equivalent to Rs.3/- per share) amounting to Rs.90 Crore.

Board of Directors have recommended a final Dividend @ 70% on paid up equity share capital which is equivalent to Rs.7/- per share amounting to Rs.210 Crore which will be paid, subject to your approval at the ensuing Annual General Meeting.

With this the total dividend for the financial year 2024-25 (including the proposed final dividend) will amount to 100% dividend on paid up equity share capital consistent with 100% dividend paid in the previous financial year 2023-24.

Accomplishments and Awards

It gives me immense pride to inform that your Company received the Award of Excellence for the best port of the country in the category of 'Ports handling more than 5,00,000 TEUs of Containers' from Shri Sarbananda Sonowal, Hon'ble Minister of Ports, Shipping and Waterways during the Post-Budget Industry Meet 2025 at Mumbai. Your Company was also conferred the 'Recognition of Outstanding Indian Ports' and was awarded 1st Rank at the 62nd National Maritime Day celebrations in Mumbai. Your Company ranked 3rd in the Global Ranking in Small Ports category of handling highest containers (throughput of less than 0.5 million TEUs per year) leading amongst all container ports in India. Your Company ranked 47th for Performance Based on Vessel Time in Port in the Global Ranking of Container Ports by World Bank's Container Port Performance Index 2023 (CPPI 2023), published by the World Bank and S&P Global Market Intelligence.

Corporate Governance

As a good corporate citizen, your Company considers good Corporate Governance a pre-requisite for meeting the needs and aspirations of its stakeholders. Towards this end, your Company maintains transparency in its dealings through robust policies, practices, effective processes and systems with clear accountability, integrity and the highest standards of governance. Hence, the Report on Corporate Governance is being voluntarily provided.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Your Company's zeal to undertake CSR projects in line with the well-laid out CSR policy and requirements of the Companies Act, 2013, can be seen from the fact that Board of Directors of your Company have approved CSR initiatives to the value of Rs.12.55 Crore which is Rs.2.90 Crore higher than

the CSR expenditure of Rs. 9.65 Crore earmarked for the previous year. Your Company has spent Rs. 7.45 Crore in financial year 2024-25 towards various CSR activities. The major CSR initiatives are:

- Rs.2.35 Crore was contributed to DRDA Tiruvallur for various infrastructural projects.
- Rs.2.18 Crore and Rs.65.55 lakhs were contributed for remaining construction work of classroom building and Sports facility respectively at Loganatha Narayanaswamy Govt Arts College, Ponneri.
- Rs.97.06 Lakhs was contributed to Swabodhini Charitable Trust towards capital and operational expenditure for running the Centre for special children at Tondiarpet.
- Rs.87.07 lakhs was provided for infrastructure developmental works at Government Schools in the vicinity of KPL through Namma Ooru Namma School Foundation, Government of Tamil Nadu.

Acknowledgement

On behalf of the Board of Directors, I would like to place on record our gratitude for the support and guidance received from the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India and Chennai Port Authority and appreciate the co-operation received from TNPGL/TNEB, NTECL, IOCL, TNPCL, GoTN and Gol, particularly the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Ministry of Finance, Indian Railways/ Southern Railways and Indian Port Association. I gratefully acknowledge the continued support and cooperation received from the Comptroller & Auditor General of India, Statutory Auditors, Internal Auditors, Secretarial Auditor, Port Users, BOT Concessionaires, Contractors and Bankers. Last but not the least, I wish to place on record their appreciation of the continued excellent work done by all the employees of the Company.

Regards,

Sd/-

**Sunil Paliwal, I.A.S.,
Chairman**

KAMARAJAR PORT LIMITED

(A Wholly owned subsidiary of Chennai Port Authority)

CIN: U45203TN1999PLC043322

Regd. Office: 2nd Floor (North wing) & 3rd Floor, Jawahar Building,
17, Rajaji Salai, Chennai - 600 001.

Phone: 044 - 25251666 -70 Fax No: 044 - 25251665.

Website: www.kamarajarport.in, Email: info@kplmail.in

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 25th Annual General Meeting of Members of Kamarajar Port Limited will be held on **Monday, 29th day of September 2025 at 15.00 hours (IST)** through two-way Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the audited Balance Sheet as at 31st March 2025, the Statement of Profit & Loss Account for the year ended 31st March 2025 and the reports of the Board of Directors, the Auditors' Report and Comments of Comptroller and Auditor General of India under Section 143 (6) of the Companies Act, 2013
2. To confirm the Interim Dividend paid @ 30% of the paid-up equity share capital (Rs.3/- per share) for the financial year 2024-25 and to approve declaration of the Final Dividend @ 70% on paid-up equity share capital (Rs.7/- per share).
3. To appoint a Director in place of Shri Sunil Paliwal, IAS (DIN:01310101), who retires by rotation and being eligible offers himself for re-appointment.
4. To pass with or without modification, the following resolution as an Ordinary Resolution for payment of remuneration to Statutory Auditors:

"RESOLVED THAT pursuant to Section 142(1) of the Companies Act, 2013, approval be and is hereby given to the Board of Directors for fixing the remuneration of the Statutory Auditors of the Company, to be

appointed by Comptroller and Auditor General of India for the financial year 2025-26."

SPECIAL BUSINESS

5. To appoint Shri R.M. Narayanan (DIN: 02853368) as Independent Director in place of Shri V.M.V. Subba Rao, (DIN: 02435597).

To consider and if thought fit, to pass with or without modification/s the following resolution as Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Sections 149, 152, & 160 read with Schedule IV and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, and other applicable rules, if any, (including any statutory modifications or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), and in terms of Chennai Port Authority's Letter No. ChPA/KPL Cell/2024/F dated 11th November, 2024, Shri. R.M. Narayanan (DIN: 02853368), who meets the criteria of Independence as provided in Section 149(6) of the Act and whose appointment terms are as stipulated in the letter given by ChPA, and detailed in the statement pursuant to Section 102 of the Act annexed to the Notice of this Annual General Meeting, and in respect of whom a Notice has been received under Section 160 of the Act, be and is hereby appointed as an Independent Director of the Company w.e.f 13.11.2024 for a period of 3 years and shall not be liable to retire by rotation."

By Order of the Board of Directors

Sd/-

R. Roopa

Company Secretary

Place : Chennai

Date : 13.8.2025

NOTES:

- a) Pursuant to General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular No. SEBI/HO/DDHS/DDHS-PoD-1/P/CIR/2025/83 dated June 05, 2025, issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (hereinafter collectively referred to as "the Circulars"), Companies are allowed to hold Annual General Meeting (AGM") through VC /OAVM without the physical presence of the Members at a common venue till September 30, 2025. In compliance with the Circulars, the 25th AGM of the Company is being held through VC /OAVM. The deemed venue for the 25th AGM shall be the Registered Office of the Company. The Notice of 25th AGM along with Annual Report 2024-25 is being sent through electronic mode to those members whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participants. Members may note that the Notice will be available on the Company's website www.kamarajarport.in.
- b) Pursuant to the provisions of the Act, a Member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf and the proxy need not be a Member of the Company. However, as this AGM is being held through VC/OAVM, and physical attendance of Members has been dispensed with, the facility for appointment of proxies by the Members will not be available for the AGM and therefore the Proxy Form, Route Map and Attendance Slip are not annexed to this Notice. Members attending the AGM through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act. Members participating through VC or OAVM may cast their votes on the resolutions during the meeting by show of hands or by sending emails only through their email addresses registered with the Company in case of a Poll. The said emails shall only be sent to the designated email address circulated by the Company.
- c) The relevant explanatory statement pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013 setting out the details relating to Special Business to be transacted at the meeting is annexed hereto.
- d) Corporate members intending to authorize their representatives to participate and vote at the meeting are requested to send a certified copy of the Board resolution/such other documents authorizing their representative to attend the AGM through VC/OAVM on its behalf and to vote.
- e) The Members can join the AGM in the VC/OAVM mode 15 minutes before the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.
- f) Statutory registers as stipulated in the Companies Act, 2013 will be available electronically/ kept open for inspection during the AGM. Members seeking to inspect such documents can send an email to cs@kplmail.in.
- g) Members are requested to notify immediately any change of address to their respective Depository Participant.
- h) Brief resume of the Directors retiring by rotation/ seeking appointment/ re-appointment at this Annual General Meeting is attached hereto and forms part of the Notice.

Instructions for attending the AGM through VC:

1. Web-link and log-in credentials for attending AGM through VC/OAVM will be provided in the e-mail forwarding the Notice and Annual Report.
2. Members can join Video Conference either through Mobile/Laptop/Desktop.

EXPLANATORY STATEMENT PURSUANT TO SECTION 102 OF THE COMPANIES ACT, 2013

Item No. 5

Brief Resume of Shri R.M. Narayanan is as under:-

Particulars	Details	
Date of Birth and Age	04/06/1964 and 61 years	
Date of first appointment on the Board	13/11/2024	
Educational & Professional Qualification	M.Com, FCA, PGDM	
Experience	<p>Partner (since 1990) in M/s. S. Viswanathan LLP, Chartered Accountants, Chennai.</p> <p>The firm, with over ninety years standing, has 7 partners, branches in Bengaluru and Coimbatore and an audit staff of around 100. The firm has extensive experience in providing auditing and assurance services for both the public and the private sector as well in the banking industry.</p> <p>Handles corporate audits, including audits of public and private sector banks. Has audited large Public Sector Banks including the State Bank of India, Canara Bank and Bank of India. Has carried out audit assignments at the instance of Reserve Bank of India.</p> <p>Handles the audit and tax matters of several prestigious charitable and religious institutions.</p> <p>Handles taxation (including International Taxation, Tax Planning and representation before various authorities such as the Dispute Resolution Panel, Income Tax Appellate Tribunal and Settlement Commission).</p> <p>Assists clients in joint ventures, takeovers and Foreign Direct Investment and Overseas Direct Investment matters. Actively involved in consultancy involving mergers and demergers, family settlements and arbitration proceedings.</p>	
Securities held in KPL	NIL	
Relationship with other Directors/KMP of KPL	NIL	
Directorship/ Membership in other Companies	Name of the Company	Nature of interest/ concern
	Yojana Corporate Service Pvt Ltd	Promoter
Chairmanship/Membership of various committees in other companies	NIL	
Terms and conditions of appointment	Independent Director for an initial period of three years, in the place of Shri V.M.V Subba Rao.	
Remuneration last drawn	Not applicable	
Number of Meetings of the Board attended during the year	Corporate Governance Report (Annexure V of Board's Report) may be referred.	

Item No. 3

Brief Resume of Shri Sunil Paliwal is as under:-

Particulars	Details	
Date of Birth and Age	25/11/1968; 56 years	
Date of first appointment on the Board	16/09/2019	
Educational & Professional Qualification	1. B. Tech in Computer Science from IIT, Kanpur. 2. M.S. in Computer Science from University of Maryland, USA. 3. MBA from University of Birmingham, U.K.	
Experience	Shri Sunil Paliwal started his career as Sub Collector, Cuddalore District and served as Additional Collector in Nagapattinam District. He also worked as the Collector of Tirunelveli, Theni and Kanniyakumari Districts. He also held crucial portfolios in the Government of Tamil Nadu such as Managing Director, Chennai Metropolitan Water Supply and Sewerage Board (CMWSSB), Managing Director, Tamil Nadu Road Development Company Limited (TNRDC), Managing Director, Tamilnadu Industrial Development Corporation, Secretary to Government, Commercial Taxes & Registration Department and Commissioner for Milk Production & Dairy Development and Managing Director, Tamilnadu Co-operative Milk Producers' Federation Ltd. (Aavin), Principal Secretary to Government, Higher Education Department and Principal Secretary to Government, Labour & Employment Department. Presently he is the Chairperson of Chennai Port Authority. He is also the Chairman-cum-Managing Director of Sethusamudram Corporation Limited and Nominee Director of Chennai MMLP Private Limited.	
Securities held in KPL	1 Equity Share of Rs. 10/- as a nominee of Chennai Port Authority	
Relationship with other Directors/KMP of KPL	Not Applicable	
Directorship/ Membership in other Companies	Name of the Company	Nature of interest/ concern
	Sethusamudram Corporation Limited	Chairman cum Managing Director
	Chennai MMLP Private Limited	Nominee Director
Chairmanship/Membership of various committees in other companies	Corporate Governance Report (Annexure V of Board's Report) may be referred	
Terms and conditions of appointment	Non- Executive Director liable to retire by rotation. No sitting fee payable.	
Remuneration last drawn	Corporate Governance Report (Annexure V of Board's Report) may be referred.	
Number of Meetings of the Board attended during the year	Corporate Governance Report (Annexure V of Board's Report) may be referred	

BOARD'S REPORT

Dear Members,

Your Board of Directors take immense pleasure in submitting the Annual Report on the business, operations, developments and progress made by your Company along with the Audited Financial Statements for the year ended 31st March 2025.

1.0 PERFORMANCE & HIGHLIGHTS

1.1 FINANCIAL PERFORMANCE

(Rs. in Crs.)

Particulars	2024-25	2023-24
Income from Operations	1138.42	1062.22
Other Income	21.83	19.22
Total Income	1160.25	1081.44
Operating Expenses	192.06	176.67
Finance Costs	43.67	62.63
Depreciation and Amortization	86.98	75.55
Total Expenses	322.71	314.85
Profit Before Exceptional Items and Tax	837.54	766.59
Exceptional Items (-)	-	-
Profit Before Tax	837.54	766.59
Taxes	298.21	270.91
Profit After Tax	539.33	495.68

1.2 FINANCIAL HIGHLIGHTS

During the year under review, your Company reported an Operating Income of Rs.1138.42 Crore as against Rs.1062.22 Crore reported in the previous year, an increase of 7.17%. This is due to higher throughput of 48.41 Million Tonnes achieved compared to 45.28 Million Tonnes in the corresponding previous year (an increase of about 6.91%). Consequently, the Company has made a Profit Before Tax of Rs.837.54 Crore, compared to Rs.766.59 Crore made in the previous year (an increase of 9.25%).

1.3 OPERATIONAL PERFORMANCE

(i) Performance Highlights

- Maersk Line has commenced a new weekly service namely ME2 service from Kamarajar Port with their first vessel M.V. Maersk Stadelhorn berthed at Adani Ennore Container Terminal on 08th February 2025. Maersk Line operating at KPL has upgraded their existing weekly service namely Shuttle service to ME2 service (directly connecting to Europe).



M.V. Maersk Stadelhorn

- PCA Automobiles India Pvt Ltd has commenced the export of Citroen EC3 Electric cars from Kamarajar Port on 11.04.2024. The maiden shipment of 500 units of Citroen EC3 Electric cars were exported to Indonesia.
- Nissan Motor India Pvt Ltd achieved a milestone by exporting their 11th Lakh car from the General Cargo Berth 2 of KPL on 29.06.2024.
- CONCOR commenced the inaugural "TVS GO GREEN EXPRESS" Container Train with Direct Port Entry (DPE) Export Containers of M/s.TVS Motor Company from Jolarpet to KPL Railway siding (KPCA) on 28.11.2024, for export to African nations through KPL.

(ii) Other Achievements

- Common User Coal Terminal handled 10.19 Million Tonnes of Cargo throughput for the

first time by exceeding its Capacity of 10.00 Million Tonnes.

- Multi Cargo Terminal handled 2.12 Million Tonnes of Cargo throughput for the first time by exceeding its Capacity of 2.00 Million Tonnes.
- LNG Terminal crossed 1.00 Million Tonnes of Cargo throughput for the first time by handling 1.22 Million Tonnes.
- Your Company achieved the record of
 - handling highest volume of import of 3,739 automobile units at General Cargo Berth (GCB) by BYD India & Toyota Kirloskar.
 - earning an all-time high net revenue of Rs.75.10 Crore from Cargo related charges towards export and import of automobiles/ project cargoes from GCBs 1 & 2.
 - exporting 3,111 units of Gear Boxes which

is the highest volume of Gear boxes ever handled at GCB.

- handling an all-time high record of 8,231 TEUs of Containers from the vessel M.V. CAP SAN SOUNIO berthed at Adani Ennore Container Terminal on 23.02.2025 within the berth stay of 60 hours.

(iii) Cargo Performance

During the year, your Company handled the highest

- monthly Cargo throughput of 4.58 Million Tonnes in March 2025.
- Container volume of 62,530 TEUs in the month of December 2024, and
- an all-time highest of 986 Vessels in the financial year 2024-25

The cargo throughput for the financial year 2024-25 are as detailed below:

(in Million Tonnes)

Sl. No	Terminals	2024-25		2023-24		Variation in Traffic Handled	
		Cargo Qty	No. of Vessels	Cargo Qty	No. of Vessels	(+/-)	%
1	Coal Berth 1	8.46	110	9.36	129	-0.90	-9.62
2	Coal Berth 2	6.93	89	5.53	72	1.40	25.32
3	Common User Coal Terminal	10.19	149	9.30	153	0.89	9.57
	Total Coal	25.58	348	24.19	354	1.39	5.75
4	Marine Liquid Terminal 1	4.17	242	4.16	233	0.01	0.24
5	General Cargo Berth 1	0.89	46	1.48	109	-0.59	-39.86
6	General Cargo Berth 2	1.28	79	0.03	1	1.25	4,166.67
7	Container Terminal (Phase 1, Stage 1)	13.15	208	12.96	219	0.19	1.47
8	Multi Cargo Terminal	2.12	43	1.47	35	0.65	44.22
9	LNG Terminal	1.22	20	0.99	16	0.23	23.23
	Grand Total	48.41	986	45.28	967	3.13	6.91
10	Automobiles handled (in Nos.)	1,61,384	125	1,14,604	110	46,780	40.82
11	Containers handled (in TEU's)	6,81,124	208	6,71,393	219	9,731	1.45

(iv) Performance Metrics and Milestones

- Successfully berthed MV MSC TOPAZ (LOA 366 m, GRT 141754, Draft 14.2m) on 08.11.2024, the largest vessel to call at KPL this year.



MV MSC TOPAZ, the largest vessel called at KPL

- 43 large vessels (LOA > 325m) handled at AECTPL, marking a 19.4% increase over the previous year.
- 10 Cape-size vessels handled at ECTPL & EBTPPL, increase by 42.8%, indicating enhanced infrastructure to achieve optimum throughput.
- Achieved 62 inline berthing operations, a 44.18% rise. Notably, dual berthing at MLT, GCB 2 and AECTPL was a significant operational feat.
- 20 LNG vessels handled in FY 2024–25, reflecting a 25% growth.
- August 2024 recorded the highest monthly vessel traffic, with 95 vessels handled.
- Successfully berthed an FPSO (Floating Production Storage and Offloading) vessel, showcasing the capacity to handle specialized marine assets.



Svetha Venetia – Floating Production Storage and Offloading Vessel

- Revenue realized through FPSO Svetha Venetia operations at CB3 and CB4, reinforcing asset optimization.

(v) Ease of Doing Business

1. Mobile X-Ray Container Scanner is operational on 24x7 basis effective from 01.01.2025.
2. A room was allotted for setting up of laboratory for Plant Quarantine at the Port premise.
3. Contract was awarded for “Appointment of System Integrator for Supply, Installation, Integration, Commissioning and Operations & Maintenance of RFID & ANPR based Gate Control System to M/s. Sentinel Technologies Pvt. Ltd. on 14.02.2025 at the contract value of Rs.6.54 Crore. The salient features of RFID & ANPR based Gate Control system are:
 - Latest access technologies i.e., RFID, ANPR, Contactless fingerprint recognition & QR code for validation of Port entry/exit of men and vehicles.
 - Provision for validating the entry of Drivers without getting down from the vehicle.
 - Two factor authentication for entry of vehicles through integration with Fastag and ANPR camera.
4. Document Management System (DMS) for digitalization of documents pertaining to cargo clearances in Business Interface Portal (BIP) was implemented w.e.f. 02.09.2024 as per the direction of Ministry of Ports, Shipping & Waterways to reduce the dwell time of cargoes and to simplify the procedure of import / export clearances, Gate In & Out of cargoes, plant back cargoes, calculation of demurrage charges, etc.

2.0 DIVIDEND

Based on the recommendation of the Board of Directors an Interim Dividend @ 30% on paid up equity share capital which is equivalent to Rs.3/- per share amounting to Rs.90 Crore was paid on 28.03.2025. Board of Directors in their meeting held on 11.07.2025 have recommended a Final

Dividend @ 70% on paid up equity share capital which is equivalent to Rs.7/- per share amounting to Rs.210 Crore which will be paid, subject to approval of Shareholders at the ensuing Annual General Meeting.

3.0 TRANSFER TO RESERVES

3.1 General Reserve:

Your Company has not transferred any amount to General Reserve during the year as it is not mandatory to transfer any amount before declaration of dividend under the Companies Act, 2013. The balance as on 31st March 2025 remains at Rs.79.02 Crore.

3.2 Debenture/Bond Redemption Reserve:

Your Company has transferred Rs.4.57 Crore to Debenture/Bond Redemption Reserve during the year pursuant to Section 71 of the Companies Act, 2013 and the balance as on 31st March 2025 stood at Rs.55.02 Crore.

4.0 FINANCE

During the reporting year, your Company has repaid scheduled installments of Term loan of

- Rs.10 Crore to HDFC Bank and Rs. 25 Cr up to 31.03.2025 out of the availed amount of Rs.40 Crore.
- Rs.23.01 Crore to Chennai Port Authority.

During the reporting year, your Company promptly discharged on the due dates with annual interest obligation to the tune of Rs.0.88 Crore and Rs.25.45 Crore on Tax Free Bonds issued during the financial years 2012-13 and 2013-14 respectively.

4.1 Ratings

As per the offer document of Tax Free Bonds issued by your Company, your Company has carried out the annual surveillance of Credit Ratings and the following Ratings have been assigned by the Credit Rating Agencies:

Credit Rating Agencies	Ratings / Outlook
CRISIL	AA/Stable
CARE	AA/Stable
ICRA	AA-/Stable
Brick Work	AA/Stable

4.2 Particulars of transaction made with Related Parties

The disclosure of Related Party Transactions as required under Section 134(3)(h) of the Companies Act, 2013 in Form AOC-2 is not applicable to your Company. Members may refer to Note No.30(12) to the financial statement which sets out related party disclosures pursuant to Ind AS-24.

4.3 Material changes and commitments affecting financial position between the end of the financial year and date of report

There are no material changes and commitments affecting financial position of your Company between the end of financial year and date of report.

4.4 Change in the nature of business, if any

There has been no change in the business of the Company during the financial year.

4.5 Particulars of Loans, Guarantees

Your Company has not given any Loans and Guarantees or provided any Security under Section 186 of the Companies Act, 2013.

4.6 Investments

During the year under review, your Company has not invested/paid advance towards Investments.

4.7 Capital Expenditure

Your Company spent Rs.201.16 Crore on Capital Expenditure during the financial year 2023-24 as against Rs.327.39 Crore spent in the previous year.

4.8 Fixed Deposits

During the year under review, your Company has not accepted any Fixed Deposits, nor has any outstanding unclaimed or unpaid deposits as on 31.03.2025.

4.9 Internal Financial Control

Your Company adheres to policies and procedures adopted for

- ensuring orderly and efficient conduct of its business,
- safeguarding its assets, for preventing and detecting frauds and errors,
- accuracy and completeness of the accounting records, and
- timely preparation of reliable financial disclosures.

The internal control and governance processes are regularly reviewed by the Internal Auditor and the Audit Committee for their adequacy and effectiveness. Internal control procedures are considered sufficient to provide a reasonable assurance as to the integrity and reliability of the Financial Statements.

5.0 25th Corporate Day Celebration

Your Company celebrated its 25th Corporate Day with great fervor. Shri Sunil Paliwal, I.A.S. Chairman, Chennai Port Authority and Kamarajar Port Limited graced the event with his presence and congratulated the employees of KPL for completing 25 years of their journey to attain the zenith of success. Smt. J.P. Irene Cynthia, IAS, Managing Director, presided over the celebration, commending the relentless efforts of KPL’s employees and stakeholders. She acknowledged the port’s exceptional achievements in recent years and expressed optimism for continued growth and excellence.

On the eve of Silver Jubilee Celebrations-

- Shri Sunil Paliwal, IAS, Chairman of your Company released the “25th Year Logo” of KPL on 10th May 2024.



Release of 25th Year Logo of KPL

- Medical camps were organized at Athipattu Village and Kattupalli Village benefitting around 800 residents of the localities.



Medical Camp organized by KPL

- Sports events like cricket, badminton, carrom and chess were conducted for employees and their families at Sri Babu Jagjivanram Sports Complex, Tondiarpet and Trophies, medals and certificates were awarded to the winners by the Chairman and the Managing Director of your Company.



Winners of the Cricket Team receives Trophy

- A grand function was organized on 7th December 2024 and the Chief Guest Shri Sarbananda Sonowal, Hon’ble Union Minister of Ports, Shipping & Waterways, Government of India released the Master Plan 2047, envisioning the Port’s expansion from 9 to 27 berths and increasing the Port’s capacity from 57.44 MT to 254.52 MT and a Coffee Table Book highlighting KPL’s legacy and achievements over 25 years and laid foundation stones for-

- Capital Dredging Phase VI (Rs.520 Crore)
- 1 MLD RO Desalination Plant (Rs.37 Crore)

- Integrated Command and Control Center (Rs.25 Crore)

Thiru E.V. Velu, Hon'ble Minister for Public Works, Highways & Minor Ports, Government of Tamil Nadu graced the function with his august presence.

Release of Master Plan 2047 by Shri Sarbananda Sonowal, Union Minister of Ports, Shipping & Waterways, GoI.



6.0 AWARDS

During the year under review, your Company

- was felicitated for completing 25 years of service to the trade during the 16th South East CEO Conclave & Awards 2025 organized by EXIM INDIA Shipping Times in Chennai on 11.07.2025.
- received the award of excellence for the best Port of the country in the category of 'Ports handling more than 5,00,000 TEUs of Containers' from Shri Sarbananda Sonowal, Hon'ble Minister of Ports, Shipping and Waterways during the Post-Budget Industry Meet 2025 at Mumbai.
- was conferred the 'Recognition of Outstanding Indian Ports' and awarded 1st Rank at the 62nd National Maritime Day celebrations held on 05.04.2025 in Mumbai.
- ranked 47th in the Global Ranking of Container Ports by World Bank's Container Port Performance Index 2023 (CPPI 2023), published by the World Bank and S&P Global Market Intelligence; and
- ranked 3rd in the Global Ranking in Small

Ports category of handling highest containers (throughput of less than 0.5 million TEUs per Year) leading amongst other Container ports in India.

7.0 MOU

The Memorandum of Understanding (MoU) for the year 2025-26 was signed with Chennai Port Authority on 15.07.2025. The MoU rating for financial year 2024-25 is 'Very Good'.



Kamarajar Port Limited signed MoU 2024-25 with Chennai Port Authority

8.0 OPERATIONS

Presently, your Company has 9 Nos. of Terminals in operation, out of which four (4) Terminals are BOT Terminals, three (3) are Captive user Terminals and Two (2) are KPL owned Terminals. All the Terminals are equipped with 'State-of-the-Art' infrastructure facilities with fully mechanized cargo handling operations for faster evacuation and pollution free environment. Capacity of the 9 operational berths is 57.44 Million Tonnes. Brief of the existing Terminals are as detailed below:

(i) Coal Berths 1 and 2

Coal Berths 1 & 2 with handling capacity of 8MTPA each can accommodate 280m long two Coal Carriers of up to 77,000 DWT and handles Thermal Coal for the Thermal Power Plants of TNPGL and its JV Companies. Unloaded Coal is directly moved through the conveyor system to the stackyard located in the adjoining North Chennai Thermal Power Station (NCTPS) from where a part of it, is moved further to Mettur, through Rail connectivity. As per the business model, your Company built Berthing structure and TNPGL has invested in and

is operating and maintaining all top side facilities like shore unloaders, conveyor system, etc. for handling Thermal Coal.

(ii) Marine Liquid Terminal

Marine Liquid Terminal with cargo handling capacity of 3 MTPA was developed under BOT basis by M/s. Ennore Tank Terminals Private Limited (ETTPL) and commercial operations commenced from 16th January 2009. To meet the demand in the trade, the BOT Operator developed additional storage tanks and installed LPG handling equipment. The Terminal handles POL, LPG, CBFS, Chemicals and others. To mitigate the congestion of vessels, M/s.ETTPL laid additional dock lines and installed marine unloading arms thereby reducing the vessel waiting time. The Tank Farm is located in a 33 acre port-leased plot at about 3.7 km from the berth with a total storage capacity of about 247,990 KL and can store class A/B/C petroleum products, petrochemicals, vegetable oils, bio fuels, acids and safe class liquids. The entire Terminal is having an integrated fire fighting system consistent with the requirements of OISD.

(iii) Common User Coal Terminal

Common User Coal Terminal with cargo handling capacity of 10 MTPA was developed on BOT basis by M/s. Chettinad International Coal Terminal Pvt. Ltd and commercial operations began from 11th March 2011. To handle Cape size vessels, the BOT Operator extended the berth length by 22.5m with draft of 16m. The stackyard area of 48.0 Ha is located at about 2.50 km from Port compound wall. An in-motion wagon loading station has been installed for loading one full rake of 59 wagons (3500T). Truck loading stations are provided for evacuation through trucks. A Conveyor has been installed with the dust suppression mechanism to reduce pollution. The Terminal has been renamed as M/s. Ennore Coal Terminal Pvt. Ltd. after acquisition of the Terminal by JSW Infrastructure Ltd. Group

(iv) General Cargo Berth cum Automobile Export Terminal

The berth can accommodate the world's Largest Car Carrier Vessel and has a back-up area of about 3,70,313 sq.m with an expansive Car Parking Yard including Transit Parking Yard for 25,000 Cars, which is the largest

facility in any Indian Port. As on 31.03.2025 the export of automobile units through GCB crossed 23.80 lakh units since inception.

Your Company has executed long term agreements with the major OEM's viz. M/s. Nissan Motor India Pvt. Ltd., M/s. Toyota Kirloskar Motor India Pvt. Ltd., M/s. Daimler India Commercial Vehicles Pvt. Ltd., M/s. Isuzu Motors India Pvt. Ltd. and M/s. ZF Wind Power Coimbatore Pvt. Ltd. (Windmill Components), M/s. Maruti Suzuki India Ltd., M/s. Caterpillar India Pvt. Ltd. and M/s. PCA Automobiles India Pvt. Ltd. for export of Automobiles through your Port. Your Port is also providing volume based rebate on Wharfage Charges

(v) Container Terminal

Your Company entered into a Concession Agreement with M/s. Adani Ennore Container Terminal Private Limited for developing Container Terminal with handling capacity of 1.40 Million TEUs per annum under PPP mode in a phased manner. The total backup area for Container Terminal is 36.5 Ha. Phase-I berth is equipped with four Rail Mounted Quay Cranes each with 62M outreach and 12 ERTGS. Three more Rail Mounted Cranes and 9 ERTGS will be added during the second phase as and when implemented. Container evacuation is through road and rail mode. The commercial operations of Container Terminal (Phase-I) began from the financial year 2017-18.

(vi) Multi Cargo Terminal

The Terminal was developed by M/s. Chettinad International Bulk Terminal Private Limited with 2.0 Million Tonnes capacity on DBFOT basis. The Terminal handles Steel, Fertilizer, Gypsum, Barytes and Limestone. The total backup area for the Terminal is 13.5 Ha. The berth is equipped with Two (2) Nos. of Harbour Mobile Cranes with capacity of 100 Tonnes each and yard is equipped with storage facilities. Cargo evacuation is through road and rail mode. The commercial operations of the Terminal began from 05.08.2017. The Terminal is renamed as M/s. Ennore Bulk Terminal Pvt. Ltd after acquisition by M/s. JSW Infrastructure Ltd Group on 13.11.2020.

(vii) Liquefied Natural Gas (LNG) Import Terminal

M/s. IOCL, lead partner of JV, has set up the LNG Terminal with re-gasification facilities with capacity of 5 MTPA (expandable upto 10 MTPA). Re-gasification Terminal consists of 2 Tanks each of gross capacity 1,80,000m³. The Terminal was commissioned on 26.02.2019 and the cost of the project is Rs.3834.51 Crore.

(viii) Automobile Export/ Import Terminal-2 (3 MTPA)

Your Company had selected M/s. L&T Geostucture Pvt. Ltd. as Contractor to develop the 2nd Automobile Export/Import Terminal with estimated capacity of 3 MTPA. The awarded project cost was Rs.149.36 Crore. The Terminal was inaugurated by the Hon'ble Prime Minister of India on 2nd January 2024 and is operational from March 2024.

9.0 PROJECTS:

To increase your Port's ability to provide various services to its customers, action has been initiated for development of various Berths/Terminals, the status of which is as detailed below:

(i) Coal Berths 3 & 4 (18 MTPA)

Based on the request of TNPGL (erstwhile known as TANGEDCO), your Company has constructed two additional Coal Berths (CB3 & CB4) at an investment of Rs.500 Crore. The two new Coal Berths have capacity of 9 MTPA each and can accommodate Cape size vessel of 18 m draft. The berths have been handed over to TNPGL for installation of top unloading facilities like Unloaders, Conveyor system, etc. The mechanization of CB-3 is underway and is expected to be commissioned in financial year 2025-26. As regards CB-4, the mechanisation work which was under hold due to termination of earlier contract, has been recently awarded to a new contractor and it is expected to be commissioned in the FY 2026-27.

(ii) IOCL Captive Jetty (3 MTPA)

Your Company has signed Concession Agreement with M/s. Indian Oil Corporation Limited (IOCL) for Construction of Captive Jetty to handle POL and LPG products at an estimated project cost of Rs.921

Crore and has appointed M/s. Assystem India Ltd (Formerly known as L&T Infrastructure Engineering Ltd) as Independent Engineer. M/s. IOCL has selected M/s. ITD Cementation Ltd, Mumbai as the EPC Contractor for jetty construction. Your Company has allotted the land portion, water front and ROW for pipeline corridor to M/s. IOCL and has declared the Date of Award of Concession with effect from 02.03.2022. Construction of Jetty was completed on 31.12.2024 and the same is expected to be commissioned in near future.

(iii) Modification of Iron Ore Terminal on "as is where is basis" to also handle common user coal (12 MTPA)

Your Company had signed an agreement for Iron Ore Terminal on a 30 years BOT basis during September 2006 with the Project Company M/s. SICAL Iron Ore Terminal Limited (SIOTL). The BOT Operator had developed the first phase of 6 MTPA during 2010-11. However, due to ban on export of Iron Ore, the Terminal was never put into use. Consequently, Modification of existing Iron Ore Terminal on "as is where is" to also handle Common User Coal was contemplated and accordingly License Agreement was signed on 11.07.2016 between KPL and SIOTL.

However, due to the occurrence of Financial Default by the Concessionaire, 'Termination Notice' was issued by your Company to M/s.SIOTL on 22.03.2021 and the License Agreement was terminated on 20.06.2021. However, SIOTL is facing NCLT proceedings under IBC code and the matter is sub judice.

(iv) Marine Liquid Terminal – 2 (3 MTPA)

To meet ever increasing demand for POL, your Company initiated action for development of 2nd Marine Liquid Terminal consisting of berth and tankage facilities in DBFOT mode at an investment of Rs.393 Crore. After competitive bidding, your Company issued Letter of Award to Consortium of BPCL-HPCL on 14.02.2018. However, because of litigation by existing BOT Operator of MLT-1, the signing of Concession Agreement and allotment of water front is pending. Matter has been referred to Conciliation and Settlement Committee (CSC).

**(v) Container Terminal-Phase 1(stage 2)
(6,00,000TEUs/11.58 MTPA)**

The Concessionaire, M/s. AECTPL was supposed to commence Stage-2 construction on 19.01.2019 as per the Concession Agreement. However, due to delay in commencement of Stage II, liquidated damages were levied on the Concessionaire. The Concessionaire invoked Arbitration dispute on 16.8.2020. A majority Award was passed on 28.5.2024. You Company filed an appeal against the arbitration Award, and it is pending before the Hon'ble High Court of Madras.

Meanwhile, M/s.AECTPL recommenced the construction of Phase 1 (stage 2) with effect from 01.04.2025.

10.0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

As a Corporate Port, functioning on "Landlord" model, your Port has to provide the basic infrastructure like road & rail connectivity, dredged basin/channel, marine services and other common utilities. Towards this end, your Company has initiated actions for effective network of Road and Rail connectivity to the National Highway to ensure faster receipt and evacuation of cargo as detailed below:-

10.1 Road connectivity

(i) Internal Road Connectivity

To provide better road connectivity to the IOCL Regasification Terminal inside the Port, your Company signed an agreement with TNRDC for construction of 2 lane concrete road at a cost of Rs.17.43 Crore. The total length of the road is 2.4 km and has been dedicated for service.

(ii) External Road Connectivity

(a) Southern Port Access Road

Present road connectivity of your Port to the three National Highways (NH5, NH4 & NH45) is through the Port Access Road, the NCTPS approach road, Tiruvottiyur – Ponneri – Panchetty (TPP) Road, the Inner Ring Road (IRR) and the Chennai Bypass Road. Considering the increasing road traffic movement of import/export of cargoes, the existing two lane

road starting from Vallur Junction (TPP Road) to Kamarajar Port Main entrance has been widened to four lane road on a turnkey basis by TNRDC for a cost of Rs.195 Crore.

The road works were implemented by TNRDC in 2 stretches. Stretch-1 involves road widening/ improvement from Vallur Junction to NCTPS Junction for 4.8 km length and Stretch-2 involves road improvement from NCTPS Junction to Port Main Gate for a length of 2.3 km. The works were completed and inaugurated by Shri Sarbananda Sonowal, Hon'ble Minister for Ports, Shipping and Waterways & Ayush on 23.04.2023.

(b) Northern Port Access Road (NPAR)

The Northern Port Access Road, which connects your Port to NH5 has a length of 21.148 km with a 4.35 km SPUR Road to the existing Chennai ORR. This Northern Port Access Road forms part of Section-1 of the Chennai Peripheral Ring Road (CPRR). The State Government vide G.O.(Ms) No.37 Highways and Minor Ports (HW2) Department dated 8.3.2019 has accorded administrative sanction for Rs.3339 Crore for the formation of the road. The project is being executed by TNRDC and funded by JICA. M/s. Tata Projects was selected as the Contractor. Works commenced in January 2022 and is expected to be completed by December 2026.

(c) Stackyard Road

Your Company entered into a contract agreement in August 2024 with

M/s. Tamil Nadu Road Development Company Ltd. (TNRDC), the Project Implementing Agency, for the development of a concrete road from Vallur NCTPS Camp Roundtana to ECTPL Stack Yard. TNRDC awarded the work to M/s. Om Sakthi Constructions in January 2025. The project aimed at facilitating seamless coal evacuation from ECTPL's coal stackyard to various destinations by truck.

The major civil work involves the repair and rehabilitation of existing bitumen/ concrete roads, culverts, drains, and streetlights, as well as the reconstruction of two major bridges located between the ECTPL Stackyard and KPL main

gate. The scope includes the construction of a 4.39 km concrete road and strengthening of side embankments for the bridges. The total estimated cost of the project is Rs.58.21 Crore, with a scheduled completion period of 24 months.

10.2 Rail Connectivity

Presently, your Company is connected by rail to the mainline at Attipattu and Attipattu Pudunagar Stations located in the Chennai – Gudur Section of the Southern Railway on the Chennai – Delhi/ Kolkata route. Your Company developed the railway facilities connecting Coal and Iron Ore Terminals to the existing NCTPS railway line. Further, as part of obligations of your Company, Rail Connectivity to Container and Multi Cargo Terminals has been provided.

To ease congestion in rail bound traffic, your Company has initiated actions for the following Rail Connectivity projects:

(i) Southern Rail Connectivity

Your Company entered into an agreement with M/s. Indian Port Rail & Ropeway Corporation Limited for doubling the existing single line rail connectivity from Holding Yard No.1 to Container Yard at a project cost of Rs.88.81 Crore. The total length of doubling rail connectivity is 2.65 km. The project is already commissioned and the allied works such as Interlocking Level Crossing No.4 inside Port commissioned during February 2025.

(ii) Northern Rail Connectivity

Northern Rail Link (NRL) connects your Port to Northern side of Minjur Station i.e. Chennai - Gudur Railway mainline. Total length of the NRL Connectivity is 11.211 km. Your Company and Kattupalli Port agreed for 30m RoW (15m each) out of 100m RoW being acquired by Government of Tamil Nadu for NPAR. Your Company has considered this NRL connectivity project as a long term project.

(iii) Onetime Upgradation of KPL and NCTPS Railway lines

Your Company entered into an agreement with M/s. Indian Port Rail & Ropeway Corporation Limited for

onetime upgradation of KPL tracks (Holding yard I, II & KPCA) and NCTPS Railway tracks (Common railway track) including modification work (P.Way, OHE and S&T) in Holding Yard II. The total upgradation length of rail connectivity is 26.38 track km at an estimate cost of Rs.35.20 Crore. Original scope of works such as Civil, OHE & S&T works have been completed. Additional work of S&T at Attipattu Station is in progress. The work is expected to be completed by December 2025.

10.3 Dredging Plan

(i) Capital Dredging Phase-V

The work of Capital Dredging Phase-V awarded to M/s. Jan De Nul Dredging India Pvt. Ltd, Chennai for the value of Rs.156,08,56,760/- (excluding GST) for providing water depth of (-) 16m CD for the berths such as Ro-Ro cum General Cargo Berth-II and IOCL Captive Terminal got completed during October 2023.

(ii) Capital Dredging Phase-VI

With increase in EXIM trade demand, the preference of trade will be to deploy deep draft vessels to gain economies of scale. To align with the MIV-2030 initiative, your Company has re-initiated the action for carrying out Capital Dredging Phase-VI to provide (-)18m deep draft in the Basin and Channel area of the Port. The estimated dredging cost Rs.513.83 Crore as approved by PIB will be financed through Internal and Extra Budgetary Resources. After completing tendering process, the work was awarded to M/s.Van Oord Marine Contractors BV, Mumbai for the contract value of Rs.440.70 crores excluding GST on 24.10.2024. Work is in progress. Expected to be completed by June 2026.

11.0 INDUSTRIAL RELATIONS

Your Company continues to maintain cordial and harmonious industrial relations during the year 2024-2025. No man days were lost during the year due to any strike or stoppage of work. The labour situation at the port was normal

12.0 HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

12.1 Manpower

As on 31.03.2025, your Company had a total of 92 employees, comprising of 74 male employees, 18 female employees, and 0 transgender employees under the following categorisation.

	SC	ST	OBC	OTHERS	TOTAL
OFFICERS	11	2	30	21	64
STAFF	9	1	10	8	28
TOTAL	20	3	40	29	92

12.2 Representation of SCs/STs/OBCs, Minorities

Your Company meticulously follows the Presidential Directives and orders of the Central Government from time to time on reservation of posts/benefits in favour of the Scheduled Caste, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, and Minorities etc. SC employees constitute 22% of total manpower and ST employees constitute 3% of total manpower and the details of their representation are tabled below:

Liaison Officers for SC/ST and OBC have been appointed to ensure compliance and implementation of the reservation orders in the organization.

12.3 Training

As your Company believes that imparting training to its employees is essential to keep them abreast of the knowledge in their related fields, 153 man days of training was imparted to the employees during the year incurring an expenditure of Rs.17.59 lakh approximately.

Programs attended by the employees during the year are Smart Port Technologies and Port & Terminal Optimization, Port Environmental Management and Sustainability, Port and Marine Services, Dredging Technology, IMO Level I & II Training, Green Ports, SEBI, Cyber Threat Intelligence, Disaster Management with NIDM, PPP Frameworks for Infrastructure Development, Environmental, Social and Governance way to sustainability, CSR, Port and Harbor Engineering, Reservations, Port Security, Energy Conservation and Energy Audit, Hindi Workshops, etc

12.4 Grievance Redressal Mechanism

Your Company has in place a grievance redressal procedure for Executives as well as non-executive employees. There was NIL grievance received for the year under review.

13.0 MARINE

13.1 Marine Operations

Your Port continues to demonstrate operational excellence and maritime safety through the following initiatives:

- Ensures 24 x 7 prompt pilotage services for all ocean-going vessels, facilitating reduced turnaround times and improved berth utilization.
- Maintains a robust fleet comprising 4 tugs, 2 pilot launches, and 2 mooring boats, delivering efficient shipping support.
- All tugs are equipped with Fi-Fi (Fire-Fighting) systems, aligned to international standards for safe handling of LPG/LNG vessels.
- A dedicated patrol boat, manned with CISF personnel, operates 365 days, round-the-clock at the seafront to ensure ISPS Code compliance and secure marine infrastructure.

13.2 Vessel Traffic Services (VTS)

To promote navigational safety and environmental protection, your Port has implemented an indigenous state-of-the-art Vessel Traffic Service (VTS) system. This provides:

- Real-time information services
- Proactive navigational assistance
- Coordinated marine traffic management for all vessels approaching or departing the port.

13.3 Vessel Handling Highlights

Your Port continues to lead with safe, streamlined, and scalable shipping operations:

- Delivered seamless pilotage and berthing services through skilled marine pilots and modern navigation support, enabling

quicker turnaround and handling of various types of large and specialized vessels.

- Fully adheres to IMO Ballast Water Management Convention to prevent the introduction of invasive aquatic species, reinforcing environmental stewardship.
- Fully compliant with NLP (Sagar Sethu) with Maritime Single Window (MSW) clearance since Dec 2022 and progressing toward One Nation One Port documentation since Jan 2025.
- Initiated comprehensive digitization of vessel documentation, improving transparency and efficiency across departments.
- Collaborated with IMD to install an Automatic Weather Station (AWS), enabling real-time weather monitoring for cyclone and heavy rainfall preparedness, which will facilitate timely and accurate weather assessment at the port.

14.0 PORT SECURITY

Security remains a core priority, with full alignment to ISPS regulations and DG Shipping compliance:

- Certified ISPS compliance.
- Security audits conducted by DG Shipping in collaboration with all relevant agencies.
- Quarterly Port Facility Security Advisory Committee (PFSAC) meetings ensure continual review and improvement.
- Coordination with all security agencies, including the Intelligence Bureau (IB), for security-related information.
- Routine multi-agency security drills conducted with CISF, terminal operators, Indian Navy, Coast Guard, and state authorities.
- Participated in the National Tsunami Mock Exercise (05 Nov 2024), conducted by ITEWC and NDMA, in observance of World Tsunami Awareness Day, boosting disaster readiness and crowd management.

- Port is comprehensively secured with:
 - ❖ Enhanced CCTV surveillance
 - ❖ RDE systems
 - ❖ Baggage scanners
 - ❖ Access control devices
 - ❖ Other security gadgets.

15.0 SURVEY AND DREDGING

15.1 Bathymetry Survey at Kamarajar Port:

Bathymetric surveys conducted half yearly during Pre & Post Monsoon to accurately assess and monitor seabed levels and underwater topography. This is essential for ensuring safe vessel navigation, effective planning of dredging activities, and maintaining the declared navigational depths. The data supports strategic decision-making for port operations, minimizes navigational risks, ensures regulatory compliance, and aids in infrastructure planning and maintenance.

15.2 Shoreline Monitoring Compliance

Shoreline monitoring at Kamarajar Port is undertaken to observe and assess coastal changes, erosion, accretion patterns, and the overall stability of the shoreline. Regular monitoring ensures compliance with regulatory requirements, aids in the protection of coastal infrastructure, supports sustainable port operations, and helps in the early identification of environmental impacts due to port activities. It forms a key component of environmental stewardship and risk management.

15.3 Navigational Chart Updates

The Port recognizes the critical importance of accurate Navigational and Electronic Navigational Charts (ENCs) in ensuring maritime safety, regulatory compliance, and efficient vessel movement. These charts provide vital information on water depths, navigational aids, seabed features, and infrastructure, supporting safe navigation and operational planning. As such, the Port maintains close coordination with the National Hydrographic Office (NHO), Dehradun, to ensure timely updates and amendments to the charts following the completion of capital dredging, maintenance

dredging, and other marine infrastructure projects. Regular updates are essential due to both man-made changes—such as dredging, construction of berths, and repositioning of navigational aids—and natural factors like siltation and seabed shifts. Updated charts also support emergency response and are crucial for vessels equipped with Electronic Chart Display and Information Systems (ECDIS), which require the latest ENC data. This practice ensures the Port remains aligned with international maritime safety standards and enhances navigational reliability for all visiting vessels.

15.4 Conventional Tidal Data Management

The Port maintains a systematic program for tidal data collection in close coordination with the Survey of India, Dehradun. Daily monitored tidal data sheets are forwarded monthly to the Survey of India, which utilizes this information for the annual preparation of predicted tides published in the Indian Tide Tables. These tables are crucial for navigation, harbor development, and ensuring coastal safety. The tidal data collected also plays a vital role in the Port’s internal operational planning and maritime activities.

15.5 Automatic Tide Gauge Monitoring

The Port ensures continuous and systematic maintenance and recording of tidal data through the operation of its Automatic Tide Gauge system, in coordination with the Indian National Centre for Ocean Information Services (INCOIS), under the Ministry of Earth Sciences. The real-time data collected is vital for internal operational planning, navigation safety, infrastructure development, and supports hydrographic and other maritime operations. Furthermore, the tidal data is forwarded monthly to the Indian Navy, National Hydrographic Office, Dehradun, for national safety and security related purposes.

15.6 GNSS Installation



Automatic Tide Gauge Monitoring System

A Global Navigation Satellite System (GNSS) installation has been established at the Port by the Indian National Centre for Ocean Information Services (INCOIS), Ministry of Earth Sciences, as part of a Pilot Project. This installation significantly enhances the accuracy and reliability of hydrographic surveys, tidal observations, and positioning data. Precise positioning is critical for safe navigation, efficient port operations, dredging activities, and infrastructure development. The GNSS setup supports real-time data acquisition and improves the overall quality of marine and coastal data management at the Port.



Global Navigation Satellite System

15.7 Maintenance Dredging

The Port has undertaken maintenance dredging at CB1, CB2 & ECTPL to ensure navigational safety by maintaining scheduled depths at alongside berths. To monitor and verify these depths, hydrographic bathymetric surveys are conducted biannually—during the pre-monsoon period (March/April) and the post-monsoon period (September/October).

15.8 Geospatial Mapping

Geospatial mapping of Kamarajar Port waters has been undertaken to accurately define and demarcate the waterfront and marine jurisdiction of the Port. This survey is crucial for establishing clear port boundaries, supporting regulatory compliance, and enabling informed decision-making in port planning, development, and resource management. The resulting updated port limit drawing serves as a foundational reference for infrastructure expansion, maritime safety, and coordination with statutory authorities.

16.0 HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT

Your Port is committed to provide a positive safety culture and safe work environment for its employees and stakeholders. Health, safety and Environment practices are being followed with utmost priority to safeguard their health and safety of every individual and to maintain sustainable port operations.

Your Port shall meet the requirements of all applicable legislation and regulations with respect to matters of occupational health and safety in the workplace and set an example to all stakeholders to comply the same in workplace. Further believes that health and safety in the workplace is a shared responsibility and all are expected to adhere and promote good safety practices.

16.1 Health

On the occasion of Women's day celebrated on 8th March 2025, your Port has organized Health session creating awareness related to personal wellness to women employees and SHG women workers by Dr. Punitha, Rasthriyaa Bal Swasthya Karyakram (RBSK) coordinator, Thiruvallur District.

To cater to any medical exigencies, your Port is running an Occupational Health Centre (OHC) equipped with trained paramedical staff on 24x7 basis along with one medical practitioner in General shift on all working days. Additionally your Port is equipped with an Ambulance stationed 24x7 in port to cater to any first aid requirement to employees and other stakeholders.

16.2 Safety

Your Port has achieved Zero Fatal incidents and Zero Lost Time injuries in operations during the year 2024-25 (excluding terminal operators).

Your Port promotes safety culture at workplace by way of conducting periodical trainings and drills to achieve optimum operational excellence. Your Port had observed National Safety Week and Road Safety Week to sensitize employees, stakeholders and Port users on the necessity and importance of complying safety for a healthy work environment.

Your Port has conducted in-house training programmes on Fire fighting for Port users, mock

drills at KPL, BOT operators. Your port actively participates in mutual aid drills with proximity industries in oil & gas and thermal power plant sectors.

Your Port has an approved Disaster Management Plan & Crisis Management Plan in place for effective response and actions during any unforeseen exigencies. Your port is equipped with adequate safety equipments which are being maintained as per standards. The employees and stakeholders of your port adheres to personal safety and understand the importance of procedures that needs to be followed during exigency situations.

Your port conducts safety audits and follow-up audits by engaging National Safety Council (NSC) for the berths/terminals/storage facilities handling non-flammable products as per the directions of the Ministry of Ports, Shipping & Waterways.

Your Port ensures good practice by analyzing the near misses/incidents/accidents and implements the lessons learnt as corrective actions to enhance the safety culture at workplace to mitigate the risk.

Your Port is equipped with Tier I - Oil Spill Response equipment in compliance with the requirements of the National Oil Spill Disaster Contingency Plan (NOS-DCP) guidelines. Port has fulfilled the requirements of IMO Level I, II & III trainings as per National Oil Spill Disaster Contingency Plan (NOS-DCP) guidelines.

16.3 Environment

Your Port is complying with all the Environmental Laws applicable and submitting the compliance reports on the conditions stipulated vide various Environmental Clearances of Port projects to MoEFCC, CPCB and TNPCB.

As a part of compliance of MARPOL regulations, your port has facilitated the reception facilities under Annexes I, II, IV, V & VI of MARPOL. Port has empanelled eight nos. of Tamil Nadu Pollution Control Board approved recyclers for collection and disposal of ship generated oily wastes.

Your Port is having authorization for the generation, collection and disposal of Hazardous Wastes.

Your Port is submitting the annual returns under Hazardous and Other Wastes (Transboundary & Management) Rules, 2016 for the quantity of hazardous wastes handled during the preceding year.

Your Port is interested in the creation of circular economy and is following the Reduce Reuse & Recycle (RRR) principle for the sustainable Port operations. Your Port had banned Single Use Plastics inside the Port and the other solid wastes collected from the ships and various locations inside the Port areas are segregated into different categories and sent to Pollution Control Board approved re-cyclers for further beneficial use.

Your Port has installed organic waste converter inside its premises through which the Port and ship generated organic/food wastes are treated and used as manure for the green belt.

Your Port continuously endeavors to sustain an eco-friendly and green port. Port has engaged M/s. Nitya Laboratories, a NABL accredited and MoEF&CC recognized laboratory for sampling and testing of various environmental parameters like ambient air quality, ambient noise levels, marine water quality, surface water quality, ground water quality, and STP outlet water quality.

Your Port ensures that the BOT operators inside the Port are also monitoring the environment in their respective terminals. The environmental quality reports are regularly submitted to the State Pollution Control Board. All the environmental parameters including air quality levels are being maintained well within the limits prescribed by Central Pollution Control Board.

Your Port had installed 3nos. of continuous ambient air quality monitoring stations at main gate, signal station and general cargo berth areas and the data is synchronized with the servers of CPCB and TNPCB for realtime monitoring.

Your Port had obtained Environmental & CRZ Clearances for augmenting the Coal handling capacity at Ennore Coal Terminal Pvt. Ltd. from the existing 9.6 MTPA to 11 MTPA to cater to the increasing Coal demand.

Your Port had obtained Environmental & CRZ Clearances for a change in cargo profile to handle additional commodities in Ennore Bulk Terminal Pvt. Ltd., which will enable better service flexibility and operational capacity.

Your Port had obtained Terms of reference from Ministry of Environment, Forests and Climate Change for increasing the capacity of existing operational Marine Liquid Terminal from 3 Million Tons Per Annum to 6 Million Tons Per Annum.

Your Port along with the BOT Operators installed renewable energy (solar power) of 1.320MW and drawing 50% of its captive usage from renewable energy.

Your port and BOT operators had installed 113 KLD capacity Sewage Treatment Plants in their respective premises. Your Port is interested in Zero Liquid Discharge (ZLD) principle and reuse of recycled water.

As part of reduction in ship generated emission levels, your Port is already providing shore power supply to the harbor crafts when they are idle and thereby reducing the emissions. Your Port has completed the installation of shore power supply facility at Coal Berths 1 & 2 and about to commission. Your port had electrified 80% of the cargo handling equipment thereby reducing the emissions considerably.

Your port had introduced 6 numbers of e-vehicles inside the port area in order to reduce the carbon footprint. The e-vehicles deployed at Port are used for intercarting of manpower, solid waste management etc., Apart from this, 24nos. ITVs used in the Container Terminal are fully electrified. Port had developed 5nos. of e-charging stations inside its premises aligning with the targets of Ministry of Ports, Shipping & Waterways.

Your Port had replaced all the electrical appliances with high rated appliances to reduce the power consumption.

Your Port had carried out Environmental & Water Audits for all its operational areas including BOT Terminals through National Productivity Council.

Your Port had observed World Environment Day on 5th June 2024. As a part of this, various awareness activities were conducted. Plantation of tree sampling was carried out in the alongside two lane concrete road in a massive way by engaging various stakeholders.

17.0 DISCLOSURE UNDER THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013 AND WOMEN EMPOWERMENT

The provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 have been implemented in the Company with the aim of providing protection to women against sexual harassment at workplace and for prevention and redressal of complaints. There are no complaints of sexual harassment received during the year. Hence there are no complaints disposed/pending for more than ninety days.

The Company has also complied with the provisions of the Maternity Benefit Act, 1961, ensuring statutory entitlements to eligible employees.

As on 31st March 2025, there are a total of 18 women employees on Company's roll, of whom 3% are in staff cadre and 16% are in officers cadre. To commemorate the 50th International Women's Day, a week long program was conducted honouring its women employees with range of initiatives for women empowerment.

18.0 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Your Company as a responsible Corporate citizen has undertaken projects in line with adopted CSR Policy and Companies Act, 2013. CSR Annual Report containing the requisite disclosures relating to composition of the CSR committee, CSR policy and initiatives taken during the year are enclosed as Annexure - I and forms part of the Board's Report.

19.0 PUBLIC PROCUREMENT POLICY

The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises has notified Public Procurement Policy. Your Company has procured 26.87% of annual value of goods and services from Micro and Small

Enterprises (including MSE's owned by SC/ST and women Entrepreneurs).

20.0 RISK MANAGEMENT POLICY

Your Company has adopted Risk Management Policy to provide a framework to identify, assess and manage potential risks and opportunities for managers to make informed management decisions. Some of the objectives of a Risk Management Framework are given below:

- A focused approach in identifying the obstacles & managing them to help the Organization perform better.
- Introduce a structured risk management initiative across the Organization to identify potential risks that may adversely affect the objectives of the Organization and plan for their mitigation with specific responsibilities assigned.
- Improve strategic decision making.
- Improve business performance.
- Reduce operational surprises and losses.
- Improve deployment of capital.
- Provide a sound basis for integrated risk management and internal control as components of good corporate governance;

The risks are identified, evaluated and mitigating plans are reviewed and monitored from time to time.

21.0 WHISTLE BLOWER POLICY

Your Company has put in place a "Whistle Blower Policy" for employees to report to the management instances of unethical behavior, actual or suspected fraud or violation of the Company's Code of Conduct and Ethics by adopting highest standards of professionalism, honesty, integrity and ethical behavior. No complaints which will come under the purview of the Policy have been received during the year. The Whistle Blower Policy has been hosted on the website of your Company <http://www.kamarajarport.in/upload/uploadfiles/files/blower.pdf>.

22.0 NOMINATION AND REMUNERATION POLICY

Pursuant to provisions of the Companies Act, 2013, the Nomination and Remuneration Committee has formulated a policy on appointment of Directors, remuneration of Directors, other employees including Key Managerial Personnel. The Nomination and Remuneration Policy is available in the weblink https://kamarajarport.in/upload/uploadfiles/files/Nomination_RemunerationPolicy.pdf

23.0 RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

Your Company is complying with the Right to Information Act, 2005 and has designated a Public Information Officer, and an Appellate Authority to look after the compliances of RTI Act, 2005. The information required to be provided as per Section 4(1)(b) of the Right to Information Act, 2005 has been posted on the website of the Company www.kamarajarport.in. 42 applications and one appeal received during the year were disposed off within the stipulated time.

24.0 INFORMATION TECHNOLOGY

Your Company continues to remain at the forefront of technology adoption, leveraging digital tools to enhance business process efficiency and deliver greater value. In alignment with the Government of India's digital transformation initiatives, multiple IT-driven projects have been implemented to streamline internal operations and improve stakeholder services. During the year, SAP systems maintained an uptime exceeding 99.5%, ensuring high availability of critical business applications.

To further enhance operational efficiency, your Company has embraced cutting-edge technologies such as Mendix, a SAP-certified No Code/Low Code Application Development Platform. Key applications developed using this platform include:

(i) Port Operating System (POS)

An internal application designed to plan, monitor, and manage all marine and cargo operational activities. POS is integrated with the Sagar Setu (NLP-M) platform, enabling seamless data exchange with external stakeholders such as shipping agents, lines, and customs brokers.

(ii) Business Interface Portal (BIP)

A customer-facing portal providing access to tax invoices, account summaries, gate-in/gate-out applications, service feedback, and more.

(iii) Other Applications

In addition, your Company has launched several other digital initiatives using the Mendix platform, including:

Vigilance Complaint Management System for enhanced transparency and stakeholder convenience, Extended Employee Self-Service (EESS) Application for the employees of the Company, Capex Project Monitoring & Progress Management System, Pass Issuance System & Mobile Application for broader user access.

Looking ahead, your Company has planned the following major IT initiatives in the next FY25-26:

24.1 Major IT initiatives for FY 2025-26

(i) Migration to 'Rise with SAP'

Transition of the SAP environment to a private cloud infrastructure. Disaster Recovery (DR) setup is already operational, with the production environment targeted for completion by Q4 of FY 2025-26.

(ii) Integrated Command & Control Centre (ICCC)

A comprehensive monitoring and management hub covering:

- (i) Video Management – CCTV Feed
- (ii) Security Management through Video Analytics
- (iii) Monitoring of Electricity Distribution & Smart Street Lights
- (iv) Monitoring of Drinking Water Distribution
- (v) Solid Waste Management
- (vi) Public Addressing System
- (vii) Disaster Management & Emergency Response
- (viii) Drone based Survey & Mapping of Assets in GIS
- (ix) Integration of existing Systems:
 - a. Continuous Ambient Air Quality Monitoring Stations.
 - b. Vessel Traffic Management System (VTMS)
 - c. Permit & Gate System

Your Company has awarded the contract for development of ICCC to M/s ITI Ltd (a CPSE), the ICCC is expected to be fully operational by Q2 of FY 2025-26 and will significantly enhance administrative oversight, situational awareness, and overall port security.

25.0 IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE

Your Company has made intensive efforts for the propagation and implementation of the official language policy of the Government of India.

- Official Language Implementation Committee meeting headed by MD was held every quarter for effective implementation of Rajbhasha.
- All the Rules / Regulations / Manuals / Forms done in bilingual.
- All the rubber stamps, sign boards, seals, letterheads, Name plates, official description on vehicles, visiting cards, etc. done in bi-lingual.
- Resolutions are done in bi-lingual.
- Hindi workshops were conducted every quarter to give wide publicity on progressive use of Hindi.
- The Deputy Director (Hindi) and Senior Translation Officer from the Ministry inspected the implementation of the Official Language at KPL on 21.11.2024 and appreciated the efforts being undertaken.

25.1 Hindi Fortnight Celebrations

The Port celebrated Hindi Day as a fortnight from 27th August 2024 to 9th September 2024. A joint Hindi workshop was also organized by Kamarajar Port Limited and Chennai Port Authority on 27th August 2024 in Chennai Port Authority to mark the occasion of Hindi Fortnight Celebrations. Mrs. Santoshi, Professor of Dakshin Hindi Prachar Sabha was the Chief Guest. It was inaugurated by Mr. Idranil Hajra, Secretary, Chennai Port Authority.



Hindi Workshop organized jointly by KPL and ChPA

Hindi Fortnight ended with the organization of "Hindi Day" on 9th September 2024. Mrs. V. Rajni, Assistant Director, Hindi Education Scheme, Ministry

of Home Affairs, Chennai was present as the Chief Guest in the programme.

Shri Sunil Paliwal, I.A.S. during his presidential speech, said that Hindi has been established as the most simple and accessible language and language of communication in this country.

Mrs. J. P. Irene Cynthia, IAS, Managing Director, Kamarajar Port Limited, in her address emphasized the need to make progressive use of Hindi in the official work.

Later Mrs. V. Rajni, while presiding over the program, congratulated everyone on Hindi Day and said that Hindi is our official language and we should try to make it the national language.

Competitions like singing, newspaper reading, one minute speech in Hindi were held for the employees from 27th August to 9th September 2024 and prizes were awarded to the winners during the Hindi Day function by the Chief Guest.



Chief Guest Mrs. V. Rajni, Assistant Director, Hindi Education Scheme, Ministry of Home Affairs

26.0 DETAILS OF DIRECTORS OR KEY MANAGERIAL PERSONNEL WHO WERE APPOINTED OR HAVE RESIGNED/CEASED DURING THE YEAR AND TILL THE DATE OF REPORT

26.1 Directors

During the year, the Members approved the following appointment and re-appointment of Directors:

- Appointment of Shri R.M. Narayanan (DIN: 02853368) as Independent Director in place of Shri. V.M.V Subba Rao, (DIN: 02435597) for a term of 3 years w.e.f. 13.11.2024.
- Appointment of Shri Sunil Paliwal, IAS (DIN:01310101), who retires by rotation and being eligible offers himself for re-appointment.

26.2 Key Managerial Personnel

Pursuant to the provisions of Section 203 of the Act, Smt. J.P. Irene Cynthia, I.A.S., Managing Director, Smt. Jayalakshmi Srinivasan, Company Secretary and Smt. Kavita Satvi, Chief Financial Officer are the Key Managerial Personnel of the Company as on 31st March 2025.

Shri C.S. Vemanna was appointed as Chief Financial Officer (In-charge) by the Board of Directors in the intervening period from 26.05.2025 to 08.06.2025 due to absence of Smt.Kavita Satvi on medical grounds. Smt. Kavita Satvi was re-appointed as Chief Financial Officer w.e.f. 09th June 2025.

Smt. Jayalakshmi Srinivasan, Company Secretary superannuated on 30th April 2025 and consequently ceased to be Company Secretary of the Company w.e.f. the said date. The Board of Directors at its meeting held on 26th May 2025 appointed Smt. R. Roopa as the Company Secretary with effect from the date of her joining. Smt. R. Roopa took charge as Company Secretary w.e.f. afternoon of 07th July 2025.

26.3 Directors Liable to Retire by Rotation:

Pursuant to Section 152 of the Companies Act, 2013, Shri Sunil Paliwal, I.A.S., (DIN: 01310101) is liable to retire by rotation at the ensuing Annual General meeting and being eligible offers himself for reappointment. His brief Resume along with other requirements is annexed to the Notice of the 25th Annual General Meeting.

26.4 Details of Meetings of the Board/Committees and Composition

The Board is assisted by Board Level Committees. The Company Secretary acts as the Secretary to all the Board Level Committee(s). The details of Meetings of the Board/Committee and their composition are given in the Corporate Governance Report that forms part of this Annual Report. All the recommendations of the Committees have been accepted by the Board.

26.5 Annual Evaluation

In terms of Section 134(3)(p) of the Companies Act, 2013, annual evaluation of the individual Directors, performance of the Board as a whole, its Committees was carried out by the Directors by circulating an evaluation criteria questionnaire to all the Directors on various parameters like level of participation and devotion of enough time.

27.0 DECLARATION OF INDEPENDENT DIRECTORS

Your Company has received necessary Declaration from each of the Independent Directors of the Company during the year conforming that they meet the criteria of Independence as prescribed under 149(6) of the Companies Act 2013 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015.

28.0 VIGILANCE

Shri S.Murali Krishnan, IDAS, Chief Vigilance Officer, Chennai Port Authority is holding additional charge of CVO, Kamarajar Port Limited with effect from 25.04.2022. CVO is assisted by a Manager from Planning Department.

The Vigilance Division scrutinizes the documents with respect to the work contract executed by the departments. Procedural lapses, deviations from tendering norms and shortcomings in contract works are pointed out to the concerned departments for corrective actions and system improvements. The recovery of money is also advised in fitting cases.

The CVC guidelines/notifications are circulated to the departments. The Annual Immovable Property Returns submitted by the officers of KPL are scrutinized by the Vigilance Division. Clarifications are sought for the abnormalities, if any, from the concerned officers/staff. The Audit reports are studied at Vigilance Division and departments are advised to take necessary corrective action, wherever required.

A dedicated Online Complaint Management Portal (CMP) has been launched during May 2024 for dealing with vigilance related complaints.

28.1 Vigilance Awareness Week, 2024

Vigilance Awareness Week 2024 was observed in Kamarajar Port Limited from 28th October 2024 to 3rd November 2024 with the theme "Culture of Integrity for Nation's Prosperity".

Various outreach activities like conducting workshops, walkathon, competitions to school and college students, staffs, Special Guest Lecturing on Valedictory function and other vigilance awareness activities were carried out. Workshop conducted for the topic of Vigilance some insights and Disciplinary Proceedings by Shri V. Subramanyam, Principal Chief Materials Manager (Retd), Southern Railways on 21.10.2024.



Vigilance Pledge administered to school and college students

Training programs on Ethics and Governance, Cyber Hygiene and Security, Procurement and Disciplinary proceedings were conducted at Chennai Port for Port employees.



Vigilance Awareness Week 2024

28.2 Adoption of Integrity Pact

The Central Vigilance Commission has been promoting Integrity, transparency, equity and competitiveness in Government/PSU transactions as a part of vigilance administration and superintendence. Public procurement is a major area of concern for the Central Vigilance Commission and various steps have been taken to put proper systems in place.

The Commission has recommended adoption of Integrity Pact and provided basic guidelines for its implementation in respect of major procurements in the Government Organizations. Further the Commission has recommended for the appointment of Independent External Monitors (IEMs) for implementation of Integrity Pact and also advised the organizations to fix a threshold value for the contracts/ procurement which are to be brought under the Integrity Pact.

The KPL Board has approved the Vigilance department's proposal of Integrity Pact in the Board Meeting held on 21.02.2015. The threshold value

for contracts/ procurement to be covered under Integrity Pact has been fixed as Rs.1 Crore and above. CVC has appointed the following two new IEMs for implementing the Integrity Pact in KPL on 25.06.2024.

1. Shri. Jatinderbir Singh, IAS (Retd).
2. Shri. Muvvala Kondala Rao, IFoS (Retd)

Integrity Pact covers all phases of the contract i.e. from the stage of Notice Inviting Tender (NIT) till the conclusion of the contract. All the Departments were advised to incorporate Integrity Pact clause in the tender documents for works/procurements having threshold value of Rs.1 Crore.

28.3 IEM's review meeting:

As per CVC's SOP, review meetings are being conducted every quarter by inviting stake holders of KPL. For FY 2024-25, 3 IEM's Review meetings were conducted on 12.06.2024, 25.09.2024 and 03.01.2025. During the meeting, IEMs resolve the issues raised by the contractors/vendors/ Consultants, if any, within the purview of IEMs.

29.0 NAMES OF COMPANIES WHICH HAVE BECOME OR CEASED TO BE ITS SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES OR ASSOCIATE COMPANIES DURING THE YEAR

During the year, no Company has become or ceased to be its Subsidiary, Joint Venture or Associate Company.

30.0 DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

Your Directors state that:-

- (a) In the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;
- (b) The directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the profit of the Company for that period;
- (c) The directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

- (d) The directors had prepared the annual accounts on a going concern basis;
- (e) The directors had laid down internal financial controls to be followed by the Company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively.
- (f) The directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

31.0 DISCLOSURE AS PER SECTION 197 OF THE COMPANIES ACT AND THE REQUIREMENTS OF COMPANIES (APPOINTMENT AND REMUNERATION OF MANAGERIAL PERSONNEL) RULES, 2014.

The requisite details pursuant to Section 197 of the Companies Act, 2013, read with Rule 5 of Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, forms part of Board's Report and is Annexed to this Report as **Annexure - II**.

32.0 AUDITORS

Pursuant to the provisions of Section 139 of the Companies Act, 2013, the Comptroller & Auditor General of India, New Delhi has appointed M/s. Jasminder Singh & Associates, Chartered Accountants as Statutory Auditors of the Company for auditing the books of accounts of the Company for the period ended 31st March 2025.

32.1 Statutory Auditors' Report

The Statutory Auditor of the Company, M/s. Jasminder Singh & Associates, Chartered Accountants, have given an unqualified report on the accounts of the Company for the financial year 2024-25. The Emphasis of matters and Notes on financial statement referred to in the Auditor's Report are self-explanatory and do not call for any further comments.

32.2 Review of Accounts by Comptroller and Auditor General of India

The comments of C & AG under Section 143 (6) (b) of the Companies Act, 2013 on the accounts of the Company for the Financial Year 2024-25 and replies of the management thereto are attached as Annexure to the Board's Report and will form part of this report.

33.0 SECRETARIAL AUDIT

M/s. S. Dhanapal & Associates, Practicing Company Secretaries was appointed to conduct Secretarial Audit of your Company for the financial year 2024-25. The Secretarial Auditor's have given an unqualified report and the report is enclosed as **Annexure – III**.

34.0 SIGNIFICANT AND MATERIAL ORDERS PASSED BY REGULATORS OR COURTS

There are no significant and material orders passed by the Regulators or Courts or Tribunals impacting the going concern status and Company's operations in future.

35.0 ANNUAL RETURN

Pursuant to Section 92(3) and Section 134(3)(a) of the Companies Act, 2013, the Annual Return is available in the following link <http://www.kamarajarport.in/content/innerpage/annual-return.php>

36.0 DEBENTURE TRUSTEE

Your Company had appointed M/s. SBICAP Trustees Company Ltd. and M/s. Catalyst Trusteeship Ltd. (formerly known as GDA Trusteeship Ltd.) as Debenture Trustees for Tax Free Bonds issued during the financial years 2012-13 and 2013-14 respectively. The contact details of the Debenture Trustees are given below:-

Debenture Trustees	
SBICAP Trustee Company Ltd, Mistry Bhavan, 4th Floor, 122, Dinshaw Vachha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020. Ph: 022 – 43025555 Fax: 022 - 43025500	Catalyst Trusteeship Limited, GDA House, Plot No.85, Bhusari Colony (Right), Paud Road, Kothrud, Pune – 411 038 Ph: 020 – 66807200

37.0 REPORT ON CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION, FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

In accordance with the provisions of Section 134(3) (m) of the Companies Act, 2013 information regarding Conservation of Energy, Technology Absorption, Foreign Exchange earnings and outgo is enclosed as **Annexure – IV** to this report.

38.0 REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

A voluntary report on Corporate Governance for the year ended 31st March 2024 is enclosed as **Annexure - V** to this report.

38.1 Secretarial Standards

Your Company has complied with the Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India on Meetings of the Board of Directors (SS-1) and Secretarial Standards on General Meetings (SS-2).

39.0 COST RECORDS

The Central Government has not prescribed the maintenance of cost records under Section 148(1) of the Companies Act, 2013 for the Company.

40.0 ACKNOWLEDGEMENT

Your Directors would like to place on record their gratitude for the support and guidance received from the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India and Chennai Port Authority

and appreciates the co-operation received from TNPGL/TNEB, NTECL, IOCL, TNPCB, GoTN and GoI, particularly the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Ministry of Finance, Indian Railways/Southern Railways and Indian Port Association.

Your Directors gratefully acknowledge the continued support and cooperation received from the Comptroller & Auditor General of India, Statutory Auditors, Internal Auditors and Secretarial Auditor. Last but not the least, your Directors thank the Port Users, BOT Concessionaires, Contractors and Bankers for their continued support and assistance and wish to place on record their appreciation of the continued excellent work done by all the employees of the Company during the year.

**For and on behalf of the Board of Directors
Kamarajar Port Limited**

Sd/-

Sunil Paliwal, I.A.S.,

Chairman

(DIN : 01310101)

Place: Chennai

Date : 13.08.2025

ANNUAL REPORT ON CSR ACTIVITIES FOR FINANCIAL YEAR 2024-25**[Pursuant to Section 135 of the Companies Act, 2013 ('the Act') & Rules made thereunder]****1. Brief outline on CSR Policy of the Company:**

KPL consistently strives to meet the expectations of the society by supporting initiatives for improving infrastructure/ quality of life of society / community without compromising on ecological issues on sustainable basis consistent with the provisions of the CSR Rules published by the Ministry of Corporate Affairs, Section 135 of Companies Act, 2013; Schedule VII of the Companies Act, 2013.

KPL, as a socially responsible Corporate Port endeavors to-

- promote and leverage green technologies to produce goods and services that contribute to social and environmental sustainability.
- take up on priority, CSR projects which are in the National Development agenda like safe drinking water, provision of Toilets especially for girls, health and sanitation, education, etc., with the main focus to address the basic needs of the deprived, under privileged and are in line with CSR rules and the policy directions issued by the Government from time to time.

2. Composition of CSR Committee (as on 31.03.2025)

Sl.No.	Name of the Director	Designation/Nature of Directorship	Number of Meetings of CSR Committee held during the year	Number of Meetings of CSR Committee attended during the year
1	Shri Sunil Paliwal	Chairman KPL & Chairman of CSR Committee	4	4
2	Smt. J.P.Irene Cynthia	MD, KPL & Member of CSR Committee	4	4
3	Shri S. Viswanathan	Nominee Director & Member of CSR Committee	4	4
4	Shri R.M. Narayanan	Non Official Independent Director & Member of CSR Committee	2	2
5	Capt. Anoop Kumar Sharma	Non Official Independent Director & Member of CSR Committee	4	4
6	Shri V.M.V. Subba Rao*	Non Official Independent Director & Member of CSR Committee	2	2

* Shri V.M.V. Subba Rao, ceased to be a member of the Committee w.e.f. 05.11.2024 and Shri R.M.Narayanan was inducted as a member w.e.f. 13.11.2024

3. Provide the web-link(s) where Composition of CSR Committee, CSR Policy and CSR Projects approved by the board are disclosed on the website of the company:

Composition of CSR Committee link: <http://www.kamarajarport.in/content/innerpage/board-level-committee.php>

CSR Policy Link: https://kamarajarport.in/upload/uploadfiles/files/CSR_Policy_Revised_26072021.pdf

CSR Projects Link : <http://www.kamarajarport.in/content/innerpage/corporate-social-responsibility-csr.php>

4. Provide the executive summary along with web-link(s) of Impact Assessment of CSR Projects carried out in pursuance of sub-rule (3) of rule 8, if applicable: Not Applicable**5. (a) Average net profit of the company as per sub-section (5) of section 135 : Rs.62752.11 lakhs****(b) Two percent of average net profit of the company as per sub-section (5) of section 135: Rs.1255.05 lakhs**

(c) Surplus arising out of the CSR Projects or programmes or activities of the previous financial years: NIL

(d) Amount required to be set-off for the financial year, if any: NIL

(e) Total CSR obligation for the financial year [(b)+(c)-(d)] : Rs.12,55,04,208/-

6. (a) Amount spent on CSR Projects (both Ongoing Project and other than Ongoing Project) : Rs. 7,43,87,168.00/- (exclusive of GST under RCM)

(b) Amount spent in Administrative overheads : NIL

(c) Amount spent on Impact Assessment, if applicable: Rs.1,24,254/-

(d) Total amount spent for the Financial Year [(a)+(b)+(c)] : Rs.7,45,11,422/- (exclusive of GST under RCM)

(e) CSR amount spent or unspent for the Financial Year:

Total Amount Spent for the Financial Year (in Rs.)	Amount Unspent (in Rs.)				
	Total Amount transferred to Unspent CSR Account as per Section 135(6)		Amount transferred to any fund specified in Schedule VII as per second provision to section 135(5)		
	Amount (in Rs.)	Date of transfer	Name of the fund	Amount (in Rs.)	Date of transfer
Rs.7,45,11,422/-	5,09,92,786/-	30.04.2025	NA	NA	NA

(g) Excess amount for set off, if any

Sl. No.	Particulars	Amount (Rs.)
(1)	(2)	(3)
(i)	Two percent of average net profit of the company as per sub-section (5) of section 135	12,55,04,208/-
(ii)	Total amount spent for the Financial Year	7,45,11,422/-
(iii)	Excess amount spent for the Financial Year [(ii)-(i)]	0.00
(iv)	Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous Financial Years, if any	0.00
(v)	Amount available for set off in succeeding Financial Years [(iii)-(iv)]	0.00

7. Details of Unspent Corporate Social Responsibility amount for the preceding three Financial Year.

Sl. No	Preceding Financial Year(s)	Amount transferred to Unspent CSR Account under sub-section (6) of section 135 (in Rs.)	Balance Amount in Unspent CSR Account under sub-section (6) of section 135 (in Rs.)	Amount Spent in the Financial Year (in Rs)	Amount transferred to a Fund as specified under Schedule VII as per second proviso to sub-section (5) of section 135, if any		Amount remaining to be spent in succeeding Financial Years (in Rs)	Deficiency, if any
					Amount (in Rs)	Date of Transfer		
1	FY-2021 – 22	1,49,70,952/-	0	0	NA	NA	0	0
2	FY-2022– 23	3,88,19,827/-	0	0	NA	NA	0	0
3	FY-2023 – 24	5,10,79,560/-	5,10,79,560/-	4,76,96,860/-	NA	NA	33,82,700/-	0

8. Whether any capital assets have been created or acquired through Corporate Social Responsibility amount spent in the Financial Year: No

If yes, enter the number of Capital assets created/ acquired: NA

Furnish the details relating to such asset(s) so created or acquired through Corporate Social Responsibility amount spent in the Financial Year: NA

Sl. No	Short particulars of the property or asset(s) [including complete address and location of the property]	Pincode of the property or asset(s)	Date of creation	Amount of CSR amount spent	Details of entity/Authority/beneficiary of the registered owner		
					CSR Registration Number, if applicable	Name	Registered address
1	2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
					CSR Registration Number, if applicable	Name	Registered address
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

9. Specify the reason(s), if the company has failed to spend two per cent of the average net profit as per sub-section (5) of section 135.

Not applicable, because the money has been transferred to unspent CSR account for ongoing projects.

Sd/- Smt. J.P. Irene Cynthia, I.A.S (Managing Director)	Sd/- Shri Sunil Paliwal, I.A.S. (Chairman, CSR Committee)
--	--

INFORMATION UNDER SECTION 197 OF THE COMPANIES ACT, 2013
Read with Rule 5 of the Companies (Appointment and Remuneration of
Managerial Personnel) Rules, 2014.

1. **The ratio of the remuneration of each director to the median remuneration of the employees of the company for the financial year: See Note.**
2. **The percentage increase in remuneration of each director, Chief Financial Officer, Chief Executive Officer, Company Secretary or Manager, if any, in the financial year**

Sl.No.	Name	Percentage
1.	Shri Sunil Paliwal - Chairman	See Note#
2.	Smt. J.P.Irene Cynthia – MD	44.73%*
2.	Smt. Kavita Satvi, CFO	-0.40%
3.	Smt Jayalakshmi Srinivasan, CS	2.90%

3. **The percentage increase in the median remuneration of employees in the financial year**

	CY	PY	Percentage
Median Remuneration	15357837	1364422.63	10.2%

4. **The number of permanent employees on the rolls of company:**

The total number of permanent employees on the rolls of the company as on 31st March 2025 is 92

5. **Average percentile increase already made in the salaries of employees other than the managerial personnel in the last financial year and its comparison with the percentile increase in the managerial remuneration and justification thereof and point out if there are any exceptional circumstances for increase in the managerial remuneration.**

Average percentage increase in remuneration including key managerial personnel during the financial year has been in the range of (5)-(10)%. As per the policy of the Company, the annual increment in basic pay of the employees of the Company is 3%. The Dearness Allowance is increased as per Government rules. Further the Performance related payments are paid as per the applicable rules depending on the performance of the Company during the relevant year.

6. **Affirmation that the remuneration is as per the remuneration policy of the Company.**

The remuneration to all employees of the Company is as per the remuneration policy of the Company.

7. **The particulars for the year 2024-25 as required to be disclosed under Rule 5(2) of the Companies (appointment an recruitment of Managerial Personnel) Rules 2014.**

No employee earned beyond the limits prescribed therein.

Note: # Pursuant to Shri. Sunil Paliwal assuming charge as Chairman of Chennai Port Authority, no remuneration is being paid to him w.e.f 10.11.2021. Consequently, ratio/percentage cannot be determined.

** As Managing Director had joined only on 21.08.2023, only a part of the salary was received last year. Hence the difference in percentage.*

Top Ten Employees in terms of remuneration drawn as on 31.03.2025

SN	Name & Designation	Remuneration received (Rs.)	Qualifications & Experience	Date of commencement of employment	Age	Last employment held
1.	Shri G.M. Balan, General Manager (Marine Services)	47,90,395/-	B.SC Physics & Master – FG with 29 years of experience in various capacities.	16-08-2013	52	LP Logistics Pvt. Ltd
2	Smt. J.P.Irene Cynthia, Managing Director	44,34,838/-	MBA (Finance) with 17 years of experience in various capacities.	21-08-2023	42	All India Services
3.	Shri C.S. Vemanna, Deputy General Manager (Finance)	44,09,587/-	B COM, AICWAI, Dip in Fisheries Tech & Navigation Engg & MBA with 33 years of experience in various capacities.	05-03-2012	57	IOCL
4	Shri S.P. Desikamani, Chief Manager (Dock Master)	42,49,295/-	BSC/Master FG with 32 years of experience	27-04-2018	54	West Asia Maritime Limited
5	Subramanian Mageswaran Chief Manager(Dock Master)	40,18,048/-	Master FG with 19 years of experience	02-05-2018	54	Wallem Ship Management
6	Shri A. Karupiah Deputy General Manager (Civil)	38,83,058/-	B.E.(Civil) & M.Tech (Ocean Engineering) with 27 years of experience	01-02-2007	58	Chennai Port Authority
7.	Shri Nirbhik Singh Puar, Senior Manager (Pilot)	38,12,541/-	Master FG with 21 years of experience	01-08-2018	50	Hapag Lloyd Pvt. Ltd.
8	Shri Yatin Kishorbhai Patel, General Manager (CS&BD)	37,28,048/-	B.Sc (Chemistry), MBA (Marketing), with 24 years of experience in Business Development & Supply Chain Management	07-08-2023	48	Tamilnadu Industrial Development Corporation
9	Shri C. Uma Shankar, Deputy General Manager (Marine Services)	37,08,148/-	B.E.(Mechanical)/ Master FG with 32 years of experience.	02-05-2018	57	DP World Chennai Container Terminal
10	Shri P.Om Pragesh, Chief Manager (Traffic)	36,46,652/-	B.Com, MBA, PGDM(PM) with 30 years of experience	25-02-2002	52	Central Government, Ministry of Shipping

Suite No. 103, First Floor, Kaveri Complex No. 96/104, Nungambakkam High Road
(Next to NABARD & ICICI Bank), Nungambakkam, Chennai - 600 034
Phone No. 044 - 4553 0256, 4553 0257/4265 2127
E-mail: csdhanapal@gmail.com, website: www.csdhanapal.com

S Dhanapal & Associates

Practising Company Secretaries

LLPIN ACB – 0368

(Regd. with Limited Liability Under the LLP Act, 2008)

Designated Partners:

S. Dhanapal, B.Com., B.A.B.L., F.C.S

N. Ramanathan, B.Com., F.C.S

FORM NO. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31.03.2025

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To,
The Members,
Kamarajar Port Limited

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by M/s. KAMARAJAR PORT LIMITED, (hereinafter called the Company). Secretarial Audit was conducted based on records made available to us, in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/ statutory compliances and expressing our opinion/ understanding thereon.

Based on our verification of the Company's Books, Papers, Minute Books, Forms and Returns filed and Other Records maintained by the Company and made available to us and also the information provided by the Company, its Officers, Agents and Authorized Representatives during the conduct of Secretarial Audit, we, on strength of those records, and information so provided, hereby report that in our opinion and understandings, the Company, during the audit period covering the financial year ended on March 31, 2025, appears to have complied with the statutory provisions listed hereunder and also in our limited review, the Company has proper

and required Board processes and compliance mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter.

We have examined the Books, Papers, Minutes' Book, Forms and Returns filed and Other Records maintained by the Company and made available to us, for the financial year ended on March 31, 2025 according to the applicable provisions of:

- i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder as applicable;
- ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;
- iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;
- iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings to the applicable extent.
- v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and exchange

Board of India Act, 1992('SEBI ACT') as applicable during the year:-

- a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
 - b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
 - c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital And Disclosure Requirements) Regulations, 2018;
 - d) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014;
 - e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021;
 - f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client;
 - g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021;
 - h) The Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018.
- vi) Acts, Rules and Regulations relating to Port Management as identified by the Management and communicated to us.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India with respect to Meetings of Board of Directors (SS-1) and General Meetings (SS-2), and
- ii) The Listing Agreement entered into by the Company with BSE Limited and The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015.

During the period under review, the Company has complied in accordance with the requirements to be met with the applicable provisions of the Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above to the required extent.

It is represented to us that the Company has initiated measures, wherever required, to address issues raised by the Statutory Authorities and Letters/ Notices received by the Company during the financial year under various enactments as applicable to the Company.

We further report that, subject to the above, the related documents that we have come across depict that:

The Board of Directors of the Company is constituted as applicable with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent Directors and the changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, Agenda and detailed notes on Agenda were sent at least seven days in advance and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decision is carried through while the dissenting members' views, if any, are captured and recorded as part of the minutes, if any.

We further report that the accounts of the associate company, M/s Kanniyakumari Port Limited (KKPL) has not been consolidated with that of the Company since the Company does not have control over KKPL Management

and hence, its financial statements are not required to be consolidated as per Ind As -110 – Consolidated Financial Statements.

We further report that the Company is in process of transferring unclaimed amount relating to Interest on Bonds to the Investor Education and Protection Fund.

We further report that based on our limited review of the compliance mechanism established by the Company, there appear adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with applicable Laws, Rules, Regulations and Guidelines.

We further report that during the year, the Company has not sought the approval of its members for any special business in the Annual General Meeting.

Place : Chennai

Date : 13.08.2025

We further report that our Audit was subjected only to verifying adequacy of systems and procedures that are in place for ensuring proper compliance by the Company and we are not responsible for any lapses in those compliances on the part of the Company. Compliance with provisions of applicable laws which have been subject to other audits/reviews and Acts, Rules and Regulations relating to Port Management as identified by the Management have not been independently reviewed by us and the audit / compliance reports as placed before the Board and made available to us have been relied upon in rendering this report.

We further report that we have conducted the Secretarial Audit wherever required through online verification and examination of records, as requested and facilitated by the Company, for the purpose of issuing this Report.

For S DHANAPAL & ASSOCIATES LLP

(Practicing Company Secretaries)

(Firm Regn. No. L2023TN014200)

LLPIN: ACB 0368

Sd/-

RAMANATHAN NACHIAPPAN

(DESIGNATED PARTNER)

FCS. 6665

CP NO. 11084

PEER REVIEW CERTIFICATE NO.1107/2021

UDIN : F006665G000988701

This Report is to be read with our testimony of even date which is annexed as Annexure A and forms an integral part of this report.

To

**The Members,
KAMARAJAR PORT LIMITED
Chennai**

Auditor's responsibility

Based on audit, our responsibility is to express an opinion on the compliance with the applicable laws and maintenance of records by the Company. We conducted our audit in accordance with the auditing standards CSAS 1 to CSAS 4 ("CSAS") prescribed by the Institute of Company Secretaries of India ("ICSI"). These standards require that the auditor complies with statutory and regulatory requirements and plans and performs the audit to obtain reasonable assurance about compliance with applicable laws and maintenance of records.

Due to the inherent limitations of an audit including internal, financial and operating controls, there is an unavoidable risk that some misstatements or material non-compliances may not be detected, even though the audit is properly planned and performed in accordance with the CSAS. Our report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.

2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records, financial statements and Books of Accounts of the company and for which we relied on the report of statutory auditor.
4. Where ever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
5. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.
6. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the company.

Place : Chennai

For S DHANAPAL & ASSOCIATES LLP

(Practicing Company Secretaries)

(Firm Regn. No. L2023TN014200)

LLPIN: ACB 0368

Sd/-

RAMANATHAN NACHIAPPAN

(DESIGNATED PARTNER)

FCS. 6665

CP NO. 11084

PEER REVIEW CERTIFICATE NO.1107/2021

UDIN : F006665G000988701

INFORMATION UNDER SECTION 134(3)(m) OF THE COMPANIES ACT, 2013 READ WITH RULE 8 OF THE COMPANIES (ACCOUNTS) RULE, 2014

A) Conservation of Energy:

(i) steps taken or impact on conservation of energy:

(a) For effective utilization of electrical energy, Energy Audit was conducted by M/s. Greenserve Energy and audit report was obtained during June-2020. Following energy conservation measures were recommended by the auditor:

- Arresting of Air conditioner duct leakages inside false ceiling in both 2nd and 3rd floor of Jawahar Building at Registered and Corporate Office.
- Installing of occupancy sensor in toilet and board rooms and motion sensor in pathway of chairman corridor and other walkways to improve the operational effectiveness of lighting.
- Installation of additional 40KW new solar power plant in signal station and renovation of existing storage system.
- Installing new substation near signal station to help in reduction of distribution losses.

(b) Action taken on the recommendations is provided below:

- Arresting of Air conditioner duct leakages inside false ceiling in both 2nd and 3rd floor of Jawahar Building at Registered and Corporate Office was carried out during September 2020.
- The existing storage system of 20KW Solar Power Plant installed at signal station has been renovated at the cost of Rs.5,90,360/- during October - 2022.
- A new 11KV/433V substation near signal station installed and commissioned during March 2025 at the cost of Rs.3.97 Crore.
- Installation of occupancy sensor in toilet and board rooms and motion sensor in pathway of chairman corridor and other walkways to improve the operational effectiveness of lighting is not being considered for implementation

as it will not conserve considerable amount of energy vis a vis implementation cost.

- To ensure effective utilization of electrical energy, Energy Audit was conducted by M/s.EES Audit Managements, Coimbatore during April 2025 and final report is awaited.

Impacts

- Reduce carbon footprint.
- Significantly reduce utility bills.
- Protect the environment.
- Energy Efficient.
- Prolong the existence of fossil fuels.
- Reduce distribution losses.

(ii) steps taken by the Company for utilizing alternate sources of energy:

Around 37800 KWh (Units) of power generated through Diesel Generator and around 3,99,918 KWh (Units) of power generated through solar has been utilized during the year 2024-2025.

(iii) Capital Investment on energy conservation equipments:

Rs.3.97 Crore for installation of new substation near Signal Station

B) Technology Absorption:

i) Efforts made towards technology absorption:

(a) SAP ERP System

SAP S/4 HANA 1610 ERP system covering various functional areas like, Budget, Accounts & Finance, HR & Payroll, Material Management, Project Systems, etc. was successfully implemented during November 2017 and subsequently upgraded to SAP S/4 HANA 2020 during the FY 2021-22. Your Company has also

taking steps to migrate the SAP ERP System to Cloud by adopting the SAP RISE Cloud platform.

(b) Mendix Platform

Your Company has also successfully implemented SAP certified No Code/Low Code Application Development Platform (Mendix) for development of web and mobile applications. Various applications such as POMS, BIP, Vigilance online Complaint Portal, etc have been developed and implemented successfully.

This overall efforts has not only enhanced IT utilization and increased the overall productivity, but also enhanced the customer services, service level commitments, utilization of resources at optimal level, etc.

ii) Benefits derived

Business processes and functionalities of HR/ Payroll, Finance & Accounting, Purchase & Contracts and Project Systems (WBS), Employee Requests/Claim and Loan processes are made online through Employee Self Service (ESS) Portal resulting in increased transactional efficiency and productivity leading to cost reduction.

iii) In case of imported technology (imported during the last three years reckoned from the beginning of the financial year)

b) The details of technology imported:

Not applicable

c) The year of import:

Not applicable

d) Whether the technology been fully absorbed:

Not applicable

e) If not fully absorbed, areas where absorption has not taken place, and the reason thereof :

Not applicable

iv) The expenditure incurred on Research and Development:

NIL

C) Foreign Exchange Earnings & outgo:

Foreign Exchange Earnings is Nil and Foreign Exchange Outflow is Rs.5.70 lakhs.

**For and on behalf of the Board of Directors
Kamarajar Port Limited**

Sd/-

Sunil Paliwal, I.A.S.,

Chairman

(DIN : 01310101)

Place: Chennai

Date : 13.08.2025

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1.0 BRIEF STATEMENT ON COMPANY'S PHILOSOPHY ON THE CODE OF GOVERNANCE

Your Company believes that Corporate governance practice is the only way to build a strong Company. Hence, the Report on Corporate Governance is being voluntarily provided. Your Company's business strategies guarantee ethical operations, and fairness to all parties involved, including suppliers, consumers, employees, investors, regulators, and the community at large. While striving to achieve its goals, your Company takes stakeholders' interests into consideration.

2.0 BOARD OF DIRECTORS

2.1 Composition and Category of the Board of Directors as on 31.03.2025.

Sl. No	Name	Category
1	Shri Sunil Paliwal, I.A.S	Chairman
2	Smt. J.P. Irene Cynthia, I.A.S	Managing Director
3	Shri S. Viswanathan, I.A.S	Nominee Director
4	Shri R.M Narayanan, FCA, PGDM	Independent Director
5	Capt. Anoop Kumar Sharma	Independent Director
6	Smt. Sarla Balagopal, I.R.T.S. (Retd.)	Independent Director

COMPOSITION AND CATEGORY OF THE BOARD OF DIRECTORS DURING THE FINANCIAL YEAR 2024-25 AND UP TO DATE OF THIS REPORT :

S.No.	Name of Director	Category	Date of appointment	Date of Cessation
1.	Shri Sunil Paliwal, I.A.S	Chairman (Non-Executive)	10.11.2021	Continues
2.	Smt. J.P. Irene Cynthia, I.A.S*	Managing Director	21.08.2023	Continues
3.	Shri S. Viswanathan, I.A.S*	Nominee Director	27.04.2023	Continues
4.	Shri V.M.V. Subba Rao, FCA, DISA (ICAI)	Independent Director	06.11.2022 (second term)	05.11.2024
5.	Shri R.M. Narayanan FCA, PGDM	Independent Director	13.11.2024	Continues
6.	Capt. Anoop Kumar Sharma	Independent Director	10.11.2023 (second term)	Continues
7.	Smt. Sarla Balagopal, I.R.T.S (Retd.)	Independent Director	10.11.2023 (second term)	Continues

* Smt. Irene Cynthia, I.A.S. is the spouse of Shri S. Viswanathan, I.A.S

2.2 No. of Board Meetings held with dates of the Meeting:

During the financial year 2024-25, 09 (Nine) Board meetings were held on 22.05.2024, 11.07.2024, 12.08.2024, 30.09.2024, 23.10.2024, 13.11.2024, 30.12.2024, 10.02.2025, 27.03.2025.

2.3 Meetings and Attendance during the year

Attendance of each member along with Chairmanship/Membership of the Audit Committee (AC) and Stakeholder Relationship Committee (SRC) of Public Limited Companies (including KPL) as per the data/details made available to the Company/Committee is given

Name of Director	Designation of the Director	No. of Board Meeting held during the tenure of respective Director in F.Y. 2024-25	No. of Board Meeting Attended	As Member as on 31st March 2025	Other Directorship as on 31st March 2025	No. of Committees across all Companies	
						Last AGM attended	As Chairman as on 31st March 2025
Shri Sunil Paliwal	Chairman	09	09	Yes	2	AC- KPL SRC-KPL AC-SCL	Nil
Smt. J.P.Irene Cynthia	Managing Director	09	09	Yes	4	AC-KPL SRC-KPL	Nil
Shri S.Viswanathan	Nominee Director	09	07	Yes	3	Nil	Nil
Capt. Anoop Kumar Sharma	Independent Director	09	09	Yes	1	AC-KPL	Nil
Smt. Sarla Balagopal	Independent Director	09	09	Yes	Nil	AC-KPL	SRC-KPL
Shri R.M. Narayanan*	Independent Director	04	04	No	1	Nil	AC-KPL
Shri V.M.V. Subba Rao*	Independent Director	05	05	Yes	1	Nil	Nil

Note: KPL - Kamarajar Port Limited, SCL – Sethusamudram Corporation Limited.

* Shri. V.M.V. Subba Rao ceased w.e.f 05.11.2024 and Shri. R.M. Narayanan appointed as Independent Director of the Company for period of three years w.e.f. 13.11.2024 in the Board Meeting held on 13th November, 2024.

3.0 AUDIT COMMITTEE

The role, terms of reference, Composition of the Audit Committee is in accordance with Companies Act, 2013 and other applicable provisions. Head of Finance, Internal Auditors, Statutory Auditors and Senior Executives from various functions were invited to the Audit Committee meetings for interacting with the members of the Audit Committee. The members of Audit committee maintain a strong oversight of the financial reporting process, the audit process, the Company's system of internal controls and compliance with laws and regulations.

A. Composition of Audit Committee

The Audit Committee of the Company comprised of the following members as on 31.03.2025.

Shri R.M. Narayanan	- Chairman
Shri Sunil Paliwal	- Member
Smt J.P. Irene Cynthia	- Member
Capt. Anoop Kumar Sharma	- Member
Smt. Sarla Balagopal	- Member

Smt. Sarala Balagopal chaired the Audit Committee meeting held on 13th November 2024, pursuant to the cessation of Shri V.M.V. Subba Rao as a Director with effect from 5th November 2024. In the Board Meeting held on 13.11.2024, Shri. R.M. Narayana, Independent Director was inducted as the Chairman of the Audit Committee.

B. Meetings and Attendance during the year:

During the year 2024-25, 5 (Five) Audit Committee meetings were held on 22.05.2024, 11.07.2024, 12.08.2024, 13.11.2024, 10.02.2025 and the attendance of Members is as detailed below:

Members	No. of Meeting held during tenure	Attendance by Members	
		No. of meetings	%
Shri R.M. Narayanan	1	1	100
Shri V.M.V Subba Rao	3	3	100
Shri Sunil Paliwal	5	5	100
Smt J.P. Irene Cynthia	4	4	100
Capt. Anoop Kumar Sharma	5	5	100
Smt. Sarla Balagopal	5	5	100

4.0 NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The role, terms of reference and composition of the Nomination and Remuneration Committee is in accordance with the Companies Act, 2013 and other applicable provisions and the Committee recommends to the Board the appointment/re-appointment of Directors, Key Managerial Personnel and Senior Management.

A. Composition of Nomination and Remuneration Committee

Nomination and Remuneration Committee comprised of the following Members as on 31.03.2025:

Capt. Anoop Kumar Sharma	-	Chairman
Shri Sunil Paliwal	-	Member
Shri S. Viswanathan	-	Member
Smt. Sarla Balagopal	-	Member

B. Meetings and Attendance during the year

During the year 2024-25, 3 (three) Nomination and Remuneration Committee meetings were held on 11.07.2024, 23.10.2024, and 13.11.2024 and the attendance of members is as detailed below:

Members	No. of Meetings held during tenure	Attendance by Members	
		No. of Meetings	%
Capt. Anoop Kumar Sharma	3	3	100
Shri Sunil Paliwal	3	3	100
Shri S. Viswanathan	3	3	100
Smt. Sarla Balagopal	3	3	100

C. Remuneration received by Functional Directors

Details of remuneration of Functional Directors of the Company paid for the financial year 2024-25:

Name of the Directors	No. of Meetings held during tenure	Bonus / Commission/ PRP	Total (Rs.)
Smt. J.P. Irene Cynthia	Rs.35.85 lakh	Rs.8.72 lakh	44.57 lakh

5.0 STAKEHOLDER RELATIONSHIP COMMITTEE

Stakeholder Relationship Committee looks into redressal of complaints/ grievances of bondholders pertaining to non-receipt of interest/transfer/transmission of bonds and other miscellaneous complaints. Smt. Jayalakshmi Srinivasan, Company Secretary, is the Compliance Officer. M/s. MUGF Intime India Private Limited (formerly Link Intime India Private Limited), Mumbai, is the Registrar and Transfer Agent of the Company and they attend to all investor service requests. The complaints received from bondholders are monitored regularly and redressal action is taken immediately.

A. Composition of Stakeholder Relationship Committee

As on 31.03.2025, the Stakeholder Relationship Committee comprised of the following Members:

Smt. Sarla Balagopal	-	Chairperson
Shri Sunil Paliwal	-	Member
Smt. J.P. Irene Cynthia	-	Member

B. Meetings and Attendance during the year

During the year 2024-25, 4 (four) Stakeholder Relationship Committee meetings were held on 22.05.2024, 12.08.2024, 13.11.2024 and 10.02.2025 and the attendance of members is as detailed below:

Members	Entitled to attend	Attendance by Members	
		No. of meetings	%
Smt. Sarla Balagopal	4	4	100
Shri Sunil Paliwal	4	4	100
Smt. J.P. Irene Cynthia	4	4	100

6.0 BOARD LEVEL COMMITTEE ON CSR AND SUSTAINABILITY DEVELOPMENT

The role, terms of reference and composition of the Committee is in accordance with Companies Act, 2013 and other applicable provisions.

A. Composition of Board Level Committee on CSR and Sustainability Development

The Board Level Committee on CSR and Sustainability Development of the Company comprised of the following members as on 31.03.2025:

Shri Sunil Paliwal	-	Chairman
Smt. J.P. Irene Cynthia	-	Member
Shri S. Viswanathan	-	Member
Shri R.M. Narayanan	-	Member
Capt. Anoop Kumar Sharma	-	Member

Shri V.M.V. Subba Rao, ceased to be a member of the Committee w.e.f. 05.11.2024 and Shri R.M. Narayanan was inducted as a member w.e.f. 13.11.2024

B. Meetings and Attendance during the year

During the year under review, 4 (four) Meetings of the Committee on CSR and Sustainable Development were held on 22.05.2024, 12.08.2024, 10.02.2025, and 27.03.2025 and the attendance of members is as detailed below:

Members	Entitled to attend	Attendance by Members	
		No. of meetings	%
Shri Sunil Paliwal	4	4	100
Smt. J.P. Irene Cynthia	4	4	100
Shri S. Viswanathan	4	2	50
Shri V.M.V. Subba Rao	2	2	100
Capt. Anoop Kumar Sharma	4	4	100
Shri R.M. Narayanan	2	2	100

7.0 SEPARATE MEETING OF INDEPENDENT DIRECTORS

In terms of Schedule IV of the Companies Act, 2013, a Meeting of the Non-Executive Independent Directors of the Company was held on 10th February, 2025, in which all the Independent Directors participated. The attendance details of the said Meeting are given in the table below:

Members	Entitled to attend	Attendance by Members	
		No. of meetings	%
Capt. Anoop Kumar Sharma	1	1	100
Smt. Sarla Balagopal	1	1	100
Shri R.M. Narayanan	1	1	100

8.0 GENERAL BODY MEETING

The date, time and place of the AGMs held during the preceding three years and special resolution passed thereat are as under:

Year	Date	Time	Place	Special Resolution passed
2023-24	30.09.2024	3:00 P.M	Through two way Video conferencing/ Other Audio Visual Means (OAVM)	NIL
2022-23	29.09.2023	3.00 P.M	Through two way Video conferencing/ Other Audio Visual Means (OAVM)	NIL
2021-22	28.09.2022	3.00 P.M	Through two way Video conferencing/ Other Audio Visual Means (OAVM)	NIL

9.0 DISCLOSURES

- i) Related Party Transactions are set out in Note No.30 (12) to the notes forming part of the financial statement for the year ended 31st March 2025 in the Annual Report.
- ii) The statutory authorities have also not passed any strictures or imposed penalty on the Company under any Act/Rules during the last three financial years.
- iii) Your Company has a Whistle Blower Policy and no personnel of the Company have been denied access to the Audit Committee.
- iv) No item of expenditure was debited in books of accounts which was not for the purpose of the business. Further, no expense was incurred for the Board of Directors and Top Management which was personal in nature.
- v) None of the Part time Directors of the Company have pecuniary relationship or transaction with the Company.
- vi) Details of administrative & office expenses and financial expenses for the year under review and for the previous year are available in annual accounts

10.0 CODE OF CONDUCT

As part of Kamarajar Port's persisting endeavor to set a high standard of conduct for its employees, a "Code of Business Conduct and Ethics" has been laid down for all Board Members and Senior Management Personnel. All Board Members and Senior Management personnel have affirmed compliance with Kamarajar Port's "Code of Business Conduct and Ethics" for the financial year 2024-25.

Declaration

All the Board Members and Senior Management of the Company have confirmed compliance with 'Code of Business Conduct and Ethics' for the year ended 31st March 2025.

For and on behalf of the Board of Directors

Kamarajar Port Limited

Sd/-

(Smt J.P. Irene Cynthia, I.A.S.)

Managing Director

(DIN: 08839241)

Chennai

20-05-2025

11.0 TRAINING OF BOARD MEMBERS

Your Company has a policy for Training of Directors for Promoting better understanding of professional requirements as well as sensitization to professional, socio-economic and political environment in which work is done.

12.0 REVIEW OF COMPLIANCE OF APPLICABLE LAWS

The Board periodically reviews the compliance reports of all laws applicable to the Company to ensure compliance of all the applicable laws.

Place: Chennai

Date : 13.08.2025

13.0 MEANS OF COMMUNICATION

The quarterly, half-yearly, annual financial results are furnished immediately to Bombay Stock Exchange where the Company's Tax Free Bonds are listed and published in the Business Standard all Editions. The results are displayed on the website of the Company www.kamarajarport.in and also sent to Debenture Trustees.

Annual Report containing inter-alia, Audited Accounts, Directors' Report, Auditors' Report, Cash Flow Statement and other important information is circulated to the members and others entitled thereto and are also available in the Company's website www.kamarajarport.in. All the events/information as per the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are being displayed on the website of the Company.

Website

The Company's website www.kamarajarport.in contains separate dedicated section 'Investors' wherein information for bondholders is available.

Address for Correspondence

Bondholders may send their correspondence to the Company Secretary at the Registered Office at 2nd Floor (North Wing) & 3rd Floor Jawahar Building, 17, Rajaji Salai, Chennai - 600 001 and electronically to cs@kplmail.in for addressing the queries of bondholders. Investors may also communicate to MUGF Intime India Private Limited (formerly Link Intime India Private Limited), Registrar and Transfer Agent for redressal of their grievance, if any. The details of their address, contact numbers are as under:

Address : C-101, 247 Park, L.B.S. Marg,
Vikhroli (West), Mumbai - 400 083.

Tel No. : 91-22-4918 6000/08108116767,

Fax: 91-22-4918 6060

Email : bonds.helpdesk@in.mpms.mufig.com

For and on behalf of the Board of Directors

Kamarajar Port Limited

Sd/-

Sunil Paliwal, I.A.S.,

Chairman

(DIN : 01310101)

प्रधान निदेशक का कार्यालय
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा, चेन्नई

भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग
इंडियन ऑयल भवन, लेवल - 2,
139, महात्मा गांधी रोड, चेन्नई-600034



Office of the Principal Director
of Commercial Audit, Chennai

Indian Audit and Accounts Department
Indian OIJ Bhavan, Level - 2,
139, Mahatma Gandhi Road, Chennai-600 034

Dated : 28.07.2025

No. PDCA/CA-II/4-124/2025-26-294

To

The Chairman
Kamarajar Port Limited,
No.17, Jawahar Building, Rajaji Salai,
Chennai - 600 001

Sir,

Sub : Comments of the Comptroller and Auditor General of India under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements of **Kamarajar Port Limited** for the year ended 31 March 2025.

I am to forward herewith the comments of the Comptroller and Auditor General of India under Section 43(6)(b) of the Companies Act, 2013, on the Financial Statements of Kamarajar Port Limited, for the year ended 31 March 2025.

Two (2) copies of Annual Report of your company may kindly be arranged to be forwarded to this office. The date of holding of Annual General Meeting may also be intimated please.

Receipt of this letter may kindly be acknowledged.

Yours faithfully,

Sd/-

(S. Velliangiri)

Principal Director of Commercial Audit

Encl: Audit Comment

Comments of the Comptroller and Auditor General of India under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements of Kamarajar Port Limited for the year ended 31 March 2025

The preparation of financial statements of Kamarajar Port Limited for the year ended 31 March 2025 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the Company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 26.05.2024.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Kamarajar Port Limited for the year ended 31 March 2025 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and Company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report.

Comments on Financial Position

Comment No. 1

Balance Sheet

Assets -Non-current assets

Right to Use Assets (Note 4A): ₹1639.03 lakh

Accumulated depreciation: ₹ 925.77 lakh

Other Financial Assets (Note 9): ₹ 442.82 lakh

Fair value ₹ 214.97 lakh of a refundable Security Deposits of ₹ 243.75 lakh paid to Chennai Port Authority was not included in the Right of Use assets and consequently depreciation on the same was not charged. Besides this, the depreciation method adopted was not in compliance with the accounting policy (Straight Line Method) of the company.

The above non-compliances resulted in understatement of gross Right of Use assets by ₹214.97 lakh, overstatement of accumulated depreciation by ₹173.79 lakh, overstatement of Other Financial Assets by ₹193.24 lakh, and understatement of Other Equity by ₹195.52 lakh.

Comment No. 2

Other Intangible Assets (Note 6): ₹ 264.95 lakh

The above included residual value of ₹ 54.44 lakh for the intangible assets already depreciated in contravention to Ind AS 38 provisions. This resulted in overstatement of Other Intangible Assets and overstatement of Other Equity by ₹54.44 lakh.

**For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India**

sd/-

Place: Chennai
Date : 28.07.2025

**S.Velliangiri
Principal Director of Commercial Audit**

MANAGEMENT REPLIES TO THE COMMENTS OF CAG UNDER SEC. 143 (6) (8) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF KAMARAJAR PORT LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2025.

C&AG Audit Comment	Management Reply
<p>1. Non-Current Assets Right to Use Assets : ₹1639.03 Lakh, Accumulated Depreciation ₹925.77 lakh and other Financial Assets : ₹442.82 lakh Fair Value ₹214.97 Lakh of a refundable Security Deposits of ₹ 243.75 lakh paid to Chennai Port Authority was not included in the Right of Use assets and consequently depreciation on the same was not charged. Besides this, the depreciation method adopted was not in compliance with the accounting policy (Straight Line Method) of the company. The above non-compliances resulted in understatement of gross Right of Use assets by ₹214.97 lakh, overstatement of accumulated depreciation by ₹173.79 lakh, overstatement of Other Financial Assets by ₹193.24 lakh, and understatement of Other Equity by ₹195.52 lakh.</p>	<p>Facts confirmed. As observed by the Audit, the necessary correction entries will be passed in the FY 2025-26 as per Ind AS.</p> <p>Notwithstanding the above, it is also submitted that as per Para 2.11 of the Conceptual Framework for Financial Reporting under Indian Accounting Standards (Ind AS) (the "Framework"), "Information is material if omitting, misstating or obscuring it could reasonably be expected to influence decisions that the primary users of general purpose financial reports (see paragraph 1.5) make on the basis of those reports, which provide financial information about a specific reporting entity"</p> <p>Without prejudice to the above contention, it is also humbly submitted that KPL had made the lease deposit in the years 2019-20 and 2021-22 and the present accounting treatment has been consistently followed since then for the past 5 years and accepted by the Statutory Auditors for the respective years as well as part of expressing their opinion on the financial statements, which only reinforces the present consistent stand followed by KPL.</p> <p>The present error of an amount of Rs. 214.97 Lakhs and Rs.193.23 Lakhs is only 0.185% and 0.167% of the turnover of the Company, 0.067% and 0.06% of the carrying value of PPE and 0.257% and 0.231% of the Profit before Tax for the year.</p> <p>It is assured that the necessary correction entries as observed by the Audit will be passed in the financial year 2025-26.</p>

2. Other Intangible Assets: ₹ 264.95 Lakh

The above included residual value of ₹ 54.44 lakh for the intangible assets already depreciated in contravention to Ind AS 38 provisions. This resulted in overstatement of Other Intangible Assets and overstatement of Other Equity by ₹ 54.44 lakh.

Facts confirmed. As observed by the Audit, the necessary correction entries will be passed in the FY 2025-26.

Notwithstanding the above, it is also submitted that as per Para 2.11 of the Conceptual Framework for Financial Reporting under Indian Accounting Standards (Ind AS) (the "Framework"), "Information is material if omitting, misstating or obscuring it could reasonably be expected to influence decisions that the primary users of general purpose financial reports (see paragraph 1.5) make on the basis of those reports, which provide financial information about a specific reporting entity" The present error of an amount of Rs. 54.44 Lakhs is only 0.047% of the turnover of the Company, 0.017% of the carrying value of PPE and 0.065% of the Profit before Tax for the year.

It is assured that the necessary correction entries as observed by the Audit will be passed in the financial year 2025-26.

JASMINDER SINGH & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**To the Members of Kamarajar Port Limited****Report on the Audit of Ind AS Financial Statements****Opinion**

1. We have audited the accompanying Ind AS financial statements of Kamarajar Port Limited ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2025, the Statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive Income), the Statement of Changes in Equity and the Statement of Cash Flows for the year ended, and notes to the financial statements, including summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as the "financial statements").
2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended, ("Ind AS") and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2025 and its profit, total comprehensive income, changes in equity and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit of the financial statements in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of

Chartered Accountants of India (ICAI) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act and the Rules made thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI's Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.

Emphasis of Matters

4. Reference is invited to Note 4(a) regarding pending conveyance deed/registration deeds for several of the immovable properties obtained by the Company from Government/ Government owned entities. Further, consideration/ compensation payable to various agencies is yet to be finalized and have not been provided for
5. Reference is invited to Note 30(15)(iii)(a) regarding initiation of arbitration proceedings by one of the BOT operators against the Company during the year stating various claims amounting to a sum of Rs 160841.07 Lakhs in respect of which counter claims have been filed by the Company and arbitrators appointed by both parties and the status of the arbitration proceedings as at the year end. Accordingly, for reasons mentioned in the said Note, no provision for the claims raised by the BOT operator is considered necessary as at the year end.
6. Reference is invited to Note 11 regarding excess payments of Rs.4509.50 Lakhs made to project contractors included in Other Assets - Non-Current and not capitalized till date pending disputes referred to High Court of Madras.

7. Reference is invited to Note 9 regarding litigation proceeding against the Contractor for which the Company has deposited Rs.2860.83 lakhs, 75% of the Arbitration award (2107.66 lakhs plus interest) to Registrar General of High Court. Our opinion is not modified in respect of the matters referred to Paragraphs 4 to 7 above

Key Audit Matters

8. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report Thereon

9. The Company's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Management Discussion and Analysis, Board's Report including Annexures to Board's Report, Business Responsibility Report, Corporate Governance and Shareholder's Information, but does not include the consolidated financial statements, financial statements and our auditor's report thereon.
10. Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.
11. In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.
12. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Management's Responsibility for the Financial Statements

13. The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, including other comprehensive income, changes in equity and cash flows of the Company in accordance with the Indian accounting standards and other accounting principles generally accepted in India. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error. In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
14. The Board of Directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

15. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error,

and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

- As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
 - Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
 - Obtain an understanding of internal financial controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
 - Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
 - Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
16. Materiality is the magnitude of misstatements in the financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.
 17. We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
 18. We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.
 19. From the matters communicated with those charged with governance, we determine those

matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

20. As required under section 143(5) of the Act, 2013, we give in the Annexure A, our report on the directions/sub-directions issued by the Comptroller and Auditor General of India.
21. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("The order") issued by the Central Government of India in terms of sub-section 11 of section 143 of the Act, we give in the Annexure B, a statement on the matters specified in Paragraphs 3 and 4 of the Order, to the extent applicable.
22. As required by section 143(3) of the Act, we report that:
 - a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;
 - b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of those books;
 - c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss including Other Comprehensive Income, Statement of Changes in Equity and the Statement of Cash Flows dealt with by this Report are in agreement with the books of account.
 - d) In our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Indian Accounting Standards specified under Section 133 of the Companies Act, 2013, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.
- e) On the basis of the written representations received from the directors as on March 31, 2025 taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on March 31, 2025 from being appointed as a director in terms of Section 164(2) of the Act.
- f) With respect to the adequacy of the internal financial control over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such control, refer to our separate report in "Annexure C". Our report expresses a Un-modified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial controls over financial reporting
- g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with the requirements of section 197(16) of the Act, as amended, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the remuneration paid by the Company to its directors during the year is in accordance with the provisions of section 197 of the Act.
- h) With respect to the other matters to be included in the Auditor's report in accordance with rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements vide Note Reference 30(15).
 - ii. The Company has made provision, as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long-term contracts including derivative contracts.
 - iii. The Company has not yet transferred the funds required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund in regard to unclaimed amount for Interest/Other

amounts regarding Bonds. However, as per Management, Company is in process of taking necessary approvals for depositing the required amount.

- iv. (a) The Management has represented that, to the best of its knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other person or entity, including foreign entity ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;
- (b) The Management has represented, that, to the best of its knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been received by the Company from any person or entity, including foreign entity ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;
- (c) Based on the audit procedures that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e), as provided under (a) and (b) above, contain any material misstatement.
- v. As stated in Note 30 (20) to the financial statements
 - (a) The final dividend proposed in the previous year, declared and paid by the Company during the year is in accordance with Section 123 of the Act, as applicable.
- vi. Based on our examination which included test checks, the Company has used accounting software for maintaining its books of account for the financial year ended March 31, 2025, which has a feature of recording audit trail (edit log) facility and the same has operated throughout the year for all relevant transactions recorded in the software. Further, during the course of our audit we did not come across any instance of the audit trail feature being tampered with.

For M/s Jasminer Singh & Associates
Chartered Accountants
FRN. 016192N
 sd/-
CA Jasminer Singh
Partner
M. No. 096895
UDIN: 25096895BMGYHC5619

Place: Chennai
Date : 26.05.2025

JASMINDER SINGH & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS

ANNEXURE - A TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Annexure referred to in paragraph 19 under the heading "Report on Other Legal and Regulatory Requirements" of our Independent Auditors Report of even date on the Financial Statement of Kamarajar Port Limited for the year ended 31st March 2025.

1	Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If no, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of accounts along with the financial implications, if any, maybe stated	The Company has system in place to process all the accounting transactions through IT system.
2	Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loan/ interest etc. made by a lender to the Company due to the Company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated	There are no cases of restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loan/ interest etc. made by a lender to the Company due to the Company's inability to repay the loan.
3	Whether funds received/receivable for specific schemes from Central/State agencies were properly accounted for/utilized as per its term and conditions? List the cases of Deviation	During the year under review, the Company has not received funds for specific schemes from Central/ State agencies.

For M/s Jasminer Singh & Associates
Chartered Accountants
FRN. 016192N
sd/-
CA Jasminer Singh
Partner
M. No. 096895
UDIN: 25096895BMGYHC5619

Place: Chennai

Date : 26.05.2025

ANNEXURE - B TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

(Referred to in paragraph 20 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report to the Members of Kamarajar Port Limited of even date)

1. (a) (i) The Company is maintaining proper records including quantitative details of Property, Plant and Equipment.
(ii) The company is maintaining proper records showing full particulars of Intangible assets.
- (b) The Company has a program of verification to cover all the items of Property, Plant and Equipment in a phased manner which, in our opinion, is reasonable having regard to the size of the Company and the nature of its assets. Pursuant to the program, Property, Plant and Equipment were physically verified by the management during the year. According to the information and explanations given to us, no material discrepancies were noticed on such verification.
- (c) The Company owns land measuring 2,787.27 acres acquired from TIDCO (950.00 acres), TNEB (1092.20 acres), Salt Department, Ministry of Commerce, Government of India (712.42 acres) and Government of Tamil Nadu (47.87 acres), which are under the possession of the company. Further, out of the total land area owned, 2,038.10 acres including 297.98 acres procured from TIDCO, 995.05 acres from TANGEDCO, 712.42 acres from Salt Department and 0.69 from Government of Tamil Nadu have been registered in the name of the Company and patta has been obtained for 31.96 acres procured from Government of Tamil Nadu and in respect of the balance, registration is in process
- (d) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company has not revalued its property, plant and equipment (including right of use assets) or intangible assets or both during the year.
- (e) No proceedings have been initiated or are pending against the Company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and rules made thereunder. Accordingly, reporting under clause 3(i)(e) of the Order is not applicable to the Company
2. (a) The Company is engaged in the development and operation of port and is primarily rendering port services. It does not hold any physical inventories. Accordingly, clause 3(ii)(a) of the Order is not applicable.
- (b) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company has not been sanctioned working capital limits in excess of five crore rupees, in aggregate, from banks or financial institutions on the basis of the security of current assets at any point of time during the year. Accordingly, clause 3(ii)(b) of the Order is not applicable to the Company.
3. (a) During the year, the Company has not provided any loans or provided any advances in the nature of loans, or guarantee, or security to any other entity. Accordingly, reporting under clauses 3(iii)(a) and 3(iii)(e) of the Order is not applicable to the Company.
- (b) The investments made, guarantees provided, security given and terms and conditions of the grant of all loans and advances in the nature of loans and guarantees provided are not, prima facie, prejudicial to the Company's interest.
- (c) The Company does not have any outstanding loans and advances in the nature of loans at the beginning of the year nor has granted any loans or advances in the nature of loans during the year. Accordingly, reporting under clauses 3(iii)(c), 3(iii)(c), 3(iii)(e) and 3(iii)(f) of the Order is not applicable to the Company.

4. According to the information and explanations given to us and based on the audit procedures conducted by us, the Company has neither made any investments nor has it given loans or provided guarantee or security in violation of Sections 185 & 186 of the Companies Act.
5. The Company has not accepted any deposits or amounts which are deemed to be deposits within the directives issued by the Reserve Bank of India and the provisions of sections 73 to 76 or any other relevant provisions of the Companies Act. Accordingly, provisions of clause 3(v) of the Order are not applicable.
6. As per the information and explanation given to us, the Central Government has not prescribed the maintenance of cost records under sub-section (1) of section 148 of the Companies Act for any of the services rendered by the Company. Accordingly, clause 3(vi) of the Order is not applicable.
7. (a) According to the information and explanation given to us and as per our examination of

the records of the company, the Company has been generally regular in depositing undisputed statutory dues including Goods and Service Tax, provident fund, employees' state insurance, income-tax, sales-tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess and any other statutory dues to the appropriate authorities. There were no undisputed amounts payable in respect of Goods and Service tax, Provident Fund, Employees' State Insurance, Income Tax, Sales Tax, Service Tax, duty of Custom, duty of Excise, Value Added Tax, Cess and other material statutory dues in arrears as at March 31, 2025 for a period of more than six months from the date they became payable.

- (b) According to the information and explanation given to us and as per our verification of the records of the Company, the following disputed amounts of tax/ duty have not been deposited with appropriate authorities as at 31st March 2025.

Statute	Nature of dues	Amount (In Lakhs)	Period to which the amount relates	Forum to which amount is pending	Remarks, if any
Income Tax Act, 1961	Income tax	3262.20	AY 2007-08 to AY 2021-22	CIT (Appeals)	Nil
Goods and Service tax	GST	1352.82 **	FY 2017-18 to FY 2020-21	GST (Appeals)	Nil

** Against this, the Company has paid a sum of Rs 88.78 Lakhs under protest

8. According to information and explanation given to us and as per our examination of the records of the company, the Company has not surrendered or disclosed any transactions, previously unrecorded as income in the books of account, in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 as income during the year.
9. (a) According to information and explanation given to us and as per our examination of the records of the company, the Company has not defaulted in repayment of loans or other borrowings or in the payment of interest thereon to any lender
- (b) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company has not been

declared a willful defaulter by any bank or financial institution or government or government authority

- (c) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the company has utilized the money obtained by way of term loans during the year for the purposes for which they were obtained
- (d) According to the information and explanations given to us, and the procedures performed by us, and on an overall examination of the finance statements of the company, we report that no funds raised on short-term basis have been used for long-term purposes by the company.

- (e) According to the information and explanations given to us and on an overall examination of the financial statements of the company, we report that the company has not taken any funds from any entity or person on account of or to meet the obligations of its subsidiaries, associates or joint ventures.
- (f) According to the information and explanations given to us and procedures performed by us, we report that the company has not raised loans during the year on the pledge of securities held in its subsidiaries, joint ventures or associate companies.
10. (a) The Company has not raised any moneys by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) accordingly, clause 3(x) (a) of the Order is not applicable.
- (b) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year. Accordingly, clause 3(x) (b) of the Order is not applicable.
11. (a) To the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us, no fraud by the Company or on the Company has been noticed or reported during the period covered by our audit.
- (b) No report under sub-section (12) of section 143 of the Companies Act has been filed in Form ADT-4 as prescribed under rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 with the Central Government, during the year and upto the date of this report.
- (c) According to the information and explanations given to us including the representation made to us by the management of the Company, there are no whistle-blower complaints received by the Company during the year
12. The Company is not a Nidhi company and accordingly, paragraph 3(xii) of the Order is not applicable.
13. According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, transactions with the related parties are in compliance with sections 177 and 188 of the Act where applicable and details of such transactions have been disclosed in the financial statements as required by the applicable Indian accounting standards.
14. (a) In our opinion and based on our examination, the company has an internal audit system commensurate with the size and nature of its business.
- (b) We have considered, the internal audit reports for the year under audit, issued to the Company during the year and till date, in determining the nature, timing and extent of our audit procedures.
15. According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, the Company has not entered into non-cash transactions with directors or persons connected with him. Accordingly, paragraph 3(xv) of the Order is not applicable.
16. (a) In our opinion, the Company is not required to be registered under section 45- IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. Hence, reporting under clause 3(xvi)(a), (b) and (c) of the Order is not applicable.
- (b) In our opinion, there is no core investment company within the Group (as defined in the Core Investment Companies (Reserve Bank) Directions, 2016) and accordingly reporting under clause 3(xvi) (d) of the Order is not applicable
17. The company has not incurred cash losses in the financial year and in the immediately preceding financial year.
18. There has been no resignation of the statutory auditors during the year. Accordingly, clause 3(xviii) of the Order is not applicable.
19. On the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realization of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements, the auditor's

knowledge of the Board of Directors and management plans, we are of the opinion that no material uncertainty exists as on the date of the audit report that company is capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date.

20. (a) In respect of other than ongoing projects, the company has transferred unspent amount to a Fund specified in Schedule VII to the Companies Act, 2013 within a period of six months of the expiry of the financial year in compliance with second proviso to sub-section (5) of section 135 of the said Act.

(b) In respect of ongoing projects, the Company has transferred unspent Corporate Social Responsibility (CSR) amount as at the end of the previous financial year, to a Special account within a period of 30 days from the end of the said financial year in compliance with the provision of section 135(6) of the Act.

21. The reporting under Clause 3(xxi) of the Order is not applicable in respect of audit of the standalone financial statements. Accordingly, no comment in respect of the said clause has been included in this report.

Place: Chennai
Date : 26.05.2025

For M/s Jasminer Singh & Associates
Chartered Accountants
FRN. 016192N
sd/-
CA Jasminer Singh
Partner
M. No. 096895
UDIN: 25096895BMGYHC5619

ANNEXURE - C TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

(Referred to in paragraph 21(f) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report to the Members of Kamarajar Port Limited of even date)

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **M/s.Kamarajar Port Limited** ("the Company") as of 31st March 2025 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI'). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Act.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial

Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Place: Chennai
Date : 26.05.2025

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion:

In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31 March 2024, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For M/s Jasminder Singh & Associates
Chartered Accountants
FRN. 016192N
sd/-
CA Jasminder Singh
Partner
M. No. 096895
UDIN: 25096895BMGYHC5619

KAMARAJAR PORT LIMITED
CIN: U45203TN1999PLC043322
(A Company of Chennai Port Authority)

Regd. Office: 2nd Floor (North wing) & 3rd Floor, Jawahar Building, 17, Rajaji Salai, Chennai - 600 001.

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2025

(Rupees in lakhs)

Particulars	Note No	As at Mar 31, 2025	As at Mar 31, 2024
		Audited	Audited
ASSETS			
Non-current assets			
(a) Property, Plant and Equipment	4	322190.39	312955.22
(b) Capital work-in-progres	5	18446.86	27438.85
(c) Right-of-Use Assets	4A	1639.03	1738.53
(d) Other intangible assets	6	264.95	169.62
(e) Financial Assets			
(i) Investments	7	4177.43	4190.31
(ii) Loans	8	532.21	297.35
(iii) Other Financial Assets	9	442.82	442.82
(f) Tax Assets (Nett)	14	3258.35	3261.60
(g) Other non-current Assets	11	7217.09	7634.87
Total Non Current Assets		358169.12	358129.17
(a) Financial Assets			
(i) Trade Receivables	12	9352.57	7537.95
(ii) Cash & Cash Equivalents	13A	15047.35	4080.19
(iii) Bank balances other than cash and cash equivalents	13B	13000.00	8000.00
(iv) Loans	8	129.71	122.42
(v) Other Financial Assets	9	3201.02	261.63
(b) Other Current Assets	11	3082.63	1587.86
Total Current Assets		43813.29	21590.05
Total Assets		401982.42	379719.22
EQUITY AND LIABILITIES			
Equity			
(a) Equity Share Capital	15	30000.00	30000.00
(b) Other Equity		275995.01	261088.98
Total Equity		305995.01	291088.98
Liabilities			
Non-current liabilities			
(a) Financial Liabilities			
(i) Borrowings	16	41490.86	44783.19
(ii) Other Financial Liabilities	17	671.47	570.69
(b) Deferred tax liabilities (Net)	10	24997.43	9675.02
(c) Other non-current liabilities	19	6868.85	6390.52
Total Non Current liabilities		74028.60	61419.42
Current liabilities			
(a) Financial Liabilities			
(i) Borrowings	16	3301.25	3301.25
(ii) Trade payables			
-Total outstanding dues of Micro enterprises and Small enterprises	20	638.48	1605.69
-Total outstanding dues of creditors other than Micro enterprises and Small enterprises	20	5091.84	6536.62
(iii) Other Financial Liabilities	17	738.58	431.55
(b) Other current liabilities	19	8359.43	6465.51
(c) Provisions	18	3829.23	8870.19
Total current liabilities		21958.81	27210.82
Total Equity and Liabilities		401982.42	379719.22
Notes to Accounts	30		
Material Accounting Policies and key accounting estimates and judgements	1 to 3		
See accompanying notes to financial statements			

For KAMARAJAR PORT LIMITED

Sd/-
SUNIL PALIWAL, I.A.S.,
Chairman cum Managing Director
DIN : 01310101

Sd/-
J P IRENE CYNTHIA I.A.S.
Managing Director
DIN : 08839241

For M/s Jasminder Singh & Associates
Chartered Accountants,
FRN . 016192N

Sd/-
C.S. VEMANNA
Chief Financial Officer (I/c)

Sd/-
CA. Jasminder Singh,
Partner, M.No. 096895
UDIN: 25096893BMGYHC5619

KAMARAJAR PORT LIMITED

CIN: U45203TN1999PLC043322

(A Company of Chennai Port Authority)

Regd. Office: 2nd Floor (North wing) & 3rd Floor, Jawahar Building, 17, Rajaji Salai, Chennai - 600 001.**STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2025**

(Rupees in lakhs)

Particulars	Note No.	Year Ended Mar 31, 2025	Year Ended Mar 31, 2024
Income			
i) Revenue From Operations	21	113841.57	106221.97
ii) Other Income	22	2182.96	1921.62
Total Income		116024.52	108143.59
Expenses			
i) Operating Cost	23	10834.67	10476.64
ii) Employee Benefits Expenses	24	2438.75	2074.27
iii) Finance Cost	25	4366.81	6262.61
iv) Depreciation & Amortization Expenses	26	8697.91	7554.97
v) Other Expenses	27	5932.79	5115.95
Total expenses		32270.95	31484.44
Profit/(loss) before tax		83753.58	76659.15
Tax expense			
(i) Current Tax	10	26556.13	24532.63
(ii) Deferred Tax	10	3264.92	2558.49
Profit for the period		29821.05	27091.12
Other Comprehensive Income		53932.53	49568.03
(i) Items that will not be reclassified to profit or loss			
a) Remeasurements of the defined benefit plans		-27.86	- 218.96
(ii) Income tax expense on remeasurement benefit/ (loss) of defined benefit plans	10	9.73	76.52
b) Change in fair value of Equity instruments		-12.88	39.12
(iii) Income Tax expense on change in fair value of equity instruments		4.50	-13.67
Other Comprehensive Income		-26.50	-117.00
Total Comprehensive Income for the period		53906.03	49451.03
Earnings per equity share :			
(1) Basic	29	17.98	16.52
(2) Diluted		17.98	16.52
Notes to Accounts	30		
Material Accounting Policies and key accounting estimates and judgements	1 to 3		
See accompanying notes to financial statements			

For KAMARAJAR PORT LIMITED

Sd/-

SUNIL PALIWAL, I.A.S.,

Chairman cum Managing Director

DIN : 01310101

Sd/-

J P IRENE CYNTHIA I.A.S.

Managing Director

DIN : 08839241

For M/s Jasminder Singh & Associates

Chartered Accountants,

FRN . 016192N

Sd/-

C.S. VEMANNA

Chief Financial Officer (I/c)

Sd/-

CA. Jasminder Singh,

Partner, M.No. 096895

UDIN: 25096893BMGYHC5619

Place: Chennai**Date :** 26th May 2025

KAMARAJAR PORT LIMITED

CIN: U45203TN1999PLC043322

(A Company of Chennai Port Authority)

Regd. Office: 2nd Floor (North wing) & 3rd Floor, Jawahar Building, 17, Rajaji Salai, Chennai - 600 001.CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2025

(Rupees in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2025 (Audited)	For the year ended March 31, 2024 (Audited)
A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
Net Profit/Loss Before Tax	83753.58	76659.15
Adjustment for:-		
Provision for Gratuity and Leave Encashment	75.32	0.00
Loss / (Profit) on Sale of Fixed Assets	-	1.02
Depreciation & Amortisation Expenses	8697.91	7554.97
Finance Costs	4362.32	6256.55
Provision of Expected Credit Loss	-	1.41
Interest Income	(1709.84)	(1316.56)
Upfront Development Income	(74.79)	-
Operating Profit before Working Capital Changes	95104.51	89156.53
Adjustment for:-		
Loans (Non-Current)	(234.86)	2.11
Other Assets (Non-Current)	-	(1.94)
Other non-current Assets	(216.39)	132.10
Trade Receivables	(1814.61)	(1663.49)
Loans	(7.29)	(39.79)
Other Financial Assets	(2860.83)	726.78
Other Current Assets	(1570.10)	75.92
Other Financial Liabilities (Non-Current)	100.78	19.68
Other Non-current Liabilities	478.33	(484.43)
Trade payables	(2411.99)	4128.31
Other Financial Liabilities	307.02	13.88
Other current liabilities	1968.71	639.84
Provisions	(5058.15)	(7219.74)
Cash From Operating Activities	83785.11	85485.77
Income Tax (Paid)/ Refund	(14481.15)	(13034.54)
Net Cash (used in)/generated from Operating Activities (A)	69303.97	72451.23
B. Cash Flow from Investment Activities		
Purchase of Property, Plant & Equipment, Intangible Assets, CWIP	(8302.77)	(28947.91)
Interest Received	1631.27	1316.56
Investments during the year	(5000.00)	-
Net Cash (used in)/ generated by Investing Activities (B)	(11671.50)	(27631.35)
C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
Dividend paid	(39000.00)	(24000.00)
Loans repaid	(3292.33)	(11239.84)
Interest Paid	(4372.99)	(6256.55)
Net Cash From / (used in) Financing Activities (C)	(46665.32)	(41496.38)
D. Net increase/ (decrease) in Cash & Cash equivalents (A+B+C)	10967.15	3323.49
E. Opening Cash & Cash Equivalents	4080.19	756.70
F. Closing Cash & Cash Equivalents	15047.35	4080.19

1. Refer note 13A

2. Non cash Financial and investing activities

For KAMARAJAR PORT LIMITED

Sd/-

SUNIL PALIWAL, I.A.S.,

Chairman cum Managing Director
DIN : 01310101

Sd/-

J P IRENE CYNTHIA I.A.S.

Managing Director
DIN : 08839241

For M/s Jasminder Singh & Associates

Chartered Accountants,
FRN .016192N

Sd/-

C.S. VEMANNA

Chief Financial Officer (I/c)

Sd/-

CA. Jasminder Singh,

Partner, M.No. 096895
UDIN: 25096893BMGYHC5619

Place : Chennai

Date : 26th May 2025

KAMARAJAR PORT LIMITED

CIN: U45203TN1999PLC043322

(A Company of Chennai Port Authority)

Regd. Office: 2nd Floor (North wing) & 3rd Floor, Jawahar Building, 17, Rajaji Salai, Chennai - 600 001.**Statement of Changes In Equity Balance as at 31st March, 2025****Equity Share Capital**

(Rupees in lakhs)

Balance as at April 1, 2024	Changes in share capital during the year	Balance as at Mar 31, 2025
30,000	-	30,000

Balance as at April 1, 2023	Changes in share capital during the year	Balance as at Mar 31, 2024
30,000	-	30,000

Other EquityFor the year ended 31st March, 2025

Particulars	Debenture Redemption Reserve	Reserves and Surplus		Other Components of Equity		Total
		General Reserve	Retained Earnings	Remeasurement of Net Defined benefit Liability/ Asset	FVTOCI - Investments	
(Rupees in lakhs)						
Balance at the beginning of the reporting period	5044.95	7902.00	250172.86	(99.49)	(1931.34)	261088.98
Changes in accounting policy /Prior period errors	-	-	-	-	-	-
Total Comprehensive Income for the Year	-	-	53932.53	-	-	53932.53
Other Comprehensive Income for the Year	-	-	-	(18.12)	(8.38)	(26.50)
Transfer to Debenture Redemption Reserve	456.86	-	(456.86)	-	-	-
Final Dividend - FY. 2023-24	-	-	(30,000.00)	-	-	(30,000.00)
Interim Dividend - FY. 2024-25	-	-	(9000.00)	-	-	(9000.00)
Balance at the end of the reporting period	5501.81	7902.00	264648.53	(117.61)	(1939.72)	275995.01

Other EquityFor the year ended 31st March, 2024

Particulars	Debenture Redemption Reserve	Reserves and Surplus		Other Components of Equity		Total
		General Reserve	Retained Earnings	Remeasurement of Net Defined benefit Liability/ Asset	FVTOCI - Investments	
(Rupees in lakhs)						
Balance at the beginning of the reporting period	6575.47	7902.00	223074.30	42.96	(1956.79)	235637.95
Changes in accounting policy prior period errors	-	-	-	-	-	-
Total Comprehensive Income for the Year	-	-	49568.03	-	-	49568.03
Other Comprehensive Income for the Year	-	-	-	(142.45)	25.45	(117.00)
Transfer from Retained Earnings	(1530.52)	-	(1530.52)	-	-	-
Dividend - F.Y. 2022-23	-	-	(24000.00)	-	-	(24000.00)
Interim Dividend - F.Y. 2023-24	-	-	-	-	-	0.00
Balance at the end of the reporting period	5044.95	7902.00	250172.86	(99.49)	(1931.34)	261088.98

KAMARAJAR PORT LIMITED

CIN: U45203TN1999PLC043322

Regd. Office: 2nd Floor (North wing) & 3rd Floor, Jawahar Building, 17, Rajaji Salai, Chennai - 600 001.**Notes to the Financial Statements****1. Corporate Information:**

Kamarajar Port Limited is a Public Limited Company domiciled in India and incorporated under the provisions of Companies Act, 1956. The Company is operating mostly on landlord port model limiting its functions to overall planning, development, mobilization of investments for the development of port and common infrastructure facilities. The development and operations of the terminals are mostly entrusted to private operators/captive users.

2. Basis of Preparation :

The Company has adopted Ind-AS, in accordance with Notification dated February 16,2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India, with effect from April 01, 2016 with a transition date of April 01, 2015.

All amounts included in the financial statements are reported in Indian rupees (Rupees in Lacs) except equity shares, which are expressed in numbers.

The Company has consistently applied and followed the accounting policies in the current year as compared to the previous year. During the current year, certain wordings in the accounting policy in respect to Investments (3.16 (i)(a)) were modified/ updated for better clarity and to literally align the same with the wordings contained in Ind AS 109. However, there has been no change in the actual accounting policy applied as compared to the previous year.

3. Material Accounting Policies**3.1. Use of estimates and judgment:**

The preparation of stand-alone financial statements of the Company requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the accompanying disclosures, and the disclosure of contingent liabilities.

3.2. Functional and presentation currency:

These financial statements are presented in Indian rupees, the national currency of India, which is the functional currency of the Company.

3.3. Revenue Recognition:

- 1) Revenue from services is measured at the fair value of the consideration received or receivable net of discounts and excluding taxes and duties. Revenue from service rendered will be recognised upon completion of services. Revenue is recognised when following conditions are met
 - i) the amount of revenue can be measured reliably;
 - ii) It is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the entity;
 - iii) The costs incurred for the transaction and the costs to complete the transaction can be measured reliably.
 - iv) No significant uncertainty exists as to its collection.

Revenue stream includes:

- i) Vessel Related Income.
- ii) Cargo related income.
- iii) Revenue share and Licence fee arising from Leasing of land and waterfront on BOT and other port users / captive users.
- iv) Composite Tariff.

Revenue recognition in respect of each stream of revenue is described below:

i) Vessel Related income

Vessel related income consists of income from handling of the vessels. Revenue attributable to Vessel related operations are recognized on completion of the specific services.

ii) Cargo related income

Cargo related income consists of income from rendering services with respect to cargo and are recognised on completion of related services

iii) Leasing of land and waterfront on BOT/ Captive use basis.

- a) Revenue share from BOT operators is calculated at the quoted % on the gross revenue as per concession / licence agreement on accrual basis up to end of the financial year
- b) Income from Operating Lease which include escalation clause in line with the general inflation trends is accounted as per terms of the contract.
- c) Income from other Operating Lease is recognized on a straight-line basis over the term of lease.
- d) Contingent Rent is recognized as income in the period in which they accrue.

iv) Composite Tariff

Composite Tariff represents the income earned at a composite tariff for the cargo handled by captive users.

- 2) Dividend income from investments is recognized when the Company's right to receive payment is established and it is probable that the economic benefits associated with the transactions will flow to the Company and the amount of income can be measured reliably.
- 3) a. Interest income from financial instruments is recognized when it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the amount of income can be measured reliably. Interest income is accrued on a time basis, by reference to the principal outstanding and at the effective interest rate applicable, which is the rate that exactly discounts estimated future cash flows through the expected life of the financial instruments to that instrument's net carrying amount on initial recognition.
- b. Interest income on belated/disputed revenue are recognised on realization basis.

3.4. Property, Plant and Equipment:

Property, Plant and Equipment are stated at cost, less accumulated depreciation and impairment, if any. Costs directly attributable to acquisition are capitalized until the property, plant and equipment are ready for use, as intended by the Management. The Company depreciates property, plant and equipment over their estimated useful lives using the straight-line method.

The cost of an item of property, plant and equipment is recognized as an asset if, and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. The cost of an item of PPE is the cash price equivalent at the recognition date.

The cost of an item of PPE comprises:

- i) Purchase price, including import duties and non-refundable purchase taxes, after deducting trade discounts, rebates, taxes/duties and cess on which input credit for capital goods is availed.
- ii) Costs directly attributable to bringing the PPE to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.
- iii) The initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located

The amounts becoming payable by the Company on account of uncontested arbitral awards on project claims and interest on such awards up to the date of commissioning of the asset are capitalized in the year of award as additions during the year in the respective asset category. The interest after the date of commissioning of the asset on such awards payable to the contractor is treated as revenue expenditure in the year of award.

When parts of an item of Property, Plant and Equipment have different useful lives, they are accounted for as separate items (major components) of Property, Plant and Equipment.

Gains and losses on disposal of an item of Property, Plant and Equipment are determined by comparing

the proceeds from disposal with the carrying amount of Property, Plant and Equipment and are stated at net values under "Other Income/ Other Expenses" in the Statement of Profit or Loss.

The company has chosen the cost model for recognition and this model is applied to all class of assets. After recognition as an asset, an item of PPE is carried at its cost less any accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Major repairs and overhauling costs:

The Company recognises in the carrying amount of property, plant and equipment, the cost of replacing part of such an item when that cost is incurred, cost of major repairs/ overhauling if the recognition criteria are met. The carrying amount of replaced part is derecognised and the cost of repairs is amortized over the remaining useful life of the repair/ overhaul

3.5. Intangible Assets

Intangible Assets are stated at cost, less accumulated depreciation and impairment, if any.

Identifiable intangible assets are recognized when the company controls the asset; it is probable that future economic benefits expected with the respective assets will flow to the company for more than one economic period; and the cost of the asset can be measured reliably. Amortisation is provided on Straight Line Method (SLM), which reflect the management's estimate of the useful life of the intangible assets.

Intangible assets with finite lives are amortised over the useful economic life and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortisation expense on intangible assets with finite lives is recognised in the statement of Profit and Loss unless such expenditure forms part of carrying value of another assets.

3.6. Depreciation

The depreciable amount of an item of PPE is allocated on a straight line basis over its useful life as prescribed in the manner specified in Schedule II of Companies Act, 2013.

For each part of an item of PPE with a cost that is significant in relation to the total cost of the asset and useful life of that part is different from remaining part of the asset, is depreciated separately. Depreciation on all such items is provided from the date they are 'Available for Use' till the date of sale / disposal and includes amortization of intangible assets. Freehold land is not depreciated. An item of PPE is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected to arise from the continued use of the asset. In case of port specific assets, the depreciation is charged at the rate as determined in accordance with the life of those assets as per the practice prevailing in Major ports in India. Depreciation on addition in value of assets due to arbitral award is claimed over the remaining useful life of the assets from the start of the financial year in which such award is passed and accepted.

3.7. Borrowing Costs

The Company capitalises borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying asset as a part of the cost of the asset. The Company recognises other borrowing costs as an expense in the period in which it incurs them. A qualifying asset is an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale.

To the extent the Company borrows generally and uses them for the purpose of obtaining a qualifying asset, amount of borrowing cost eligible for capitalization is computed by applying a capitalization rate to the expenditure incurred. The capitalization rate is determined based on the weighted average of borrowing costs, other than borrowings made specifically towards purchase of a qualifying asset. Borrowing costs also includes exchange differences to the extent as an adjustment to the borrowing costs.

3.8. Foreign Currency Transactions:

Transactions in currencies other than the functional currency are recognized at the rates of exchange prevailing at the dates of the transactions.

At the end of each reporting period, monetary items denominated in foreign currencies are translated at the rates prevailing at the reporting date.

Foreign currency monetary items (except where realisability of overdue receivable is uncertain) are converted using the closing rate as defined in the Ind AS-21. Non-monetary items are reported using the exchange rate at the date of the transaction. The exchange difference gain/loss is recognized in the Statement of Profit and Loss.

3.9. Government Grant

Government grants are recognised where there is reasonable assurance that the grant will be received and all related conditions are complied with. These grants are classified as grants relating to assets or revenue based on the nature of the grants.

Grants relating to depreciable assets are initially recognised as deferred revenue and subsequently recognised in the Statement of Profit and Loss on a systematic basis over the useful life of the asset generally in the same proportion in which depreciation is charged on the depreciable assets acquired out of such contribution. Changes in estimates are recognised prospectively over the remaining life of the assets.

Grants in the form of revenue grant are recognised as income on a systematic basis over the periods that the related costs, for which it is intended to compensate, are expensed.

Grants in the form of non-monetary assets such as land and other resources are recognised at fair value and presented as deferred income which income is recognized in the Statement of Profit and Loss over the expected useful life in a pattern of consumption of the benefit of the underlying asset.

Grants under 'Service Export from India Scheme (SEIS) are recognised when the conditions attached with the grant have been satisfied and there is reasonable assurance that the grants will be received. These are recognized in the period in which the right to receive the same is established i.e. the year during which the services eligible for grant of SEIS have been performed.

3.10. Provisions

Provisions are recognized when the company has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the

obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at the end of each reporting period and adjusted to reflect the current best estimate. A provision is reversed when it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation.

If the effect of the time value of money is material, provisions are discounted using a current pre-tax rate that reflects, when appropriate, the risks specific to the liability. When discounting is used, the increase in the provision due to the passage of time is recognised as a finance cost.

3.11. Contingent Liabilities / Assets:

Contingent Liabilities

Contingent liabilities are not recognized but disclosed in Notes to the Accounts when the company has possible obligation due to past events and existence of the obligation depends upon occurrence or non-occurrence of future events not wholly within the control of the company.

Contingent liabilities are assessed continuously to determine whether outflow of economic resources have become probable. If the outflow becomes probable then relative provision is recognized in the financial statements.

Where an entity is jointly and severally liable for an obligation, the part of the obligation that is expected to be met by other parties is also treated as a contingent liability. The entity recognises a provision for the part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

Contingent Assets:

Contingent Assets are not recognised in the financial statement or disclosed in Notes.

3.12. Employee benefits:

i) Defined Benefit Plan:

Provision for gratuity, leave encashment/availment and other terminal benefits is made on the basis of

actuarial valuation using the projected unit credit method. Re-measurement, comprising actuarial gains and losses, the effect of the changes to the asset ceiling and the return on plan assets excluding interest (if applicable), is reflected immediately in the statement of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur. Re-measurement recognized in other comprehensive income is reflected immediately in retained earnings and will not be reclassified to Statement of Profit or Loss.

ii) **Defined Contribution Plan:**

Contribution to Provident Fund is recorded as expenses on accrual basis.

iii) **Short Term Employee Benefits:**

Short term employee benefits obligations are measured on an undiscounted basis and expensed as the related services are provided. A liability is recognized for the amount expected to be paid under short-term employee benefits if the company has a present legal or constructive obligation to pay this amount as a result of past service provided by the employee and the obligation can be estimated reliably.

3.13. Taxation

Income tax expense represents the sum of the current tax and deferred tax.

Current tax

The current tax is based on taxable profit for the year. Taxable profit differs from 'profit before tax' as reported in the Statement of Profit and Loss and other comprehensive income because of items of income or expense that are taxable or deductible in other years and items that are never taxable or deductible. The Company's current tax is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Deferred tax

Deferred tax is provided using the balance sheet approach on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities

and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be utilised. Unrecognised deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are recognised to the extent that it has become probable that future taxable profits will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax liabilities and assets are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realised, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if a legally enforceable right exists to set off current tax assets against current income tax liabilities and the deferred taxes relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

The break-up of the major components of the deferred tax assets and liabilities as at balance sheet date is arrived at after setting off deferred tax assets and liabilities.

Current and deferred tax for the year

Current and deferred tax are recognized in profit or loss, except when they relate to items that are recognized in other comprehensive income or directly in equity, in which case, the current and deferred tax are also recognized in other comprehensive income or directly in equity respectively. Where current tax or deferred tax arises from the initial accounting for a business combination, the tax effect is included in the accounting for the business combination.

3.14. Impairment:

If the recoverable amount of an asset (or cash-generating unit/Fixed Assets) is estimated to be less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (or cash-generating unit) is reduced to its recoverable amount. An impairment loss is recognized immediately in Statement of Profit and Loss.

Recoverable amount is the higher of fair value less costs of disposal and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

When an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset (or a cash-generating unit) is increased to the revised estimate of its recoverable amount, so that the increased carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognized for the asset (or cash-generating unit) in prior years. A reversal of an impairment loss is recognized immediately in Statement of Profit and Loss, unless the relevant asset is carried at a revalued amount, in which case the reversal of the impairment loss is treated as a revaluation increase.

At the end of each reporting period, the company reviews the carrying amounts of its tangible, intangible assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). When it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the company estimates the recoverable amount of the cash-generating unit to which the asset belongs.

Intangible assets with indefinite useful lives and intangible assets not yet available for use are tested for impairment at least annually or whenever there is an indication that the asset may be impaired.

3.15. Earnings per share:

Basic earnings per equity are computed by dividing the net profit attributable to the equity holders of the company by the weighted average number of equity shares outstanding during the period. Diluted earnings per equity share is computed by dividing the net profit attributable to the equity holders of the company by the weighted average number of equity shares considered for deriving basic earnings per equity share and also the weighted average

number of equity shares that could have been issued upon conversion of all dilutive potential equity shares.

3.16. Financial instruments:

i) Non-derivative financial instruments:

Non-derivative financial instruments consist of:

- Financial assets include cash and cash equivalents, trade receivables, employee advances, other advances, security deposits, investments in equity securities and other eligible current/non-current assets;
- Financial liabilities include long/short-term loan, borrowings, trade payables, security deposits, retention monies and other eligible current/non-current liabilities.

Non derivative financial instruments are recognized initially at fair value including any directly attributable transaction costs except financial instrument measured at fair value through Statement of Profit and Loss which are initially measured at fair value. Financial assets are derecognized when substantial risks and rewards of ownership of the financial asset have been transferred. In cases where substantial risks and rewards of ownership of the financial assets are neither transferred nor retained, financial assets are derecognized only when the Company has not retained control over the financial asset.

Subsequent to initial recognition, non-derivative financial instruments are measured as described below:

a) Investments

Investments in equity shares of subsidiaries, joint ventures, and associates are accounted for at cost in accordance with the requirements of Ind AS 27 — Separate Financial Statements. Where applicable, provision is made for impairment in the value of such investments in accordance with Ind AS 36 — Impairment of Assets. The carrying amount of these investments is reviewed at each reporting date to determine whether there is any indication of impairment. If any such

indication exists, the recoverable amount of the investment is estimated and impairment losses, if any, are recognised in profit or loss.

On initial recognition of other equity investments that is not held for trading, the Company has irrevocably elected to present subsequent changes in the investment's fair value in OCI (designated as FVOCI – equity investment). This election is made on an investment-by-investment basis. Such investments are initially measured at fair value and subsequent changes in fair value are recognised in Other Comprehensive Income (OCI). Cumulative gains or losses previously recognised in OCI are not transferred to profit or loss on disposal of such investments. Instead, they are transferred within equity. Dividends from such investments are recognised in profit or loss when the Company's right to receive payment is established, provided they represent a return on investment.

All other equity investments are classified at initial recognition as FVTPL unless an irrevocable designation is made to classify the instrument as FVOCI for equities.

b) **Loans and receivables**

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. They are presented as current assets, except for those maturing later than 12 months after the reporting date which are presented as non-current assets. Loans and receivables are initially recognized at fair value plus directly attributable transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, less any impairment losses. Loans and receivables comprise trade receivables, unbilled revenues, staff advances, security deposits paid and other assets.

The company estimates the un-collectability of accounts receivable by analysing historical payment patterns, customer concentrations, customer credit-worthiness and current economic trends. If the financial condition of a

customer deteriorates, evaluation is made for additional allowances required, if any.

c) **Trade and other payables:**

Trade and other payables are initially recognized at fair value, and subsequently carried at amortized cost using the effective interest method. For these financial instruments, the carrying amounts are approximate fair value due to the short term maturity of these instruments.

d) **Security Deposits**

Security Deposits are initially recognized at fair value plus directly attributable transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, less any impairment losses.

e) **Tax Free Bonds:**

Tax free bonds are recognized initially at fair value net of transaction costs. In subsequent periods, Tax free bonds are presented at amortised cost using effective interest method. Interest expenses are recognised in the statement of profit or loss as financial expenses over the life of the tax free bonds using effective interest rate.

ii) **Impairment of financial assets**

Financial assets, other than those at Fair Value through Profit and Loss (FVTPL), are assessed for indicators of impairment at the end of each reporting period. Financial assets are considered to be impaired when there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset, the estimated future cash flows of the financial asset have been affected. For Available for Sale (AFS) equity investments, a significant or prolonged decline in the fair value of the security below its cost is considered to be objective evidence of impairment.

For all other financial assets, objective evidence of impairment could include:

- Significant financial difficulty of the issuer or counterparty;

- Breach of contract, such as a default or delinquency in interest or principal payments;
- Probability that the borrower will enter bankruptcy or financial re-organisation; or the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties.

Certain categories of financial assets such as trade receivables are assessed for impairment on individual basis. Objective evidence of impairment for a portfolio of receivables could include companies past experience of collecting payments, as well as observable changes in national or local economic conditions that correlate with default on receivables.

For financial assets that are carried at cost, the amount of impairment loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of the estimated future cash flows discounted at the current market rate of return for a similar financial asset. Such impairment loss will not be reversed in subsequent periods.

The carrying amount of the financial asset is reduced by the impairment loss directly for all financial assets with the exception of trade receivables; such impairment loss is reduced through the use of an allowance account for respective financial asset. When a trade receivable is considered uncollectible, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the allowance account are recognized in Statement of Profit and Loss.

For financial assets measured at amortised cost, if, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed through Statement of Profit and Loss to the extent that the carrying amount of the investment at the date the impairment is reversed does not exceed what the amortised cost would have been had the impairment not been recognized.

iii) De-recognition of financial assets

The Company de-recognises a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another party. If the Company neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Company recognises its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Company retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Company continues to recognise the financial asset and also recognises a collateralised borrowing for the proceeds received.

On de-recognition of a financial asset in its entirety, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable and the cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income and accumulated in equity is recognized in profit or loss.

3.17. Segment Information

The Managing Director (MD) of the Company is identified as the Chief Operating Decision Maker (CODM) as defined by Ind AS-108, "Operating Segments." The MD of the Company evaluates the segments based on standalone financial statements. The Management considers "Port Services" rendered in India as a single reportable Business/Geographical segment.

3.18. Prior Period

Errors of material amount relating to prior period(s) are disclosed by a note with nature of prior period errors, amount of correction of each such prior period presented retrospectively, to the extent practicable along with change in basic and diluted earnings per share. However where retrospective restatement is not practicable for a particular period then the circumstances that lead to the existence of that condition and the description of how and from where the error is corrected are disclosed in Notes on Accounts.

3.19. Leases

The Company assesses at contract inception whether a contract is, or contains, a lease. That is, if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

As a lessee

The Company applies a single recognition and measurement approach for all leases, except for short-term leases and leases of low-value assets. The Company recognises lease liabilities to make lease payments and right-of-use assets representing the right to use the underlying assets.

i) Right-of-Use Assets

The Company recognises right-of-use assets ("RoU Assets") at the commencement date of the lease (i.e., the date the underlying asset is available for use). Right-of-use assets are measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any re measurement of lease liabilities. The cost of right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognised, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received. Right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over the shorter of the lease term and the estimated useful lives of the assets.

If ownership of the leased asset transfers to the Company at the end of the lease term or the cost reflects the exercise of a purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the asset. The right-of-use assets are also subject to impairment. Refer to the accounting policies in Section (I) Impairment of non-financial assets.

ii) Lease Liabilities

At the commencement date of the lease, the Company recognises lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term. The lease payments include fixed payments (including in substance fixed payments) less any lease incentives receivable,

variable lease payments that depend on an index or a rate, and amounts expected to be paid under residual value guarantees. The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Company and payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the Company exercising the option to terminate. Variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognised as expenses (unless they are incurred to produce inventories) in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs. In calculating the present value of lease payments, the Company uses its incremental borrowing rate at the lease commencement date because the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liabilities is re measured if there is a modification, a change in the lease term, a change in the lease payments (e.g., changes to future payments resulting from a change in an index or rate used to determine such lease payments) or a change in the assessment of an option to purchase the underlying asset. Lease liabilities has been presented under the head "Other Financial Liabilities". Lease liabilities has been presented under the head "Other Financial Liabilities".

iii) Short-term leases and leases of low-value assets

The Company applies the short-term lease recognition exemption to its short-term leases (i.e., those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option). It also applies the lease of low-value assets recognition exemption that are considered to be low value. Lease payments on short-term leases and leases of low-value assets are recognised as expense on a straight-line basis over the lease term.

As a lessor

Leases in which the Company does not transfer substantially all the risks and rewards of ownership

of an asset are classified as operating leases. Rental income from operating lease is recognised on a straight-line basis over the term of the relevant lease. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognised over the lease term on the same basis as rental income. Contingent rents are recognised as revenue in the period in which they are earned.

Leases are classified as finance leases when substantially all of the risks and rewards of ownership transfer from the Company to the lessee. Amounts due from lessees under finance leases are recorded as receivables at the Company's net investment in the leases. Finance lease income is allocated to accounting periods so as to reflect a constant periodic rate of return on the net investment outstanding in respect of the lease.

3.20. Current/Non-Current Classification:

The Company presents assets and liabilities in the balance sheet based on current/non-current classification. An asset is classified as current if:

- (a) it is expected to be realized or sold or consumed in the Company's normal operating cycle;
- (b) it is held primarily for the purpose of trading;
- (c) it is expected to be realized within twelve months after the reporting period; or
- (d) it is cash or a cash equivalent unless it is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

A liability is classified as current if:

- (a) it is expected to be settled in normal operating cycle;

- (b) it is held primarily for the purpose of trading;
- (c) it is expected to be settled within twelve months after the reporting period;
- (d) it has no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period.

All other liabilities are classified as non-current.

The operating cycle is the time between acquisition of assets for processing and their realization in cash and cash equivalents. The Company's normal operating cycle is twelve months.

3.21. Dividend distribution to shareholders:

Dividends proposed by the board of directors are recognized in the financial statements when approved by the shareholders at the Annual General Meeting.

3.22. Prepaid expenses

Revenue expenditure under each head are segregated into current year and prepaid wherever the amount exceeds Rs.20,000/-.

3.23. Premia for foreclosure

Premia for foreclosure of loans or any part thereof is recognised as finance cost in the year in which the foreclosure is effected.

3.24. Liquidated damages

Liquidated damages is accounted on certainty basis.

3.25. Statement of Cash Flows

Cash Flows are reported using the Indirect Method. For the purposes of the cash flow statement, cash and cash equivalents include cash in hand, at banks and demand deposits with banks, net of outstanding bank overdrafts that are repayable on demand and are considered part of the Company's cash management system.

4. Property, Plant and Equipment

(Rupees in lakhs)

Particulars	Gross carrying value as at April 1, 2024	Additions	Disposal/ adjustments	Gross carrying value as at Mar 31, 2025	Accumulated depreciation as at April 1, 2024	Depreciation for the year	Disposal/ adjustments	Accumulated depreciation as at Mar 31, 2025	Carrying Value as at Mar 31, 2025
Land	63,952.64	-	-	63,952.64	-	-	-	-	63,952.64
Building, Sheds & Other Structures	21,999.52	115.61	-	22,115.14	2,480.36	480.69	-	2,961.04	19,154.09
Wharves & Boundaries	64,485.91	-	-	64,485.91	12,722.70	1,536.35	-	14,259.04	50,226.86
Roads	30,048.76	331.26	-	30,380.02	7,435.19	2,615.35	-	10,050.54	20,329.48
Railway Track & Signalling System	8,795.38	16,612.50	-	25,407.88	4,518.49	1,454.63	-	5,973.12	19,434.76
Docks, Seawalls, Piers & Break Water	72,034.64	-	-	72,034.64	14,946.55	937.10	-	15,883.65	56,150.98
Navigational Aids	381.67	-	-	381.67	316.83	6.61	-	323.45	58.22
Vehicles	198.41	15.53	-	213.94	124.35	21.66	-	146.00	67.93
Electrical Installations	2,521.92	338.70	-	2,860.62	1,626.08	148.57	-	1,774.65	1,085.97
Installation For Water, Communication & Fire Syst	306.19	-	-	306.19	184.51	8.69	-	193.19	113.00
Electrical Appliance	261.52	23.01	-	284.53	181.24	18.98	-	200.22	84.31
Office Equipment	457.85	50.18	-	508.03	220.54	53.73	-	274.28	233.75
Furniture & Fittings	1,150.01	0.23	-	1,150.24	737.88	89.78	-	827.66	322.58
Computers	1,161.73	150.13	-	1,311.86	941.21	77.86	-	1,019.07	292.79
Port Basin & Entrance Channel	104,965.37	-	-	104,965.37	15,219.76	934.96	-	16,154.71	88,810.65
Plant & Machinery	3,222.28	163.53	-	3,385.81	1,357.38	172.97	-	1,530.35	1,855.46
Security Asset	93.16	-	-	93.16	68.66	7.61	-	76.27	16.89
Total	376,036.94	17,800.69	0.00	393,837.63	63,081.74	8,565.51	0.00	71,647.25	322,190.39
Previous Year	326,981.85	49,066.20	-11.11	376,036.94	55,760.52	7,329.28	-8.08	63,081.72	312,955.22

Land :

- (i) a) The Company owns land measuring 2802.49 acres acquired from GoTN, TNEB, TIDCO and Salt Department, Ministry of Commerce, out of which 2787.27 acres is under possession of the company and the balance 15.22 acres of land is yet to be taken possession of these lands were under litigation. Out of 15.22 acres of land under litigation, two writ petitions W.P. No. 26041/2001 & 26042/2001 were filed by Tmt. Pappa & Thiru P. Selvaraj from whom land were acquired against the land acquisition. The Hon'ble High Court of Madras vide its Judgement dated 19.11.2019 quashed the Notification u/s 4(1) and the Declaration u/s. 6 of the Land Acquisition Act, in so far as the lands of the petitioners was concerned. The court advised to initiate land acquisition proceedings afresh by issuing a fresh Notification u/s.4(1) of the Land Acquisition Act.
- b) The company has decided not to appeal against the Judgemnt of the Hon'ble High Court of Madras dated 19.11.2019 in W.P. No.26041/2001 and 26042/2001.
- (ii) a) The company procured 950 acres of land from TIDCO, out of which 297.98 acres was registered in the name of the company, 2.02 acres Govt poromboke lands for which alienation is in progress and the balance of 650 acres land, for which the title transfer is in process.
- b) The company procured 1092.20 acres of land from TANGEDCO, out of which 995.05 acres was egeristered in the name of the company and the balance 97.15 acre Govt poromboke lands, alienation is in progress.
- c) The company procured 712.42 acres of land from Salt Department and the same was registered in the name of the company.

d) The company acquired 31.96 acres of land from GoTN, out of which 0.31 acre has been reacquired by NHAI and the compensation was wrongly paid to Mr. Ethiraj. The issue has been taken up to High Court of Madras who directed Mr Ethiraj to refund the compensation amount. The amount has been recovered and deposited in the sub-court, Ponneri. The action has been initiated through the District Collector, Tiruvallur as directed by the Court to recover the deposited compensation amount from the Sub-court Ponneri.

e) The company acquired 0.69 acres of land from GoTN for railway siding and the Patta obtained in the name of company."

- (iii) Land measuring 40.11, 134.06, 116.75, 95.08, 42.41, 128.51 & 5.00 (total measuring 561.92 acres) allotted to BOT operators viz. M/s. Ennore Tank Terminals Private Limited, M/s. Ennore Coal Terminal Private Limited and M/s. SICAL Iron Ore Terminals Limited, M/s. Adani Container Terminal Private Limited, M/s. Ennore Bulk Terminal Private Limited, M/s. IOC LNG Private Ltd and M/s. Indian Oil Corporation Limited respectively. The Port has leased 22,500 sqm (5.50 acres) to M/s IOCL for 60 years from 09.09.2024 for establishing Large Format retail fuel outlet.

5. Capital Work- In- Progress

(Rupees in lakhs)

Particulars	Balance as at April 1, 2024	Additions/ Adjustments during the year	Capitalized / Adjustments during the year	Balance as at Mar, 31 2025
CWIP - Building, Sheds & Other Structures	972.92	1,090.26	-	2,063.19
CWIP - Wharves & Boundaries	-	-	-	-
CWIP - Roads	289.69	41.57	-331.26	-
CWIP - Railway Track & Signalling System	20,638.82	702.65	-16,612.50	4,728.97
CWIP - Docks, Seawalls, Piers & Break Water	-	-	-	-
CWIP - Navigational Aids	-	-	-	-
CWIP - Vehicles	-	-	-	-
CWIP - Electrical Installations	1,802.18	442.57	-398.70	1,846.05
CWIP - Port Basin & Entrance Channel	3,660.23	4,057.22	-	7,717.45
CWIP - Plant & Machinery	75.00	927.20	-163.53	838.67
CWIP - Furniture & Fittings	-	-	-	-
CWIP-Computer software	-	-	-	-
Total	27438.85	8611.27	(17603.26)	18446.86
Previous Year	43763.51	32077.31	(48401.97)	27438.85

5. (A) Right of Use Assets

(Rupees in lakhs)

Particulars	Gross carrying value as at April 1, 2024	Additions	Disposal / adjustments	Gross carrying value as at Mar 31, 2025	Accumulated depreciation as at April 1, 2024	Depreciation for the year	Disposal / Adjustments	Accumulated depreciation as at Mar 31, 2025	Carrying Value as at Mar-31,2025
Leased assets of Registered office	2,564.80	-	-	2,564.80	826.26	99.50	-	925.77	1,639.03
Total	2,564.80	-	-	2,564.80	826.26	99.50	-	925.77	1,639.03
Previous Year	2,564.80	-	-	2,564.80	730.39	95.87	-	826.26	1,738.53

6. Intangible Assets - Software

(Rupees in lakhs)

Particulars	Gross carrying value as at April 1, 2024	Additions	Disposal / adjustments	Gross carrying value as at Mar 31, 2025	Accumulated depreciation as at April 1, 2024	Depreciation for the year	Disposal / Adjustments	Accumulated depreciation as at Mar 31, 2025	Carrying Value as at Mar-31,2025
Intangible Assets - Software	1,232.79	128.24	-	1,361.03	1,063.18	32.90	-	1,096.08	264.95
Total	1,232.79	128.24	-	1,361.03	1,063.18	32.90	-	1,096.08	264.95
Previous Year	1,104.73	128.07	-	1,237.79	933.37	129.81	-	1,063.18	169.62

7. Investments

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2025	As at Mar 31, 2024
Non-Current		
Investment carried at cost		
Equity Shares of Kanniyakumari Port Limited (20,000 Equity shares of Rs.10/- per share; Previous year - 20,000 Equity shares of Rs.10/- per share)	2.00	2.00
Investment carried at Fair Value Through Other Comprehensive Income		
Equity Shares of Sethusamudram Corporation Ltd #	3000.00	3000.00
Less: Provision for Diminution in value of Investments	-3000.00	-3000.00
Equity Shares of Chennai Ennore Port Road Company Ltd (3,40,00,000 Equity shares of Rs.10/- per share; Previous year - 3,40,00,000 Equity shares of Rs.10/- per share)	3400.00	3400.00
Equity shares of Rs.10/- per share (72,00,000 Equity shares of Rs.10/- per share; Previous year - 72,00,000 Equity shares of Rs.10/- per share)	720.00	720.00
Investments in Renewable Energy Certificate (66 Equity shares of Rs.1515.52/- per share; Previous year - 66 Equity shares of Rs.1515.52 per share)	1.00	1.00
Quoted Investment		
10000 shares in Dredging corporation of India (Market value as at 31st March, 2025 - Rs.54,42,500/-, Prev Year - Rs.67,30,500/-)	54.43	67.31
Total	4177.43	4190.31

#. As the dredging work is suspended from 14.09.2007 upon the direction of the Hon'ble Supreme Court of India and as there is no further progress in the project since then, the Management has provided for diminution towards the Investments in Equity shares of Sethusamudram Corporation Limited.

8. Loans & Advances

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at March 31,2025	As at March 31,2024
Non Current		
<i>Secured (considered good)</i>		
Advances to Employees (House Building Advance)	525.27	283.99
Advances to Employees (Vehicle Advance)	6.93	13.35
Total	532.21	297.35
Current		
<i>Secured (considered good)</i>		
Advances to Employees (House Building Advance)	101.64	65.60
Advances to Employees (Vehicle Advance)	9.48	2.78
Advances to Employees (Others)	18.59	20.54
Advances to Employees (Flood Advance)	-	33.50
Total	129.71	122.42

Advances to Employees (House Building Advance) pending Memo of Deposit of Title Deeds - Rs.248.77 lakhs (Prev. Year Nil).

9. Other Financial Assets

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at March 31,2025	As at March 31,2024
Non Current		
Deposits		
- Advances other than Related Parties	183.16	183.16
- Advances to Related Parties	259.66	259.66
Total	442.82	442.82
Current		
-Short Term Deposits	2,860.83	37.08
-Advances to Related Parties	-	-
Income Receivable	340.19	224.54
Total	3201.02	261.63

Short term deposit Rs.2860.83 Lakhs represent deposit in High Court being 75% of the arbitration award as per the directions of Supreme Court.

10. Tax Expense

Tax recognised in Statement of profit and loss

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at March 31,2025	As at March 31,2024
Current income tax		
In respect of current year	26,556.13	24,532.63
Sub Total (A)	26,556.13	24,532.63
Deferred tax expense		
Origination and reversal of temporary differences	3,264.92	2,558.49
Sub Total (B)	3,264.92	2,558.49
Total (A+B)	29821.05	27091.12

Tax recognised in other comprehensive income

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at March 31,2025	As at March 31,2024
Defined benefit plan actuarial gains (losses)	9.73	76.52
Change in fairvalue of Equity instruments	4.50	-13.67
Total	14.24	62.84

Movement in deferred tax balances during the year along with category wise break up

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at March 31,2025	As at March 31,2024
Deferred Tax Liability		
Property, Plant & Equipment	(40,329.11)	(37,093.88)
Sub Total	(40,329.11)	(37,093.88)
Deferred tax Assets		
Provision for Bad & Doubtful Debts	1,359.75	1,359.75
MAT Credit entitlement	12,340.23	24,411.95
Movement in Defined Benefit Plan	174.80	133.66
Diminution in Investment	1,048.32	1,048.32
Others	408.59	465.18
Sub Total	15331.68	27418.86
Net Deferred Tax Assets/ (Liabilities)	(24,997.43)	(9,675.02)

11. Other Assets

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2025	As at Mar 31, 2024
Non-Current		
Advance to Contractors	-	-
Advance for Capital Expenditure	6,783.44	7,417.61
Prepaid Lease Rental	176.56	82.94
Deferred Employee Cost	257.09	129.08
Defined Benefit Plan Asset/(Liabilities) - Gratuity	-	5.24
Defined Benefit Plan Asset/ (Liabilities) Earned Leave Encashment	-	-
Total	7217.09	7634.87
Current		
Advance to Contractors	1,741.02	770.69
Prepaid Expenses	235.53	135.58
GST Input Credit	1,106.07	681.59
Other Assets	-	-
Total	3082.63	1587.86

Advance for Capital expenditure under Non-current includes Rs.4509.50 lakhs being excess payment to Project contractors referred to High Court of Madras at the time of taking over the Assets and liabilities from Chennai Port Trust on 22.06.2001.

12. Trade Receivables

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2025	As at Mar 31, 2024
Trade receivables		
Unsecured		
Considered good	9,352.57	7,537.95
Credit Impaired	3,891.22	3,891.22
Less: Allowances for doubtful debts (expected credit loss)	-3,891.22	-3,891.22
Total	9352.57	7537.95

13. A. Cash & Cash Equivalents

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2025	As at Mar 31, 2024
Cash on hand	0.58	0.35
Cheques, Drafts on hand	-	-
Balances with Banks	4,946.77	2,079.84
Sub-total (A)	4947.35	2080.19
Other Bank Balances		
- Term Deposit		
- Less than 3 months	10,100.00	2,000.00
Total	15047.35	4080.19

13. B. Bank balances other than cash and cash equivalents

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2025	As at Mar 31, 2024
Bank balances other than cash and cash equivalents		
- Term Deposit		
- More than 3 months but less than 12 months	13,000.00	8,000.00
Total	13000.00	8000.00

14. Current Tax Assets

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2025	As at Mar 31, 2024
Advance Tax and Tax Deducted at Source	121,452.50	106,971.36
Provision for Income Tax	-118,194.16	-103,709.75
Total	3258.35	3261.60

15. Equity Share Capital

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2025	As at Mar 31, 2024
Authorized Equity shares of Rs.10/- each 500,000,000 equity shares	50,000.00	50,000.00
Issued, subscribed and fully paid Equity shares of Rs.10/- each 300,000,000 equity shares	30,000.00	30,000.00
	30,000.00	30,000.00

Reconciliation of Share Capital:

Particulars	As at Mar 31, 2025	
	No of Shares	Amount
Opening Equity Shares	300000000	3000000000
Add: - No. of Shares, Share Capital issued/ subscribed during the year	-	-
Closing balance	300000000	3000000000

Particulars	As at Mar 31, 2024	
	No of Shares	Amount
Opening Equity Shares	300000000	3000000000
Add: - No. of Shares, Share Capital issued/ subscribed during the year	-	-
Closing balance	300000000	3000000000

Shares in the Company held by shareholder holding more than 5 percent

Name of the Shareholder	%	As at Mar 31, 2025	As at Mar 31, 2024
Chennai Port Authority	100%	30,000	30,000

Government of India disinvested its entire Equity shares held in the company to Chennai Port Authority through Share Purchase Agreement entered on 25.03.2020.

16. Borrowings

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2025	As at Mar 31, 2024
SECURED - LONG TERM		
Term Loan		
Chennai Port Trust	11,301.25	13,602.50
Tax Free Bonds		
(i) Series 2012-13	1,166.95	1,166.02
(ii) Series 2013-14	28,522.66	28,514.67
Unsecured - Non Current		
Term Loan		
Loan From HDFC Bank	500.00	1,500.00
Total	41490.86	44783.19
Secured - Current		
Current maturities of non current debt		
- Chennai Port Authority	2,301.25	2,301.25
- Tax Free Bonds - Series 2013-14	-	-
- Tax Free Bonds - Series 2012-13	-	-
Unsecured - Non Current		
Current maturities of non current debt		
Loan From HDFC Bank	1,000.00	1,000.00
Total	3301.25	3301.25

Secured Redeemable Non-Convertible Bonds

(i) Redeemable at par, 117156 Nos of 15 Year bonds of Face Value - Rs.1000/- each amounting to Rs.11,71,56,000/- are due on 25.03.2028 with interest rates @ 7.51% and 7.67% to Retail Investors and 7.01% and 7.17% to others respectively, payable annually. The bonds are secured against the assets of the company viz. Small Craft Jetty - 1, 2 and 3 and General Cargo Berth pursuant to the terms of the Bond Trust Deed registered on 25.03.2013.

(ii) Redeemable at par, 794951 Nos of 10 Year Bonds of Face value - Rs.1000/- each amounting to Rs.79,49,51,000/- were due on 25.03.2024 and the same was repaid to the bondholders on due date. Further, 1916630 Nos of 15 Year bonds of Face Value - Rs.1000/- each amounting to Rs.191,66,30,000/- are due on 25.03.2029 and 943142 Nos of 20 Year Bonds of Face Value - Rs.1000/- each amount to Rs.94,31,42,000/- are due on 25.03.2034 with interest rates @ 8.61%, 9% and 9% respectively to Retail Investors and 8.36%, 8.75% and 8.75% respectively to others, payable annually. The bonds are secured against the assets of the company viz. North Break Water pursuant to the terms of the Bond Trust Deed registered on 19.03.2014.

Term loan from Chennai Port Trust

Term Loan due to Chennai Port Trust converted at the time of taken over of assets & liabilities in the year 2001-02 and is repayable in 60 Equated Quarterly instalments commencing from 30.06.2012. The instalments are paid up to date during this period. The above loan is secured by hypothecation of specifically earmarked immovable fixed assets of the company. The company has borrowed an additional amount of Rs.70 crs and Rs 20 crs on 18.06.2018 and 29.09.2018 respectively on the same terms and conditions of the original loan.

Term loan from HDFC Bank

HDFC Bank has sanctioned Unsecured Rupee Term Loan of Rs.50 Crore on 27th July 2021 @ interest rate of 91 days T Bill Plus 1.80% per annum with reset quarterly repayable within Five year including one year moratorium. During the year 2021-22, the Company has availed Rs.40 Cr for Capital Projects.

17. Other Financial Liabilities

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2025	As at Mar 31, 2024
Long Term		
Security Deposits	671.47	570.69
Retention Money Payable	-	-
Total	671.47	570.69
Current		
Security Deposits	410.05	148.11
Retention Money Payable	169.69	156.10
Other Liabilities	158.84	127.35
Total	738.58	431.55

18. Provisions

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2025	As at Mar 31, 2024
Current		
FOR EMPLOYEE BENEFITS		
Leave Encashment	80.80	61.50
Gratuity	23.91	-
Performance Related Pay	271.00	258.00
Sub Total (A)	375.71	319.50
OTHER		
Expenses		
- Revenue	3073.02	8550.69
- Capital	380.50	-
Sub Total (B)	3453.52	8550.69
Total(A+B)	3829.23	8870.19

19. Other Liabilities

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2025	As at Mar 31, 2024
Non-Current		
Income Received in Advance	-	-
Advance Lease Charges	6,385.19	5,882.87
Deferred Fair Valuation Gain - Security Deposits	483.66	507.65
Total	6868.85	6390.52
Current		
Income Received in Advance	708.07	610.35
Other Statutory Payables	4,319.35	2,737.60
Advance Received from Customers	2,697.97	2,484.28
Advance Lease Charges	440.05	462.88
Other Liabilities	193.98	170.40
Total	8359.43	6465.51

Advance Lease Charges includes Rs.5094.01 lakhs under Non-Current represents an amount from Indian Oil LNG Private Limited towards upfront licence fees for 30 years for 5,20,000 sq.m. Land allotted for the construction of LNG Terminal as per the Licence Agreement dated 31st July 2015.

20. Trade Payables

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2025	As at Mar 31, 2024
Total outstanding dues to Micro & Small Enterprises	638.48	1,605.69
Total outstanding dues to Creditors other than Micro & Small Enterprises	5,091.84	6,536.62
Total	5730.33	8142.32

21. Revenue From Operations

(Rupees in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2025	For the year ended Mar 31, 2024
Lease Income		
Composite Tariff on Coal	34,189.70	33,303.25
Estate Income	2,826.96	2,617.24
Revenue Share	42,985.60	39,097.05
Marine Services		
Vessel Related Income	23,887.75	23,717.62
Cargo Related Service		
Wharfage	7,206.15	5,485.24
Royalty	1,996.11	1,616.38
Other Operating Revenues		
Other Services	749.31	385.18
Total	113,841.57	106,221.97

22. Other Income

(Rupees in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2025	For the year ended Mar 31, 2024
Interest from Banks	1,395.92	1,197.85
Interest on Staff Advances	49.50	31.31
Interest - Others	264.42	87.40
Interest on IT Refund	-	118.02
Other non operating income		
Personnel & Vehicle Entry Pass	101.10	102.94
Profit on sale of Fixed Assets	-	1.02
Other Income	372.02	383.08
Total	2182.96	1921.62

23. Operating Cost

(Rupees in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2025	For the year ended Mar 31, 2024
Time Charter Crafts	3,398.60	3,245.08
Consultancy Services - Operations	128.09	109.99
Power & Water charges	348.87	337.96
Environment	446.60	508.10
Research & Development Expenses	-	28.88
Fuel Expense	1,169.48	1,358.55
Manning Services	966.29	844.06
Survey & Maintenance Dredging	9.96	125.04
Repairs and Maintenance	1,651.12	1,260.89
Incentive	2,382.43	2,354.96
Insurance	333.24	303.13
Total	10,834.67	10,476.64

24. Employee Benefit Expenses

(Rupees in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2025	For the year ended Mar 31, 2024
Salaries and Wages	1,744.65	1,531.15
Contribution to Provident Fund	134.37	125.48
Staff Welfare expenses	14.26	14.45
Performance Related Pay	279.73	260.42
Employee Medical expenses	60.38	42.27
Terminal Benefits	205.37	100.50
Total	2438.75	2074.27

25. Finance Cost

(Rupees in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2025	For the year ended Mar 31, 2024
Interest Expense :		
- From Banks	150.36	150.60
- Tax Free Bonds - 2012-13	89.60	83.92
- Tax Free Bonds - 2013-14	2,541.99	3,229.17
- Others	1,580.37	2,792.86
Other Borrowing Costs :		
- Tax Free Bond Expenses	4.49	6.07
Total	4366.81	6262.61

26. Depreciation And Amortization Expenses

(Rupees in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2025	For the year ended Mar 31, 2024
Depreciation / Amortisation for the year		
Tangible Assets	8,565.51	7,329.28
Right- of- Use Assets	99.50	95.87
Intangible Assets	32.90	129.81
Total	8697.91	7554.97

27. Other Expenses

(Rupees in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2025	For the year ended Mar 31, 2024
AMC - Software Expenses	437.15	365.58
- Statutory audit	7.00	6.00
- Tax Audit Fees	1.00	1.00
- Payment for other Services	2.60	1.60
- Reimbursement of expenses	0.70	0.60
Electricity & Water Charges	54.87	126.83
Legal & Professional Charges	256.30	315.33
Miscellaneous Expense	412.68	283.03
Printing and stationery	15.93	21.78
Rent, Rates & Taxes	163.45	77.10
Safety & security expenses	1,411.50	1,321.70
Corporate Social Responsibility Expenses	1,444.81	983.07
Subscription & Membership fees	257.91	162.32
Communication Expenses	45.96	77.19
Travelling and conveyance	57.02	34.79
Vehicle running expenses	389.58	373.65
Advertising and promotional expenses	124.63	251.07
Manning Contract - Admin	849.71	711.91
Provision for Expected Credit Loss	-	1.41
Total	5932.79	5115.95

Corporate Social Responsibility (CSR)

- (a) Where the company covered under section 135 of the Companies Act , the following shall be disclosed with regard to CSR activities

(Rupees in lakhs)

S. No	Name of the activity	Amount spent
(i)	The amount required to be spent by the company during the year,	1,255.04
(ii)	Amount of expenditure incurred	745.11
(iii)	Shortfall at the end of the year,	509.92
(iv)	Total of previous years shortfall	No shortfall
(v)	Reason of shortfall	Not Applicable
(vi)	Nature of CSR activities,	Education, Health Care, Rural Development etc.,
(vii)	Details of related party transactions,e.g.,contribution to a trust controlled by the company in relation to CSR expenditure as per relevant accounting standard	NIL
(viii)	Where a provision is made with respect to a liability incurred by entering into a contractual obligation, the movements in the provision during the year shall be shown separately	509.92

b) Amount spent during the year on :

(Rupees in lakhs)

S. No.	Particulars	Yet to be paid in Cash
(i)	Construction / acquisition of any asset	-
(ii)	on purposes other than (i) above	745.11
	Total	745.11

28. Exceptional Items

(Rupees in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2025	For the year ended Mar 31, 2024
Exceptional Items - Shore Protection Structure	-	-
Total	-	-

29. Earnings per Share

Particulars	For the year ended Mar 31, 2025	For the year ended Mar 31, 2024
Total Comprehensive Income for the Year	5,390,602,592.45	4,945,103,406.91
Weighted average number of shares - Basic	300000000	300000000
Weighted average number of shares - Diluted	300000000	300000000
Earnings per Share - Basic	17.98	16.52
Earnings per Share - Diluted	17.98	16.52

Note 30 : Disclosure Notes :**1. Commitments:****Capital Commitments:**

Estimated amount of contracts remaining to be executed on Capital Expenditure (net of advances) and not provided for Rs.56115.73 lakhs (Previous Year. Rs.8378.61 lakhs)

2. Payment to the Statutory Auditors

(Rupees in Lakhs)

Particulars	2024-25	2023-24
Audit Fees	7.00	6.00
Tax Audit Fees	1.00	1.00
Certification fees	2.60	1.60
Reimbursements: - Out of Pocket Expenses	0.70	0.60

3. Additional information pursuant to Schedule III of the Companies Act, 2013

(Rupees in Lakhs)

Sl.	Particulars	2024-25	2023-24
A	Expenditure in Foreign currency on:		
	i. Professional and consultancy fee	-	-
	ii. Tours and Travels	5.70	0.63
	iii. Interest on FCL including Hedging	-	-
	iv. Others	-	-
B	Earnings in Foreign Exchange	-	-

4. Information in respect of Micro, Small and Medium Enterprises as at 31st March 2025:

(Rupees in Lakhs)

Sl.	Particulars	2024-25	2023-24
1	Amount remaining unpaid to any supplier: a) Principal Amount b) Interest due thereon	638.48 -	1605.69 -
2	Amount of interest paid in terms of section 16 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, along with the amount paid to the supplier beyond the appointed day;	Nil	Nil
3	Amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006;	Nil	Nil
4	Amount of interest accrued and remaining unpaid	Nil	Nil
5	Amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.	Nil	Nil

Classification of Vendors into Micro, Small and Medium Enterprises have been made to the extent information is available with the Company

Disclosure requirements of Indian Accounting Standards

5. Disclosures in respect of Ind AS 107 - Financial Instruments

5.1 Financial Instruments by Categories

The carrying value and fair value of financial instruments by categories were as follows:

(Rupees in Lakhs as of March 31, 2025)

Particulars	Amortized cost	At Cost	Financial assets / liabilities at fair value through profit or loss	Financial assets/ liabilities at fair value through OCI	Total carrying value	Total fair value
Assets:						
Non-current investment (Ref Note No.7)	-	2.00	4121.00	54.43	4177.43	4177.43
Cash & Cash Equivalents (Ref Note No.13A)	15047.35	-	-	-	15047.35	15047.35
Bank balances other than Cash and Cash equivalents (Refer Note No. 13B)	13000.00	-	-	-	13000.00	13000.00
Trade Receivable (Ref Note No. 12)	9352.57	-	-	-	9352.57	9352.57
Loans and Advances (Ref Note No. 8)	661.92	-	-	-	661.92	661.92
Other Financial Assets (Ref Note No. 9)	3643.85	-	-	-	3643.85	3643.85
Liabilities:						
Term loan from Chennai Port Trust (Ref Note No. 16)	13602.50	-	-	-	13602.50	13602.50
Tax Free bonds (Ref Note No. 16)	29689.61	-	-	-	29689.61	29689.61
Loan from HDFC Bank (Ref Note No.16)	1500.00	-	-	-	1500.00	1500.00
Trade Payables -Outstanding dues to Micro & Small Enterprises (Ref Note No. 20)	638.48	-	-	-	638.48	638.48
Trade Payables -Outstanding dues to Creditors other than Micro & Small Enterprises (Ref Note No. 20)	5091.84	-	-	-	5091.84	5091.84
Other Financial Liabilities (Ref Note No.17)	1410.04	-	-	-	1410.04	1410.04

(Rupees in Lakhs as of March 31, 2024)

Particulars	Amortized cost	At Cost	Financial assets / liabilities at fair value through profit or loss	Financial assets/ liabilities at fair value through OCI	Total carrying value	Total fair value
Assets:						
Non-current Investment (Ref Note No.7)	-	2.00	4121.00	67.31	4190.31	4190.31
Cash & Cash Equivalents (Ref Note No.13A)	4080.19	-	-	-	4080.19	4080.19
Bank balances other than Cash and Cash equivalents (Refer Note No. 13B)	8000.00	-	-	-	8000.00	8000.00
Trade Receivable (Ref Note No. 12)	7537.95	-	-	-	7537.95	7537.95
Loans and Advances (Ref Note No. 8)	419.77	-	-	-	419.77	419.77
Other Financial Assets (Ref Note No. 9)	704.45	-	-	-	704.45	704.45
Liabilities:						
Term loan from Chennai Port Trust (Ref Note No. 16)	15903.75	-	-	-	15903.75	15903.75
Tax Free bonds (Ref Note No. 16)	29680.69	-	-	-	29680.69	29680.69
Loan from HDFC Bank (Ref Note No.16)	2500.00	-	-	-	2500.00	2500.00
Trade Payables -Outstanding dues to Micro & Small Enterprises (Ref Note No. 20)	1605.69	-	-	-	1605.69	1605.69
Trade Payables-Outstanding dues to Creditors other than Micro & Small Enterprises (Ref Note No. 20)	6536.62	-	-	-	6536.62	6536.62
Other Financial Liabilities (Ref Note No.17)	1002.24	-	-	-	1002.24	1002.24

5.2. Fair Value Hierarchy

- **Level 1** - Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
- **Level 2** - Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices).
- **Level 3** - Inputs for the assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs).

The following tables presents fair value hierarchy of assets and liabilities measured at fair value:

(Rupees in Lakhs)

Particulars	For the year 31.03.2025				For the year 31.03.2024			
	Level 1	Level 2	Level 3	Total	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Financial Assets								
Investments in unquoted equity instruments	-	-	4123.00	4,123.00	-	-	4123.00	4,123.00
Investments in quoted equity instruments	54.43	-	-	54.43	67.31	-	-	67.31

5.3 Financial risk management

Financial risk factors

The Company's activities are exposed to limited financial risks: market risk, credit risk and liquidity risk. The Company's primary focus is to foresee the unpredictability of financial markets and seek to minimize potential adverse effects on its financial performance.

a) Market risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flow of financial instruments will fluctuate because of changes in market price.

The Company has interest rate risk as the Market risk. The Company does not have price risk on its financial instruments since Company does not have any derivative financial asset.

Interest Rate Risk:

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The exposure to the risk of changes in market interest rates relates primarily to the long-term debt obligations with floating interest rates.

The company has interest rate risk on the loans obtained from Chennai Port Trust as the annual interest rate reset is pegged to the movement in MCLR rate of State Bank of India.

The company has availed Term loan from HDFC bank as the annual interest rate reset is pegged to the movement in 91 days T Bills.

As at the reporting date, the interest rate profile of the company's interest-bearing financial instruments are as follows:

(Rupees in Lakhs)

Particulars	31 st Mar 2025	31 st Mar 2024
Financial Asset		
- Fixed Deposit with Bank	23100.00	10000.00
- Employee Advance	643.33	365.73
Financial Liabilities		
- Tax Free Bonds	29689.61	29680.69
Variable Rate Instruments		
- Loan from Chennai Port Trust	13602.50	15903.75
- Foreign Currency Loan	-	-
-HDFC Bank	1500.00	2500.00

b) Credit Risk

Credit risk refers to the risk of default on its obligation by the counterparty resulting in a financial loss. Since the company generally stipulates pre-payment with respect to its income for major port services, there is normally no credit offered to anyone. In such cases there is no credit default risk. However, where the company is rendering certain ancillary / support services the invoices are raised, as and when the services are rendered and in cases of disagreement on user charges, licence fee etc. on settlement of disputes and in these cases, there could be an element of credit default risk.

Trade Receivables

The company has outstanding trade receivables amounting to Rs.9352.57 lakhs and Rs.7537.95 lakhs as of March 31, 2025 and March 31, 2024 respectively. Trade receivables are typically unsecured and are derived from revenue accrual from customers. Since most of the port services are rendered on pre-recovery basis by collecting in advance, Trade receivable constitutes the unpaid Revenue dues mostly towards Estate rentals and allied services. Provision for disputed debts are reviewed at each balance sheet date and provided for on a case-to-case basis

The Company filed its claim of Rs.65.29 cr in Form C on 24.07.2023 before the liquidator of SIOTL in the capacity of an operational creditor. The said claim was rejected partially by the liquidator vide e-mail dated 03.08.2023 and the same was appealed before NCLT. Out of claim of Rs.65.29 cr before Liquidator, an amount of Rs.9.37 cr towards Arrears on Licence fee, Rs.14.97cr towards Interest on delayed payments and Rs.2.05 cr towards Others etc., were not recognised in the books of accounts as per accounting policy.

Credit risk exposure

An age-wise analysis of trade receivables at each reporting date is summarized below:

(Amount in Lakhs as of 31st March 2025)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
	Less than 6 months	6 months -1 year	1-2 Years	2-3 years	More than 3 years	
(i) Undisputed Trade receivables - considered good	6003.73	87.28	4.11	0.33	32.53	6127.99
(ii) Undisputed Trade Receivables which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-
(iii) Undisputed Trade Receivables - credit impaired	-	-	-	-	3891.22	3891.22
(iv) Disputed Trade Receivables - considered good	68.90	220.98	359.45	149.75	2425.50	3224.58
(v) Disputed Trade Receivables - which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-
(vi) Disputed Trade Receivables - credit impaired	-	-	-	-	-	-

(Amount in Lakhs as of 31st March 2024)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
	Less than 6 months	6 months -1 year	1-2 Years	2-3 years	More than 3 years	
(i) Undisputed Trade receivables - considered good	4516.10	19.90	30.73	3.24	33.27	4603.24
(ii) Undisputed Trade Receivables which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-
(iii) Undisputed Trade Receivables - credit impaired	-	-	-	915.55	2975.67	3891.22
(iv) Disputed Trade Receivables — considered good	274.56	84.89	149.75	638.38	1787.12	2934.70
(v) Disputed Trade Receivables - which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-
(vi) Disputed Trade Receivables - credit impaired	-	-	-	-	-	-

Provision for impairment of trade receivables on a case-to-case basis is made in the year when recoverability is assessed as doubtful based on the recovery analysis performed by the company or is based on the likely outcome of disputes over the interpretation of certain clauses in the concessionaire agreements. The company considers all other financial assets which are not impaired and past due for each reporting date under review are of good credit quality.

Other financial assets

Credit risk relating to cash and cash equivalents is considered negligible because our counterparties are banks. We consider the credit quality of term deposits with banks which are subjected to the regulatory oversight of the Reserve Bank of India to be good, and we review these banking relationships on an ongoing basis. Credit risk related to employee loans are considered negligible since loans are secured either as mortgage of the title deed of the property or by way of hypothecation of the vehicle for which these loans have been granted to the employees. Besides, the company has appropriation right over the terminal benefits due to the employees. Therefore, there is no requirement for impairment provision for these financial assets. We consider all the above financial assets as at the reporting dates to be of good credit quality.

c) Liquidity Risk

Our liquidity needs are monitored on the basis of monthly and yearly projections. The company's principal sources of liquidity are cash and cash equivalents, cash generated from operations,

We manage our liquidity needs by continuously monitoring cash inflows and by maintaining

adequate cash and cash equivalents. Net cash requirements are compared to available cash in order to determine any shortfalls.

The short-term liquidity requirement consists mainly of resources required to settle trade payables, expenses payable, employee dues, repayment of current maturities of loans, etc., arising during the normal course of business as of each reporting date. We maintain sufficient balance in cash and cash equivalents to meet our short term liquidity requirements.

We assess long-term liquidity requirements on a periodical basis and manage them through internal accruals. Our non-current liabilities include borrowings from Chennai Port trust, Tax Free Bonds, and Term loan from HDFC Bank, Retention money payable and Security deposits.

The table below provides details regarding the contractual maturities of non-derivative financial liabilities. The table has been drawn up based on the undiscounted cash flows of financial liabilities based on the earliest date on which the company can be required to pay. The table includes both principal & interest cash flows.

(Amount in Lakhs as of March 31, 2025)

Particulars	Less than 6 months	6 months to 1 year	1-3 years	3-5 years	More than 5 years	Total
Chennai Port Authority Loan	1150.62	1150.62	4602.48	4602.48	2096.30	13602.50
Loan from HDFC Bank	500.00	500.00	500.00	-	-	1500.00
Tax Free Bonds	-	-	1171.56	19166.30	9351.75	29689.61
Retention money	169.69	-	-	-	-	169.69
Security Deposits	-	410.05	-	-	671.47	1081.52
Other Liabilities	-	158.84	-	-	-	158.84
Total	1820.31	2219.51	6274.04	23768.78	12119.52	46202.16

(Amount in Lakhs as of March 31, 2024)

Particulars	Less than 6 months	6 months to 1 year	1-3 years	3-5 years	More than 5 years	Total
Chennai Port Authority Loan	1150.62	1150.62	4602.48	4602.48	4397.55	15903.75
Loan from HDFC Bank	500.00	500.00	1500.00	-	-	2500.00
Tax Free Bonds	-	-	-	20332.32	9348.37	29680.69
Retention money	156.10	-	-	-	-	156.10
Security Deposits	-	148.11	-	-	570.69	718.80
Other Liabilities	-	127.35	-	-	-	127.35
Total	1806.72	1926.08	6102.48	24934.80	14316.61	49086.69

Trade Payables ageing schedule for the FY 24-25

(Amount in Lakhs)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment				Total
	Less than 1 Year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) MSME	638.48	-	-	-	638.48
(ii) Others	4479.47	197.76	104.74	309.87	5091.84
(iii) Disputed dues – MSME	-	-	-	-	-
(iv) Disputed dues – Others	-	-	-	-	-

Trade Payables ageing schedule for the FY 23-24

(Amount in Lakhs)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment				Total
	Less than 1 Year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) MSME	1605.69	-	-	-	1605.69
(ii) Others	6121.30	104.81	141.82	168.69	6536.62
(iii) Disputed dues – MSME	-	-	-	-	-
(iv) Disputed dues – Others	-	-	-	-	-

6. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS)-21 “The Effects of changes in Foreign Exchange Rates”

The amount of exchange differences (net) debited to the Statement of Profit & Loss is **NIL** (Previous year - NIL) under Other Expenses.

7. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS)-36 “Impairment of assets”

During the year, the company has reviewed its Fixed Assets for impairment of assets as per Ind AS-36 and has observed no impairment of assets in the current Financial Year **Nil** (Previous year – NIL).

8. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS)-20 “Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance”

(Rupees in Lakhs)

Grant received for	2024-25	2023-24
Government Grants	-	-
Total Grants Received	-	-

9. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS)-19 “Employee Benefits”

A. General description of various employee’s benefit schemes are as under:

a) Provident Fund:

The Company’s Provident Fund is deposited with Regional Provident Fund Commissioner. The Company pays fixed contribution to provident fund at pre-determined rate.

b) Gratuity:

The company has a defined benefit gratuity plan. Every employee who has rendered continuous service of five years or more is entitled to get gratuity @ 15 days salary (15/26 x last drawn basic pay plus dearness allowance) for each completed year of service on superannuation, resignation, termination, and disablement or on death. A trust has been formed for this purpose. This scheme is being managed by the Life Insurance Corporation of India (LIC) for which the company has taken a Master Policy.

The scheme is funded by the company and the contributions are paid to the insurer, i.e., the Life Insurance Corporation of India as per the demand made by them. The recognition of net obligation for the defined benefit plan and the disclosure of information as required under Ind AS-19 is made in accordance with the actuarial valuation report.

c) Superannuation Scheme:

The Company has implemented a non-contributory Employee's Group Superannuation Pension Scheme which is also managed by LIC of India. Contributions @12% of Basic Pay plus dearness allowance of the enrolled employee is made to the Corporation.

The contribution to the scheme for the period is grouped under Employee Cost on accrual basis. In respect of employees on deputation, pension contribution is calculated as per lending organization/Govt. of India Rules and is accounted for on accrual basis.

d) Leave:

The company provides for Earned Leave benefits and Half-Pay Leave to the employees of the company, which accrue annually at 30 days & 20 days respectively. The Earned Leave is encashable once in a calendar year while in service for a period of maximum 30 days as per eligibility and on Superannuation, the maximum limited to 300 days.

The liability on Earned leave is recognized on the basis of actuarial valuation.

B. b. The summarized position of various defined benefits recognized in the Statement of Profit & Loss, Other Comprehensive Income (OCI) and Balance Sheet & other disclosures are as under:

(Amount in Lakhs)

Particulars		Gratuity (Funded)	Leave Encashment (Funded)
Defined Benefit Obligation	C.Y.	594.04	522.12
	P.Y.	502.47	454.15
Fair Value of Plan Assets	C.Y.	570.13	441.32
	P.Y.	507.71	392.65
Funded Status [Surplus/(Deficit)]	C.Y.	23.91	80.80
	P.Y.	(5.24)	61.50

Particulars		Gratuity (Funded)	Leave Encashment (Funded)
Effect of asset ceiling	C.Y.	-	-
	P.Y.	-	-
Net Defined Benefit Assets/(Liabilities)	C.Y.	23.91	80.80
	P.Y.	(5.24)	61.50

Movement in defined benefit obligation

(Amount in Lakhs)

Particulars		Gratuity (Funded)	Leave Encashment (Funded)
Defined benefit obligation - Beginning of the year	C.Y.	502.47	454.15
	P.Y.	440.56	389.82
Current service cost	C.Y.	33.62	31.49
	P.Y.	32.11	39.26
Interest Cost	C.Y.	35.96	32.55
	P.Y.	30.87	23.36
Benefits Paid	C.Y.	(7.39)	(5.47)
	P.Y.	(58.99)	(157.37)
Re-measurements - actuarial loss/(gain)	C.Y.	29.38	9.41
	P.Y.	57.93	159.08
Defined benefit obligation - End of the year	C.Y.	594.04	522.12
	P.Y.	502.48	454.15

Movement in plan asset

(Rupees in Lakhs)

Particulars		Gratuity (Funded)	Leave Encashment (Funded)
Fair value of plan assets at beginning of year	C.Y.	507.72	392.65
	P.Y.	491.79	414.57
Interest income	C.Y.	37.45	28.97
	P.Y.	36.19	29.27
Employer contributions	C.Y.	30.84	23.89
	P.Y.	39.07	107.81
Benefits paid	C.Y.	(7.39)	(5.47)
	P.Y.	(58.99)	(157.37)
Re-measurements - Return on plan assets	C.Y.	1.52	1.27
	P.Y.	(0.33)	(1.62)
Fair value of plan assets at end of year	C.Y.	570.13	441.32
	P.Y.	507.72	392.65

Amount Recognized in Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income

(Amount in Lakhs)

Particulars		Gratuity (Funded)	Leave (Funded)
Current service cost	C.Y.	33.62	31.49
	P.Y.	32.11	39.26
Past Service Cost – Plan Amendment	C.Y.	-	-
	P.Y.	-	-
Curtailment cost/(credit)	C.Y.	-	-
	P.Y.	-	-
Settlement cost/(credit)	C.Y.	-	-
	P.Y.	-	-
Service Cost (A)	C.Y.	33.62	31.49
	P.Y.	32.11	39.26
Net Interest on Net Defined Benefit Liability/ (assets) (B)	C.Y.	(1.49)	3.57
	P.Y.	(5.31)	(5.91)
Cost Recognized in P&L (A+B)	C.Y.	32.13	43.19
	P.Y.	26.79	194.06
Total Remeasurement in OCI	C.Y.	27.86	-
	P.Y.	58.26	-

Sensitivity Analysis

(Amount in Lakhs as of March 31, 2025)

Assumption	Change in Assumption	Gratuity (Funded)	Leave (Funded)
Salary growth rate	1.00%	631.27	548.18
	-1.00%	557.58	497.77
Attrition rate	1.00%	603.09	523.76
	-1.00%	583.91	520.36
Attrition rate	1.00%	547.89	501.09
	-1.00%	646.60	545.02
Mortality rate	10.00%	594.47	522.20
	-10.00%	593.61	522.04

(Amount in Lakhs as of March 31, 2024)

Assumption	Change in Assumption	Gratuity (Funded)	Leave (Funded)
Salary growth rate	1.00%	536.89	477.44
	-1.00%	466.37	432.42
Attrition rate	1.00%	511.3	456.01
	-1.00%	492.62	452.15
Attrition rate	1.00%	461.59	435.41
	-1.00%	549.18	474.58

Mortality rate	10.00%	502.87	454.23
	-10.00%	502.07	454.07

Actuarial Assumption

Particulars		Gratuity (Funded)	Leave (Funded)
Method used	C.Y.	PUC	PUC
	P.Y.	PUC	PUC
Discount rate	C.Y.	6.79%	6.79%
	P.Y.	7.21%	7.21%
Rate of salary increase	C.Y.	5%	5%
	P.Y.	5%	5%
Rate of return of plan Asset	C.Y.	-	-
	P.Y.	-	-
Withdrawal Rate	C.Y.	1% to 3%	1% to 3%
	P.Y.	1% to 3%	1% to 3%
Retirement Age	C.Y.	60 Years	60 Years
	P.Y.	60 Years	60 Years
Average Future Service	C.Y.	13.02	13.02
	P.Y.	13.85	13.85
Mortality rate	C.Y.	IALM (2012-14) Table	IALM (2012-14) Table
	P.Y.	IALM (2006-08) Table	IALM (2006-08) Table
Disability Rate	C.Y.	No explicit loading	No explicit loading
	P.Y.		No explicit loading
Leave Encashment Rate during employment	C.Y.	-	10.00%
	P.Y.	-	10.00%
Leave Availment Rate	C.Y.	-	2.00%
	P.Y.	-	2.00%

Category of investment in Plan assets

Category of Investment	% of fair value of plan assets
Insurance Policies	100%

10. Disclosure in respect of Indian Accounting standard (Ind AS)-108: "Operating Segments"

The company primarily operates in one segment – Port Services and there is no reportable Geographical segment either.

The Company derives revenues from the following customers which accounts for 10% or more of

Company's revenues. In respect of the other customers, their individual share is less than 10% of the company's revenues

(Amount in Lakhs)

Customer	For the year ended 31 March 2025	For the year ended 31 March 2024
TNPGCL (erstwhile TANGEDCO)	16775.40	19508.14
NTECL (JV of TNPGCL & NTPCL)	17414.29	13795.11
Ennore Coal Terminal Private Limited	20613.90	18945.53
Adani Ennore Container Terminal Pvt Ltd	13076.85	12311.06

11. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard 23 "Borrowing Costs"

Borrowing costs capitalised during the year is NIL (Previous Year Rs.131.23 lakhs) in the respective carrying amount of Property, Plant and Equipment / Capital works in Progress (CWIP).

12. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard 24 "Related Parties Disclosures"

a. List of Related parties:

Key Managerial Persons:

Name	Designation
Shri Sunil Paliwal, IAS.,	Chairman
Smt. J.D. Irene Cynthia, IAS.,	Managing Director
Shri. S.Viswanathan, IAS.,	Nominee Director
Shri.V.M.V.SubbaRao, FCA,DISA(ICAI)	Independent Director (up to 05.11.2024)
Shri R.M Narayanan, FCA,CPA,PGDM	Independent Director (from 13.11.2024)
Capt. Anoop Kumar Sharma	Independent Director
Smt. Sarla Balagopal, IRTS (Retd.)	Independent Director
Smt. Kavita Satvi	Chief Financial Officer
Smt. Jayalakshmi Srinivasan	Company Secretary & Compliance Officer (up to 30.04.2025)

Compensation of key management personnel

(Amount in Lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2025	For the year ended March 31, 2024
Remuneration and Short-term benefit	117.24	103.70
Post-employment benefits	12.56	9.26
Other long-term benefits	-	-
Share based payments	-	-
Sitting fee	24.40	15.40
Total	154.20	128.36
Recovery of Loans & Advances during the year	-	-
Advances released during the year	-	-
Closing Balance of Loans & Advances	-	-

b. Other Entities:

- M/s.Kanniyakumari Port Limited

C. Chennai Port trust

Transaction with Related Parties:

(Amount in Lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2025	For the year ended March 31, 2024
Interest Paid	1553.20	1782.42
Loan Repaid	2301.25	2301.25
Lease Rent Expenses	52.60	50.36
Project Management Services	144.91	43.43
Interim & Final Dividend	39000.00	24000.00
Manpower	609.86	472.93
Others	161.78	129.72
Closing Balance of Term Loan	13602.50	15903.75
Lease Rent – Deposit	259.66	259.66

13. Disclosure in respect of Indian Accounting standard (Ind AS) 116 "Leases"

a. Operating lease

i) As a Lessee

- Future minimum lease payments under non-cancellable operating leases excluding upfront fee payments

(Amount in Lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2025	For the year ended March 31, 2024
Not later than 1 year	-	-
Later than 1 year and not later than 5 years	-	-
Later than 5 years	-	-

(Amount in Lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2025	For the year ended March 31, 2024
Minimum lease payments	-	-

Leasing arrangement:

The company has leased office premises for 30 years from Chennai Port Trust on upfront premium lease payments.

ii. As a lessor

- Future minimum lease receivables under non-cancellable operating lease

(Amount in Lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2025	For the year ended March 31, 2024
Not later than 1 year	3749.896	3571.33
Later than 1 year and not later than 5 years	21756.57	20720.54
Later than 5 years	70420.47	75206.40

- Leasing arrangement:

As per the business model adopted by the Company, the development, operation, marketing and maintenance of cargo terminals are left with the Captive / PPP BOT operators on 30 years Licence/

Concession Agreement. The company leased out waterfront and land area for development of Berths through BOT operators / Captive users as per the Licence / Concession Agreement.

14. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS)-33 "Earnings Per Share (EPS)"

a) Basic EPS

The earnings and weighted average number of ordinary shares used in the calculation of basic EPS is as follows:

(Rupees in Lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2025	For the year ended March 31, 2024
Profit (loss) for the year, attributable to the owners of the company	53932.53	49568.03
Earnings used in calculation of basic earnings per share(A)	53932.53	49568.03
Weighted average number of ordinary shares for the purpose of basic earnings per share(B)	300000000	300000000
Basic EPS(A/B) – Rs.	17.98	16.52

b) Diluted EPS

The earnings and weighted average number of ordinary shares used in the calculation of Diluted EPS is as follows:

(Rupees in Lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2025	For the year ended March 31, 2024
Profit (loss) for the year, attributable to the owners of the company	53932.53	49568.03
Earnings used in calculation of basic earnings per share (A)	53932.53	49568.03
Weighted average number of ordinary shares for the purpose of basic earnings per share(B)	300000000	300000000
Basic EPS(A/B) – Rs.	17.98	16.52

15. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS)-37 “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets”

Contingent Liabilities

(i) Disputed Tax demand:

Disputed tax matters amounting to Rs.6542.40 lakhs (Previous year Rs.2647.08 lakhs) are being contested before Appellate authorities.

(ii) Contract / supply works:

Some of the contractors for construction /supply and execution of works at our projects have made claims on the company aggregating to Rs.3873.34 lakhs (Previous Year: Rs.4116.44 lakhs) seeking enhancement of the contract price, revision of work schedule with price escalation, compensation for extended period of work, idle charges etc. These claims are being contested by the company as being not admissible in terms of the provision of the respective contracts. The company is pursuing various options under the dispute resolution mechanism available in the contract for settlement of these claims.

(iii) (a) Revenue Contracts with PPP Concessionaires – M/s.AECTPL:

KPL entered into a Concession Agreement with M/s. Adani Ennore Container Terminal Private Limited under PPP DBFOT mode on 15.03.2014 for the Development of Container Terminal for 30 years.

The commercial operation commenced during October 2017 for Phase I and Phase II of the project is under construction. The concessionaire had raised certain disputes and invoked Arbitration clause and issued the Arbitration notice to the Company. Post constitution of Arbitration Tribunal on 1st August 2020, claims and counter claims were filed before the Arbitration Tribunal by both the Concessionaire and the Company.

The nature of disputes and claims by the Concessionaire were on account of the following:

- (a) Delay in Phase-I of the project is attributable to KPL
- (b) Delay in Phase-II of the project is attributable to KPL and therefore milestones to be revised by KPL.
- (c) L.D. in Phase I & Phase II are unenforceable and to be refunded by KPL.
- (d) Issuance of consultation notice by KPL and resumption of the same are unlawful.
- (e) Invocation of change in law claiming Rs.1405 Cr and extension and modification of Concession Agreement.

- (f) Declaring Actual Project Cost, Estimated Project Cost and financial documents as valid & enforceable and to take on record the same by KPL.
- (g) Refund of lease rentals & royalty paid by AECTPL
- (h) Claim for interest.

The Company has denied the claims by the concessionaire in its entirety and has preferred a counterclaim amounting to Rs.16781 lakhs.

The Arbitration Tribunal passed an award dated 28.05.2024 wherein the award consisted of a Majority Award and a Dissenting Award. The Majority Award has allowed all claims of the Claimant (M/s AECTPL) and disallowed all the Counter Claims filed by the Company (KPL). While the dissenting award has rejected all the claims of M/s. AECTPL and allowed all counter claims of KPL. Now, the Company has preferred statutory appeal under Section 34 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 challenging the Majority Award and same is pending adjudication before the Single Bench of the Hon'ble Madras High Court as the Majority Award is patently illegal and perverse under the law.

(b) Revenue Contracts with PPP Concessionaires – M/s. SIOTL:

Kamarajar Port Limited (Company) entered into a License Agreement with M/s. SICAL Iron Ore terminal Agreement (SIOTL) on 11.7.2016 for “Modification of existing Iron Ore Terminal to also handle Coal” under PPP - DBFOT basis. with a capacity of 12 MTPA. The agreement was set for a 27-year tenure, with an estimated project cost of Rs. 229 crore and a revenue-sharing model of 52.524%. The project had a planned implementation period of 12 months.

Till June 2021, 71.62% of physical work was completed. SIOTL's lenders Yes Bank and UCO Bank has declared financial defaults in December 2020, destabilizing project financing and prompting Company to terminate the agreement. Following termination, asset transfer and compensation calculations faced delays due to incomplete documentation from SIOTL and subsequent legal disputes.

Meanwhile, M/s. Yes Bank Limited vide an Assignment Deed 16.12.2022, assigned its debt with respect to the Project under the License Agreement between KPL and M/S SIOTL, to M/S JC Flowers ARC. The above assignment was done by M/S Yes Bank Limited under SARFAESI Act 2002 without any intimation to / approval of KPL.

SIOTL entered the Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) in 2022, which later transitioned to liquidation under an NCLT order issued in June 2023. As a result:

- Project Assets remain partially under the Liquidator's control, with the berth still within Company premises in an "as-is" condition. No commercial utilization has taken place.
- Compensation remains pending due to ongoing legal disputes.
- Company has filed operational claims amounting to Rs. 65.29 crore against SIOTL, with partial admission by the Liquidator and subsequent appeal pending before NCLT.
- A Writ Appeal filed by liquidator to pay compensation as per License Agreement is pending before the High Court of Madras. Company plans to pursue fresh valuation of project assets to facilitate compensation and asset takeover.

(c) National Green Tribunal (NGT) :

The Original Applications were filed before the Hon'ble National Green Tribunal raising issues relating illegal discharge of fly ash by the NCTPS and the purported dumping of dredged soil by the KPL in Buckingham Canal and Kosasthalaiyar River and the encroachment of the Kosasthalaiyar River and dumping of dredged soil by the KPL and NCTPS which affected the livelihood of the fishing communities. The Hon'ble NGT passed its order on

20.01.2020 directing the Company to deposit an amount of Rs.8.34 crores as interim environmental compensation for the purpose of remediation based on the Report of the Committee appointed by NGT. Aggrieved by the NGT order, Company filed a Review Application before the Hon'ble NGT. On 06.11.2020, review order was passed whereby the previous order dated 20.01.2020 was modified to the limited extent that the Company was directed to deposit a sum of Rs. 4 crores as interim compensation. On 26.12.2020, Civil Appeal was filed by the Company before the Hon'ble Supreme Court of India challenging the review order. On 05.01.2021, the Hon'ble Supreme Court has stayed the NGT orders and ordered Notice to the Respondents. The matter is pending before the Supreme Court for final hearing.

Summary of Contingent Liabilities:

(Amount in Lakhs)

Particulars	2024-25	2023-24
Disputed Tax Demand but not acknowledged as debt	6542.40	2647.08
Claims against the company not acknowledged as debt		
- NGT	400.00	400.00
- Contract / supply works	3873.34	4116.44
Total (a+b)	10815.74	7163.52
Claims against Revenue contract with PPP Concessionaires	161533.31	162968.63

16. Expected Credit Loss ('ECL')

The impairment provisions are based on an evaluation of the risk of default over the expected life of the receivables and expected timing of collection. The Company uses judgement in making these assumptions and selecting the inputs to the impairment calculation, based on the Company's past history of collections, customer's credit worthiness, existing market conditions as well as forward looking estimates at the end of each reporting period.

17. CWIP Ageing Schedule

(Amount in Lakhs as of March 31, 2025)

Particulars	Less than 1Year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
Projects in Progress	7589.67	5430.07	1079.44	3606.09	17705.28
Projects temporarily suspended	-	-	-	741.58	741.58
Total	7589.67	5430.07	1079.44	4347.67	18446.86

(Amount in Lakhs as of March 31, 2024)

Particulars	Less than 1Year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
Projects in Progress	5881.01	102.44	19503.22	1210.60	26697.27
Projects temporarily suspended	-	-	-	741.58	741.58
Total	5881.01	102.44	19503.22	1952.18	27438.85

18. Confirmation of balances:

Trade Receivables/Payables, Term Loans and Advances, GST input credit/GST and Deposits are subject to confirmation and reconciliation.

19. Capital Management:

The Company's capital comprises equity share capital, retained earnings and other equity attributable to equity holders. The primary objective of Company's capital management is to maximize shareholders value. The Company manages its capital and makes adjustment to it in the light of the changes in economic and market conditions.

The Company monitors capital using gearing ratio, which is net debt divided by total capital plus net debt. Net debt comprises of long term and short-term borrowings less cash and bank balances. Equity includes equity share capital and reserves

that are managed as capital. The gearing at the end of the reporting period was as follows:

(Rupees in Lakhs)

Particulars	As at 31st March, 2025	As at 31st March, 2024
Total Debt	44792.11	48084.44
Less : Cash and cash equivalent	15047.35	4080.19
Net Debt	29744.76	44004.25
Total Equity	305995.01	291088.98
Net debt to equity ratio	9.72%	15.12%

20. Information of Dividends paid for the year ended 31st March, 2025

During the year, the Company paid a Final Dividend of @ 100% of Equity Share capital i.e. Rs.10/- per equity share amounting to Rs.300 Crore for the Financial year 2023-24. The Company also paid an Interim Dividend for the Financial Year 2024-25 @ 30% of Equity Share capital i.e. Rs.3/- per equity amounting to Rs.90 crore.

21. Additional Regulatory Information

a. Analytical Ratios

(Amount in Lakhs as of March 31, 2025)

Ratio	Numerator	Denominator	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024	Variance %
Current Ratio	Current Assets	Current Liabilities	1.91	0.79	141.77%
Debt – Equity Ratio	Total Debts	Shareholders' equity	0.15	0.17	(11.76%)
Debt Service Coverage Ratio	Earnings for Debt Service (Profit after tax+ Depreciation+ finance cost+ Profit on sale of property, plant and equipment)	Debt Service (Interest + Principal repayments)	8.74	7.26	20.39%
Return on Equity (ROE)	Net Profit	Shareholders' equity	18.07%	17.81%	1.46%
Trade receivables turnover ratio (in times)	Income from Operations	Trade Receivables	13.48	15.84	(14.90%)
Net profit ratio	Net Profit	Income from Operations	46.5%	45.84%	1.44%
Return on capital employed (ROCE)	Earnings before interest, exceptional items and taxes	Net worth + debt	28.46%	28.13%	1.17%

All applicable ratios have been disclosed.

* Reason for variation:

Current ratio: increased primarily on account of increase in Cash and cash equivalents, Trade receivables and other financial assets.

22. M/s. Kanniyakumari Port Limited

The Company has made an equity investment of Rs.2 lakhs, being 40% of the paid-up capital of Kanniyakumari Port Limited (KKPL) along with VOC – TPT (40%) & Chennai Port Authority (20%). KKPL is in the process of carrying out pre-project activities. Although, Kamarajar Port Limited (KPL) is an associate, as per Section 2 (6) of the Companies

Act, the Company does not have control over KKPL Management and hence, its financial statements are not required to be consolidated as per Ind As -110 – Consolidated Financial Statements.

23. Previous year's figures have been regrouped wherever necessary.

24. Approval of financial statements

For KAMARAJAR PORT LIMITED**Sd/-****SUNIL PALIWAL, I.A.S.,**Chairman cum Managing Director
DIN : 01310101**Sd/-****J P IRENE CYNTHIA I.A.S.**Managing Director
DIN : 08839241**For M/s Jasminder Singh & Associates**Chartered Accountants,
FRN . 016192N**Sd/-****C.S. VEMANNA**

Chief Financial Officer (I/c)

Sd/-**CA. Jasminder Singh,**Partner,
M.No. 096895
UDIN: 25096893BMGYHC5619**Place :** Chennai**Date :** 26th May 2025

Form AOC-1

**[Pursuant to first proviso to sub-section (3) of section 129
read with rule 5 of Companies (Accounts Rules, 2014)]**

**Statement containing salient features of the financial statement of
Subsidiaries / associate companies/joint ventures**

Part "B": Associates and Joint Ventures

Statement pursuant to Section 129(3) of the Companies Act, 2013 related to Associate Companies and Joint Ventures

Sl.No.	Name of Associate/Joint Venture	Kanniyakumari Port Limited
1	Latest Audited Balance sheet date	31.03.2025
2	Date on which Associate or Joint Venture was associated or acquired	11.02.2019
3	Shares of Associate/Joint ventures held by the company on the year end	
A	Number	20,000 Shares
B	Amount of Investment in Associates/Joint Venture	Rs.2,00,000/-
C	Extent of Holding %	40%
4	Description of how there is significant influence	Insignificant influence
5	Reason why the associate/joint venture is not consolidated	The Associate is not considered material for consolidation.
6	Net worth attributable to Shareholding as per latest audited Balance Sheet	(10,81,767)
7	Profit/loss for the year	
A	Considered in Consolidation	Nil
B	Not Considered in Consolidation	(17,537)

Names of Associates which are yet to commence operations:

SL No.	CIN/any other registration number	Name of Associates and Joint Ventures which are yet to commence operations
1	U61100TN2019GOI127401	Kanniyakumari Port Limited

Number of associates or joint ventures which have been liquidated or have ceased to be associate or joint venture during the year – Nil

For KAMARAJAR PORT LIMITED

Sd/-
SUNIL PALIWAL, I.A.S.,
Chairman
DIN:01310101

Sd/-
J.P. IRENE CYNTHIA, I.A.S.,
Managing Director
DIN: 08839241

Sd/-
KAVITA SATVI
Chief Financial Officer

Sd/-
R. ROOPA
Company Secretary & Compliance Officer



कामराजर पोर्ट लिमिटेड

(चेन्नई पत्तन प्राधिकरण की एक कंपनी)
(पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय – भारत सरकार)
(सीआईएन : U45203TN1999PLC043322)



पच्चीसवां वार्षिक रिपोर्ट 2024-25



कामराजर पोर्ट लिमिटेड

(चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट कंपनी)

(पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय - भारत सरकार)

निदेशक मण्डल

श्री सुनील पालीवाल, अध्यक्ष
श्रीमती जे. पी. आईरीन सिन्थिया, प्रबंध निदेशक
श्री एस. विश्वनाथन, नामिती निदेशक – सीएचपीए
कैप्टन अनूप कुमार शर्मा, स्वतंत्र निदेशक
श्रीमति सरला बालगोपाल
श्री आर. एम. नारायणन, स्वतंत्र निदेशक (13.11.2024 से प्रभावी)
श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव, स्वतंत्र निदेशक (05.11.2024 तक)

डीआईएन

01310101
08839241
09634577
03531392
01572718
02853368
02435597

प्रमुख अधिकारी

महा प्रबंधक (एमएस)

श्री जी. एम. बालन

महा प्रबंधक (वित्त)

श्रीमती कविता सत्वी

महा प्रबंधक

श्री यतिन किशोरभाई पटेल

महा प्रबंधक (प्रचालन)

श्री के. तिरुमुरुगन (28.11.2024 से प्रभावी)

प्रमुख वित्त अधिकारी

श्री सी. एस. वेमनना

उप महाप्रबंधक (एमएस)

श्री सी. उमा शंकर

उप महाप्रबंधक (सिविल)

श्री ए. करुप्पैय्या

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

श्रीमती जयलक्ष्मी श्रीनिवासन (30.04.2025 तक)

श्रीमती आर. रूपा (07.07.2025 से प्रभावी)

पंजीकृत कार्यालय

2 तल (उत्तर खण्ड) एवं 3 तल

जवाहर बिल्डिंग, 17, राजाजी सालै

चेन्नई - 600 001.

दूरभाष : 044-25251666-70/ फैक्स : 044 – 25251665

रजिस्ट्रार एवं शेयर हस्तांतरण एजेन्ट

एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,

(पूर्व में लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड)

सी-101, 247 पार्क, एल.बी.एस. मार्ग,

विक्रोली (पश्चिम), मुंबई – 400 083.

फ़ोन: 022 – 49186000

डिपॉजिटरी

नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड

सेंट्रल डिपॉजिटरीज सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड

सांविधिक लेखा परीक्षक

मेसर्स जसमिंदर सिंह एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउंटेंट

आंतरिक लेखापरीक्षक

मेसर्स जोसफ एवं राजाराम,

सनदी लेखाकार

सचिवीय लेखापरीक्षक

मेसर्स एस. धनपाल & असोसियेट्स

कंपनी सचिव

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक

एक्सिस बैंक

एचडीएफसी बैंक

उद्देश्य व लक्ष्य

उद्देश्य

“भारतीय पूर्वीय मार्ग पोर्ट बनाने के लिए विश्वस्तरीय सुविधाओं के साथ कामराजर पोर्ट को एक मेगा पोर्ट के रूप में विकसित करना”

“अंतर्राष्ट्रीय मानकों की पोर्ट सेवाएं प्रदान करना”

लक्ष्य





कामराजर पोर्ट लिमिटेड

(चेन्नई पत्तन प्राधिकरण की कंपनी)

(पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय - भारत सरकार)

निदेशक बोर्ड (13.08.2025 की अवधि तक)



श्री सुनील पालीवाल, आईएएस
अध्यक्ष



श्रीमती जे.पी.आईरीन सिन्धिया, आईएएस
प्रबंध निदेशक



श्री एस. विश्वनाथन, आईएएस
नामिती निदेशक




कैप्टन अनूप कुमार शर्मा
स्वतंत्र निदेशक




श्रीमती सरला बालगोपाल,
आईआरटीएस (सेवानिवृत्त)
स्वतंत्र निदेशक



श्री आर. एम. नारायणन
स्वतंत्र निदेशक



प्रचालित आय एवं पिछले 5 वर्षों की अवधि में पीबीटी



पिछले 5 वर्षों में संभाले गए कार्गो



कामराजर पोर्ट लिमिटेड

वार्षिक प्रतिवेदन 2024-25

विषय सूची

क्रमांक	विषय-वस्तु	पृष्ठ संख्या
1.	अध्यक्ष का भाषण	8
2.	सूचना	11
3.	मंडल का प्रतिवेदन	15
4.	सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक प्रतिवेदन	37
5.	साचिविक संपरीक्षण प्रतिवेदन	42
6.	कंपनी प्रशासन पर प्रतिवेदन	48
7.	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	53
8.	स्वतंत्र संपरीक्षकों का प्रतिवेदन	56
9.	संपत्तियों व देयताओं का विवरण	66
10.	लाभ और हानि का विवरण	67
11.	नकदी प्रवाह विवरण	68
12.	वित्तीय विवरण के लिये नोट्स	70

अध्यक्ष का भाषण



प्रिय शेयरधारको,

मैं, कंपनी की इस 25वीं वार्षिक सामान्य सभा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मुझे, आपके साथ उन प्रगति एवं उपलब्धियों को साझा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-2025 में आपकी कंपनी की यात्रा को परिभाषित किया है।

सर्वप्रथम, मैं आप सभी को यह बताना चाहूँगा कि आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान अपना 25वाँ कॉर्पोरेट दिवस मनाया है। रजत जयंती समारोह के इस उपलक्ष्य में, आपके पोर्ट ने 10 मई 2024 को केपीएल का 25वें वर्ष का लोगो जारी किया। भारत सरकार के पतन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के माननीय मंत्री, श्री सर्बानंद सोनोवाल ने 7 दिसंबर 2024 को आपके पोर्ट के 9 से 27 बर्थ तक के विस्तार के साथ इसकी क्षमता 57.44 मीट्रिक टन को बढ़ाकर 254.52 मीट्रिक टन करने की परिकल्पना करते हुए मास्टर प्लान 2047 एवं केपीएल की 25 वर्षों की विरासत तथा उपलब्धियों पर प्रकाश डालने वाली कॉफी टेबल बुक जारी की।

भौतिक निष्पादन एवं उपलब्धियां

मैं आपको यह भी बताते हुए अत्यंत प्रसन्न हूँ कि आपकी कंपनी ने अपने 25वें वर्ष में 48.41 मिलियन टनों के कार्गो थ्रूपुट तथा आजतक अत्यधिक संख्या के 986 वेसलों को संभाला है।

प्रचलित मेयर्सक लाइन ने कामराजर पोर्ट में दिनांक 08.02.2025 को अदानी ऐननोर कंटेनर टर्मिनल में बर्थड अपने प्रथम वेसल एम. वी. मेयर्सक स्टाइलहॉर्न एमई2 सर्विस (सीधे यूरोप से कनेक्ट करनेवाले) नामक नया साप्ताहिक सर्विस प्रारंभ किया है।

पीसीए ऑटोमोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने कामराजर पोर्ट से दिनांक 11.04.2024 से प्रभावी सिट्रोयेन ईसी3 इलेक्ट्रिक कारों का निर्यात शुरु किया है। प्रथम लदान में सिट्रोयेन ईसी3 इलेक्ट्रिक कारों के 500 यूनिट इंडोनेशिया को निर्यात किया है।

निससान मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने दिनांक 29.06.2024 को सामान्य कार्गो बर्थ-2 से अपने 11वां लाख कार के निर्यात की उपलब्धि प्राप्त की है।

कॉनकॉर ने केपीएल के माध्यम से अफ्रीकी देशों को निर्यात करने के लिए दिनांक 28.11.2024 को जोलारपेट से केपीएल रेलवे साइडिंग (केपीसीए) तक मेसर्स टीवीएस मोटर कंपनी के सीधे पोर्ट इंटी (डीपीई) ऐक्सपोर्ट कंटेनरों के साथ “टीवीएस गो ग्रीन ऐक्सप्रेस” का उद्घाटन किया।

इस वर्ष की अन्य उपलब्धियां हैं :

➤ सामान्य उपयोगकर्ता कोल टर्मिनल ने पहली बार अपनी

कार्गो थ्रूपुट की 10.00 मिलियन टनों की क्षमता से अधिक 10.19 मिलियन टन संभाला है।

- मल्टी कार्गो टर्मिनल ने पहली बार अपनी कार्गो थ्रूपुट की 2.00 मिलियन टन क्षमता से अधिक 2.12 मिलियन टन संभाला है।
- एलएनजी टर्मिनल ने पहली बार मिलियन टन क्षमता कार्गो थ्रूपुट की 1.22 मिलियन टन क्षमता से अधिक 1.22 मिलियन टन संभाला है।
- बीवाईडी इंडिया एवं टोयोटा किलोस्कर ने सामान्य कार्बो बर्थ (जीसीबी) में 3,739 ऑटोमोबाइल यूनितों के आयात की अत्यधिक मात्रा को संभाला है।
- जीसीबी 1 & 2 से ऑटोमोबाइल/परियोजना कार्गो के निर्यात और आयात से प्राप्त होनेवाले कार्गो संबंधी प्रभारों से सबसे अधिक ₹.75.10 करोड़ का निवल राजस्व प्राप्त किया है।
- 3,111 गियर बॉक्स का निर्यात किया गया जो कि जीसीबी में अब तक का सबसे अधिक गियर बॉक्स निर्यात है।
- दिनांक 23.02.2025 को अदानी एन्नोर कंटेनर टर्मिनल में बर्थ किए गए वेसल एम.वी. कैप सैन सौनियो से 60 घंटे के बर्थ प्रवास के दौरान 8,231 टीईयू कंटेनरों का सर्वकालिक उच्च रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है।

वित्तीय निष्पादन

समीक्षाधीन 2024-25 वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने ₹.1062.22 करोड़ की तुलना में ₹.1138.42 करोड़ की आमदनी दर्ज किया है जो पूर्व वर्ष से 7.17% से अधिक वृद्धि दर्शाया है। तदनुसार, आपकी कंपनी ने ₹.766.59 करोड़ की तुलना में ₹. 837.54 करोड़ के उच्चतर कर से पहले लाभ दर्शाया है (9.26% की वृद्धि)।

लाभांश

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए ₹.90 करोड़ के समतुल्य 30% दर पर चुकता ईक्विटी शेयर पूंजी (जो ₹.3/- प्रति शेयर के समतुल्य) का अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है।

निदेशक बोर्ड ने आगामी वार्षिक सभा की बैठक में आपके अनुमोदन से @ 70% की दर पर ₹.7/- प्रति शेयर के समतुल्य ₹.210 करोड़ का चुकता ईक्विटी शेयर पूंजी का अंतिम लाभांश के भुगतान को संसृतित प्रदान की है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए चुकता ईक्विटी शेयर पूंजी पर इस कुल लाभांश (प्रस्तावित अंतिम लाभांश के साथ) 100% लाभांश होगा जो पूर्व वित्तीय वर्ष 2024-25 में भुगतानित 100% लाभांश के अनुरूप है।

उपलब्धियां एवं पुरस्कार

मुझे, यह सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता होती है कि आपकी कंपनी ने मुम्बई में आयोजित बजट पश्चात् उद्योग सम्मेलन 2025 में भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के माननीय मंत्री, श्री सर्बानंद सोनोवाल से '5,00,000 टीईयू से अधिक कंटेनरों को संभालनेवाले पोर्ट' के वर्ग में देश के उत्कृष्ट पोर्ट के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त आपकी कंपनी को 'उत्कृष्ट भारतीय पोर्ट की मान्यता' की ख्याति भी प्रदान की गई तथा उसे मुम्बई में 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस समारोह में प्रथम श्रेणी प्रदान किया गया है। आपकी कंपनी को मुम्बई में आयोजित 62वें राष्ट्रीय समुद्री समारोह में 'उत्कृष्ट भारतीय पोर्ट की मान्यता' पुरस्कार प्रदान किया गया तथा उसे प्रथम श्रेणी का दर्जा दिया गया। साथ ही, आपकी कंपनी को छोटे पोर्ट श्रेणी में सबसे अधिक कंटेनरों (0.5 मिलियन टीईयू प्रतिवर्ष से कम थ्रूपुट) को संभालने के उपलक्ष्य में वैश्विक श्रेणीकरण में तृतीय स्थान प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त विश्व बैंक एवं एस एण्ड पी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेन्स द्वारा प्रकाशित आपकी कंपनी को विश्व बैंक कंटेनर पोर्ट निष्पादन सूचिका 2023 (सीपीपीआई 2023) में कंटेनर पोर्ट वैश्विक श्रेणीकरण में पोर्ट में वेसल टाइम पर आधारित निष्पादन के लिए 47वीं श्रेणी प्रदान की गई।

कॉर्पोरेट प्रशासन

एक उत्कृष्ट कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में आपकी कंपनी ने अपने पणधारियों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन को पूर्व अपेक्षा मानता है। इस दिशा में आपकी कंपनी, स्पष्ट जवाबदेही, सत्यनिष्ठा एवं प्रशासन के उच्चतम मानकों के साथ सुदृढ़ नीतियों, प्रथाओं, प्रभावी प्रक्रियाओं एवं प्रणालियों द्वारा अपने कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखती है। अतः, कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट स्वेच्छा से प्रदान की जा रही है।

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर)

आपकी कंपनी, अपनी सुविचारित सीएसआर नीति एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप सीएसआर परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के प्रति उत्सुक है तथा आपकी कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा ₹.12.55 करोड़ मूल्य की सीएसआर पहल की संस्वीकृति इसका प्रमाण है। उक्त संस्वीकृति पिछले वर्ष के लिए निर्धारित ₹.9.65 करोड़ सीएसआर व्यय से ₹.2.90 करोड़ अधिक है। आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभिन्न सीएसआर गतिविधियों के लिए ₹.7.45 करोड़ खर्च किया है। कंपनी द्वारा किए गए प्रमुख सीएसआर पहल इस प्रकार हैं:

- डीआरडीए तिरुवल्लूर को विभिन्न अवरसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए ₹.2.35 करोड़ का योगदान
- लोगनाथ नारायणस्वामी गवर्मेण्ट आर्ट्स कॉलेज, पोन्नेरी में कक्षाएं एवं खेलकूद सुविधा के निर्माण हेतु ₹.2.18 करोड़ ₹.65.55 लाख की शेष राशि का योगदान
- विशेष बच्चों के लिए तोण्डियारपेट के अंदर स्थापित चेन्नई पोर्ट एवं डॉक शैक्षणिक न्यास स्कूल के पूंजी एवं प्रचालनात्मक व्यय हेतु स्वबोधिनी ट्रस्ट के लिए ₹. 97.06 लाख का योगदान
- तमिलनाडु सरकार के नम्मा ऊरु नम्मा स्कूल न्यास द्वारा केपीएल के आसपास के सरकारी स्कूलों में अवरसंरचनात्मक विकास के लिए ₹. 87.07 लाख का योगदान

आभार

निदेशक बोर्ड की तरफ से मैं सर्वप्रथम, भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय एवं चेन्नई पोर्ट प्राधिकरण को उनके समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिए हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं तथा टीएनपीजीसीएल/टीएनईबी, एनटीईसीएल, आईओसीएल, एवं तमिलनाडु सरकार एवं भारत सरकार को, विशेष रूप से पर्यावरण, वन एवं मौसम परिवर्तन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, भारतीय रेल/दक्षिण रेल एवं भारतीय पत्तन असोसियेशन द्वारा दिए गए सहयोग की सराहना करता हूं। मैं, भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, सांविधिक लेखापरीक्षक, आंतरिक लेखापरीक्षक, सचिवीय परीक्षक, पोर्ट उपभोक्ता, बीओटी रियायतग्राही, ठेकेदार एवं बैंकों को उनके सतत समर्थन एवं सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं। अंत में अत्यंत महत्वपूर्ण मैं, कंपनी के सभी कर्मचारियों द्वारा किए गए सतत उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन की सराहना करता हूं।

सादर,

ह/-

सुनील पालीवाल, आई.ए.एस.,

अध्यक्ष

कामराजर पोर्ट लिमिटेड

(चेन्नई पोर्ट प्राधिकरण के पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी)

सीआईएन : U45203TN1999PLC043322

पंजीकृत कार्यालय : द्वितीय तल (उत्तर खण्ड) & तृतीय तल, जवाहर बिल्डिंग,
17, राजाजी सालै, चेन्नई - 600 001.

दूरभाष : 044 - 25251666-70 फैक्स : 044 - 25251665.

वेबसाइट : www.kamarajarport.in, ईमेल : cs@kplmail.in

सूचना

यह सूचित किया जाता है कि कामराजर पोर्ट लिमिटेड के सदस्यों की 24वीं वार्षिक सामान्य सभा, निम्नलिखित व्यवसाय के निष्पादन हेतु, दोतरफा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा सोमवार, 29 सितंबर 2025 अपराह्न 15.00 बजे (आईएसटी) आयोजित की जा रही है:

सामान्य व्यवसाय

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत 31 मार्च 2024 तक की लेखापरीक्षित तुलन पत्र, 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा के विवरण तथा निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें अपनाना।
2. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भुगतानित इक्विटी शेयर पूंजी (₹.3/- प्रति शेयर) के 30% की दर से भुगतान किए गए अंतरिम लाभांश की पुष्टि तथा भुगतानित इक्विटी शेयर पूंजी (₹.7/- प्रति शेयर) पर 70% की दर से अंतिम लाभांश की घोषणा को संस्वीकृति। श्री सदगोपन कुमार बालाजीअरुण (डिन : 07526368) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति हेतु। वह नियमित आवर्तन में सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्रताधारी होते हुए उन्होंने स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिये प्रस्तुत किया है।
3. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किये जाने वाले कंपनी के सांविधिक संपरीक्षकों के पारिश्रमिक निर्धारण हेतु एतद्द्वारा निदेशक मंडल को सौंपा जाता है।
4. निम्नलिखित प्रस्ताव को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के, सांविधिक लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक के भुगतान के लिए एक साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना :

“यह संकल्प लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा

142(1) के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए जानेवाले कंपनी के वैधानिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक तय करने के लिए निदेशक बोर्ड को अनुमोदन दिया जाता है।”

विशिष्ट व्यवसाय

5. श्री आर. एम. नारायणन (डीआईएन: 02853368) को श्री वी.एम.वी.सुब्बा राव, (डीआईएन: 02435597) के स्थान पर स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाने पर उसे संशोधन सहित या बिना संशोधन के साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

संकल्प किया जाता है कि अनुसूची IV के साथ पठित धारा 149, 152, और 160 के प्रावधानों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) और कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014, एवं अन्य लागू नियम, यदि कोई हों, (किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित, जो इस समय लागू हैं) के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, तथा चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी के दिनांक 11 नवंबर, 2024 के पत्र संख्या सीएचपीए/केपीएल सेल/2024/एफ के अनुसार श्री आर.एम. नारायणन (डीआईएन : 02853368), जो अधिनियम की धारा 149(6) में प्रदत्त स्वतंत्रता के मानदण्डों को पूरा करते हैं और जिनकी नियुक्ति शर्तें सीएचपीए द्वारा दिए गए पत्र में निर्धारित हैं, और इस वार्षिक आम बैठक की सूचना के साथ संलग्न अधिनियम की धारा 102 के अनुसार बयान में विस्तृत हैं, और जिनके संबंध में अधिनियम की धारा 160 के तहत नोटिस प्राप्त हुआ है, उन्हें दिनांक 13.11.2024 से 3 वर्ष की अवधि के लिए कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया जाता है तथा वे रोटेशन से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

स्थान : चेन्नई
दिनांक : 13.8.2025

निदेशक मंडल के आदेश से
ह/-
आर. रूपा
कंपनी सचिव

टिप्पणियां :

ए) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (“एमसीए”) द्वारा जारी 19 सितंबर 2024 के सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024

तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (“सेबी”) (जिसे आगे सामूहिक रूप से “परिपत्र” कहा जाएगा) द्वारा जारी 05 जून, 2025 के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/डीडीएचएस/डीडीएचएस-पीओडी-1/पी/सीआईआर/2025/83 के अनुसरण में कंपनियों को 30 सितंबर, 2025 तक सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना एक सामान्य स्थान पर वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक सामान्य सभा (“एजीएम”) आयोजित करने की अनुमति है। परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी की 25वीं एजीएम वीसी/ओएवीएम द्वारा आयोजित की जा रही है। 25वीं एजीएम के लिए अनुमोदित स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा। 24वीं वार्षिक सामान्य सभा की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भेजी जा रही है, जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं। सदस्य कृपया ध्यान दें कि यह सूचना कंपनी की वेबसाइट www.kamarajarport.in पर भी उपलब्ध की जाएगी।

बी) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में एजीएम में उपस्थित होने तथा मतदान करने का हकदार सदस्य

अपनी ओर से उपस्थित होने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है तथा प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। तथापि, यह एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, और सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति समाप्त कर दी गई है, इसलिए एजीएम को सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, अतः प्रॉक्सी फॉर्म, रूट मैप और उपस्थिति पर्ची इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं किए गए हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा। वीसी या ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्य सभा के दौरान प्रस्तावों पर हाथ उठाकर या मतदान के मामले में कंपनी के साथ पंजीकृत अपने ईमेल पतों के माध्यम से ईमेल भेजकर अपना वोट दे सकते हैं।

सी) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार बैठक में किए जाने वाले विशेष कारोबार से संबंधित ब्यौरा देने वाला प्रासंगिक व्याख्यात्मक वक्तव्य इसके साथ संलग्न है।

डी) वे कॉर्पोरेट सदस्य जो अपने प्रतिनिधियों को सभा में भाग लेने और मतदान करने के लिए अधिकृत

करना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे बोर्ड के प्रस्ताव/ऐसे अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति भेजें, जो उनके प्रतिनिधि को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और मतदान करने के लिए अधिकृत करते हों।

ई) सदस्य, अधिसूचना में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट

पहले वीसी/ओएवीएम मोड में एजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।

एफ) कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित वैधानिक रजिस्टर एजीएम के दौरान निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक

रूप से उपलब्ध रहेंगे/खुले रखे जाएंगे। ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य cs@kplmail.in पर ईमेल भेज सकते हैं।

जी) सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पते में किसी भी परिवर्तन की सूचना तुरंत अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी को दें।

एच) इस वार्षिक सामान्य सभा में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले/नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों

के संक्षिप्त विवरण संलग्न हैं तथा यह अधिसूचना का एक भाग है।

वीसी द्वारा वार्षिक सामान्य सभा में भाग लेनेवाले व्यक्तियों के लिए निर्देश :

- 1) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए वेब-लिंक और लॉग-इन क्रेडेंशियल अधिसूचना और वार्षिक रिपोर्ट को अग्रेषित ई-मेल में प्रदान किए जाएंगे।
- 2) सदस्य मोबाइल/लैपटॉप/डेस्कटॉप के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सकते हैं। में सम्मिलित हो सकते हैं।

सामान्य सभा पर सचिवीय मानक-2 के अनुसरण में आगामी वार्षिक आम बैठक में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों के विवरण।

मद सं. 5

श्री आर. एम. नारायणन के संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

विशिष्टताएं	विवरण	
जन्मतिथि एवं उम्र	04/06/1964 एवं 61 वर्ष	
बोर्ड में प्रथम नियुक्ति की तारीख	13/11/2024	
शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यताएं	एम.कॉमएम.कॉम, एफसीए, पीजीडीएम	
अनुभव	<p>मेसर्स एस. विश्वनाथन एलएलपी, चाटर्ड अकाऊण्टेण्ट्स, चेन्नई में साझेदार (वर्ष 1990 से)। इस फर्म का नब्बे वर्ष की प्रतिष्ठा है, इसमें 7 साझेदार हैं तथा बेंगलूरु एवं कोयम्बतूर में अपनी शाखाएं हैं तथा लगभग 100 लेखापरीक्षक कर्मचारी कार्यरत हैं। बैंकिंग क्षेत्र के साथ सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र, दोनों के लिए लेखापरीक्षण एवं आश्वासन सेवाएं प्रदान करने के क्षेत्र में इस फर्म का विस्तृत अनुभव है</p> <p>फर्म, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों के लेखापरीक्षण के साथ कॉर्पोरेट लेखापरीक्षण भी संभालता है। फर्म ने भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक एवं बैंक ऑफ इंडिया जैसे बृहत् सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए लेखापरीक्षण का कार्य किया है।</p> <p>साथ ही, फर्म कई प्रसिद्ध धर्मार्थ एवं धार्मिक संस्थानों का लेखापरीक्षण कार्य करने के साथ उनके आयकर कार्यों को भी संभाला है।</p> <p>फर्म, कराधान (अंतर्राष्ट्रीय कराधान, कर नियोजन और विवाद समाधान पैनल, आयकर अपील न्यायाधिकरण तथा निपटान आयोग जैसे विभिन्न प्राधिकरणों के समक्ष प्रतिनिधित्व सहित) का प्रबंधन भी करता है।</p> <p>संयुक्त उद्यमों, अधिग्रहणों एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के मामलों में ग्राहकों को सहायता करता है। विलय और विभाजन, पारिवारिक समझौते एवं मध्यस्थता कार्यवाहियों से संबंधित परामर्श कार्यों में सक्रिय भाग लेता है।</p>	
केपीएल में सेक्यूरिटीज	कोई नहीं	
निदेशक/केपीएल के केएमपी के साथ रिश्ता	कोई नहीं	
अन्य कंपनियों में निदेशक पद/ सदस्यता	कंपनी का नाम	रुचि की प्रकृति
	योजना कॉर्पोरेट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड	प्रोत्साहक
अन्य कंपनियों में विभिन्न समितियों की अध्यक्षता/ सदस्यता	कोई नहीं	
नियुक्ति की शर्तें एवं प्रतिबंध	श्री वी. एम. वी. सुब्बा राव के स्थान पर आरंभिक स्तर पर तीन वर्ष के लिए स्वतंत्र निदेशक	
अंतिम आहरित पारिश्रमिक	लागू नहीं	
वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति की संख्या	कॉर्पोरेट शासी रिपोर्ट (बोर्ड रिपोर्ट का अनुबंध V) का संदर्भ लें।	

मद सं. 3

श्री सुनील पालीवाल के संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

विशिष्टताएं	विवरण	
जन्मतिथि एवं उम्र	25/11/1968; 56 वर्ष	
बोर्ड में प्रथम नियुक्ति की तारीख	16/09/2019	
शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यताएं	1. आइआइटी कानपुर से कम्प्यूटर साइन्स में बी.टेक, 2. मेरीलैण्ड विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइन्स में एम.एस. 3. यूके के बिर्मिंगहैम विश्वविद्यालय से एमबीए	
अनुभव	श्री सुनील पालीवाल ने अपना करियर कुड्डालूर जिले के उप कलेक्टर के रूप में शुरू किया तथा नागपट्टिनम जिले में अतिरिक्त कलेक्टर के रूप में कार्य किया। उन्होंने तिरुनेलवेली, तेनी एवं कन्याकुमारी जिलों के कलेक्टर के रूप में भी काम किया। उन्होंने तमिलनाडु सरकार में महत्वपूर्ण विभागों को भी संभाला जैसे कि प्रबंध निदेशक, चेन्नई मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड (सीएमडबल्यूएसएसबी), प्रबंध निदेशक, तमिलनाडु रोड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (टीएनआरडीसी), प्रबंध निदेशक, तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम, सरकार के सचिव, वाणिज्यिक कर और पंजीकरण विभाग और दूध उत्पादन एवं डेयरी विकास आयुक्त और प्रबंध निदेशक, तमिलनाडु सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड (आविन), सरकार के प्रधान सचिव, उच्च शिक्षा विभाग और सरकार के प्रधान सचिव, श्रम और रोजगार विभाग में कार्य किया है। वर्तमान में वे चेन्नई पत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं।	
केपीएल में सेक्यूरिटीज़	चेन्नई पत्तन प्राधिकरण में नामिती के रूप में रु.10/- का 1 ईक्विटी शेयर	
निदेशक/केपीएल के केएमपी के साथ रिश्ता	लागू नहीं	
अन्य कंपनियों में निदेशक पद/ सदस्यता अन्य कंपनियों में विभिन्न समितियों की अध्यक्षता/ सदस्यता	कंपनी का नाम	रुचि की प्रकृति
	योजना कॉर्पोरेट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड	प्रोत्साहक
नियुक्ति की शर्तें एवं प्रतिबंध	कॉर्पोरेट शासी रिपोर्ट (बोर्ड रिपोर्ट का अनुबंध V) का संदर्भ लें।	
अंतिम आहरित पारिश्रमिक	गैर-कार्यकारी निदेशक रोटेशन पर सेवानिवृत्त हो सकते हैं। कोई सिटिंग शुल्क नहीं है।	
वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति की संख्या	कॉर्पोरेट शासी रिपोर्ट (बोर्ड रिपोर्ट का अनुबंध V) का संदर्भ लें।	
जन्मतिथि एवं उम्र	कॉर्पोरेट शासी रिपोर्ट (बोर्ड रिपोर्ट का अनुबंध V) का संदर्भ लें।	

कामराजर पोर्ट लिमिटेड बोर्ड की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यो,

आपके निदेशक बोर्ड को आपकी कंपनी के 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणिकाओं के साथ व्यवसाय, प्रचालन, विकास एवं की गई प्रगति पर वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

1.0 निष्पादन एवं मुख्य विशेषताएं

1.1 वित्तीय निष्पादन

(i)(ए) वित्तीय मुख्य बिंदु

विवरण	2024-25	2023-24
प्रचालनों से आय	1138.42	1062.22
अन्य आय	21.83	19.22
कुल आय	1160.25	1081.44
प्रचालन व्यय	192.06	176.67
वित्त लागत	43.67	62.63
मूल्यहास एवं परिशोधन	86.98	75.55
कुल व्यय	322.71	314.85
विशिष्ट मदों एवं कर से पूर्व लाभ	837.54	766.59
विशिष्ट मद	-	-
कर से पहले लाभ	837.54	766.59
कर	298.21	270.91
कर के बाद लाभ	539.33	495.68

1.2 वित्तीय मुख्य विशेषताएं

आपकी कंपनी ने लेखापरीक्षण वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की ₹1062.22 करोड़ की तुलना में ₹1138.42 करोड़ का प्रचालन आय दर्शाया है जिससे 7.17% की वृद्धि स्पष्ट है। यह पिछले वर्ष के ₹45.28 मिलियन टन की तुलना में ₹48.41 मिलियन टन के उच्च उत्पादन के कारण है (लगभग 6.91% की वृद्धि)। परिणामस्वरूप, कंपनी ने पिछले वर्ष के ₹766.59 करोड़ की तुलना में ₹837.54 करोड़ का कर-पूर्व लाभ अर्जित हुआ है (9.25% की वृद्धि)।

1.3 प्रचालनात्मक निष्पादन

(i) निष्पादन की मुख्य विशेषताएं

- मेयर्सक लाइन ने कामराजर पोर्ट से एमई2 सेवा नामक एक नई साप्ताहिक सेवा शुरू की है, जिसमें उनका पहला पोत एम.वी. मेयर्सक स्टैडलहॉर्न, 08 फरवरी 2025 को अदानी एन्नोर कंटेनर टर्मिनल पर आ पहुंचा। केपीएल में प्रचालित मेयर्सक लाइन ने अपनी मौजूदा साप्ताहिक सेवा, शटल सेवा को एमई2 सेवा (सीधे यूरोप से जोड़ने वाली) में अपग्रेड किया है।



एम. वी. मेयर्सक स्टैडलहॉर्न

- पीसीए ऑटोमोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने दिनांक 11.04.2024 को कामराजर पोर्ट से सिट्रोएन ईसी3 इलेक्ट्रिक कारों का निर्यात प्रारंभ किया है। सिट्रोएन ईसी3 इलेक्ट्रिक कारों की 500 इकाइयों की पहली खेप का निर्यात इंडोनेशिया को किया गया।
- निस्सान मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने दिनांक 29.06.2024 को केपीएल के जनरल कार्गो बर्थ 2 से अपनी 11 लाखवीं कार का निर्यात करके एक उपलब्धि हासिल की है।
- कॉनकॉर ने दिनांक 28.11.2024 को जोलारपेट से केपीएल रेलवे साइडिंग (केपीसीए) तक मेसर्स टीवीएस मोटर कंपनी के डायरेक्ट पोर्ट एंटी (डीपीई) निर्यात कंटेनरों के साथ “टीवीएस गो ग्रीन एक्सप्रेस” कंटेनर ट्रेन का उद्घाटन किया, जिसका निर्यात केपीएल के माध्यम से अफ्रीकी देशों को किया जाएगा।

(ii) अन्य उपलब्धियां

- कॉमन यूजर कोल टर्मिनल ने पहली बार अपनी 10.00 मिलियन टन की क्षमता से अधिक 10.19 मिलियन टन कार्गो श्रुपट

- मल्टी कार्गो टर्मिनल ने पहली बार अपनी 2.00 मिलियन टन की क्षमता से अधिक 2.12 मिलियन टन कार्गो थ्रूपुट का संचालन किया।
- एलएनजी टर्मिनल ने 1.22 मिलियन टन कार्गो का संचालन करके पहली बार 1.00 मिलियन टन कार्गो थ्रूपुट को पार कर लिया।
- आपकी कंपनी ने इसका कीर्तिमान रिकार्ड हासिल किया
 - बीवाईडी इंडिया तथा टोयोटा किलॉस्कर द्वारा जनरल कार्बो बर्थ (जीसीबी) पर 3,739 ऑटोमोबाइल इकाइयों के आयात की उच्चतम मात्रा संभाला है
 - जीसीबी 1 और 2 से ऑटोमोबाइल/प्रोजेक्ट कार्गो के निर्यात और आयात के लिए कार्गो संबंधी शुल्क से रु. 75.10 करोड़ का सर्वकालिक उच्च (शुद्ध राजस्व) अर्जित किया है।
 - 3,111 गियर बॉक्स का निर्यात किया गया जो कि जीसीबी में अब तक का सबसे अधिक गियर बॉक्स निर्यात है।

- दिनांक 23.02.2025 को अदानी एन्नोर कंटेनर टर्मिनल पर बर्थ किए गए पोत एम.वी. कैप सैन सौनियो से 60 घंटे के बर्थ प्रवास के दौरान 8,231 टीईयू कंटेनरों का सर्वकालिक उच्चतम रिकार्ड संभाला है।

(iii) कार्गो निष्पादन

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने निम्नांकित उच्चतम कार्गो को संभाला है

- मार्च 2025 में 4.58 मिलियन टन का प्रतिमाह कार्गो थ्रूपुट।
- दिसंबर 2024 के महीने में 62,530 टीईयू की कंटेनर मात्रा, तथा
- वित्तीय वर्ष 2024-25 में 986 पोत का सर्वकालिक उच्चतम

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कार्गो थ्रूपुट के विवरण निम्नानुसार हैं

(टन मिलियन में)

क्र सं	टर्मिनल	2024-25		2023-24		Variation in Traffic Handled	
		कार्गो की मात्रा	वेसलों की संख्या	कार्गो की मात्रा	वेसलों की संख्या	(+/-)	%
1.	कोल बर्थ 1	8.46	110	9.36	129	-0.90	-9.62
2.	कोल बर्थ 2	6.93	89	5.53	72	1.40	25.32
3.	सामान्य उपयोगकर्ता कोयला टर्मिनल	10.19	149	9.30	153	0.89	9.57
कुल कोयला		25.58	348	24.19	354	1.39	5.75
4.	समुद्री द्रव टर्मिनल 1	4.17	242	4.16	233	0.01	0.24
5.	सामान्य कार्गो बर्थ 1	0.89	46	1.48	109	-0.59	-39.86
6.	सामान्य कार्गो बर्थ 2	1.28	79	0.03	1	1.25	4,166.67
7.	कंटेनर टर्मिनल (फेज 1, स्तर 1)	13.15	208	12.96	219	0.19	1.47
8.	बहु कार्गो टर्मिनल	2.12	43	1.47	35	0.65	44.22
9.	एलएनजी टर्मिनल	1.22	20	0.99	16	0.23	23.23
पूर्ण कुल		48.41	986	45.28	967	3.13	6.91
10.	संभाले गए आटोमोबाइल (सं. में)	1,61,384	125	1,14,604	110	46,780	40.82
11.	संभाले गए कंटेनर (टीईयू में)	6,81,124	208	6,71,393	219	9,731	1.45

(iv) कार्गो निष्पादन

- दिनांक 08.11.2024 को एमवी एमएससी टोपाज (एलओए 366 मीटर, जीआरटी 141754, ड्राफ्ट 14.2 मीटर) को सफलतापूर्वक बर्थ किया गया, जो इस वर्ष केपीएल में आने वाला सबसे बड़ा पोत है।



एमवी एमएससी टोपेज, केपीएल में पहुंचा बृहत् वेसल

- आईसीटीपीएल में संभाले गए 43 बृहत् वेसल (एलओए > 325एम), जो पूर्व वर्ष से 19.4% की वृद्धि दर्शाता है
- 42.8% तक आईसीटीपीएल एवं ईबीटीपीएल में संभाले गए केप-आकार के वेसल, जो वांछित थ्रूपुट प्राप्त करने के लिए अवरसंरचनाओं में वृद्धि का संकेत देता है।
- 62 लाइन बर्थिंग प्रचालन प्राप्त किया गया, जो 44.18% की वृद्धि साबित करता है। यह उल्लेखनीय है कि एमएलटी, जीसीबी 2 तथा आईसीटीपीएल में द्वि-बर्थिंग एक महत्वपूर्ण प्रचालनात्मक उपलब्धि है।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 में 20 एलएनजी वेसल संभाले गए जिससे 25% की वृद्धि देखी जाती है।
- अगस्त 2024 की अवधि में सबसे अधिक प्रतिमाह वेसल ट्रेफिक रिकार्ड किया गया तथा उक्त अवधि में 95 वेसल संभाले गए। विशिष्ट समुद्री परिसंपत्तियों को संभालने की क्षमता प्रदर्शित करते हुए एफपीएसओ (प्लावित उत्पादन भण्डार एवं ऑफलोडिंग) को सफलतापूर्वक बर्थ किया गया।



स्वेता वेनिशिया - प्लावित उत्पादन भण्डार एवं ऑफलोडिंग वेसल

- सीबी3 एवं सीबी4 में एफपीएसओ स्वेता वेनेटिया परिचालनों के माध्यम से प्राप्त राजस्व, परिसंपत्ति अनुकूलन को सुदृढ़ करता है।

(v) सहजता से व्यवसाय

1. मोबाइल एक्स-रे कंटेनर स्कैनर दिनांक 01.01.2025 से 24x7 आधार पर चालू है।
2. पोर्ट परिसर में पादप संगरोध प्रयोगशाला स्थापित करने हेतु एक कमरे का आबंटन।
3. आरएफआईडी एवं एएनपीआर आधारित गेट कंट्रोल सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, एकीकरण, कमीशनिंग और संचालन एवं रखरखाव हेतु सिस्टम इंटीग्रेटर की नियुक्ति हेतु दिनांक 14.02.2025 को मेसर्स सेंटिनल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को रु. 6.54 करोड़ के मूल्य पर ठका प्रदान किया गया। आरएफआईडी एवं एएनपीआर आधारित गेट कंट्रोल सिस्टम की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:
 - नवीनतम एक्सेस प्रौद्योगिकियां अर्थात् आरएफआईडी, एएनपीआर, संपर्क रहित फिंगरप्रिंट पहचान तथा व्यक्ति एवं वाहनों के पोर्ट प्रवेश/निकास के सत्यापन के लिए क्यूआर कोड।
 - वाहन से उतरे बिना ड्राइवरो के प्रवेश के वैधीकरण हेतु प्रावधान
 - फास्टैग तथा एएनपीआर कैमरे के साथ एकीकरण के माध्यम से वाहनों के प्रवेश के लिए दो स्तरीय प्रमाणीकरण।
4. कार्गो के ठहराव समय कम करने तथा आयात/निर्यात स्वीकृति, कार्गो के गेट इन और आऊट, प्लांट बैक कार्गो, विलंब शुल्क की गणना आदि की प्रक्रिया सरल बनाने के लिए पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के निर्देशानुसार दिनांक 02.09.2024 से बिजनेस इंटरफेस पोर्टल (बीआईपी) में कार्गो निकासी से संबंधित दस्तावेजों के डिजिटलीकरण के लिए दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) लागू किया गया।

2.0 लाभांश

निदेशक मंडल की संसृति के आधार पर दिनांक 28.03.2025 को कुल रु. 90 करोड़ के रु.3 प्रति शेयर के समतुल्य चुकता इक्विटी शेयर पूंजी पर 30% की दर से अंतरिम लाभांश का भुगतान किया गया। निदेशक मंडल ने दिनांक 11.07.2025 को आयोजित अपनी बैठक में कुल रु.210 करोड़ के रु.7/- प्रति शेयर के समतुल्य चुकता इक्विटी शेयर पूंजी पर 70% की दर से अंतिम लाभांश प्रदान करने की संसृति प्रदान की है। यह भुगतान आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

3.0 रिजर्व में हस्तांतरण

3.1 सामान्य रिजर्व :

आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान सामान्य रिजर्व में कोई राशि हस्तांतरित नहीं की है क्योंकि कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लाभांश की घोषणा से पहले किसी भी राशि को हस्तांतरित करना अनिवार्य नहीं है। 31 मार्च 2025 तक शेष राशि रु.79.02 करोड़ है।

3.2 डिबेन्चर / बॉण्ड प्रतिदाय रिजर्व :

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 71 के अनुसार वर्ष के दौरान रु.4.57 करोड़ को डिबेन्चर / बॉण्ड प्रतिदाय रिजर्व में स्थानांतरित किया है और 31 मार्च 2025 तक शेष राशि रु. 55.02 करोड़ थी।

4.0 वित्त

आपकी कंपनी ने रिपोर्टिंग वर्ष की अवधि में सावधि ऋण की निर्धारित किश्तों को चुका दिया है

- एचडीएफसी बैंक को रु.10 करोड़ तथा रु.40 करोड़ की प्राप्त राशि में से दिनांक 31.03.2025 तक रु. 25 करोड़.
- चेन्नई पत्तन प्राधिकरण को रु.23.01 करोड़.

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान जारी किए गए कर मुक्त बॉण्डों पर क्रमशः रु.0.88 करोड़ एवं रु. 25.45 करोड़ के वार्षिक ब्याज दायित्व के साथ नियत तिथियों पर तुरंत भुगतान किया है।

4.1 दरण

आपकी कंपनी ने जारी कर मुक्त बॉण्ड के प्रस्ताव दस्तावेज के अनुसार, क्रेडिट रेटिंग की वार्षिक अनुवीक्षण किया है और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा निम्नलिखित रेटिंग प्रदान की गई हैं :

क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां	रेटिंग/ आउटलुक
क्रिसिल	एए/ स्टेबल
केयर	एए/ स्टेबल
आईसीआरए	एए-/ स्टेबल
ब्रिक वर्क	एए/ स्टेबल

4.2 संबद्ध पार्टियों के साथ किए गए लेन-देनों के विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एच) के अंतर्गत फॉर्म एओसी-2 में संबंधित पक्ष लेनदेन का प्रकटीकरण आपकी कंपनी पर लागू नहीं होता है। सदस्य वित्तीय विवरण के नोट संख्या 30(12) का संदर्भ ले सकते हैं, जिसमें भारतीय लेखा मानक-24 के अनुसार संबंधित पक्ष प्रकटीकरण निर्धारित हैं।

4.3 वित्तीय वर्ष के अंत में तथा रिपोर्ट की तिथि के बीच वित्तीय स्थिति को प्रभावित करनेवाले सामग्री परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएं

आपकी कंपनी को वित्तीय वर्ष के अंत में तथा रिपोर्ट की तिथि के बीच वित्तीय स्थिति प्रभावित करनेवाले सामग्री परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएं नहीं हैं।

4.4 व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन यदि कोई हो तो

वित्तीय वर्ष की अवधि में आपकी कंपनी के व्यवसाय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

4.5 ऋण, गारंटी के विवरण

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत न कोई ऋण दिया है न ही कोई गारंटी दी है।

4.6 निवेश

लेखापरीक्षण वर्ष की अवधि में आपकी कंपनी ने कोई निवेश नहीं किया है/ न ही निवेश से संबंधित कोई भुगतान किया है।

4.7 पूंजीगत व्यय

आपकी कंपनी ने पूर्व वर्ष में रु.327.39 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 की अवधि में पूंजीगत व्यय पर रु.201.16 करोड़ का व्यय किया है।

4.8 सावधि जमा

आपकी कंपनी ने दिनांक 31.03.2025 तक लेखापरीक्षण अवधि में किसी भी प्रकार के सावधि जमा को स्वीकृति नहीं प्रदान की है, न ही कोई दावा नहीं किए गए बकाया है अथवा न ही कोई अभुगतानित जमा हैं।

4.9 आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

आपकी कंपनी, निम्नांकित के लिए अपनाई जानेवाली नीतियां एवं प्रक्रणों का शतशः अनुसरण करता है

- कंपनी का व्यवस्थित एवं सक्षम व्यवसाय सुनिश्चित करना,
- धोखाधड़ी एवं गलतियों के होने से रोकने के लिए कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा करना
- लेखांकन रिकार्डों की शुद्धता एवं पूर्णता बनाए रखना तथा
- समय के अंदर विश्वसनीय वित्तीय प्रकटनों को तैयार करना

आंतरिक नियंत्रण एवं प्रशासन प्रक्रियाओं की पर्याप्तता तथा प्रभावात्मकता के लिए आंतरिक लेखा परीक्षक एवं लेखापरीक्षण समिति द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं को वित्तीय विवरणों की अखंडता और विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए पर्याप्त माना जाता है।

5.0 25 वां कॉर्पोरेट दिवस समारोह

आपकी कंपनी ने बड़े उत्साह के साथ अपना 25वां कॉर्पोरेट दिवस मनाया। चेन्नई पत्तन प्राधिकरण तथा कामराजर पोर्ट लिमिटेड के अध्यक्ष, श्री सुनील पालीवाल, आईएएस ने इस कार्यक्रम में भाग लेकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई तथा केपीएल के कर्मचारियों को सफलता के शिखर तक पहुँचने के 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी। प्रबंध निदेशक, श्री श्रीमती जे.पी. आइरीन सिंधिया, आईएएस ने समारोह की अध्यक्षता की और केपीएल के कर्मचारियों एवं पणधारियों के अथक प्रयास की सराहना की। उन्होंने हाल ही में पोर्ट की असाधारण उपलब्धियों की सराहना की और निरंतर विकास एवं उत्कृष्टता की आशा व्यक्त की।

रजत जयंती समारोह की पूर्व संध्या पर-

- आपकी कंपनी के अध्यक्ष, श्री सुनील पालीवाल, आईएएस ने 10 मई 2024 को केपीएल का "25वां वर्ष लोगो" का लोकार्पण किया।



केपीएल के "25 वां वर्ष लोगो" का लोकार्पण

- तमिलनाडु के अत्तिपट्टु ग्राम एवं काट्टुपल्ली ग्रामों के लगभग 800 निवासियों के हित में चिकित्सकीय कैम्प आयोजित किया गया।



केपीएल द्वारा आयोजित चिकित्सकीय कैम्प

- श्री बाबू जगजीवनराम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, टोंडियारपेट में कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए क्रिकेट, बैडमिंटन, कैरम और शतरंज जैसे खेल कार्यक्रम आयोजित किए गए और आपकी कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ने विजेताओं को ट्रॉफी, पदक और प्रमाण पत्र प्रदान किया।



क्रिकेट दल के विजेताओं को ट्रॉफी प्रदान किया गया

- 7 दिसंबर 2024 को आयोजित एक भव्य समारोह में मुख्य अतिथि श्री सर्बानंद सोनोवाल, माननीय केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री, भारत सरकार ने मास्टर प्लान 2047 जारी किया, जिसमें पोर्ट के 9 से 27 बर्थ तक विस्तार और पोर्ट क्षमता 57.44 मीट्रिक टन से 254.52 मीट्रिक टन तक बढ़ाने की परिकल्पना की गई है तथा 25 वर्षों में केपीएल की विरासत और उपलब्धियों पर प्रकाश डालने वाली एक कॉफी टेबल पुस्तक जारी किया गया तथा उक्त अवसर की स्मृति में आधारशिला स्थापित किया गया :

- कैपिटल ड्रेड्जिंग फेज VI (₹.520 करोड़)
- 1 एमएलडी आरओ विलवणीकरण संयंत्र (₹.37 करोड़)
- एकीकृत कमाण्ड एवं कंट्रोल सेन्टर (₹.25 करोड़)

तमिलनाडु सरकार के सार्वजनिक कार्य, राजमार्ग एवं छोटे पत्तन के माननीय मंत्री, श्री ई.वी. वेलू ने समारोह में भाग लिया।



भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के संघ मंत्री श्री सरबानंदा सोलोवाल ने मास्टर संयंत्र 2047 का लोकार्पण किया

6.0 पुरस्कार

आपकी कंपनी के समीक्षा वर्ष की अवधि के दौरान

- ऐकजिम इंडिया शिपिंग टाईम्स ने चेन्नई में दिनांक 11.07.2025 को व्यवसाय की सेवा में 25 वर्ष पूर्ण करने के उपलक्ष्य में 16वां दक्षिण पूर्व सीईओ कॉन्क्लेव एवं पुरस्कार 2025 समारोह आयोजित किया।
- पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल से मुंबई में पोस्ट बजट इंडस्ट्री मीट 2025 की अवधि में '5,00,000 टीईयू से अधिक कंटेनरों को संभालने वाले पत्तन' की श्रेणी में देश के सर्वश्रेष्ठ पोर्ट उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त किया।
- कंपनी को मुंबई में दिनांक 05.04.2025 को आयोजित 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस समारोह में 'उत्कृष्ट भारतीय पोर्ट मान्यता' से सम्मानित किया गया तथा प्रथम श्रेणी प्रदान की गई।
- कंपनी, विश्व बैंक एवं एसएंडपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा प्रकाशित विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट परफॉर्मंस इंडेक्स 2023 (सीपीपीआई 2023) द्वारा कंटेनर पोर्ट्स की वैश्विक रैंकिंग में 47वें स्थान पर है; तथा
- उच्चतम कंटेनरों (प्रति वर्ष 0.5 मिलियन टीईयू से कम का थ्रूपुट) को संभालने के लिए लघु पोर्ट श्रेणी में वैश्विक रैंकिंग में तीसरा स्थान प्राप्त किया, जो भारत में अन्य कंटेनर पोर्टों की तुलना में अग्रणी है।

7.0 समझौता करार

वर्ष 2025-26 के लिए चेन्नई पत्तन प्राधिकरण के साथ दिनांक 15.07.2025 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एमओयू रेटिंग 'बहुत अच्छी' है।



कामराजर पोर्ट लिमिटेड ने चेन्नई पत्तन प्राधिकरण के साथ समझौता करार 2024-25 पर हस्ताक्षर किया।

8.0 प्रचालन

वर्तमान में आपकी कंपनी में 9 टर्मिनल प्रचालित हैं, जिनमें से 4 बीओटी टर्मिनल हैं, तीन (3) कैप्टिव उपयोगकर्ता टर्मिनल हैं तथा दो (2) केपीएल के स्वामित्व वाले टर्मिनल हैं। सभी टर्मिनल 'अत्याधुनिक' बुनियादी ढाँचे से सुसज्जित हैं और तेज निकासी और प्रदूषण मुक्त वातावरण के लिए पूरी तरह से मशीनीकृत कार्गो हैंडलिंग संचालन प्रदान करते हैं। 9 चालू बर्थों की क्षमता 57.44 मिलियन टन है। मौजूदा टर्मिनलों के संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैं :

i) कोयला बर्थ 1 एवं 2

8एमपीटीए की हैंडलिंग क्षमता वाले कोल बर्थ 1 और 2, 77,000 डीडब्ल्यूटी तक के 280 मीटर लंबे दो कोयला कैरियर को समायोजित किया जा सकता है तथा टीएनईबी (टैन्जेडको) और उसकी जेवी कंपनियों के थर्मल पवर प्लांट्स के लिए थर्मल कोल को हैंडल करते हैं। अनलोड किए गए कोयले को सीधे कन्वेयर सिस्टम के माध्यम से पास के नॉर्थ चेन्नई थर्मल पावर स्टेशन (एनसीटीपीएस) में स्थित स्टैकयार्ड में ले जाते हैं, जहाँ से इसका एक हिस्सा रेल संपर्क के माध्यम से मेडूर तक ले जाते हैं। व्यवसाय मॉडल के अनुसार, आपकी कंपनी ने बर्थिंग संरचना का निर्माण किया और टैन्जेडको ने थर्मल कोयला हैंडल करने के लिए शोर अनलोडर्स, कन्वेयर सिस्टम आदि जैसी सभी टॉप साइड सुविधाओं में निवेश किया है तथा उनका संचालन और रखरखाव कर रहा है।

ii) समुद्री द्रव टर्मिनल

3 एमपीटीए कार्गो हैंडलिंग क्षमता वाले मैरीन लिक्विड टर्मिनल को बीओटी के तहत मेसर्स एन्नोर टैंक टर्मिनल्स प्राइवेट लिमिटेड (ईटीटीपीएल) द्वारा

विकसित किया गया तथा 16 जनवरी 2009 से वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ शुरु किया गया। व्यवसाय में मांग पूरा करने के लिए, बीओटी ऑपरेटर ने अतिरिक्त भण्डारण टैंक का विकास किया तथा एलपीजी हैंडलिंग उपकरण लगाए। टर्मिनल पीओएल, एलपीजी, सीबीएफएस, रसायन और अन्य को संभालता है। जहाजों की भीड़ को कम करने के लिए, मेसर्स ईटीटीपीएल ने अतिरिक्त डॉक लाइनें लगा दीं तथा मैरीन अनलोडिंग आर्म्स लगाए जिससे वेसल प्रतीक्षा समय कम हो गया है। टैंक, फार्म बर्थ से लगभग 3.7 किमी दूर 33 एकड़ के पोर्ट-लीज प्लॉट पर स्थित है, जिसकी कुल भण्डारण क्षमता लगभग 247,990 केएल है तथा इसमें ए/बी/सी पेट्रोलियम उत्पाद, पेट्रो रसायन पदार्थ, वनसूतपति जेल, जैव ईंधन, अम्ल एवं सुरक्षित वर्ग द्रवों का भण्डारण किया जा सकता है। पूरे टर्मिनल में एक एकीकृत अग्निशमन व्यवस्था है जो ओआईएसडी की आवश्यकताओं के अनुकूल है।

iii) सामान्य उपयोगकर्ता कोयला टर्मिनल

मेसर्स चेड्डीनाड इंटरनेशनल कोल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड ने बीओटी आधार पर 10 एमपीटीए कार्गो हैंडलिंग क्षमता वाले कॉमन यूजर कोयला टर्मिनल का विकास किया तथा 11 मार्च 2011 से वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ किया गया। केप आकार के वेसलों को संभालने के लिए, बीओटी ऑपरेटर ने 16 मीटर के ड्राफ्ट के साथ बर्थ की लंबाई 22.5 मीटर तक बढ़ा दी। 48.0 हेक्टेयर का स्टैकयार्ड क्षेत्र पोर्ट कंपाउंड वॉल से लगभग 2.50 किमी दूर स्थित है। 59 वैगनों (3500टी) के एक पूरे रेक लोड करने के लिए एक इन-मोशन वैगन लोडिंग स्टेशन स्थापित किया। ट्रकों के जरिए निकासी के लिए ट्रक लोडिंग स्टेशन प्रदान किए गए। प्रदूषण कम करने के लिए धूल दमन तंत्र के साथ एक कन्वेयर स्थापित किया गया।

iv) सामान्य कार्गो बर्थ सह ऑटोमोबाइल निर्यात टर्मिनल

बर्थ में विश्व के सबसे बड़े कार कैरियर वेसल लगाया जा सकता है तथा इसमें लगभग बहुत ही विस्तारित कार पार्किंग यार्ड तथा 25,000 कारों के लिए ट्रांसिट पार्किंग के साथ बैकअप क्षेत्र के रूप में 3,70,313 वर्गमीटर का क्षेत्र उपलब्ध किया गया है, जिसमें किसी भी भारतीय पोर्ट की सबसे बड़ी सुविधा है। इसके प्रारंभिक अवधि से दिनांक 31.03.2025 तक जीसीबी के माध्यम से ऑटोमोबाइल यूनिटों के निर्यात ने 23.80 लाख यूनिटों को पार किया जा चुका है।

आपकी कंपनी ने आपके पोर्ट के माध्यम से ऑटोमोबाइल निर्यात के लिए

प्रमुख ओईएम अर्थात मेसर्स निस्सान मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स टोयोटा किलोस्कर मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स इजुजु मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तथा मेसर्स जेडीएफ विंड पवर कोयंबतूर प्राइवेट लिमिटेड (विंडमिल कंपोनेंट्स), मेसर्स मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, मेसर्स कैटरपिलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स पीसीए ऑटोमोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ दीर्घकालिक समझौता किया गया है। आपका पोर्ट वॉर्फेज शुल्क पर मात्रा आधारित छूट भी प्रदान कर रहा है।

v) कंटेनर टर्मिनल

आपकी कंपनी ने चरणबद्ध तरीके से सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत 1.40 मिलियन टीईयू प्रति वर्ष की हैंडलिंग क्षमता वाले कंटेनर टर्मिनल के विकास हेतु मेसर्स अदानी एन्नोर कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक रियायत समझौता किया है। कंटेनर टर्मिनल के लिए कुल बैकअप क्षेत्र 36.5 हेक्टेयर है। चरण-I बर्थ में चार रेल माऊण्टेड क्रेन लगाए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक की पहुंच 62 मीटर है तथा 12 ईआरटीजीएस हैं। दूसरे चरण के कार्यान्वयन के दौरान तीन और रेल माऊण्टेड क्रेन और 9 ईआरटीजीएस जोड़े जाएंगे। कंटेनर निकासी सड़क और रेल मार्ग से होती है। कंटेनर टर्मिनल (चरण-I) का वाणिज्यिक संचालन वित्तीय वर्ष 2017-18 से शुरू हुआ।

vi) बहु कार्गो टर्मिनल

मेसर्स चेड्डीनाड इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड ने डीबीएफओटी के आधार पर 2.0 मिलियन टन क्षमता के साथ इस टर्मिनल का विकास किया है। यह टर्मिनल स्टील, उर्वरक, जिप्सम, बेराइट्स और चूना पत्थर का प्रसंस्करण करता है। टर्मिनल का कुल बैकअप क्षेत्र 13.5 हेक्टेयर है। बर्थ में 100 टन क्षमता वाले दो (2) हार्बर मोबाइल क्रेन लगाए गए हैं तथा यार्ड भंडारण सुविधाओं से सुसज्जित है। माल की निकासी सड़क और रेल मार्ग से होती है। दिनांक 05.08.2017 से टर्मिनल का वाणिज्यिक संचालन शुरू किया गया। मेसर्स जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड समूह ने दिनांक 13.11.2020 को अधिग्रहण के बाद टर्मिनल का नाम बदलकर मेसर्स एन्नोर बल्क टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया।

vii) तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) निर्यात टर्मिनल

जेवी के प्रमुख साझेदार मेसर्स आईओसीएल ने 5 एमपीटीए (10 एमपीटीए तक विस्तार योग्य) क्षमता युक्त पुनः गैसीकरण सुविधाओं के साथ एलनजी

टर्मिपल स्थापित किया है। पुनः गैसिफिकेशन टर्मिनल में प्रति टैंक की क्षमता 1,80,000m³ की कुल क्षमता दो टैंक हैं। उक्त टर्मिनल को दिनांक 26.02.2019 को कमिशन किया गया तथा रु.3834.51 करोड़ की लागत की परियोजना है।

(viii) ऑटोमोबाइल निर्यात/ आयात टर्मिनल-2 (3 एमपीटीए)

आपकी कंपनी ने संभावित 3 एमपीटीए क्षमता युक्त द्वितीय ऑटोमोबाइल निर्यात/आयात टर्मिनल का विकास करने के लिए मेसर्स एल एण्ड टी जियोस्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का चयन किया है। आदेश जारी की गई परियोजना की कुल लागत रु. 149.36 करोड़ है। भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने 2 जनवरी 2024 को उक्त टर्मिनल का उद्घाटन किया और यह मार्च 2024 से प्रचालित है।

9.0 परियोजनाएं :

अपने ग्राहकों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए पोर्ट की क्षमता में वृद्धि करने हेतु विभिन्न बर्थों/टर्मिनलों का विकास करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की गई है तथा उक्ति विकास की स्थिति निम्नानुसार है :

कोयला बर्थ 3 एवं 4 (18 एमटीपीए)

आपकी कंपनी ने टीएनपीजीसीएल (पूर्व में टैनजेडको) के अनुरोध पर 500 करोड़ रुपये के निवेश से दो अतिरिक्त कोल बर्थ (सीबी3 और सीबी4) का निर्माण किया है। दोनों नए कोयला बर्थ की क्षमता 9 एमटीपीए है और ये 18 मीटर ड्रॉफ्ट वाले केप आकार के वेसल को जगह दे सकते हैं। अनलोडर, कन्वेयर सिस्टम आदि जैसी टॉप अनलोडिंग सुविधाओं की स्थापना के लिए बर्थ टीएनपीजीसीएल को सौंप दिए गए हैं। सीबी-3 का मशीनीकरण कार्य चल रहा है और वित्तीय वर्ष 2025-26 में चालू होने की उम्मीद है। सीबी-4 के संबंध में, मशीनीकरण कार्य जो पहले अनुबंध की समाप्ति के कारण रुका हुआ था, हाल ही में एक नए ठेकेदार को दिया गया है और इसके वित्तीय वर्ष 2026-27 में चालू होने की उम्मीद है।

(ii) आईओसीएल कैप्टिव जेट्टी (3 एमटीपीए) (i) आपकी कंपनी ने पीओएल एवं एलपीजी उत्पादों को संभालने के लिए कैप्टिव जेट्टी के निर्माण के लिए मेसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के साथ रु.921 करोड़ की अनुमानित परियोजना लागत पर रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किया है तथा मेसर्स एस्सिस्टम इंडिया लिमिटेड (पूर्व में एलएंडटी

इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग लिमिटेड) को स्वतंत्र इंजीनियर नियुक्त किया है। मेसर्स आईओसीएल ने जेट्टी निर्माण के लिए ईपीसी ठेकेदार के रूप में मेसर्स आईटीडी सीमेंटेशन लिमिटेड, मुंबई का चयन किया है। आपकी कंपनी ने पाइपलाइन कॉरिडोर के लिए भूमि भाग, जल फ्रंट और आरओडब्ल्यू, मेसर्स आईओसीएल को आवंटित किया है तथा दिनांक 02.03.2022 से रियायत के पुरस्कार की तारीख घोषित की है। जेट्टी निर्माण का कार्य दिनांक 31.12.2024 को पूर्ण किया गया।

(iii) सामान्य उपयोगकर्ता कोयला (12 एमपीटीए) संभालने के लिए “जैसा है जहां है आधार” पर आयरन ओर टर्मिनल में रूपांतरण

आपकी कंपनी ने सितंबर 2006 में परियोजना कंपनी मेसर्स एसआईसीएल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड (एसआईओटीएल) के साथ बीओटी आधार पर 30 वर्षीय लौह अयस्क टर्मिनल के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया। बीओटी संचालक ने वर्ष 2010-11 की अवधि में 6 एमटीपीए क्षमता का पहला चरण विकसित किया। हालांकि, लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध के कारण, टर्मिनल कभी उपयोग में नहीं लाया जा सका। परिणामस्वरूप, मौजूदा लौह अयस्क टर्मिनल को “जैसा है जहां है” के आधार पर संशोधित करने पर विचार किया गया ताकि सामान्य उपयोगकर्ता कोयले का भी प्रबंधन किया जा सके और केपीएल एवं एसआईओटीएल के बीच दिनांक 11.07.2016 को लाइसेंस समझौता पर हस्ताक्षर हुआ।

तथापि, रियायतग्राही द्वारा वित्तीय चूक की घटना के कारण आपकी कंपनी ने मेसर्स एसआईओटीएल को दिनांक 22.03.2021 को ‘समाप्ति नोटिस’ जारी किया तथा दिनांक 20.06.2021 को उनके साथ अनुबंधित लइसेन्स करार समाप्त किया गया। तथापि, एसआईओटीएल पर वर्तमान में आईबीसी कोड के अंतर्गत एनसीएलटी कार्रवाई की जारी है तथा मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

(iv) समुद्री देव टर्मिनल – 2 (3 एमटीपीए)

आपकी कंपनी ने पीओएल की लगातार बढ़ती मांग पूरा करने के लिए 393 करोड़ रुपये के निवेश से डीबीएफओटी मोड में बर्थ और टैंकेज सुविधाओं से युक्त दूसरे समुद्री तरल टर्मिनल के विकास हेतु कार्रवाई शुरू की है। प्रतिस्पर्धी बोली के बाद, आपकी कंपनी ने दिनांक 14.02.2018 को बीपीसीएल-एचपीसीएल के कन्सॉर्टियम को लेटर ऑफ अवाई जारी किया। तथापि, एमएलटी-1 के मौजूदा बीओटी ऑपरेटर द्वारा मुकदमा के कारण, रियायत

समझौते पर हस्ताक्षर और वाटरफ्रंट का आबंटन कार्य लंबित है। मामला सुलह और निपटान समिति (सीएससी) को भेज दिया गया है।

(v) कंटेनर टर्मिनल-फेज 1(सुतर 2)(6,00,000टीईयू/11.58 एमटीपीए)

रियायत समझौते के अनुसार, रियायतग्राही मेसर्स आईसीटीपीएल को दिनांक 19.01.2019 को चरण-2 का निर्माण कार्य शुरू करना था। तथापि, चरण-2 शुरू होने में देरी के कारण, रियायतग्राही पर निश्चित क्षतिपूर्ति लागू की गई। रियायतग्राही ने दिनांक 16.8.2020 को मध्यस्थता विवाद लगाया। दिनांक 28.5.2024 को बहुमत से निर्णय से उसे पारित किया गया। आपकी कंपनी ने मध्यस्थता निर्णय के विरुद्ध अपील दायर की और यह माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में लंबित है।

इस बीच, मेसर्स आईसीटीपीएल ने दिनांक 01.04.2025 से चरण-1 (चरण-2) का निर्माण कार्य पुनः शुरू किया।

10.0 अवरसंरचनात्मक विकास

एक कॉर्पोरेट पोर्ट के रूप में, जो “भूस्वामी” मॉडल पर कार्य करता है, आपके पोर्ट को सड़क और रेल संपर्क, ड्रेज्ड बेसिन/चैनल, समुद्री सेवाएँ और अन्य सामान्य उपयोगिताएँ जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करनी होती हैं। इस उद्देश्य से आपकी कंपनी ने राष्ट्रीय राजमार्ग तक सड़क और रेल संपर्क के प्रभावी नेटवर्क के लिए कार्य शुरू किया है ताकि माल की शीघ्र प्राप्ति और निकासी सुनिश्चित हो सके जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है :-

10.1 रोड कनेक्टिविटी

(i) आंतरिक रोड कनेक्टिविटी

पोर्ट के अंदर आईओसीएल रीगैसिफिकेशन टर्मिनल तक बेहतर सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए आपकी कंपनी ने रु.17.43 करोड़ की लागत से 2 लेन कंक्रीट सड़क के निर्माण हेतु टीएनआरडीसी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। सड़क की कुल लंबाई 2.4 किमी है तथा इसे सेवा के लिए समर्पित किया गया है।

(ii) बाह्य रोड कनेक्टिविटी

(a) दक्षिणी पोर्ट ऐक्सस रोड

वर्तमान में आपके पोर्ट, पोर्ट एक्सस रोड में से एनसीटीपीएस पहुंच मार्ग तीन राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच5, एनएच4 और एनएच45) से तिरुवोटियूर - पोन्नेरी - पंचेट्टी (टीपीपी) रोड, इन्नर रिंग रोड (आईआरआर) और चेन्नई बाईपास

रोड के माध्यम से कनेक्टेड है। कार्गो के आयात/निर्यात के बढ़ते हुए सड़क यातायात को ध्यान में रखते हुए, वल्लूर जंक्शन (टीपीपी रोड) से कामराजर पोर्ट मुख्य प्रवेश द्वार तक मौजूदा दो लेन वाली सड़क को टीएनआरडीसी द्वारा 195 करोड़ रुपये की लागत से टर्नकी आधार पर चार लेन वाली सड़क तक बढ़ा दिया गया है।

सड़क कार्य टीएनआरडीसी द्वारा 2 खंडों में कार्यान्वित किया गया। खंड-1 में वल्लूर जंक्शन से एनसीटीपीएस जंक्शन तक 4.8 किमी लंबाई में सड़क चौड़ा करने/सुधार कार्य शामिल हैं। पोर्ट, पत्तन एवं जलमार्ग मंत्रालय तथा आयुष मंत्रालय से माननीय मंत्री, श्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने दिनांक 23.04.2023 को आयोजित किया गया।

(b) उत्तरी पोर्ट ऐक्सस रोड (एनपीएआर)

आपके पोर्ट को एनएच5 से जोड़ने वाले उत्तरी पोर्ट ऐक्सस रोड की लंबाई 21.148 किलोमीटर है, जिसमें 4.35 किलोमीटर लंबी स्पर रोड भी शामिल है जो मौजूदा चेन्नई ओआरआर तक जाती है। यह उत्तरी पोर्ट ऐक्सस रोड, चेन्नई पेरिफेरल रिंग रोड (सीपीआरआर) के खंड-1 का हिस्सा है। राज्य सरकार ने राजमार्ग और लघु पोर्ट (एचडबल्यू2) विभाग के दिनांक 8.3.2019 के सरकारी आदेश (एमएस) संख्या 37 के तहत इस सड़क के निर्माण के लिए रु.3339 करोड़ की प्रशासनिक संस्वीकृति प्रदान की है। टीएनआरडीसी, इस परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है तथा जीआईसीए इसका वित्त पोषण कर रहा है। मेसर्स टाटा प्रोजेक्ट्स को ठेकेदार के रूप में चुना गया है। निर्माण कार्य जनवरी 2022 में शुरू किया गया तथा दिसंबर 2026 तक पूरा होने की उम्मीद की जाती है।

(c) स्टैकयार्ड रोड

आपकी कंपनी ने अगस्त 2024 में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी, मेसर्स तमिलनाडु रोड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (टीएनआरडीसी) के साथ वल्लूर एनसीटीपीएस कैम्प राउंडटाना से आईसीटीपीएल स्टैक यार्ड तक कंक्रीट सड़क के विकास के लिए एक ठेका समझौता पर हस्ताक्षर किया है। टीएनआरडीसी ने जनवरी 2025 में मेसर्स ओम शक्ति कंस्ट्रक्शन्स को यह कार्य सौंपा। आईटीएल के कोयला स्टैकयार्ड से ट्रक द्वारा विभिन्न गंतव्यों तक कोयले की निर्बाध निकासी को सुगम बनाना इस परियोजना का उद्देश्य है।

प्रमुख सिविल कार्य में मौजूदा बिटुमेन/कंक्रीट सड़कों, पुलियों, नालियों एवं स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत और पुनर्वास के साथ-साथ आईसीटीपीएल स्टैक यार्ड

एवं केपीएल मुख्य द्वार के बीच स्थित दो प्रमुख पुलों का पुनर्निर्माण शामिल है। इसके दायरे में 4.39 किलोमीटर कंक्रीट सड़क का निर्माण और पुलों के लिए किनारे के तटबंधों को मजबूत करने के कार्य शामिल है। परियोजना की कुल अनुमानित लागत ₹.58.21 करोड़ है, जिसकी निर्धारित पूर्णता अवधि 24 महीने है।

10.2 रेल कनेक्टिविटी

वर्तमान में आपकी कंपनी, चेन्नई-दिल्ली/कोलकाता मार्ग पर दक्षिण रेलवे के चेन्नई-गुडूर खंड में स्थित अत्तिपट्ट और अत्तिपट्ट पुदुनगर स्टेशनों पर मुख्य लाइन से रेल द्वारा जुड़ी हुई है। आपकी कंपनी ने कोयला और लौह अयस्क टर्मिनलों को मौजूदा एनसीटीपीएस रेलवे लाइन से जोड़ने वाली रेलवे सुविधाओं का विकास किया है। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी के दायित्वों के अंतर्गत कंटेनर और मल्टी कार्गो टर्मिनलों को रेल संपर्क प्रदान किया गया है।

रेल यातायात में भीड़भाड़ कम करने के लिए आपकी कंपनी ने निम्नलिखित रेल संपर्क परियोजनाओं के लिए कार्रवाई शुरू की है :

(i) दक्षिणी रेल कनेक्टिविटी

आपकी कंपनी ने होल्डिंग यार्ड संख्या 1 से कंटेनर यार्ड तक मौजूदा सिंगल लाइन रेल संपर्क को दोगुना करने के लिए मेसर्स इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ ₹.88.81 करोड़ की परियोजना लागत पर समझौता करार पर हस्ताक्षर किया है। दोहरीकरण रेल संपर्क की कुल लंबाई 2.65 किलोमीटर है। इस परियोजना पर पहले ही कार्य प्रारंभ किया गया तथा पोर्ट के अंदर इंटरलॉकिंग लेवल क्रॉसिंग संख्या 4 जैसे संबद्ध कार्य फरवरी 2025 के दौरान चालू किए जाएंगे।

(ii) उत्तरी रेल कनेक्टिविटी

उत्तरी रेल लिंक (एनआरएल) आपके पोर्ट को मिंजूर स्टेशन के उत्तरी भाग यानी चेन्नई-गुडूर रेलवे मेनलाइन से जोड़ता है। एनआरएल कनेक्टिविटी की कुल लंबाई 11.211 किमी है। आपकी कंपनी और कट्टुपल्ली पोर्ट ने एनपीएआर के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा अधिग्रहित 100 मीटर आरओडब्ल्यू में से 30 मीटर आरओडब्ल्यू (प्रत्येक 15 मीटर) के लिए सहमति प्रदान की है। आपकी कंपनी ने इस एनआरएल कनेक्टिविटी परियोजना को एक दीर्घकालिक परियोजना माना है।

(iii) केपीएल और एनसीटीपीएस रेलवे लाइनों का एकल उन्नयन

आपकी कंपनी ने होल्डिंग यार्ड II में संशोधन कार्य (पावर वे, ओएचई और एस एंड टी) सहित केपीएल ट्रेक (होल्डिंग यार्ड I, II तथा केपीसीए) और एनसीटीपीएस रेलवे ट्रेक (कॉमन रेलवे ट्रेक) के एकल उन्नयन के लिए मेसर्स इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता करार पर हस्ताक्षर किया है। रेल संपर्क की कुल उन्नयन लंबाई 26.38 ट्रेक किमी है, जिसकी अनुमानित लागत ₹.35.20 करोड़ है। सिविल, ओएचई और एस एंड टी जैसे कार्यों का मूल दायरा पूर्ण किया गया है। अत्तिपट्ट स्टेशन में एस एंड टी का अतिरिक्त कार्य प्रगति पर है। यह कार्य दिसंबर 2025 तक पूरा होने की उम्मीद की जाती है।

10.3 ड्रेजिंग योजना

(i) पूंजीगत ड्रेजिंग फेज-V

रो-रो सह जनरल कार्गो बर्थ-II और आईओसीएल कैपिटल टर्मिनल जैसे बर्थों के लिए (-) 16 मीटर सीडी की जल गहराई प्रदान करने के लिए ₹.156,08,56,760/- (जीएसटी छोड़कर) मूल्य पर मेसर्स जॉन दे नुल ड्रेजिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई को प्रदान किया गया तथा अक्टूबर 2023 की अवधि में कैपिटल ड्रेजिंग चरण-V का कार्य पूर्ण किया गया।

(ii) पूंजीगत ड्रेजिंग फेज-VI

एक्जिम ट्रेड की मांग में वृद्धि के साथ ट्रेड की प्राथमिकता की अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए गहरे ड्राफ्ट जहाजों को तैनात करना होगा। MIV-2030 पहल के साथ संरेखित करने के लिए, आपकी कंपनी ने पोर्ट के बेसिन और चैनल क्षेत्र में (-)18 मीटर गहरे ड्राफ्ट देने के लिए कैपिटल ड्रेजिंग चरण-VI को पूरा करने की कार्रवाई फिर से शुरू की है। पीआईबी द्वारा अनुमोदित अनुमानित ड्रेजिंग लागत ₹.513.83 करोड़ का वित्तपोषण आंतरिक और अतिरिक्त बजट संसाधनों के माध्यम से किया जाएगा। निविदा प्रक्रिया पूरी करने के बाद दिनांक 24.10.2024 को जीएसटी छोड़कर ₹.440.70 करोड़ के ठेका मूल्य पर मेसर्स वेन ओर्ड मरीन कॉन्ट्रैक्टर्स बीवी, मुंबई को काम सौंपा गया। कार्य प्रगति पर है। जून 2026 तक पूरा होने की उम्मीद की जाती है।

11.0 औद्योगिक संबंध

आपकी कंपनी ने वर्ष 2024-2025 की अवधि में सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखा। वर्ष की अवधि किसी भी हड़ताल या कार्य-स्थगन के कारण किसी भी कार्यव दिवस नष्ट नहीं हुआ है। पोर्ट पर श्रमिकों की स्थिति सामान्य रही है।

12.0 मानव संसाधन विकास

12.1 कार्मिक शक्ति

दिनांक 31.03.2025 तक, आपकी कंपनी में कुल 92 कर्मचारी थे जिनमें निम्नलिखित वर्गीकरण के तहत 74 पुरुष कर्मचारी, 18 महिला कर्मचारी तथा 0 ट्रांसजेंडर कर्मचारी शामिल थे।

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़े वर्ग	अन्य	कुल
अधिकारी	11	2	30	21	64
कर्मचारी	9	1	10	8	28
कुल	20	3	40	29	92

12.2 अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व

आपकी कंपनी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक आदि के पक्ष में पद/लाभ के आरक्षण का समय-समय पर केंद्र सरकार के राष्ट्रपति के निर्देशों और आदेशों का सावधानीपूर्वक पालन करती है। अनुसूचित जाति के कर्मचारी कुल कार्मिकशक्ति के 22% है तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी कुल कार्मिकशक्ति के 3% हैं तथा उनके प्रतिनिधित्व के विवरण निम्नानुसार हैं:

संगठन में आरक्षण आदेशों के अनुपालन और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

12.3 प्रशिक्षण

चूँकि, आपकी कंपनी का मानना है कि अपने कर्मचारियों को उनके संबंधित क्षेत्रों में ज्ञान से अवगत रखने के लिए उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक है, इसलिए इस वर्ष के दौरान कर्मचारियों को 153 कार्यदिवसों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसके लिए लगभग ₹.17.59 लाख का व्यय हुआ।

प्रस्तुत वर्ष की अवधि में कर्मचारियों ने स्मार्ट पोर्ट टेक्नोलॉजीज और पोर्ट एवं टर्मिनल ऑप्टिमाइजेशन, पोर्ट पर्यावरण प्रबंधन और स्थिरता, पोर्ट और समुद्री सेवाएं, ड्रेजिंग टेक्नोलॉजी, आईएमओ लेवल I और II प्रशिक्षण, ग्रीन पोर्ट्स, सेबी, साइबर खतरा खुफिया, एनआईडीएम के साथ आपदा प्रबंधन, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पीपीपी फ्रेमवर्क, पर्यावरण, सामाजिक और

शासन स्थिरता के तरीके, सीएसआर, पोर्ट और हार्बर इंजीनियरिंग, आरक्षण, पोर्ट सुरक्षा, ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा लेखा परीक्षा, हिंदी कार्यशालाएं आदि कार्यक्रमों में भाग लिया।

12.4 शिकायत निवारण पद्धति

आपकी कंपनी ने कार्यकारी और गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के लिए शिकायत निवारण प्रक्रिया लागू की है। समीक्षाधीन वर्ष में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

13.0 समुद्री

13.1 समुद्री प्रचालन

आपके पोर्ट ने निम्नलिखित पहल के माध्यम से प्रचालन उत्कृष्टता और समुद्री सुरक्षा निरूपित करता है:

- सभी महासमुद्री वेसलों के लिए 24 x 7 त्वरित पयलटेज, टर्नराऊण्ड टाइम करम करता है तथा बर्थ उपयोग में सुधार
- 4 टग, 2 पायलट लॉन्च और 2 मूरिंग बोट के अत्यधिक चुस्त फ्लीट बनाए रखते हुए सद्दसम पोत पत्तन समर्थन
- सभी टग, फई-फई (अग्निशमन) व्यवस्थाओं से सज्ज हैं जो एलपीजी/एलएनजी वेसलों को संभालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुकूल हैं।
- आईएसपीएस कोड अनुपालन एवं सुरक्षित समुद्री अवरसंरचना सुनिश्चित करने के लिए साआईएसएफ कार्मिकों से सज्ज एक समर्पित पेट्रोल बोट जो समुद्र तट पर वर्ष के 365 दिन, चौबीसों घंटे प्रचालित है।

13.2 वेसल ट्राफिक सर्विस (वीटीएस)

नौवहन सुरक्षा एवं पर्यावरण सुरक्षा प्रोत्साहित करने के लिए आपके पोर्ट ने स्वदेश में विकसित अत्याधुनिक वेसल ट्रेफिक सर्विस सेवा को कार्यान्वित किया है। इसके द्वारा निम्नांकित सेवाएं प्रदान की जाती हैं :

- स्तविक समय सूचना सेवाएँ
- सक्रिय नौवहन सहायता
- पोर्ट में आनेवाले या पोर्ट से जानेवाले सभी वेसलों के लिए संयोजित समुद्री ट्राफिक प्रबंधन

13.3 वेसल संभालने के महत्वपूर्ण बिन्दु

आपका पोर्ट सुरक्षित, व्यवस्थित एवं स्केलेबल शिपिंग संचालन का कार्य सतत प्रदान करता है :

- कुशल समुद्री पायलट एवं आधुनिक नौवहन समर्थन द्वारा असंख्य पायलटेंज एवं बर्तिंग सेवाएं प्रदान किया है जिससे त्वरित टर्नराऊण्ड सुनिश्चित करते हुए विभिन्न प्रकार के बृहत् एवं विशिष्ट वेसल संभाले गए।
- आक्रामक जलीय प्रजातियों के पैदा होने की प्रक्रिया रोकने, पर्यावरणीय संरक्षण सुदृढ़ करते हुए पूर्ण रूप से आइएमओ बल्लास्ट जल प्रबंधन प्रक्रण का अनुपालन करता है।
- दिसंबर 2022 से समुद्री एकल विण्डो (एमएसडबल्यू) युक्त एनएलपी (सागर सेतु) का पूर्ण अनुपालन तथा जनवरी 2025 से एक राष्ट्र एक पोत पतन की ओर अग्रसर
- वेसल दस्तोवजीकरण के विस्तृत डिजिटाइजेशन का प्रारंभ करते हुए विभागों में पारदर्शिता में और सक्षमता सुधार
- चक्रवात एवं भारी वर्षा की तैयारी हेतु वास्तविक समय मौसम अनुवीक्षण को सक्षम बनाते हुए पोर्ट स्वचालित मौसम स्टेशन (एडबल्यूएस) को संस्थापित करने के लिए आइएमडी के साथ संयोजन कार्य जिससे कि सही समय एवं शुद्ध मौसम मूल्यांकन को निश्चित किया जा सकता है।

14.0 पोर्ट सुरक्षा

आइएसपीएस विनियमनों एवं डीजी पोत पतन नियम अनुपालन के अनुकूल सुरक्षा एक मुख्य प्राथमिकता है :

- प्रमाणित आइएसपीएस अनुपालन
- सभी संबद्ध एजेन्सियों के सहयोग में डीजी पोत पतन द्वारा सुरक्षा परीक्षण
- सतत पुनरीक्षण एवं सुधार सुनिश्चित करने के लिए तिमाही पोर्ट सुविधा सुरक्षा सलाहकार समिति (पीएफएसएसी) की बैठकों का आयोजन
- सुरक्षा संबंधी सूचना के लिए आसूचना ब्यूरो (आइबी) सहित सभी सुरक्षा एजेन्सियों के साथ संयोजन
- सीआईएसएफ, टर्मिनल प्रचालक, भारतीय नौसेना तटरक्षक एवं राज्य प्राधिकारियों के साथ नियमित बहु-एजेन्सी ड्रिल

- आपदा तैयारी एवं भीड़ प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए विश्व ट्सुनामी जागरूकता दिवस मनाने हेतु आइटीईडबल्यूसी एवं एनडीएमए द्वारा आयोजित राष्ट्रीय ट्सुनामी नकली अभ्यास (5 नवंबर 2024) में भाग लिया।

- पोर्ट को निम्नलिखित द्वारा विस्तृत सुरक्षा प्रदान की गई है :

- विस्तृत सीसीटीवी निगरानी
- आरडीई सिस्टम्स
- बैगेज स्केनर
- ऐक्सेस कंट्रोल उपकरण
- अन्य सुरक्षा उपकरण

15.0 सर्वेक्षण एवं ड्रेड्जिंग

15.1 कामराजर पोर्ट में बाथमेट्री सर्वेक्षण :

समुद्री सतह एवं जल के नीचे की स्थलाकृति को सटीक रूप से मूल्यांकित एवं अनुवीक्षण करने के लिए वर्षा के मौसम से पहले और बाद की अवधि में बाथमेट्रिक सर्वेक्षण किया जाता है। यह, सुरक्षित नौवहन, ड्रेड्जिंग क्रियाकलापों के लिए प्रभावशाली योजना तैयार करने तथा घोषित नौवहन गहराइयों को बनाए रखने के लिए अत्यंत अनिवार्य है। डेटा, पोर्ट प्रचालनों के लिए कार्यनीति युक्त निर्णय करने में समर्थन प्रदान करता है, नौवहन खतरों को कम रता है, विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करता है तका अवरसंरचनात्मक योजना एवं रखरखाव में योगदान देता है।

15.2 तटरेखा अनुवीक्षण अनुपालन

तट में होनेवाले परिवर्तनों, अपरदन, अभिवृद्धि पैटर्नों एवं तटरेखा की समग्र स्थिरता को मूल्यांकित करने के लिए कामराजर पोर्ट में तटरेखा अनुवीक्षण की किया जाता है। नियमित अनुवीक्षण से विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकता है, तटरेखा अवरसंरचना की सुरक्षा में सहायता प्रदान करता है, दीर्घकालिक पोर्ट प्रचालनों को समर्थन प्रदान करता है तथा पोर्ट क्रियाकलापों के कारण पर्यावरणीय प्रभावों को समय से पहले पहचान करने में सहायता प्रदान करता है। यह, पर्यावरण संरक्षण एवं खतरा प्रबंधन में एक मुख्य पहलू बन जाता है।

15.3 नौवहन चार्ट अपडेट

पोर्ट समुद्री सुरक्षा, विनियामक अनुपालन एवं कुशल पोत संचलन सुनिश्चित करने के लिए सटीक नौवहन तथा इलेक्ट्रॉनिक नौवहन चार्ट (ईएनसी) के महत्व को समझता है। यह चार्ट जल की गहराई, नौवहन सहायता, समुद्र तल की विशेषताओं तथा अवरसंरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। इस प्रकार पोर्ट, महत्वपूर्ण ड्रेड्जिंग, ड्रेड्जिंग एवं अन्य समुद्री अवरसंरचना परियोजनाओं को पूर्ण करने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए चार्टों के समय समय पर अपडेट और संशोधन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय (एनएचओ), देहरादून के साथ काफी निकट संबंध बनाए रखता है। ड्रेड्जिंग, बर्थ निर्माण एवं नौवहन सहायक उपकरणों को पुनर्संस्थापित करने जैसे मानव निर्मित परिवर्तनों तथा गाद और समुद्र तल में परिवर्तन, दोनों की दृष्टि से नियमित अपडेट अनिवार्य हैं। अद्यतनित चार्टों से अपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए भी अत्यंत सहायक हैं तथा इलेक्ट्रॉनिक चार्ट प्रदर्शन एवं जानकारी व्यवस्थाओं (ईसीडीआईएस) से युक्त वेसलों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इनके लिए अद्यतन ईएनसी डेटा की आवश्यकता होती है। इस पद्धति के अनुसरण से पोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा मानकों के अनुरूपता सुनिश्चित की जा सकता है तथा आनेवाले सभी वेसलों के लिए नौवहन विश्वसनीयता को बढ़ावा देता है।

15.4 पारंपरिक ज्वारीय डेटा प्रबंधन

भारतीय सर्वेक्षण, देहरादून के साथ निकट स्तर से कार्य करने से ज्वारीय डेटा संग्रहण के लिए एक व्यवस्थित प्रोग्राम बनाए रखता है। देहरादून स्थित भारतीय सर्वेक्षण को उक्त प्रतिदिन स्तर पर अनुवीक्षण किए गए ज्वारीय डेटा को प्रतिमाह स्तर पर अग्रेषित किया जाता है जो भारतीय ज्वार सारिणी में प्रकाशित पूर्वानुमानित ज्वारों को वार्षिक स्तर पर तैयार करने के लिए इस्तेमाल करता है। उक्त सारिणी, नौवहन, पोर्ट विकास एवं तटवर्ती सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। संग्रहीत ज्वारीय डेटा, पोर्ट के आंतरिक प्रचालन योजना तैयार करने तथा अन्य समुद्री क्रियाकलापों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

15.5 स्वचालित ज्वार गेज अनुवीक्षण

पोर्ट, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान जानकारी सेवा केन्द्र (आइएनसीओआइएस) के संयोजन में अपने स्वचालित ज्वार गेज व्यवस्था के प्रचालन के माध्यम से ज्वारीय डेटा के सतत और व्यवस्थित रिकार्डिंग एवं रखरखाव सुनिश्चित करता है। वास्तविक समय डेटा,


आंतरिक योजना तैयार करने, नौवहन सुरक्षा, अवरसंरचनात्मक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है तथा यह जल सर्वेक्षण एवं अन्य समुद्री प्रचालनों को समर्थन प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त ज्वारीय डेटा को राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सुरक्षा संबंधी उद्देश्य से प्रतिमाह स्तर पर भारतीय नौसेना, राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय, देहरादून को अग्रेषित करता है।



स्वचालित ज्वार गेज अनुवीक्षण व्यवस्था

15.6 जीएनएसएस संस्थापन

उक्त पायलट परियोजना के एक भाग के रूप में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान जानकारी सेवा केन्द्र (आइएनसीओआइएस) द्वारा पोर्ट में एक वैश्विक नौवहन उपग्रह व्यवस्था (जीएनएसएस) संस्थापित की गई है। यह संस्थापन, जल सर्वेक्षण, ज्वारीय वीक्षण एवं पोजिशनिंग डेटा की शुद्धता एवं विश्वसनीयता को बढ़ाता है। सुरक्षित नौवहन, सक्षम पोर्ट प्रचालन, ड्रेड्जिंग क्रियाकलाप और अवरसंरचनात्मक विकास के लिए सटीक पोजिशनिंग अत्यंत अनिवार्य है। जीएनएसएस की सेट-अप, वास्तविक समय डेटा प्राप्ति को समर्थन देता है तथा पोर्ट में समुद्री एवं तटवर्ती डेटा प्रबंधन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करता है।



वैश्विक नौवहन उपग्रह व्यवस्था

15.7 रखरखाव ड्रेड्जिंग

पोर्ट ने सीबी1, सीबी2 एवं ईसीटीपीएल में बर्थों के साथवाली जगहों में शेड्यूल्ड गहराई बनाए रखते हुए नौवहन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रखरखाव ड्रेड्जिंग कार्य करता है। इन गहराइयों का अनुवीक्षण करने तथा

इनका वैधीकरण करने के लिए वर्षाकाल से पहले (मार्च/अप्रैल) और बाद (सितंबर/अक्टूबर) की अवधि में जल सर्वेक्षण बाथमेट्रिक सर्वेक्षण अर्द्ध वार्षिक स्तर पर किया जाता है।

15.8 भू-स्थानिक मानचित्रण

कामराजर पोर्ट के जलक्षेत्र और समुद्री क्षेत्राधिकार को सटीक रूप से परिभाषित और सीमांकित करने के लिए, भू-स्थानिक मानचित्रण किया गया है। यह सर्वेक्षण, पोर्ट की स्पष्ट सीमाएँ निर्धारित करने, नियामक अनुपालन को बढ़ावा देने पोर्ट की योजना तैयार करने, विकास एवं संसाधन प्रबंधन में सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। परिणामस्वरूप, प्राप्त अद्यतन पोर्ट सीमा रेखाचित्र, अवरसंरचना के विस्तार, समुद्री सुरक्षा तथा वैधानिक प्राधिकरणों के साथ समन्वय कार्य के लिए एक आधारभूत संदर्भ के रूप में कार्य करता है।

16.0 स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण

आपका पोर्ट, अपने कर्मचारियों एवं पणधारियों के लिए एक सकारात्मक सुरक्षा संस्कृति तथा सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा तथा पोर्ट संचालन को स्थिर रूप देने के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी पद्धतियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है।

आपका पोर्ट, कार्यस्थल में व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के मामलों से संबंधित सभी लागू कानून और विनियमन की आवश्यकताओं को पूरा करता है तथा कार्यस्थल पर इनका पालन करने हेतु सभी पणधारियों के लिए एक उदाहरण स्थापित करता है। इसके अतिरिक्त, यह मान्यता है कि कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी है और सभी से अच्छी सुरक्षा प्रथाओं का पालन करने तथा उन्हें बढ़ावा देने की अपेक्षा की जाती है।

16.1 स्वास्थ्य

आपके पोर्ट ने 8 मार्च 2025 को मनाए जाने वाले महिला दिवस के अवसर पर, तिरुवल्लूर जिले की राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) समन्वयक डॉ. पुनीता द्वारा महिला कर्मचारियों और स्वयं सहायता समूह की महिला कार्यकर्ताओं के लिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता पैदा करने हेतु एक स्वास्थ्य सत्र का आयोजन किया है।

आपके पोर्ट ने किसी भी चिकित्सा संबंधी आपात स्थिति से निपटने के लिए एक व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र (ओएचसी) स्थापित किया है, जिसमें 24x7 प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ और सभी कार्य दिवसों में

सामान्य पाली में एक चिकित्सक मौजूद है। इसके अतिरिक्त, आपके पोर्ट में कर्मचारियों एवं अन्य पणधारियों की किसी भी प्राथमिक चिकित्सा संबंधी आवश्यकता पूरा करने के लिए 24x7 एक एम्बुलेंस भी उपलब्ध है।

16.2 सुरक्षा

आपके पोर्ट ने वर्ष 2024-25 (टर्मिनल प्रचालकों को छोड़कर) की अवधि में प्रचालनों में शून्य घातक घटना एवं शून्य खोया समय घटना प्राप्त किया है।

आपका पोर्ट, कार्यस्थल में वांछित प्रचालनात्मक उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवधिक प्रशिक्षण एवं ड्रिलों के आयोजन द्वारा सुरक्षा शैली को प्रोत्साहित करता है। आपके पोर्ट ने स्वस्थ कार्य वातावरण के लिए सुरक्षा के अनुपालन के महत्व और उसकी आवश्यकता की दिशा में कर्मचारियों, पणधारियों तथा पोर्ट उपयोगकर्ताओं को सुरक्षा के प्रति सेवेदनशील बनाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह एवं रोड सुरक्षा सप्ताह आयोजित करता है।

आपके पोर्ट ने पोर्ट उपयोगकर्ताओं के लिए अग्निशमन पर आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है, केपीएल और बीओटी संचालकों के लिए मॉक ड्रिल आयोजित आयोजित किया है। साथ ही आपके पोर्ट ने ऑयल एवं गैस तथा ताप विद्युत संयंत्र क्षेत्रों में निकटवर्ती उद्योगों के साथ पारस्परिक सहायता अभ्यासों में सक्रिय रूप से भाग लेता है।

आपके पोर्ट में किसी भी अप्रत्याशित आपात स्थिति के दौरान प्रभावी प्रतिक्रिया और कार्रवाई के लिए एक स्वीकृत आपदा प्रबंधन योजना और संकट प्रबंधन योजना अपनाई जाती है। आपका पोर्ट, पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों से सज्ज है जिनका रखरखाव मानकों के अनुसार किया जाता है। आपके पोर्ट में कर्मचारी एवं पणधारी व्यक्तिगत सुरक्षा का पालन करते हैं तथा आपात स्थितियों में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के महत्व को समझते हैं।

आपका पोर्ट, पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (एनएससी) की सहायता से गैर-ज्वलनशील उत्पादों को संभालने वाले बर्थ/टर्मिनलों/भंडारण सुविधाओं का सुरक्षा परीक्षण और अनुवर्ती ऑडिट करता है।

साथ ही, आपका पोर्ट, निकटवर्ती चूकों/घटनाओं/दुर्घटनाओं का विश्लेषण करते हुए अच्छी पद्धतियों को सुनिश्चित करता है तथा जोखिम कम करने हेतु कार्यस्थल पर सुरक्षा संस्कृति बढ़ाने हेतु सुधारात्मक कार्रवाई के रूप में प्राप्त किए गए सबक लागू करता है।

आपके पोर्ट में राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिकता योजना (एनओएस-डीसीपी) के दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप टियर I – ऑयल रिसाव रिसाव उपकरणों से सज्ज है। पोर्ट ने राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिकता योजना (एनओएस-डीसीपी) दिशानिर्देशों के अनुसार आईएमओ स्तर I, II और III में प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा किया है।

16.3 पर्यावरण

आपका पोर्ट, लागू पर्यावरण नियमों का अनुपालन किया जाता है तथा एमओईएफसीसी, सीपीसीबी एवं टीएनपीसीबी को पोर्ट परियोजनाओं से संबंधित भिन्न पर्यावरण अनापत्तियों में निर्धारित शर्तों के अंतर्गत अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

एमएआरपीओएल के विनियमनों के अनुपालन के एक भाग के रूप में आपके पोर्ट ने एमएआरपीओएल के अंतर्गत अनुबंध I, II, IV, V & VI के अंतर्गत प्राप्ति सुविधाओं को स्थापित किया है। साथ ही, पोर्ट ने जहाजों द्वारा पैदा किए जानेवाले ऑयली अपशिष्टों के संग्रहण एवं निपटान हेतु तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित के आठ रीसाइक्लर्स को मनोनीत किया है।

आपका पोर्ट, जोखिम अपशिष्टों के पैदा होने, संग्रहण और निपटान के लिए प्राधिकृत है। साथ ही, आपका पोर्ट पूर्व वर्ष में संभाले गए जोखिम अपशिष्टों की मात्रा के लिए जोखिम एवं अन्य अपशिष्टों (सीमा पार और प्रबंधन) नियम, 2016 के अंतर्गत वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करता है।

आपका पोर्ट, चक्रिय अर्थव्यवस्था के सृजन में दिलचस्पी रखता है तथा दीर्घकालिक पोर्ट प्रचालनों के लिए घटाना, पुनरुपयोग एवं पुनश्चक्रण (आरआरआर) सिद्धांत का अनुपालन करता है। आपके पोर्ट ने पोर्ट परिसरों में एकल उपयोग प्लास्टिकों के उपयोग का निषेध किया है तथा जहाजों और पोर्ट में विभिन्न स्थानों से संगृहीत अन्य ठोस व्यर्थ पदार्थों को भिन्न भिन्न वर्गों में पृथक किया जाता है तथा उन्हें प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड द्वारा अनुमोदित पुनश्चक्रण उद्योगों में आगे के लाभदायक उपयोग के लिए भेजा जाता है।

आपके पोर्ट ने अपने परिसरों में कार्बनिक अपशिष्ट परिवर्तक संस्थापित किया है जो पोर्ट और जहाजों से पैदा होनेवाले कार्बनिक / खाद्य पदार्थ अपशिष्टों का उपचार किया जाता है और उसे हरित बेल्ट में खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

आपका पोर्ट, सतत रूप से एक सौहार्दपूर्ण एवं हरित पोर्ट के रूप में बने रहने के लिए सतत प्रयास करता रहता है। पोर्ट ने वायु की गुणवत्ता,

वातावरणिक ध्वनि स्तर, समुद्री जल गुणवत्ता, सतही जल गुणवत्ता, भू-तल जल गुणवत्ता तथा एसटीपी आऊटलेट जल गुणवत्ता जैसे विभिन्न पर्यावरणीय प्राचलों के सैम्पलिंग और परीक्षण हेतु एक एनएबीएल प्रत्यायित एवं एमओईएफ तथा सीसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला, मेसर्स नित्या प्रयोगशाला को नियुक्त किया है।

आपका पोर्ट यह सुनिश्चित करता है कि बीओटी प्रचालक पोर्ट के अंदर भी अपने संबद्ध टर्मिनलों में पर्यावरण का अनुवीक्षण कर रहे हैं। राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को नियमित रूप से पर्यावरण गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाते हैं। वायु गुणवत्ता स्तरों के साथ सभी पर्यावरणीय प्राचलों को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंदर ही बनाए रखा जा रहा है।

आपके पोर्ट ने मुख्य द्वार, सिग्नल स्टेशन तथा सामान्य कार्गो बर्थ क्षेत्रों में तीन सतत वातावरणिक वायु गुणवत्ता स्टेशन संस्थापित किया है तथा उक्त स्टेशनों से प्राप्त डेटा को वास्तविक समय अनुवीक्षण के लिए सीपीसीबी एवं टीपीसीबी के सर्वरों से सिंक्रोनाइज किया गया है।

आपके पोर्ट ने वर्तमान मौजूदा 9.6 एमटीपीए से 11 एमटीपीए तक की दूरी में बढ़ती कोयले मांग पूरा करने के लिए एन्नोर कोयला टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड में कोयला संभालने की क्षमता में वृद्धि करने हेतु पर्यावरणीय एवं सीआरजेड अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है।

आपके पोर्ट ने एन्नोर बल्क टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड में अतिरिक्त वस्तुओं को संभालने के लिए कार्गो प्रोफाइल में परिवर्तन करने के लिए पर्यावरणीय एवं सीआरजेड अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है जिससे हमें बेहतर सर्विस सुविधा और प्रचालनात्मक क्षमता मिलती है।

आपके पोर्ट ने मौजूदा परिचालन समुद्री तरल टर्मिनल की क्षमता को 3 मिलियन टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 6 मिलियन टन प्रति वर्ष करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संदर्भ की शर्तें प्राप्त की थीं।

आपके पोर्ट ने बीओटी प्राचलों के साथ 1.320MW के नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत (सौर ऊर्जा) संस्थापित किया है तथा उक्त नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से उसके कैप्टिव उपभोग से 50% प्राप्त करता है।

आपके पोर्ट और बीओटी प्रचालकों ने अपने अपने परिसरों में 113केएलडी क्षमता युक्त सीवर उपचार संयंत्रों को संस्थापित किया है। आपका पोर्ट शून्य द्रव उत्सर्जन (जेडएलडी) एवं पुनश्चक्रित जल के पुनरुपयोग सिद्धांत में दिलचस्पी रखता है।

जहाज से पैदा होनेवाले उत्सर्जन स्तरों में कमी लाने के एक भाग के रूप में आपका पोर्ट, पहले से ही पोर्ट क्राफ्टों को निष्क्रिय अवस्था में तटीय विद्युत आपूर्ति प्रदान कर रहा है, जिससे उत्सर्जन में कमी हो रही है। आपके पोर्ट ने कोल बर्थ 1 एवं 2 में तट पवर आपूर्ति सुविधा के संस्थापन कार्य को पूर्ण किया है और अब उसका कमिशन किया जाना है। आपके पोर्ट ने कार्गो संभालने के उपकरण का 80% को इलेक्ट्रीकृत किया है जिससे काफी हद तक उत्सर्जनों को कम किया जा रहा है।

आपके पोर्ट ने कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए पोर्ट के क्षेत्रों में 6 ई-वाहनों को लागू किया है। उक्त नियोजित ई-वाहनों को कार्मिकशक्ति, टोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि के परिवहन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अतिरिक्त कंटेनर टर्मिनलों में प्रयुक्त 24 आइटीवीयों का पूर्ण रूप से इलेक्ट्रीकृत किया गया है। साथ ही पोर्ट ने अपने परिसरों में पत्तन, पोत पत्तन एवं जलमार्ग मंत्रालय के लक्ष्यों के अनुरूप 5 ई-चार्जिंग स्टेशनों का विकास किया है।

आपके पोर्ट ने पवर उपभोग कम करने के लिए सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायेन्सों को उच्च दरित अप्लायेन्सों के साथ प्रतिस्थापित किया है।

आपके पोर्ट ने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के माध्यम से बीओटी टर्मिनलों सहित अपने सभी प्रचालनात्मक क्षेत्रों के लिए पर्यावरणीय एवं जल परीक्षण किया है।

आपके पोर्ट ने 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया है। इस समारोह के एक भाग के रूप में कई जागरूकता क्रियाकलाप आयोजित किए गए। साथ ही आपके पोर्ट ने विभिन्न पणधारियों के साथ में दो लेन के कंक्रीट रोड के दोनों तरफ वृक्षारोपण कार्य किया है।

17.0 कार्यस्थल में महिलाओं के उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटन तथा महिला सशक्तीकरण

कंपनी में कार्यस्थलों में महिलाओं को यौन उत्पीड़न के प्रति सुरक्षा प्रदान करने तथा शिकायतों के निपटान के लिए कार्यस्थल में महिलाओं के उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रावधानों को कार्यान्वित किया है। समीक्षाधी वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः नब्बे दिनों से अधिक अवधि के लिए कोई भी शिकायत का निवारण नहीं किया गया है / लंबित नहीं है।

कंपनी ने मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के प्रावधानों का भी अनुपालन किया है तथा अर्हक कर्मचारियों को सांविधिक योग्यताओं को सुनिश्चित किया है।

कंपनी के रोल में 31 मार्च 2025 तक कुल 18 महिला कर्मचारी हैं जिनमें से कर्मचारी संवर्ग में 3% हैं तथा अधिकारी संवर्ग में 16% हैं। वर्ष में 50वें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के सुअवसर पर अपनी महिला कर्मचारियों के सम्मान में महिला सशक्तीकरण के लिए विस्तृत प्रयासों के साथ सप्ताह अवधि के कार्यक्रम आयोजित किए गए।

18.0 कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

आपकी कंपनी, एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में सीएसआर नीति एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। सीएसआर वार्षिक रिपोर्ट में सीएसआर समिति, सीएसआर नीति एवं वर्षभर में किए गए प्रयासों से संबंधित वांछित प्रकटन संलग्नक - I के रूप में सम्मिलित किया गया है तथा यह बोर्ड रिपोर्ट का एक भाग है।

19.0 सार्वजनिक क्रय नीति

सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने सार्वजनिक क्रय नीति को अधिसूचित किया है। आपकी कंपनी ने सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यमों (अनुसूचित जाति/जनजाति के स्वामित्व एमएसई सहित एवं महिला उद्यमियों) से 26.87% के वार्षिक मूल्य के वस्तुओं का क्रय एवं सेवाओं को प्राप्त किया है।

20.0 खतरा प्रबंधन नीति

आपकी कंपनी ने प्रबंधकों को संभाव्य खतरे एवं मौकों की पहचान करने, मूल्यांकित करने तथा सूचित निर्णय लेने में खतरा प्रबंधन नीति को अपनाया है। खतरा प्रबंधन नीति के कुछ उद्देश्यों का फेमवर्क निम्नानुसार है :

- बाधाओं की पहचान करने और उन्हें प्रबंधित करने में एक केंद्रित दृष्टिकोण, जिससे संगठन के बेहतर निष्पादन में मदद मिल सके।
- पूरे संगठन में एक संरचित खतरा प्रबंधन प्रयास शुरू करने के लिए संगठन के उद्देश्यों पर पड़नेवाले प्रतिकूल प्रभाव युक्त संभाव्य खतरों की पहचान करने तथा आर्बिटि विशिष्ट जिम्मेदारियों से युक्त उनके निवारण के लिए योजना
- कार्यनीति युक्त निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार
- व्यावसायिक कार्य-निष्पादन में सुधार
- प्रचालन संबंधी चौकन्ना करनेवाले तथा हानियों को कम करना
- पूंजी के नियोजन में सुधार
- उत्कृष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेन्स के घटकों के रूप में समेकित खतरा प्रबंधन एवं आंतरिक नियंत्रण के लिए एक सुदृढ़ आधार प्रदान करना .

खतरों की पहचान की जाती है, उन्हें मूल्यांकित किया जाता है तथा समय समय पर उनका अनुवीक्षण किया जाता है।

21.0 व्हिसल ब्लोअर नीति

आपकी कंपनी ने कर्मचारियों के लिए एक “व्हिसल ब्लोअर नीति” लागू की है ताकि वे प्रबंधन को व्यावसायिकता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और नैतिक व्यवहार के उच्चतम मानकों को अपनाते हुए अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता के उल्लंघन की सूचना दे सकें। वर्ष की अवधि में इस नीति के दायरे में आने वाली कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। व्हिसल ब्लोअर नीति आपकी कंपनी की वेबसाइट <http://www.kamarajarport.in/upload/uploadfiles/files/blower.pdf> में उपलब्ध किया गया है।

22.0 नामांकन एवं पारिश्रमिक नीति

में नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसरण निदेशकों की नियुक्ति, निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों सहित अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक पर एक नीति तैयार की है। नामांकन एवं पारिश्रमिक नीति वेबलिंग https://kamarajarport.in/upload/uploadfiles/files/Nomination_RemunerationPolicy.pdf में उपलब्ध किया गया है।

23.0 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आपकी कंपनी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अनुपालन कर रही है तथा उसने आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुपालन की देखभाल के लिए एक सार्वजनिक सूचना अधिकारी तथा अपील प्राधिकारी को नामित किया है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी) के अनुसार प्रदान की जाने वाली आवश्यक जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.kamarajarport.in में उपलब्ध की गई है। वर्ष के दौरान प्राप्त 42 आवेदन तथा एक अपील का निपटान निर्धारित समय के अंदर किया गया।

24.0 सूचना प्रौद्योगिकी

आपकी कंपनी तकनीकी अपनाने में अग्रणी है, व्यावसायिक प्रक्रिया दक्षता बढ़ाने तथा उत्कृष्ट मूल्य प्रदान करने के लिए डिजिटल उपकरणों का लाभ उठा रही है। भारत सरकार की डिजिटल परिवर्तन पहलों के अनुरूप, आंतरिक संचालन सुव्यवस्थित करने तथा पणधारियों की सेवाओं में सुधार के लिए कई आईटी-संचालित परियोजनाएँ कार्यान्वित की गई हैं। वर्ष की अवधि में एसएपी प्रणालियों ने 99.5% से अधिक अपटाइम बनाए रखा, जिससे महत्वपूर्ण व्यावसायिक अनुप्रयोगों की उच्च उपलब्धता सुनिश्चित हुई।

आपकी कंपनी ने प्रचालन दक्षता को और बेहतर बनाने के लिए एसएपी-प्रमाणित नो कोड/लो कोड अप्लिकेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, मेंडिक्स जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाया है। इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए विकसित प्रमुख अप्लिकेशन निम्नानुसार हैं:

(i) पोर्ट प्रचालन सिस्टम (पीओएस)

यह, सभी समुद्री और कार्गो परिचालन गतिविधियों की योजना बनाने, अनुवीक्षण करने तथा प्रबंधन के लिए डिजाइन किया गया एक आंतरिक अनुप्रयोग है। पीओएस को सागर सेतु (एनएलपी-एम) प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे शिपिंग एजेंटों, लाइनों तथा सीमा शुल्क दलालों जैसे बाहरी पणधारियों के साथ निर्बाध डेटा विनिमय संभव हो पाता है।

(ii) व्यवसाय इंटरफ़ेस पोर्टल (बीआईपी)

एक ग्राहक-उन्मुख पोर्टल है जो कर चालान, खाता सारांश, गेट-इन/गेट-आऊट आवेदन, सेवा फीडबैक आदि तक एक्सस प्रदान करता है।

(iii) अन्य अनुप्रयोग

इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी ने मेंडिक्स प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए कई अन्य डिजिटल पहल शुरु किया है, जिनमें निम्नानुसार शामिल हैं:

बढ़ी हुई पारदर्शिता और हितधारकों की सुविधा के लिए सतर्कता शिकायत प्रबंधन प्रणाली, कंपनी के कर्मचारियों के लिए विस्तारित कर्मचारी स्व-सेवा (ईईएसएस) एप्लिकेशन, कैपेक्स परियोजना निगरानी तथा प्रगति प्रबंधन प्रणाली, पास जारी करने की प्रणाली एवं व्यापक उपयोगकर्ता एक्सस करने के लिए मोबाइल अप्लिकेशन।

भविष्य की ओर अग्रसर होते हुए आपकी कंपनी ने अगले वित्त वर्ष 25-26 में निम्नलिखित प्रमुख आईटी पहलों की योजना बनाई है:

24.1 वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रमुख आईटी पहल

(i) ‘राइज विद एसएप’ की ओर प्रवसन

एसएपी परिवेश का निजी क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर में परिवर्तन। आपदा पुनर्प्राप्ति (डीआर) सेटअप पहले से ही प्रचालित है, तथा उत्पादन परिवेश को वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही तक पूरा करने का लक्ष्य बनाया गया है।

(ii) समेकित कमाण्ड एवं कंट्रोल केन्द्र (आइसीसीसी)

निम्नलिखित कवर करते हुए अनुवीक्षण एवं प्रबंधन हब :

(i) वीडियो प्रबंधन – सीसीटीवी फीड

(ii) वीडियो विश्लेषक द्वारा सुरक्षा प्रबंधन

(iii) इलेक्ट्रिसिटी वितरण एवं स्मार्ट टर्मिनेट लाइटों का अनुवीक्षण

(iv) पेयजल वितरण का अनुवीक्षण

(v) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

(vi) पब्लिक अड्रेस सिस्टम

(vii) आपदा प्रबंधन एवं आपातकाल रेसपॉन्स

(viii) जीआईएस में ड्रोन आधारित सर्वेक्षण एवं परिसंपत्तियों का मैपिंग

- (ix) मौजूदा सिस्टमों का एकीकरण :
- वातावरणिक वायु गुणवत्ता अनुवीक्षण स्टेशन
 - वेसल ट्रेफिक प्रबंधन सिस्टम (वीटीएमएस)
 - अनुमति एवं गेट व्यवस्था

आपकी कंपनी ने आईसीसीसी के विकास के लिए मेसर्स आईटीआई लिमिटेड (एक सीपीएसई) को ठेका प्रदान किया है, आईसीसीसी के वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही तक पूरी तरह से चालू होने की उम्मीद है और इससे प्रशासनिक निरीक्षण, स्थितिजन्य जागरूकता और समग्र पोर्ट सुरक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

25.0 राजभाषा का कार्यान्वयन

आपकी कंपनी ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रचार-प्रसार एवं कार्यान्वयन के लिए गहन प्रयास किया है।

- राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में आयोजित की गई।
- सभी नियम/ विनियमन/ मैन्युअल / प्रपत्र द्विभाषी किए गए हैं।
- सभी रबड़ की मुहों, साइन बोर्ड, सील, पत्रशीर्ष, नाम पट्ट, वाहनों पर कार्यालय विवरण, विजिटिंग कार्ड आदि द्विभाषी हैं।
- सभी संकल्पों को द्विभाषी रूप में दिया गया है।
- हिंदी के प्रगामी प्रयोग को सार्वजनिक सूत्र पर प्रचार करने के लिए हर तिमाही हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं।
- मंत्रालय के उप निदेशक (हिंदी) एवं वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने दिनांक 21.11.2024 को केपीएल में राजभाषा कार्यान्वयन कार्यों का निरीक्षण किया तथा कृत प्रयासों की सराहना की।

25.1 हिंदी पखवाड़ा समारोह

➤ पोर्ट ने 27 अगस्त 2024 से 9 सितंबर 2024 तक हिंदी दिवस को पखवाड़े के रूप में मनाया। हिंदी पखवाड़े के उपलक्ष्य में 27 अगस्त 2024 को चेन्नई पत्तन प्राधिकरण में कामराजर पोर्ट लिमिटेड एवं चेन्नई पत्तन प्राधिकरण द्वारा एक संयुक्त हिंदी कार्यशाला भी आयोजित की गई। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की प्रोफेसर श्रीमती संतोषी मुख्य अतिथि थीं। चेन्नई पत्तन प्राधिकरण के सचिव श्री इद्रनील हाजरा ने इसका उद्घाटन किया।



केपीएल एवं चेन्नई पत्तन प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से हिंदी कार्यशाला आयोजित किया

9 सितंबर 2024 को “हिंदी दिवस” के आयोजन के साथ हिंदी पखवाड़ा संपन्न हुआ। गृह मंत्रालय के चेन्नई स्थित हिंदी शिक्षण योजना के सहायक निदेशक, श्रीमती वी. रजनी कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थीं।

श्री सुनील पालीवाल, आई.ए.एस. ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि हिन्दी इस देश की सबसे सरल एवं सुलभ भाषा तथा सम्पर्क भाषा के रूप में स्थापित हो चुकी है।

कामराजर पोर्ट लिमिटेड की प्रबंध निदेशक श्रीमती जे. पी. आइरीन सिंधिया, आई.ए.एस. ने अपने संबोधन में सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की आवश्यकता पर बल दिया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए श्रीमती वी. रजनी ने सभी को हिंदी दिवस की बधाई दी और कहा कि हिंदी हमारी राजभाषा है और हमें इसे राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

27 अगस्त से 9 सितंबर 2024 तक की अवधि में कर्मचारियों के लिए गायन, समाचार पत्र वाचन, हिंदी में एक मिनट का भाषण जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं और हिंदी दिवस समारोह के दौरान मुख्य अतिथि द्वारा विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया गया।



गृह मंत्रालय के हिंदी शिक्षण योजना के सहायक निदेशक, श्रीमती वी रजनी कार्यक्रम की मुख्य अतिथि

26.0 वर्ष की अवधि में तथा रिपोर्ट की तिथि तक नियुक्त या इस्तीफा दे चुके/कार्यरत निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का विवरण

26.1 निदेशक

वर्ष की अवधि में सदस्यों ने निदेशकों की निम्नलिखित नियुक्ति और पुनर्नियुक्ति को संस्वीकृति प्रदान की :

➤ श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव (डीआईएन: 02435597) के स्थान पर स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री आर.एम. नारायणन (डीआईएन: 02853368) की नियुक्ति, दिनांक 13.11.2024 से 3 वर्ष की अवधि तक के लिए।

➤ श्री सुनील पालीवाल, आई.ए.एस. (डीआईएन: 01310101) की नियुक्ति, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पात्र होने के कारण पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं।

26.2 मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

➤ अधिनियम की धारा 203 के प्रावधानों के अनुसार, श्रीमती जे.पी. आइरिन सिंथिया, आई.ए.एस., प्रबंध निदेशक, श्रीमती जयलक्ष्मी श्रीनिवासन, कंपनी सचिव और श्रीमती कविता सात्वी, मुख्य वित्तीय अधिकारी 31 मार्च 2025 तक कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक हैं।

➤ श्रीमती कविता सात्वी को चिकित्सा आधार पर अनुपस्थिति के कारण, निदेशक मंडल द्वारा श्री सी.एस. वेमन्ना को 26.05.2025 से 8.6.2025 की अवधि तक के लिए मुख्य वित्तीय अधिकारी (प्रभारी) नियुक्त किया गया। श्रीमती कविता सात्वी को 09 जून 2025 से मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में पुनः नियुक्त किया गया।

➤ कंपनी सचिव, श्रीमती जयलक्ष्मी श्रीनिवासन 30 अप्रैल 2025 को सेवानिवृत्त हो गईं और इस तिथि से कंपनी की कंपनी सचिव नहीं रहीं। निदेशक मंडल ने 26 मई 2025 को आयोजित बैठक में श्रीमती आर. रूपा को उनकी कार्यभार ग्रहण की तिथि से कंपनी सचिव नियुक्त किया। श्रीमती आर. रूपा ने 7 जुलाई 2025 की दोपहर से कंपनी सचिव का कार्यभार ग्रहण किया।

26.3 रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होनेवाले निदेशक :

➤ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के अनुसार, श्री सुनील पालीवाल, आई.ए.एस., (डीआईएन: 01310101) आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं और पात्र होने के कारण, वे पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। उनका संक्षिप्त बायोडाटा अन्य आवश्यकताओं सहित 25वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना के साथ संलग्न है।

26.4 बोर्ड/ समिति की बैठकों के विवरण एवं गठन

➤ बोर्ड को बोर्ड स्तरीय समितियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। कंपनी सचिव सभी बोर्ड स्तरीय समितियों के सचिव के रूप में कार्य करता है। बोर्ड/समिति की बैठकों और उनकी संरचना का विवरण कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट में दिया गया है, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है। समितियों की सभी सिफारिशों को बोर्ड द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

26.5 वार्षिक मूल्यांकन

➤ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(पी) के अनुसार, निदेशकों द्वारा व्यक्तिगत निदेशकों, समग्र रूप से बोर्ड के कार्य-निष्पादन एवं इसकी समितियों का वार्षिक मूल्यांकन किया गया, जिसमें सभी निदेशकों को प्रतिभागिता सूत्र, पर्याप्त समय समर्पण जैसे विभिन्न मापदण्ड प्रश्नावली के आधार पर मूल्यांकित किया गया।

27.0 स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा

➤ आपकी कंपनी ने वर्ष की अवधि में कंपनी के प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक से आवश्यक घोषणा प्राप्त की जिसमें यह पुष्टि की गई है कि वे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(6) तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं), विनियम 2015 के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदण्डों को पूरा करते हैं।

28.0 सतर्कता

➤ चेन्नई पत्तन प्राधिकरण के मुख्य सतर्कता अधिकारी, श्री एस. मुरली कृष्णन, आईडीएएस, ने दिनांक 25.04.2022 से कामराजर पोर्ट लिमिटेड के सीवीओ का अतिरिक्त प्रभार का कार्यभार संभाला। योजना विभाग के एक प्रबंधक उक्त सीवीओ की सहायता करते हैं।

➤ कंपनी का सतर्कता विभाग, अन्य विभागों द्वारा निष्पादित कार्य ठेकों से संबंधित दस्तावेजों की जांच करते हैं। उनमें निहित प्रक्रियागत चूक, निविदा मानदण्डों से विचलन तथा ठेका कार्यों में कमियों की पहचान करते हुए सुधारात्मक कार्रवाई एवं व्यवस्था में सुधार के लिए संबंधित विभागों को सूचित किया जाता है। उपयुक्त मामलों में धन की वसूली की भी सलाह दी जाती है।

➤ सीवीसी के दिशानिर्देशों/ अधिसूचनाओं को विभागों में परिचालित किया जाता है। सतर्कता विभाग में केपीएल के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत अचल संपत्ति विपवरणिकाओं की जांच की जाती है। यदि कोई असामान्यताएं देखी जाती हैं तो संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से स्पष्टीकरण मांगी जाती है। सतर्कता विभाग में परीक्षण रिपोर्टों का अध्ययन किया जाता है तथा विभागों को सलाह दी जाती है कि वे जहां भी आवश्यक हो वहां सुधारात्मक कार्रवाई करें।

➤ मई 2024 की अवधि में सतर्कता संबंधी शिकायतों से निपटने के लिए एक समर्पित ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल (सीएमपी) लॉन्च किया गया है।

28.1 सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2024

कामराजर पोर्ट लिमिटेड में 28 अक्टूबर 2024 से 3 नवंबर 2024 की अवधि में 'राष्ट्रीय समृद्धि के लिए अखंडता की संस्कृति' विषय पर सतर्कता जागरूकता दिवस मनाया गया।

उक्त जागरूकता सप्ताह समारोह के अंतर्गत कॉलेज एवं स्कूल के विद्यार्थियों, कर्मचारियों के लिए कई कार्यशालाएं, वॉकथॉन, प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, समापन समारोह में विशिष्ट अतिथि भाषण आयोजित किया गया तथा अन्य सतर्कता क्रियाकलाप आयोजित किए गए। कंपनी में दिनांक 21.10.2024 को दक्षिण रेलवे से सेवानिवृत्त श्री वी. सुब्रह्मण्यम, प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक (सेवानिवृत्त) ने सतर्कता पर

आयोजित कार्यशाला में अनुशासनात्मक कार्रवाई विषय पर कुछ गहन विषय प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया।



स्कूल एवं कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए सतर्कता शपथ

पोर्ट कर्मचारियों के लिए चेन्नई पत्तन कार्यालय में नैतिक मूल्य एवं प्रशासन साइबर स्वच्छता एवं सुरक्षा, क्रय एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।



सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024

28.2 सत्यनिष्ठा संधि का अनुपालन

केंद्रीय सतर्कता आयोग, सतर्कता प्रशासन एवं अधीक्षण के एक अंग के रूप में, सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेन-देन में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, समानता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देता रहा है। सार्वजनिक खरीद केंद्रीय सतर्कता आयोग के लिए चिंता का एक प्रमुख विषय है तथा उचित व्यवस्थाएँ स्थापित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं।

आयोग ने सत्यनिष्ठा संधि अपनाने की संसूति दी है तथा सरकारी संगठनों में प्रमुख क्रय के संबंध में इसके कार्यान्वयन हेतु आधारभूत दिशानिर्देश प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त, आयोग ने सत्यनिष्ठा संधि के कार्यान्वयन हेतु स्वतंत्र बाह्य निरीक्षकों (आईईएम) की नियुक्ति की संसूति दी है तथा संगठनों को ठेका/क्रय के लिए एक सीमा मूल्य निर्धारित करने की भी सलाह दी है जिन्हें सत्यनिष्ठा संधि के अंतर्गत लाया जाना है।

केपीएल बोर्ड ने दिनांक 21.02.2015 को आयोजित बोर्ड बैठक में सतर्कता विभाग के सत्यनिष्ठा संधि के प्रस्ताव को संस्वीकृति प्रदान की है। सत्यनिष्ठा

समझौते के अंतर्गत ठेके/क्रय के लिए न्यूनतम मूल्य ₹.1 करोड़ और उससे अधिक मूल्य तक निर्धारित किया है। सीवीसी ने दिनांक 25.06.2024 को केपीएल में सत्यनिष्ठा संधि के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित दो नए आईईएम नियुक्त किया है।

1. श्री जतिन्दर सिंह, आईएएस (सेवानिवृत्त)
2. श्री मुक्वाला कोण्डला राव, आइएफओएस (सेवानिवृत्त)

सत्यनिष्ठा संधि में निविदा आमंत्रण सूचना (एनआइटी) से लेकर ठेके की समाप्ति तक सभी चरणों को कवर किया गया है। सभी विभागों को ₹.1 करोड़ की अधिकतम सीमा मूल्य के वर्क्स/क्रय के निविदा दस्तावेजों में सत्यनिष्ठा संधि सम्मिलित करने की सलाह दी गई।

28.3 आईईएम की पुनरीक्षण बैठक :

सीवीसी के एसओपी के अनुसार हर तिमाही केपीएल के पणधारियों को आमंत्रित करते हुए पुनरीक्षण बैठकें आयोजित की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि में क्रमशः दिनांक 12.06.2024, 25.09.2024 एवं 03.01.2025 3 आईईएम पुनरीक्षण की बैठकें आयोजित की गईं। बैठक में आईईएम द्वारा ठेकेदार/ विक्रेता/ परामर्शदाता द्वारा उठाए गए मामलों में से आईईएम के कार्यक्षेत्र में निहित मामलों के लिए समाधान किया जाता है।

29.0 कंपनियों के नाम जो वर्ष की अवधि में सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियां बन गईं या नहीं रहीं

वर्ष की अवधि में कोई भी कंपनी, उसकी सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियां नहीं बनी अथवा न ही नहीं रहीं।

30.0 निदेशक का उत्तरदायित्व कथन

आपके निदेशक का कहना है कि :-

- (a) वार्षिक लेखा तैयार करते समय सामग्री निकास से संबंधित विषयों के लिए उचित स्पष्टीकरणों के साथ लागू लेखांकन मानकों को अपनाया गया है ;
- (b) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है जिन्हें सुसंगत रूप से लागू करते हुए ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए गए जो उचित और विवेकपूर्ण थे ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;
- (c) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती;

- (d) निदेशकों ने चालू व्यवसाय के आधार पर वार्षिक खाते तैयार किया;
- (e) निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किया तथा यह सुनिश्चित किया कि उक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त और प्रभावी थे।
- (f) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियों को तैयार किया और यह सुनिश्चित किया कि वे पर्याप्त एवं प्रभावी थे।

31.0 कंपनी अधिनियम की धारा 197 और कंपनियों की आवश्यकताएं (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के अनुसार प्रकटीकरण।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के अनुसार अपेक्षित विवरण, कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित, बोर्ड की रिपोर्ट का हिस्सा है और इस रिपोर्ट के साथ अनुलग्नक-II के रूप में संलग्न है।

32.0 लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ने 31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के लेखा पुस्तकों का लेखापरीक्षण करने के लिए मेसर्स जसमिंदर सिंह एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

32.1 सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट

मेसर्स जसमिंदर सिंह एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के लेखाओं पर एक अप्रयोग रिपोर्ट प्रदान किया है। लेखापरीक्षक रिपोर्ट में संदर्भित वित्तीय विवरणिका पर मामले एवं टिप्पण पर उल्लिखित रिपोर्ट स्वतः स्पष्ट हैं तथा उनपर आगे की टिप्पणी आवश्यक नहीं है।

32.2 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा का पुनरीक्षण

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां तथा प्रबंधन के उत्तर बोर्ड की रिपोर्ट के साथ संलग्नित हैं और ये इस रिपोर्ट के एक भाग हैं।

33.0 सचिवीय परीक्षण

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आपकी कंपनी के सचिवीय परीक्षण कराने के लिए व्यावसायिक कंपनी सचिव, मेसर्स एस. धनपाल एण्ड असोसियेट्स को कार्य सौंपा गया। सचिवीय परीक्षकों ने अप्रयोग रिपोर्ट प्रदान किया है तथा उक्त रिपोर्ट को संलग्नक-III के रूप में संलग्न किया गया है।

34.0 विनियामक या न्यायालय द्वारा पारित महत्वपूर्ण एवं सूचक आदेश

विनियामक, न्यायालय या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण एवं सूचक आदेश पारित नहीं किए गए जो कंपनी की चालू स्थिति और भविष्य में कंपनी के संचालन को प्रभावित करे।

35.0 वार्षिक रिटर्न

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) एवं धारा 134(3)(ए) के अनुसार वार्षिक रिटर्न निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध किया गया है: <http://www.kamarajarport.in/content/innerpage/annual-return.php>

36.0 डिबेंचर ट्रस्टी

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2012-13 और 2013-14 की अवधि में जारी कर-मुक्त बॉण्ड के लिए क्रमशः मेसर्स एसबीआईकैप ट्रस्टीज कंपनी लिमिटेड और मेसर्स कैटलिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड (पूर्व में जीडीए ट्रस्टीशिप लिमिटेड के नाम से प्रचलित) को डिबेंचर ट्रस्टी नियुक्त किया गया। डिबेंचर ट्रस्टियों के संपर्क विवरण निम्नानुसार हैं :-

डिबेंचर ट्रस्टी	
एसबीआईकैप ट्रस्टीज कंपनी लिमिटेड, मिस्त्री भवन, चतुर्थ तल, 122, दिनशां वाच्चा रोड, चर्चगेट, मुम्बई - 400 020. दूरभाष : 022 - 43025555 फैक्स : 022 - 43025500	कैटलिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड, जीडीए हाऊस, प्लॉट नंबर 85, भूसरी कॉलोनी (दायां), पौड़ रोड, कोतरूड, पुणे - 411 038 दूरभाष : 020 - 66807200

37.0 ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेश, विदेशी मुद्रा आय और व्यय रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के प्रावधानों के अनुसार ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और व्यय से संबंधित जानकारी इस रिपोर्ट के संलग्नक-IV के रूप में संलग्न किया गया है।

38.0 कॉर्पोरेट प्रशासन

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर एक स्वैच्छिक सूत्र पर जारी रिपोर्ट इसके साथ संलग्नक-V के रूप में संलग्न किया गया है।

38.1 सचिवीय मानक

आपकी कंपनी ने निदेशक मंडल की बैठकों में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक (एसएस-1) और सामान्य बैठकों के सचिवीय मानकों (एसएस-2) का अनुपालन किया है।

39.0 लागत रिकार्ड

केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत कंपनी के लिए लागत अभिलेखों के रखरखाव को निर्धारित नहीं किया है।

40.0 अभिसूचीकृति

आपके निदेशकगण, भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय तथा चेन्नई पत्तन प्राधिकरण से प्राप्त सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं तथा टीएनजीपीसीएल/टीएनईबी, एनटीईसीएल, आईओसीएल, टीएनपीसीबी, तमिलनाडु सरकार तथा भारत सरकार को, विशेष रूप से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, भारतीय रेलवे/दक्षिणी रेलवे और भारतीय पत्तन संघ से प्राप्त सहयोग की सराहना करते हैं।

आपके निदेशकगण भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षक, आंतरिक लेखा परीक्षक तथा सचिवीय लेखा परीक्षक से प्राप्त निरंतर समर्थन एवं सहयोग के लिए कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। अंत में, आपके निदेशकगण, पत्तन उपयोगकर्ता, बीओटी रियायतग्राही, ठेकेदार और बैंकों को उनके निरंतर समर्थन और सहायता के लिए धन्यवाद देते हैं तथा वर्ष के दौरान कंपनी के सभी कर्मचारियों द्वारा किए गए निरंतर उत्कृष्ट कार्य की सराहना करते हैं।

निदेशक बोर्ड के लिए तथा उनकी तरफ से
कामराजर पोर्ट लिमिटेड

ह/-

सुनील पालीवाल, आई.ए.एस.,

अध्यक्ष

(डीआईएन: 01310101)

स्थान : चेन्नई
दिनांक: 13.08.2025

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक प्रतिवेदन [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 ('अधिनियम') एवं तद्वर्गत निर्मित नियमावली के अनुसार]

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा :

केपीएल निरंतर रूप से कॉर्पोरेट मामला मंत्रालय द्वारा प्रकाशित सीएसआर नियमों, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135; कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के प्रावधानों के अनुरूप पारिस्थितिकी के मुद्दों पर समझौता किए बिना, समाज/समुदाय के मूलभूत ढांचे/जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए किए गए पहल का समर्थन करते हुए समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करता है। सामाजिक रूप से उत्तरदायी निगम पत्तन के रूप में कंपनी प्रयास करती है

केपीएन, सामाजिक तौर पर जिम्मेदार कॉर्पोरेट पोर्ट, निम्नंकित के लिए सतत प्रयास करता है -

- सामाजिक एवं पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देने वाली वस्तुएं एवं सेवाओं के उत्पादन हेतु हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना तथा उनका लाभ उठाना।
- राष्ट्रीय विकास अजेंडा में शामिल सीएसआर नियमों एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नीति निर्देशों के अनुरूप पर सुरक्षित पेयजल, विशेष रूप से लड़कियों के लिए शौचालयों का प्रावधान, स्वास्थ्य और स्वच्छता, शिक्षा आदि जैसी सीएसआर परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार क्रियाकलापों का प्रारंभ तथा जिसका वंचितों, वंचितों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना ही मुख्य उद्देश्य है।

2. सीएसआर समिति का गठन (31.03.2025 तक)

क्रम सं	निदेशक का नाम एवं पदनाम	निदेशक कार्यक्षेत्र की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों में उपस्थिति की संख्या
1	श्री सुनील पालीवाल	अध्यक्ष केपीएल एवं सीएसआर समिति का अध्यक्ष	4	4
2	श्रीमती जे.पी.आईरीन सिन्थिया	प्रबंध निदेशक, केपीएल तथा सीएसआर समिति का सदस्य	4	4
3	श्री एस. विश्वनाथन	नामिती निदेशक एवं सीएसआर समिति का सदस्य	4	4
4	श्री आर. एम. नारायणन	गैर कार्यालयी स्वतंत्र निदेशक एवं सीएसआर समिति का सदस्य	2	2
5	कैप्टन अनूप कुमार शर्मा	गैर कार्यालयी स्वतंत्र निदेशक एवं सीएसआर समिति का सदस्य	4	4
6	श्री वी. एम. वी. सुब्बा राव*	गैर कार्यालयी स्वतंत्र निदेशक एवं सीएसआर समिति का सदस्य	2	2

* श्री वी. एम. वी. सुब्बा राव दिनांक 05.11.2024 से प्रभावी समिति के सदस्य नहीं रहे तथा उनके स्थान पर दिनांक 13.11.2024 से प्रभावी श्री आर. एम. नारायणन को सदस्य के रूप में नामित किया गया।

3. बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर समिति के गठन, सीएसआर नीति एवं सीएसआर परियोजनाओं को कंपनी वेबसाइट में प्रकट किया हो तो विवरण दें, वेबलिंग निम्नानुसार है:

सीएसआर समिति के गठन का लिंक : <http://www.kamarajarport.in/content/innerpage/board-level-committee.php>

सीएसआर नीति का लिंक : https://kamarajarport.in/upload/uploadfiles/files/csr_Policy_Revised_26072021.pdf

सीएसआर परियोजना लिंक : <http://www.kamarajarport.in/content/innerpage/corporate-social-responsibility-csr.php>

4. नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन वेब-लिंग के साथ कार्यकारी सारांश प्रदान करें, यदि लागू हो तो: लागू नहीं है

- धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसरण में कंपनी का निवल लाभ: ₹.62752.11 लाख
- धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसरण में कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत : ₹.1255.05 लाख

- (c) पूर्व वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाएं या कार्यक्रम या क्रियाकलापों से अधिशेष : कोई नहीं
 (d) वित्तीय वर्ष के लिए सेट-ऑफ करने के लिए आवश्यक रकम, यदि कोई हो तो : कोई नहीं
 (e) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर उत्तरदायित्व [(b)+(c)-(d)] : ₹.12,55,04,208/-

6. (a) सीएसआर परियोजनाओं पर व्ययित रकम (दोनों चालू परियोजना एवं चालू परियोजना से अन्य): ₹. 7,43,87,168.00/-
 (आरसीएम के अंतर्गत जीएसटी को छोड़कर)
 (b) व्ययित प्रशासनिक उपरि की रकम : कोई नहीं
 (c) प्रभाव मूल्यांकन पर व्ययित रकम, यदि कोई हो तो : ₹.1,24,254/-
 (d) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर उत्तरदायित्व [(a)+(b)+(c)] : ₹.7,45,11,422/-
 (आरसीएम के अंतर्गत जीएसटी को छोड़कर)
 (e) वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित अथवा अव्ययित रकम :

वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित कुल रकम (रुपयों में)	अव्ययित रकम (रुपयों में)				
	धारा 135 की उप-धारा (6) के अनुसरण में अव्ययित सीएसआर लेखा को हस्तांतरित रकम		धारा 135 की उप-धारा (5) के द्वितीय प्रावधान के अनुसरण में शेड्यूल VII के अंतर्गत निर्धारित किसी भी निधि में हस्तांतरित रकम		
	रकम (रुपयों में)	हस्तांतरण की तिथि	निधि का नाम	रकम (रुपयों में)	हस्तांतरण की तिथि
₹.7,45,11,422/-	₹.5,09,92,786/-	30.04.2025	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

- (f) सेट-ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो तो :

अव्ययित रकम (रुपयों में)	अव्ययित रकम (रुपयों में)	अव्ययित रकम (रुपयों में)
(1)	(2)	(3)
(i)	धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसरण में आपकी कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	₹.12,55,04,208/-
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित कुल रकम	₹.7,45,11,422/-
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित अतिरिक्त रकम [(ii)-(i)]	0
(iv)	पूर्व वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रम या क्रियाकलापों से होनेवाला अधिशेष, यदि कोई हो	0
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन हेतु उपलब्ध रकम [(iii)-(iv)]	0

7. पूर्व तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के विवरण :

1	2	3	4	5	6	7	8
क्र सं	पूर्व वित्तीय वर्ष	धारा 135 की उप-धारा (6) के अनुसरण में अव्ययित सीएसआर लेखा में हस्तांतरित रकम (रुपयों में)	धारा 135 की उप-धारा (6) के अनुसरण में अव्ययित सीएसआर लेखा में हस्तांतरित शेष रकम (रुपयों में)	वित्तीय वर्ष में व्ययित रकम (रुपयों में) (रुपयों में)	धारा 135 की उप-धारा (5) के द्वितीय प्रावधान के अनुसरण में शेड्यूल VII के अंतर्गत निर्धारित किसी भी निधि में हस्तांतरित रकम, यदि कोई हो तो	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन हेतु उपलब्ध रकम (रुपयों में)	अभाव यदि कोई हो तो
1	वित्तीय वर्ष 2021 – 22	1,49,70,952/-	0	0	लागू नहीं	लागू नहीं	0
2	वित्तीय वर्ष -2022– 23	3,88,19,827/-	0	0	लागू नहीं	लागू नहीं	0
3	वित्तीय वर्ष -2023 – 24	5,10,79,560/-	5,10,79,560/-	4,76,96,860/-	लागू नहीं	लागू नहीं	33,82,700/-

8. क्या कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से कोई पूंजीगत संपत्ति बनाई गई है या अर्जित की गई है वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि : **नहीं**

यदि हां तो, सृजित/प्राप्त की पूंजीगत परिसंपत्तियों की संख्या दर्ज करें : **लागू नहीं**

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से सृजित या अर्जित ऐसी परिसंपत्तियों से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें। वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि: **लागू नहीं**

क्र सं	संपत्ति या परिसंपत्ति(यों) का संक्षिप्त विवरण /संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित	संपत्ति या परिसंपत्ति (यों) का पिनकोड	सृजन की तिथि	व्ययित सीएसआर रकम की राशि	पंजीकृत स्वामि के अस्तित्व / प्राधिकरण/ हिताधिकारी के विवरण		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					सीएसआर पंजीकरण की संख्या, यदि लागू हो तो	नाम	पंजीकृत पता
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

9. यदि कंपनी ने धारा 135 की उप-धारा (5) के अंतर्गत औसत निवल लाभ में से दो प्रतिशत का व्यय नहीं कर पाया हो तो कारण बताएं :

लागू नहीं, क्योंकि पैसे को चालू परियोजनाओं के लिए सीएसआर खाते में अव्ययित रकम को हस्तांतरित किया जा चुका है.

ह/- श्रीमती जे. पी. आईरीन सिन्थिया आई.ए.एस (प्रबंध निदेशक)	ह/- श्री सुनील पालीवाल, आई.ए.एस. (अध्यक्ष, सीएसआर समिति)
--	--

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के अंतर्गत जानकारी

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित

1. वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के कर्मचारियों के औसत पारिश्रमिक से प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक का अनुपात:टिप्पण देखें।
2. वित्तीय वर्ष में प्रत्येक निदेशक, मुख्य वित्तीय अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कंपनी सचिव या प्रबंधक, यदि कोई हों, तो उनके पारिश्रमिक में वृद्धि का प्रतिशत .

वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष
1	श्री सुनील पालीवाल – अध्यक्ष	टिप्पण देखें #
2	श्रीमती जे. पी. आईरीन सिन्धिया – प्रबंध निदेशक	44.73%*
2	श्रीमती कविता सातवी, सीएफओ	-0.40%
3	श्रीमती जयलक्ष्मी श्रीनिवासन, सीएस	2.90%

3. वित्तीय वर्ष में कर्मचारियों के माध्य पारिश्रमिक में वृद्धि का प्रतिशत

माध्य पारिश्रमिक	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष	प्रतिशत
	15357837	1364422.63	10.2%

4. कंपनी के रोल में स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या :

31 मार्च 2025 तक कंपनी के रोल में स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या 92 है।

5. पिछले वित्तीय वर्ष में प्रबंधकीय कार्मिकों के अलावा अन्य कर्मचारियों के वेतन में पहले से की गई औसत प्रतिशत वृद्धि तथा प्रबंधकीय पारिश्रमिक में प्रतिशत वृद्धि के साथ इसकी तुलना एवं इसके औचित्य के साथ यह बताएं कि क्या प्रबंधकीय पारिश्रमिक में वृद्धि के लिए कोई असाधारण परिस्थितियां थीं।

वित्तीय वर्ष के दौरान प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों सहित पारिश्रमिक में औसत प्रतिशत वृद्धि (5)-(10)% के बीच रही है। कंपनी की नीति के अनुसार, कंपनी के कर्मचारियों के मूल वेतन में 3%वार्षिक वृद्धि की जाती है। महंगाई भत्ते में सरकारी नियमों के अनुसार वृद्धि की जाती है। इसके अतिरिक्त, संबंधित वर्ष के दौरान कंपनी में उनके कार्य के निष्पादन आधार पर लागू नियमानुसार कार्य-निष्पादन संबंधी भुगतान किया जाता है।

6. पुष्टि की जाती है कि पारिश्रमिक कंपनी की पारिश्रमिक नीति के अनुसार है।

कंपनी के सभी कर्मचारियों का पारिश्रमिक कंपनी की पारिश्रमिक नीति के अनुसार है।

7. कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं भर्ती) नियम 2014 के नियम 5(2) के तहत वर्ष 2024-25 के लिए अपेक्षित विवरण।

कोई भी कर्मचारी निर्धारित सीमा से अधिक रकम अर्जित नहीं कर सकता।

टिप्पण : # श्री सुनील पालीवाल द्वारा चेन्नई पत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद, उन्हें दिनांक 10.11.2021 से कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है, अतः अनुपात/प्रतिशत निर्धारित नहीं किया जा सकता।

* चूंकि प्रबंध निदेशक ने दिनांक 21.08.2023 को ही कार्यभार ग्रहण किया, पिछले वर्ष वेतन का केवल एक भाग ही प्राप्त हुआ।
अतः प्रतिशत में अंतर है।

31.03.2025 तक की अवधि में आहरित पारिश्रमिक के संदर्भ में शीर्ष दस कर्मचारी

क्र सं	नाम व पद	पारिश्रमिक* प्राप्त	योग्यता व अनुभव	नियोजन के प्रारंभ की तिथि	आयु	अंतिम पदस्थापन
1.	श्री जी एम बालन, महाप्रबंधक (समुद्री सेवाएं)	47,90,395/-	बी. एससी भौतिकी एवं स्नातकोत्तर – एफजी विभिन्न पदों में 29 वर्षों का अनुभव	16-08-2013	52	एलपी लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	श्रीमती जे. पी. आईरीन सिन्थिया प्रबंध निदेशक	44,34,838/-	एमबीए (वित्त) विभिन्न पदों में 17 वर्ष का अनुभव	21-08-2023	42	अखिल भारतीय सेवा
3.	श्री सी. एस. वेमन्ना, उप महानिदेशक (वित्त)	44,09,587/-	बी.कॉम, एआइसीडबल्यूए, मात्स्यकी प्रौद्योगिकी एवं नौवहन अभियांत्रिकी में डिप्लोमा विभिन्न पदों में 33 वर्षों का अनुभव	05-03-2012	57	आइओसीएल
4.	श्री एस.पी. देसिकामणि मुख्य प्रबंधक (डॉक मास्टर)	42,49,295/-	बीई (सिविल) एवं एमई प्रबंधन, विभिन्न पदों पर 35 वर्षों का अनुभव	27.04.2018	54	मेकन लिमिटेड
5.	सुब्रह्मण्यम मागेश्वरन मुख्य प्रबंधक (डॉक मास्टर)	40,18,048/-	एफजी में स्नातकोत्तर 19 वर्ष का अनुभव	02-05-2018	54	वल्लम शिप मैनेजमेण्ट
6.	श्री ए. करुप्पैय्या उप महाप्रबंधक (सिविल)	38,83,058/-	बी. ई. (सिविल) एवं एम.टेक (समुद्री अभियांत्रिकी) 27 वर्ष का अनुभव	01-02-2007	58	चेन्नई पत्तन प्राधिकरण
7.	श्री निर्भीक सिंह पुआर वरिष्ठ प्रबंधक (पायलट)	38,12,541/-	एफजी में स्नातकोत्तर 21 वर्ष का अनुभव	01-08-2018	50	हापाग लॉयड प्राइवेट लिमिटेड
8.	श्री यतिन किशोरभाई पटेल, महाप्रबंधक (सीएस&बीडी)	37,28,048/-	बी.एससी (रसायन) व्यवसाय विकास एवं आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में 24 वर्ष का अनुभव	07-08-2023	48	तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम
9.	श्री सी उमा शंकर उप महाप्रबंधक (समुद्री सेवाएं)	37,08,148/-	बी.ई (मेकेनिकल) / एफजी में स्नातकोत्तर 32 वर्ष का अनुभव	02-05-2018	57	डीपी वर्ल्ड चेन्नई कंटेनर टर्मिनल
10	श्री पी. ओम प्रगाश मुख्य प्रबंधक (ट्रेफिक)	36,46,652/-	बी.कॉम, एमबीए पीजीडीएम (पीएम) 30 वर्ष का अनुभव	25-02-2002	52	केन्द्र सरकार, पोत पत्तन मंत्रालय

एस. धनपाल एंड एसोसिएट्स एलएलपी प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव

एलएलपीआईएन एसीबी - 0368

(एलएलपी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत सीमित देयता के साथ पंजीकृत)

नामित भागीदार:

एस. धनपाल, बी.कॉम., बी.ए.बी.एल., एफ.सी.एस.

एन. रामनाथन, बी.कॉम., एफ.सी.एस.

प्रपत्र संख्या एमआर-3

सचिवीय परीक्षण रिपोर्ट

31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के क्रम में]

सेवा में,

सदस्य,

कामराजर पोर्ट लिमिटेड

हमने मेसर्स कामराजर पोर्ट लिमिटेड (जिसे आगे कंपनी कहा जाएगा) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन में तथा अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन के लिए सचिवीय लेखा-परीक्षण किया है। सचिवीय लेखा-परीक्षण हमें उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के आधार पर इस प्रकार किया गया है जिससे हमें कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने तथा उन पर अपने मत/समझ व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्राप्त हुआ है।

कंपनी की पुस्तकें, कागजात, मिनट बुक, फॉर्म तथा रिटर्न एवं कंपनी द्वारा बनाए गए और हमें उपलब्ध किए गए अन्य अभिलेखों और सचिवीय परीक्षण के दौरान कंपनी, एवं उसके अधिकारी, एजेन्ट तथा अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी एवं हमारे सत्यापन के आधार पर, हम उन अभिलेखों तथा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारे मत एवं समझ में कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष कवर करने वाले परीक्षण अवधि में यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा हमारी सीमित समीक्षा में भी कंपनी में उचित और आवश्यक बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र अपनाए जाते हैं, जो इस

सीमा तक, तरीके से और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन हैं।

हमने, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा बनाए गए तथा हमें उपलब्ध किए गए बहीखाते, कागजात, मिनट बुक, दाखिल फॉर्म और रिटर्न तथा अन्य रिकॉर्ड की जांच निम्नलिखित लागू प्रावधानों के अनुसार की है :

- कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा उसके अंतर्गत निर्धारित नियम, जैसा लागू हो;
- प्रतिभूति ठेका (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') तथा उसके अंतर्गत निर्धारित नियम;
- डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 तथा उसके अंतर्गत निर्धारित विनियम और उपनियम;
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा उसके अंतर्गत निर्धारित नियम और विनियम, लागू सीमा तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एवं बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी।
- भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम एवं दिशानिर्देश, जो वर्ष के दौरान लागू होंगे:-

ए) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011;

बी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियम, 2015;

सी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूंजी निर्गम तथा प्रकटीकरण जारी आवश्यकताएं) विनियम, 2018;

डी) भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014;

इ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021;

एफ) कंपनी अधिनियम तथा ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार एवं शेयर हस्तांतरण एजेंट) विनियम, 1993;

जी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिंग) विनियम, 2021;

एच) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018

vi) पोर्ट प्रबंधन से संबंधित अधिनियम, नियम और विनियम, जैसा कि प्रबंधन द्वारा पहचाना गया है और हमें सूचित किया गया है

हमने निम्नलिखित लागू खण्डों के अनुपालन की भी जांच की है:

i) निदेशक मंडल की बैठकों (एसएस-1) सामान्य सभा की बैठकों (एसएस-2) के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक, और

ii) कंपनी द्वारा बीएसई लिमिटेड तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के साथ किया गया सूचीकरण समझौता

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने उपर्युक्त अधिनियम, नियम, विनियम, दिशानिर्देश, मानक आदि के लागू प्रावधानों का अपेक्षित सीमा तक अनुपालन किया है।

हमें सूचित किया जाता है कि कंपनी ने जहाँ भी आवश्यक हो, वैधानिक प्राधिकारियों द्वारा उठाए गए मुद्दों एवं कंपनी पर लागू विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी को प्राप्त पत्रों/सूचनाओं के समाधान हेतु उपाय शुरू किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि, उपरोक्त के अधीन, संबंधित दस्तावेज जो हमें प्राप्त किए गए, वे दर्शाते हैं कि:

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कार्यकारी निदेशक, गैर-कार्यकारी निदेशक तथा स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया गया है तथा समीक्षाधीन अवधि में निदेशक मंडल के गठन में हुए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में किए गए।

बोर्ड की बैठकों की समय-सारणी बनाने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती है, कार्यसूची एवं कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पण कम से कम सात दिन पहले भेजे जाते हैं तथा बैठक से पहले कार्यसूची मद्दों पर आगे की जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा बैठक में सार्थक प्रतिभागिता के लिए एक प्रणाली हवद्यमान है।

बहुमत से लिए गए निर्णय द्वारा लागू किया जाता है, जबकि असहमत सदस्यों के विचार, यदि कोई हों, तो उन्हें कार्यवृत्त के भाग के रूप में दर्ज किया जाता है।

हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि सहयोगी कंपनी, मेसर्स कन्याकुमारी पोर्ट लिमिटेड (केकेपीएल) के खातों को कंपनी के खातों के साथ समेकित नहीं किया गया है क्योंकि कंपनी का केकेपीएल प्रबंधन पर नियंत्रण नहीं है, अतः इसके वित्तीय विवरणों को भारतीय लेखांकन मानक -110 - समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार समेकित करने की आवश्यकता नहीं है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि हमारी सीमित समीक्षा के आधार पर, कंपनी द्वारा स्थापित अनुपालन तंत्र, कंपनी में लागू कानून, नियम, विनियम और दिशानिर्देश के अनुपालन का अनुवीक्षण सुनिश्चित करने के लिए कंपनी की साइज और संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ मौजूद हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी ने वार्षिक सामान्य में किसी विशेष कार्य के लिए अपने सदस्यों का अनुमोदन नहीं लिया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि हमारा परीक्षण केवल उन प्रणालियों और

प्रक्रियाओं की पर्याप्तता की पुष्टि करने के लिए किया गया जो कंपनी द्वारा उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपनाए जाते हैं तथा हम कंपनी की ओर से इन अनुपालनों में किसी भी प्रकार के चूक के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। प्रबंधन द्वारा पहचान किए गए पोर्ट प्रबंधन से संबंधित अन्य परीक्षण/समीक्षा और अधिनियम, नियम और विनियम के अधीन लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन की हमारे द्वारा स्वतंत्र रूप से समीक्षा नहीं की गई है

तथा इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत हमें उपलब्ध किए गए लेखा-परीक्षण/अनुपालन रिपोर्टों पर भरोसा किया गया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि हमने इस रिपोर्ट जारी करने के लिए कंपनी के अनुरोध पर तथा प्रदत्त सुविधानुसार ऑनलाइन वैधीकरण तथा रिकार्डों की जांच द्वारा सचिवीय परीक्षण किया है।

एस धनपाल एण्ड असोसियेट्स एलएलपी के लिए

कार्यशील कंपनी सचिव)

(फर्म पंजीकरण सं. एल2023टीएन014200)

एलएलपीआईएन: एसीबी 0368

ह/-

रामनाथन नाचियप्पन

(नामित साझेदार)

एफसीएस. 6665

सीपी संख्या. 11084

सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र संख्या.1107/2021

यूडीआईएन: F006665G000988701

स्थान: चेन्नई

दिनांक: 13.8.2025

(इस रिपोर्ट को हमारी उसी तारीख की गवाही के साथ पढ़ा जाए जो अनुलग्नक 'ए' के रूप में संलग्न है तथा इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

सेवा में
सदस्य,
कामराजर पोर्ट लिमिटेड
चेन्नई

संलग्नक A

परीक्षकों की जिम्मेदारी

परीक्षण के आधार पर, कंपनी द्वारा लागू कानूनों के अनुपालन और अभिलेखों के रखरखाव पर अपनी राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (“आईसीएसआई”) द्वारा निर्धारित परीक्षण मानक, सीएसएस 1 से सीएसएस 4 (“सीएसएस”) के अनुसरण में अपना परीक्षण किया है। इन मानकों के अनुसार परीक्षक को वैधानिक और विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा तथा लागू कानूनों के अनुपालन और अभिलेखों के रखरखाव के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए परीक्षण योजना बनानी होगी तथा उसे कार्यान्वित करना होगा।

आंतरिक, वित्तीय तथा प्रचालन नियंत्रणों सहित लेखापरीक्षण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, एक अपरिहार्य जोखिम है कि कुछ गलतबयानी या भौतिक गैर-अनुपालन का पता न चल पाए, भले ही परीक्षण सीएसएस के अनुसार उचित रूप से नियोजित और निष्पादित की गई हो। हमारी सम तिथि की रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाए।

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने परीक्षण के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर अपना मत व्यक्त करें।
2. हमने सचिवीय अभिलेखों की विषय-वस्तु की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त परीक्षण पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य दर्शाए गए हैं, सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएँ एवं पद्धतियाँ हमारे मजत के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।

3. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों, वित्तीय विवरणों एवं लेखा पुस्तकों की शुद्धता एवं उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया है, जिसके लिए हमने सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर भरोसा किया है।
4. जहां भी आवश्यक हुआ, हमने कानून, नियम और विनियम के अनुपालन तथा घटित घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानून, नियम, विनियम, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जाँच परीक्षण का आधार प्रक्रियाओं को सत्यापित करने तक सीमित था।
6. सचिवीय परीक्षण रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन देता है, नही उस प्रभावात्मकता या प्रभावशीलता का, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

एस धनपाल एण्ड असोसियेट्स एलएलपी के लिए
(कार्यशील कंपनी सचिव)

(फर्म पंजीकरण सं. एल2023टीएन014200)

एलएलपीआईएन: एसीबी 0368

ह/-

रामनाथन नाचियप्पन

(नामित साझेदार)

एफसीएस. 6665, सीपी संख्या. 11084

सहकर्मि समीक्षा प्रमाणपत्र संख्या.1107/2021

यूडीआईएन: F006665G000988701

स्थान : चेन्नई

दिनांक : 13.8.2025

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के साथ कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 के अंतर्गत सूचना परीक्षकों की जिम्मेदारी

A) ऊर्जा संरक्षण :

(i) ऊर्जा संरक्षण की दिशा में उठाए गए कदम अथवा उसका प्रभाव :

(ए) विद्युत ऊर्जा के प्रभावी उपयोग हेतु मेसर्स ग्रीनसर्व एनर्जी ने ऊर्जा परीक्षण किया तथा जून-2020 की अवधि में परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त किया गया। परीक्षक ने निम्नलिखित ऊर्जा संरक्षण उपायों की संस्तुति दी है :

- जवाहर भवन के पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय की दूसरे एवं तीसरे तल पर फॉल्स सीलिंग के अंदर एयर कंडीशनर डक्ट में लीकेज को रोकना।
- शौचालय एवं बोर्ड रूम में ऑक्युपेन्सी सेंसर तथा चेयरमैन कॉरिडोर एवं अन्य पैदल मार्गों में मोशन सेंसर लगाना, ताकि प्रकाश व्यवस्था प्रचालन के प्रभाव में सुधार हो सके।
- सिग्नल स्टेशन में अतिरिक्त 40 किलोवाट के नए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना तथा मौजूदा भंडारण प्रणाली का नवीनीकरण
- वितरण हानि कम करने में सहायता के लिए सिग्नल स्टेशन के पास नया सबस्टेशन स्थापित करना

(बी) प्रदत्त संस्तुतियों पर कृत कार्यवाई निम्नानुसार है :

- सितंबर 2020 की अवधि में पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय में जवाहर भवन के द्वितीय एवं तृतीय तल में झूठी छत के अंदर एयर कंडीशनर डक्ट लीकेज को रोका गया।
- अक्टूबर - 2022 की अवधि में सिग्नल स्टेशन पर स्थापित 20 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र की मौजूदा भंडारण प्रणाली का ₹.5,90,360/- की लागत से नवीनीकरण किया गया।
- सिग्नल स्टेशन के पास 11केवी/433वी सबस्टेशन संस्थापित किया गया है तथा मार्च 2025 की अवधि में ₹.3.97 करोड़ की लागत पर उसे प्रचालित किया गया है।
- प्रकाश प्रचालन प्रभावात्मकता में सुधार के लिए शौचालय और बोर्ड रूम में अधिभोग सेंसर और चेयरमैन कॉरिडोर और अन्य पैदल मार्गों के मार्ग में मोशन सेंसर की स्थापना पर कार्यान्वयन के लिए विचार नहीं किया जा रहा है क्योंकि इससे कार्यान्वयन लागत की तुलना में ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा का संरक्षण नहीं होगा।

- विद्युत ऊर्जा के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए मेसर्स ईईएस ऑडिट मैनेजमेंट्स, कोयंबटूर ने अप्रैल 2025 की अवधि में ऊर्जा परीक्षण किया तथा अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

प्रभाव

- कार्बन फुटप्रिंट कम करना
- उपभोगता बिलों को काफी हद तक कम करना
- पर्यावरण की सुरक्षा करना
- ऊर्जा सक्षमता
- जीवाष्म ईंधनों के अस्तित्व में वृद्धि करना
- वितरण हानियों को कम करना

(ii) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग हेतु कंपनी द्वारा उठाए गए कदम :

वर्ष 2024-2025 की अवधि में डीजल जनरेटर के माध्यम से उत्पादित लगभग 37800 किलोवाट घंटा (यूनिट) बिजली तथा सौर ऊर्जा के माध्यम से उत्पादित लगभग 3,99,918 किलोवाट घंटा (यूनिट) बिजली का उपयोग किया गया।

(iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजीगत निवेश :

सिग्नल स्टेशन के पास नए सबस्टेशन के संस्थापन हेतु ₹.3.97 करोड़

B) प्रौद्योगिकी समावेश :

(i) प्रौद्योगिकी समावेश की दिशा में किए गए :

(a) एसएपी ईआरपी व्यवस्था

बजट, लेखा एवं वित्त, मानव संसाधन एवं वेतन, सामग्री प्रबंधन, परियोजना प्रणालियाँ आदि जैसे विभिन्न कार्य क्षेत्रों को कवर करने वाली एसएपी एस S/4 एचएएनए 1610 ईआरपी प्रणाली को नवंबर 2017 के दौरान सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया और तत्पश्चात वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान इसे एसएपी एस S/4 एचएएनए 2020 में अपग्रेड किया गया। आपकी कंपनी एसएपी राइज़ क्लाउड प्लेटफॉर्म अपनाकर एसएपी ईआरपी प्रणाली को क्लाउड पर स्थानांतरित करने के लिए भी कदम उठा रही है।

(b) मेण्डिक्स प्लेटफॉर्म

आपकी कंपनी ने वेब और मोबाइल एप्लिकेशन के विकास के लिए एसएपी प्रमाणित नो कोड/लो कोड अप्लिकेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म (मेण्डिक्स) को भी सफलतापूर्वक लागू किया है। पीओएमएस, बीआईपी, विजिलेंस ऑनलाइन शिकायत पोर्टल आदि जैसे विभिन्न अप्लिकेशनों को सफलतापूर्वक विकसित और कार्यान्वित किया है।

इन समग्र प्रयासों से न केवल आईटी उपयोग में एवं समग्र उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है, अपितु ग्राहक सेवाओं, सेवा स्तर प्रतिबद्धताओं, इष्टतम स्तर पर संसाधनों के उपयोग आदि में भी वृद्धि हुई है।

(ii) प्राप्त लाभ

मानव संसाधन/पेरोल, वित्त एवं लेखा, क्रय एवं अनुबंध और परियोजना प्रणाली (डब्ल्यूबीएस), कर्मचारी अनुरोध/दावा और ऋण प्रक्रियाओं की व्यावसायिक प्रक्रियाएं और कार्यात्मकताएं कर्मचारी स्व-सेवा (ईएसएस) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कर दी गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप लेनदेन दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि हुई है, जिससे लागत में कमी आई है।

स्थान : चेन्नई

दिनांक : 13.08.2025

iii) आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित)

ए) आयातित प्रौद्योगिकी के विवरण : लागू नहीं

बी) आयात का वर्ष : लागू नहीं

सी) क्या उस प्रौद्योगिकी को पूर्ण रूप से अपनाया गया है : लागू नहीं

डी) यदि उसे पूर्ण रूप से नहीं अपनाया गया है, तो उन क्षेत्रों का विवरण प्रदान करें जिनका नहीं हो सका और उसके कारण : लागू नहीं

(iv) अनुसंधान एवं विकास में किया गया व्यय : कोई नहीं

सी) विदेशी मुद्रा विनिमय से अर्जन एवं व्यय :

विदेशी मुद्रा विनिमय से कोई अर्जन नहीं है तथा विदेशी मुद्रा विनिमयसे ₹ .5.70 लाख का व्यय हुआ है।

निदेशक बोर्ड के लिए तथा बोर्ड की तरफ से
कामराजर पोर्ट लिमिटेड

ह/-
सुनील पालीवाल, आई.ए.एस.,
अध्यक्ष

(डीआईएन : 01310101)

कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट

1.0 प्रशासन के कोड पर कंपनी की धारणा पर संक्षिप्त कथन

आपकी कंपनी का मानना है कि कॉर्पोरेट प्रशासन का अभ्यास से ही एक मजबूत कंपनी स्थापित किया जा सकता है। अतः कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट स्वेच्छा से प्रदान किया जा रहा है। आपकी कंपनी की व्यावसायिक रणनीतियाँ आपूर्तिकार, उपभोक्ता, कर्मचारी, निवेशक, नियामक एवं समग्र समुदाय सहित सभी संबंधित पक्षों के लिए नैतिक संचालन और निष्पक्षता की गारंटी देती हैं। अपने लक्ष्य प्राप्त करते की दिशा में आपकी कंपनी पणधारियों के हितों को ध्यान में रखती है।

2.0 निदेशक के बोर्ड

2.1 31.03.2025 तक निदेशक बोर्ड का गठन एवं वर्ग

क्रम सं	नाम	वर्ग
1	श्री सुनील पालीवाल, आई.ए.एस	अध्यक्ष
2	श्रीमती जे. पी. आईरीन सिन्थिया, आई.ए.एस	प्रबंधन निदेशक
3	श्री एस. विश्वनाथन, आई.ए.एस	नामिती निदेशक
4	कैप्टन अनूप कुमार शर्मा	स्वतंत्र निदेशक
5	श्रीमती सरला बालगोपालन आई.आर.टी.एस (सेवानिवृत्त)	स्वतंत्र निदेशक
6	श्री आर. एम. नारायणन, एफसीए, पीजीडीएम	स्वतंत्र निदेशक

वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि में तथा इस रिपोर्ट की तिथि तक निदेशक मंडल की संरचना और श्रेणी :

क्रम सं	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष	प्रतिशत	समाप्ति की तिथि
1	श्री सुनील पालीवाल, आई.ए.एस	अध्यक्ष (गैर-कार्यकारी)	10.11.2021	सेवा जारी
2	श्रीमती जे. पी. आईरीन सिन्थिया, आई. ए. एस*	प्रबंध निदेशक	21.08.2023	सेवा जारी
3	श्री एस. विश्वनाथन, आई. ए. एस*	नामिती निदेशक	27.04.2023	सेवा जारी
4	श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव, एफसीए, डीआइएसए (आइसीएआइ)	स्वतंत्र निदेशक	06.11.2022 (द्वितीय कार्यावधि)	05.11.2024
5	कैप्टन अनूप कुमार शर्मा	स्वतंत्र निदेशक	10.11.2023 (द्वितीय कार्यावधि)	सेवा जारी
6	श्रीमती सरला बालगोपालन आई.आर.टी.एस (सेवानिवृत्त)	स्वतंत्र निदेशक	10.11.2023 (द्वितीय कार्यावधि)	सेवा जारी
7	श्री आर. एम. नारायणन, एफसीए, पीजीडीएम	स्वतंत्र निदेशक	13.11.2024	सेवा जारी

* श्रीमती जे. पी. आईरीन सिन्थिया, आई.ए.एस, श्री एस. विश्वनाथन, आई.ए.एस की पत्नी हैं।

2.2 बैठकों की तिथियों के साथ आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या :

वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि में बोर्ड की 09 (नौ) बैठकें क्रमशः 22.05.2024, 11.07.2024, 12.08.2024, 30.09.2024, 23.10.2024, 13.11.2024, 30.12.2024, 10.02.2025, 27.03.2025 को आयोजित की गईं।

2.3 वर्ष के दौरान बैठकें तथा उनमें उपस्थिति

कंपनी/समिति को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों/विवरण के अनुसार सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों (केपीएल सहित) की लेखापरीक्षण समिति (एसी) तथा पणधारी संबंध समिति (एसआरसी) की अध्यक्षता/सदस्यता के साथ प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति नीचे दी गई है :

निदेशक का नाम	निदेशक का पदनाम	संबंधित निदेशक की कार्यावधि में द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 में बोर्ड बैठकों में उपस्थिति की संख्या	बोर्ड बैठकों में उपस्थिति की संख्या	पिछले वार्षिक सामान्य सभा की उपस्थिति	31 मार्च 2025 तक अन्य संगठनों/ कंपनियों में निदेशक पद कार्यभार	सभी कंपनियों में समितियों की संख्या	
						31 मार्च 2025 तक सदस्यता	31 मार्च 2025 तक अध्यक्ष
श्री सुनील पालीवाल	अध्यक्ष	09	09	हां	2	एसी – केपीएल एसआरसी – केपीएल एसी – एससीएल	कोई नहीं
श्रीमती जे. पी. आईरीन सिन्थिया	प्रबंध निदेशक	09	09	हां	4	एसी – एससीएल एसआरसी – केपीएल	कोई नहीं
श्री एस. विश्वनाथन	नामिती निदेशक	09	07	हां	3	कोई नहीं	कोई नहीं
कैप्टन अनूप कुमार शर्मा	स्वतंत्र निदेशक	09	09	हां	1	एसी – एससीएल	कोई नहीं
श्रीमती सरला बालगोपाल	स्वतंत्र निदेशक	09	09	हां	कोई नहीं	एसी – एससीएल	एसआरसी – केपीएल
श्री आर. एम. नारायणन*	स्वतंत्र निदेशक	04	04	नहीं	1	कोई नहीं	एसी – एससीएल
श्री वी. एम. वी. सुब्बा राव *	स्वतंत्र निदेशक	05	05	हां	1	कोई नहीं	कोई नहीं

टिप्पण : केपीएल – कामराजर पोर्ट लिमिटेड, एससीएल – सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

* श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव की कार्यावधि दिनांक 05.11.2024 से समाप्त हो गई तथा उनके स्थान पर 13 नवंबर 2024 को आयोजित बोर्ड की बैठक में 13.11.2024 से प्रभावी तीन वर्ष की अवधि तक के लिए श्री आर. एम. नारायणन को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

3.0 लेखापरीक्षण समिति

लेखा परीक्षण समिति की भूमिका, कार्य-अवधि और संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 तथा अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार है। वित्त प्रमुख, आंतरिक लेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षक एवं विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को लेखा परीक्षण समिति के सदस्यों के साथ बातचीत के लिए लेखा परीक्षण समिति की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है। लेखा परीक्षण समिति के सदस्य वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया, लेखा परीक्षण प्रक्रिया, कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं कानूनों एवं विनियमों के अनुपालन पर कड़ी निगरानी रखते हैं।

ए. लेखा परीक्षण समिति का गठन

कंपनी में दिनांक 31.03.2025 को निम्नांकित सदस्यों की लेखा परीक्षण समिति गठित की गई

श्री आर. एम. नारायणन - अध्यक्ष
 श्री सुनील पालीवाल - सदस्य
 श्रीमती जे. पी. आईरीन सिन्थिया - सदस्य
 कैप्टन अनूप कुमार शर्मा - सदस्य
 श्रीमती सरला बालगोपाल - सदस्य

श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव के निदेशक के रूप में 5 नवंबर 2024 से प्रभावी कार्यकाल समाप्त होने के कारण श्रीमती सरला बालगोपाल ने 13 नवंबर 2024 को आयोजित लेखा परीक्षण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री आर.एम. नारायणन को बोर्ड की दिनांक 13.11.2024 को आयोजित बैठक में स्वतंत्र निदेशक लेखा परीक्षण समिति के अध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया।

बी. वर्ष के दौरान आयोजित बैठकें एव उनमें उपस्थिति :

वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि में लेखा परीक्षण समिति की क्रमशः 22.05.2024, 11.07.2024, 12.08.2024, 13.11.2024, 10.02.2025 5 (पांच) बैठकें आयोजित की गईं तथा सदस्यों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार है:

सदस्य	कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या	सदस्यों की उपस्थिति	
		बैठकों की संख्या	%
श्री आर. एम. नारायणन	1	1	100
श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव	3	3	100
श्री सुनील पालीवाल	5	5	100
श्रीमती जे. पी. आईरीन सिन्थिया	4	4	100
कैप्टन अनूप कुमार शर्मा	5	5	100
श्रीमती सरला बालगोपाल	5	5	100

4.0 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की भूमिका, संदर्भ की शर्तें और संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार हैं तथा समिति निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक एवं वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के लिए बोर्ड को सिफारिश की जाती है।

ए. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन

31.03.2025 तक नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के सदस्यों के विवरण निम्नानुसार है :

कैप्टन अनूप कुमार शर्मा - अध्यक्ष
 श्री सुनील पालीवाल - सदस्य
 श्री एस. विश्वनाथन - सदस्य
 श्रीमती सरला बालगोपाल - सदस्य

बी. वर्ष के दौरान आयोजित बैठकें एव उनमें उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि में नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की क्रमशः 11.07.2024, 23.10.2024, एवं 13.11.2024 3 (तीन) बैठकें आयोजित की गईं तथा सदस्यों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार है :

सदस्य	कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या	सदस्यों की उपस्थिति	
		बैठकों की संख्या	%
कैप्टन अनूप कुमार शर्मा	3	3	100
श्री सुनील पालीवाल	3	3	100
श्री एस. विश्वनाथन	3	3	100
श्रीमती सरला बालगोपाल	3	3	100

सी. प्रकार्य निदेशकों द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक

वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए प्रकार्य निदेशकों को भुगतानित पारिश्रमिक के विवरण :

निदेशकों का नाम	वेतन तथा अन्य भत्ते (रुपयों में)	बोनस/ कमिशन/ पीआरपी (रुपयों में)	कुल (रुपयों में)
श्रीमती जे. पी. आईरीन सिन्थिया	₹.35.85 लाख	₹.8.72 लाख	₹.44.57 लाख

5.0 पणधारी संबंध समिति

पणधारी संबंध समिति, बॉण्डधारकों की ब्याज न मिलने/बॉण्ड के हस्तांतरण/प्रेषण तथा अन्य विविध शिकायतों के निवारण पर विचार करती है। कंपनी सचिव, श्रीमती जयलक्ष्मी श्रीनिवासन, अनुपालन अधिकारी हैं। मेसर्स एमयूजीएफ इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड), मुंबई, कंपनी का रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट है तथा वे सभी निवेशक सेवा अनुरोधों पर ध्यान देते हैं। बॉण्डधारकों से प्राप्त शिकायतों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है तथा तुरंत निवारण कार्रवाई की जाती है।

ए. पणधारी संबंध समिति का गठन

31.03.2025 तक पणधारी संबंध समिति के सदस्यों के विवरण निम्नानुसार है:

श्रीमती सरला बालगोपाल - अध्यक्ष
 श्री सुनील पालीवाल - सदस्य
 श्रीमती जे. पी. आईरीन सिन्थिया - सदस्य

बी. वर्ष के दौरान आयोजित बैठकें एवं उनमें उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि में पणधारी संबंध समिति की क्रमशः 22.05.2024, 12.08.2024, 13.11.2024 और 10.02.2025 4 (चार) बैठकें आयोजित की गई तथा सदस्यों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार है :

सदस्य	कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या	सदस्यों की उपस्थिति	
		बैठकों की संख्या	%
श्रीमती सरला बालगोपाल	4	4	100
श्री सुनील पालीवाल	4	4	100
श्रीमती जे. पी. आईरीन सिन्थिया	4	4	100

6.0 सीएसआर एवं दीर्घकालिक विकास पर बोर्ड स्तर की समिति

समिति की भूमिका, संदर्भ की शर्तें और संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार है।

ए. सीएसआर एवं दीर्घकालिक विकास पर बोर्ड स्तर की समिति का गठन कंपनी की सीएसआर एवं दीर्घकालिक विकास पर बोर्ड स्तर की समिति दिनांक 31.03.2025 तक समिति के सदस्यों के विवरण निम्नानुसार है:

श्री सुनील पालीवाल	-	अध्यक्ष
श्रीमती जे. पी. आईरीन सिन्थिया	-	सदस्य
श्री एस. विश्वनाथन	-	सदस्य
श्री आर. एम. नारायणन	-	सदस्य
कैप्टन अनूप कुमार शर्मा	-	सदस्य

श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव के निदेशक के रूप में 5 नवंबर 2024 से प्रभावी कार्यकाल समाप्त होने के कारण श्री दिनांक 13.11.2024 से प्रभावी आर.एम. नारायणन को बोर्ड की आयोजित बैठक में शामिल किया गया।

बी. वर्ष के दौरान आयोजित बैठकें एवं उनमें उपस्थिति

पुनरीक्षण वर्ष 2024-25 की अवधि में कंपनी की सीएसआर एवं दीर्घकालिक विकास पर बोर्ड स्तर की समिति की क्रमशः 22.05.2024, 12.08.2024, 10.02.2025 और 27.03.2025 4 (चार) बैठकें आयोजित की गई तथा सदस्यों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार है :

सदस्य	उपस्थित होने के लिए अर्हक	सदस्यों की उपस्थिति	
		बैठकों की संख्या	%
श्री सुनील पालीवाल	4	4	100
श्रीमती जे. पी. आईरीन सिन्थिया	4	4	100

श्री एस. विश्वनाथन	4	2	50
श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव	2	2	100
कैप्टन अनूप कुमार शर्मा	4	4	100
श्री आर. एम. नारायणन	2	2	100

7.0 स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठकें

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के अनुसार कंपनी के गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशकों की बैठक 10 फरवरी, 2025 को आयोजित की गई जिसमें सभी स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया। उक्त बैठक में उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार है :

सदस्य	उपस्थित होने के लिए अर्हक	सदस्यों की उपस्थिति	
		बैठकों की संख्या	%
कैप्टन अनूप कुमार शर्मा	1	1	100
श्रीमती सरला बालगोपाल	1	1	100
श्री आर. एम. नारायणन	1	1	100

8.0 सामान्य सभा की बैठक

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की तिथि, समय और स्थान तथा उसमें पारित विशेष प्रस्ताव निम्नानुसार हैं:

वर्ष	तिथि	समय	स्थान	पारित विशिष्ट संकल्प
2023-24	30.09.2024	अपराह्न 3:00 बजे	दोतरफा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ अन्य दृश्य-श्रव्य (ओएवीएम) के माध्यम से	कोई नहीं
2022-23	29.09.2023	अपराह्न 3:00 बजे	दोतरफा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ अन्य दृश्य-श्रव्य (ओएवीएम) के माध्यम से	कोई नहीं
2021-22	28.09.2022	अपराह्न 3:00 बजे	दोतरफा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ अन्य दृश्य-श्रव्य (ओएवीएम) के माध्यम से	कोई नहीं

9.0 प्रकटन

(i) संबंधित पक्ष लेनदेन, वार्षिक रिपोर्ट में 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोटों के नोट संख्या 30 (12) में निर्धारित किए गए हैं।

(ii) सांविधिक प्राधिकारियों ने भी पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किसी भी अधिनियम/नियम के अंतर्गत कंपनी पर कोई सख्त आदेश पारित नहीं किया है या जुर्माना नहीं लगाया है।

(iii) आपकी कंपनी में व्हिसल ब्लोअर नीति है तथा कंपनी के किसी भी कर्मचारी को लेखा परीक्षण समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है।

(iv) लेखा-बही में किसी भी ऐसे व्यय को डेबिट नहीं किया गया जो व्यवसाय के उद्देश्य से संबंधित न हो। इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल तथा शीर्ष प्रबंधन के लिए कोई ऐसा व्यय नहीं किया गया जो व्यक्तिगत प्रकृति का हो।

(v) कंपनी के किसी भी अंशकालिक निदेशक का कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध या लेन-देन नहीं है।

(vi) समीक्षाधीन वर्ष एवं पिछले वर्ष के प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय तथा वित्तीय व्यय के विवरणों को वार्षिक लेखों में उपलब्ध किया गया है।

10.0 आचार संहिता

कामराजर पोर्ट, अपने कर्मचारियों के आचरण के उच्च मानक स्थापित करने के निरंतर प्रयास के तहत, सभी बोर्ड के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए “व्यावसायिक आचरण तथा आचार संहिता” निर्धारित की गई है। सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कामराजर पोर्ट की “व्यावसायिक आचरण और आचार संहिता” के अनुपालन की पुष्टि की है।

घोषणा

कंपनी के सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए “व्यावसायिक आचरण और आचार संहिता” के अनुपालन की पुष्टि की है।

निदेशक मंडल की ओर से

कामराजर पोर्ट लिमिटेड

हस्ताक्षरकर्ता/-

(श्रीमती जे.पी. आइरीन सिथिया, आई.ए.एस.)

चेन्नई

प्रबंध निदेशक

20-05-2025

(डीआईएन: 08839241)

11.0 बोर्ड सदस्यों के लिए प्रशिक्षण

आपकी कंपनी ने व्यावसायिक आवश्यकताओं को बेहतर समझने तथा बढ़ावा देने के साथ-साथ व्यावसायिक, सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक वातावरण में जो काम किया जाता है, उसके प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए निदेशकों के प्रशिक्षण की नीति बनाई है।

स्थान : चेन्नई

दिनांक : 13.08.2025

12.0 लागू कानूनों के अनुपालन का पुनरीक्षण

बोर्ड समय-समय पर कंपनी पर लागू सभी कानूनों की अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा करता है ताकि सभी लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

13.0 संचार का माध्यम

तिमाही, अर्धवार्षिक और वार्षिक वित्तीय परिणाम तुरंत बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत किए जाते हैं, जहाँ कंपनी के कर-मुक्त बॉण्ड सूचीबद्ध होते हैं तथा बिज़नेस स्टैंडर्ड के सभी संस्करणों में प्रकाशित होते हैं। ये परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.kamarajarport.in पर भी प्रस्तुत किए जाते हैं तथा डिबेंचर ट्रस्टियों को भी भेजा जाता है।

वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षित खाते, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, नकदी प्रवाह विवरण और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है, सदस्यों और अन्य पात्र व्यक्तियों को भेजी जाती है और कंपनी की वेबसाइट www.kamarajarport.in पर भी उपलब्ध किया गया है। सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार सभी घटनाएँ/सूचनाएँ कंपनी की वेबसाइट पर प्रस्तुत किए जाते हैं।

वेबसाइट

कंपनी की वेबसाइट www.kamarajarport.in पर अलग से समर्पित अनुभाग ‘निवेशक’ है, जिसमें बांडधारकों के लिए जानकारी उपलब्ध है।

पत्राचार के लिए पता

बॉण्डधारक अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जवाहर भवन, 17, राजाजी सलाई, चेन्नई - 600 001, द्वितीय तल (उत्तर विंग) एवं तृतीय तल स्थित पंजीकृत कार्यालय में कंपनी सचिव को और इलेक्ट्रॉनिक रूप से cs@kplmail.in पर अपना पत्र भेज सकते हैं। निवेशक अपनी किसी भी शिकायत के निवारण के लिए MUGF इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में लिंक इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड), रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट से भी संपर्क कर सकते हैं। उनके पते और संपर्क नंबर का विवरण इस प्रकार है:

पता : सी -101, 247 पार्क, एल.बी.एस. मार्ग,

विखोली (पश्चिम), मुम्बई - 400 083

दूरभाष : 91-22-4918 6000/08108116767,

फैक्स : 91-22-4918 6060

ईमेल : bonds.helpdesk@in.mpms.mufg.com

निदेशक बोर्ड के लिए तथा उनकी तरफ से

कामराजर पोर्ट लिमिटेड

ह/-

सुनील पालीवाल, आई.ए.एस.,

अध्यक्ष

(डीआईएन : 01310101)

**प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा
परीक्षा का कार्यालय, चेन्नई**

भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग
139, महात्मा गांधी रोड, चेन्नई-600034



**Office of the Principal Director
of Commercial Audit, Chennai**

Indian Audit and Accounts Department
Indian Oj Bhavan, Level - 2,
139, Mahatma Gandhi Road, Chennai-600 034

सं: पीडीसीए/सीए-II/4-124/2025-26/294

दिनांक 28.07.2025

सेवा में

अध्यक्ष

कामराजर पोर्ट लिमिटेड

नं.17, जवाहर बिल्डिंग, राजाजी सालै

चेन्नई – 600 001

महोदय,

विषय : 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कामराजर पोर्ट लिमिटेड के वित्तीय विवरणिकाओं पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

मुझे, 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कामराजर पोर्ट लिमिटेड के वित्तीय विवरणिकाओं पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

कृपया अपनी कंपनी के वार्षिक प्रतिवेदन की दो (2) प्रतियों को इस कार्यालय में भेजने की व्यवस्था करें। कृपया वार्षिक सामान्य सभा आयोजित किए जाने की तारीख भी सूचित करें।

उक्त पत्र की पावती भेजें।

भवदीय

ह/-

(एस. वेल्लियंगिरि)

वाणिज्यिक लेखा-परीक्षण के प्रधान निदेशक

संलग्नक : लेखा-परीक्षण प्रमाण-पत्र

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कामराजर पोर्ट लिमिटेड के वित्तीय विवरणिकाओं पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143(6) (बी) के वित्तीय रिपोर्टिंग की निर्धारित रूपरेखा के अनुसरण में 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कामराजर पोर्ट लिमिटेड की वित्तीय विवरणिकाओं को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी है कि वे अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखांकन मानकों के अनुसरण में धारा 143 के अंतर्गत स्वतंत्र लेखा-परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत अपना मत अभिव्यक्त करें। यह उनके द्वारा किया गया है जिसे उनके दिनांक 26.05.2024 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की तरफ से अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कामराजर पोर्ट लिमिटेड के वित्तीय विवरणिकाओं का अनुपूरक लेखा-परीक्षण किया है। सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यकारी कागजातों तक पहुंचे बिना स्वतंत्र रूप से यह अनुपूरक लेखा-परीक्षण किया गया है तथा यह सांविधिक लेखापरीक्षकों की पूछताछ एवं कंपनी के कार्मिकों तथा कुछ लेखांकन रिकार्डों के चयनित परीक्षण तक सीमित है।

मेरे अनुपूरक लेखा-परीक्षण के आधार पर मैं अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहता हूँ जो मेरे ध्यान में आए और जो मेरे विचार से वित्तीय विवरणिकाओं एवं संबंधित लेखा-परीक्षण रिपोर्ट को समझने के लिए आवश्यक हैं।

वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी :

टिप्पणी सं. 1

तुलन-पत्र

परिसंपत्तियां-गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां परिसंपत्तियों का उपयोग करने का अधिकार (टिप्पण 4ए) : ₹.1639.03 लाख
संचित मूल्यहास : ₹.925.77 लाख

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (टिप्पण 9) : ₹.442.82 लाख
परिसंपत्तियों का उपयोग करने के अधिकार भाग में चेन्नई पत्तन प्राधिकरण को किए गए ₹.243.75 लाख के भुगतान को प्रतिदेय सुरक्षा जमा के ₹.214.97 लाख के उचित मूल्य को शामिल नहीं किया गया है, तदनुसार उक्त पर मूल्यहास भी लागू नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, कंपनी में अपनाई गई मूल्यहास पद्धति, मानक लेखांकन नीतियों (सीधा रेखा पद्धति) के अनुसरण में नहीं हैं।

उपर्युक्त गैर-अनुपालन से ₹.214.97 लाख से परिसंपत्तियों के उपयोग करने के अधिकार का घोर अपकथन हुआ है, ₹.173.79 लाख के संचित मूल्यहास की अतशयोक्ति तथा ₹.193.24 लाख से अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की अतिशयोक्ति तथा 195.52 लाख से अन्य ईक्विटी की न्यूनोक्ति हुई है।

टिप्पण सं. 2

अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां (टिप्पण 6) : ₹.264.95 लाख

उपर्युक्त में पहले से ही भारतीय लेखांकन मानक 38 के प्रावधानों के विरुद्ध मूल्यहासित अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए ₹.54.44 लाख के अवशिष्ट मूल्य सम्मिलित किया गया है। इससे अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों की अतिशयोक्ति एवं अन्य ईक्विटियों का ₹.54.44 लाख से अतिशयोक्ति हुई है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए तथा की तरफ से

ह/-

(एस. वेल्लियनगिरि)

वाणिज्यिक लेखापरीक्षक के प्रधान निदेशक

स्थान : चेन्नई

दिनांक : 28.07.2025

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कामराजर पोर्ट लिमिटेड की वित्तीय विवरणिकाओं पर सीएजी द्वारा कृत टिप्पणियों का प्रबंध की तरफ से उत्तर

सी एण्ड ए जी लेखापरीक्षण टिप्पणी	प्रबंधन का जवाब
<p>1. संपत्तियों का उपयोग करने का अधिकार : ₹.1639.03 लाख, संचित मूल्यहास : ₹.925.77 लाख एमडी अन्य वित्तीय संपत्तियां: ₹.442.82 लाख।</p> <p>चेन्नई पत्तन प्राधिकरण को भुगतान की गई ₹.243.75 लाख की वापसी योग्य सुरक्षा जमा राशि का उचित मूल्य ₹.214.97 लाख, उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों में शामिल नहीं था और परिणामस्वरूप उस पर मूल्यहास नहीं लगाया गया। इसके अलावा, अपनाई गई मूल्यहास पद्धति कंपनी की लेखा नीति (सीधी रेखा पद्धति) के अनुरूप नहीं थी।</p> <p>उपरोक्त गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप सकल उपयोग अधिकार परिसंपत्तियों का ₹214.97 लाख कम, संचित मूल्यहास का ₹173.79 लाख अधिक, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों का ₹193.24 लाख अधिक और अन्य इक्विटी का ₹195.52 लाख की अतिशयोक्ति की गई।</p> <p>अन्य अमूर्त संपत्तियाँ: ₹ 264.95 लाख। उपरोक्त में पहले से ही भारतीय लेखा मानक के प्रावधानों के उल्लंघन में मूल्यहास की गई अमूर्त संपत्तियों का ₹54.4 लाख का अवशिष्ट मूल्य शामिल है। इसके परिणामस्वरूप अन्य अमूर्त संपत्तियों और अन्य इक्विटी को ₹54.44 लाख की अतिशयोक्ति के रूप में दर्शाया गया।</p>	<p>तथ्यों की पुष्टि हुई। जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया है, आवश्यक सुधार प्रविष्टियाँ वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) के अनुसार पारित की जाएँगी।</p> <p>उपरोक्त के बावजूद, यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) ('ढांचा') के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए संकल्पनात्मक ढाँचे के अनुच्छेद 2.11 के अनुसार, "सूचना महत्वपूर्ण है यदि इसे छोड़ने, गलत तरीके से प्रस्तुत करने या अस्पष्ट करने से सामान्य प्रयोजन वित्तीय रिपोर्टों (पैराग्राफ 1.5 देखें) के प्राथमिक उपयोगकर्ताओं द्वारा उन रिपोर्टों के आधार पर लिए जाने वाले निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है, जो किसी विशिष्ट रिपोर्टिंग इकाई के बारे में वित्तीय जानकारी प्रदान करती हैं।"</p> <p>उपरोक्त तर्क पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यह भी विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि केपीएल ने वर्ष 2019-20 और 2021-22 में लीज जमा किया था और तब से पिछले 5 वर्षों से वर्तमान लेखांकन पद्धति का लगातार पालन किया जा रहा है और संबंधित वर्षों के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा स्वीकार किया गया है और साथ ही वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने के भाग के रूप में भी, जो केपीएल द्वारा अपनाए गए वर्तमान सुसंगत रुख को और पुष्ट करता है।</p> <p>₹.214.97 लाख और ₹.193.23 लाख की राशि की वर्तमान त्रुटि कंपनी के टर्नओवर का केवल 0.185% और 0.167%, पीपीई के वहन मूल्य का 0.067% और 0.06% और वर्ष के कर-पूर्व लाभ का 0.257% और 0.231% है।</p> <p>मैं आश्वस्त हूँ कि लेखापरीक्षा द्वारा देखी गई आवश्यक सुधार प्रविष्टियाँ वित्तीय वर्ष 2025-26 में पारित कर दी जाएँगी।</p> <p>तथ्यों की पुष्टि हुई। जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया है, आवश्यक सुधार प्रविष्टियाँ वित्त वर्ष 2025-26 में पारित की जाएँगी।</p> <p>उपरोक्त के बावजूद, यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) ("ढांचा") के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए संकल्पनात्मक ढाँचे के पैरा 2.11 के अनुसार, "सूचना महत्वपूर्ण है यदि इसे छोड़ने, गलत तरीके से प्रस्तुत करने या अस्पष्ट करने से सामान्य प्रयोजन वित्तीय रिपोर्टिंग एजेंसियों (अनुच्छेद 1.5 देखें) के प्राथमिक उपयोगकर्ताओं द्वारा उन रिपोर्टों के आधार पर लिए गए निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है, जो किसी विशिष्ट रिपोर्टिंग इकाई के बारे में वित्तीय जानकारी प्रदान करती हैं।" वर्तमान त्रुटि राशि ₹.54.44 लाख रुपये है, जो कंपनी के कुल कारोबार का केवल 0.047%, पीपीई के वहन मूल्य का 0.017% और वर्ष के कर-पूर्व लाभ का 0.065% है। यह आश्वासन दिया जाता है कि लेखापरीक्षण में देखा गया आवश्यक सुधार प्रविष्टियाँ वित्तीय वर्ष 2025-26 में पारित कर दी जाएँगी।</p>

जसमिंदर सिंह एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

कामराजर पोर्ट लिमिटेड के सदस्यों को

भारतीय लेखांकन मानकों के वित्तीय विवरणिकाओं का लेखापरीक्षा रिपोर्ट

मत

1. हमने भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसरण में कामराजर पोर्ट लिमिटेड ('कंपनी') द्वारा प्रस्तुत विवरणिकाओं का लेखापरीक्षण किया है जिसमें 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष का तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरणिका (अन्य विस्तृत आय सहित), ईक्विटी में परिवर्तनों की विवरणिका तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं अन्य स्पष्टीकरण सूचनाओं (अब से 'वित्तीय विवरणों' के रूप में प्रस्तुत) के सहित समाप्त वर्ष के नकद प्रवाहों की विवरणिका एवं वित्तीय विवरणिकाओं के लिए टिप्पणों सम्मिलित हैं।

2. हमारे मत में एवं हमारी जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त वित्तीय विवरणिकाओं में, कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की आवश्यकताओं के अनुसरण में सूचनाएं इस प्रकार प्रस्तुत किए गए हैं कि वे कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानक, यथासंशोधित (भारतीय लेखा-मानक) तथा भारत में सामान्यतया स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुसरण में 31 मार्च 2025 को समाप्त तारीख तक कंपनी की स्थिति एवं उद्धृत तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ, विस्तृत आमदनी, ईक्विटी में परिवर्तन तथा उसके नकद प्रवाह के संदर्भ में सही एवं निष्पक्ष पाए गए।

मत का आधार

3. हमने वित्तीय विवरणों का लेखा-परीक्षण, अधिनियम के अंतर्गत लेखापरीक्षण मानकों (एसएएस) में उल्लिखित धारा 143(10) के आधार पर किया है। हमारी जिम्मेदारियों को उन मानकों के अंतर्गत हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणिकाओं के लेखापरीक्षण अनुभाग में प्रस्तुत किया गया है। हमने अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत इन आवश्यकताओं एवं भारतीय सनदी लेखाकार संघ (आईसीएआई) के अनुसरण में अन्य आचार जिम्मेदारियों को पूर्ण किया है। हम यह विश्वास रखते हैं कि हमने जिन लेखापरीक्षण सबूतों को इकट्ठा किया है, वे वित्तीय विवरणिकाओं पर हमारे मत के लिए एक उचित आधार बनते हैं।

मामलों पर जोर देते हुए

4. सरकार/ सरकार के स्वामित्व से कंपनी द्वारा प्राप्त किए गए कई अचल संपत्तियों के संबंध में लंबित हस्तांतरण विलेख/ पंजीकरण विलेख से संबंधित टिप्पण 4 (ए) की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है। आगे, विभिन्न एजेन्सियों को देय निश्चित रकम / प्रतिपूर्ति भुगतानों को अंतिम रूप दिया जाना है तथा उक्त विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं,

5. वर्ष के दौरान कंपनी के विरुद्ध बीओटी प्रचालकों में से एक

प्रारंभित विवाद प्रकरण के संबंध में टिप्पण 30(15)(iii) (ए) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें ₹.160841.071 की रकम तक विभिन्न दावों, कंपनी का जवाबी दावा एवं दोनों पार्टियों द्वारा मध्यस्थों को नियुक्त करने तथा समाप्त वर्ष की अवधि तक विवाद प्रकरणों की स्थिति संबंधी विवरणों का उल्लेख किया गया है। तदनुसार टिप्पण में बताए गए कारणों के अनुसार वर्ष की समाप्ति की अवधि तक बीओटी प्रचालक द्वारा किए गए दावों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

6. परियोजना ठेकेदारों को किए गए ₹.4509.50 लाख के अतिरिक्त भुगतान के संबंध में नोट 11 का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है, जिसमें अन्य परिसंपत्तियां शामिल हैं - गैर-चालू और आज तक पूंजीकृत नहीं, मद्रास उच्च न्यायालय को भेजे गए लंबित विवाद।

7. ठेकेदार के विरुद्ध मुकद्दमे की कार्यवाही से संबंधित नोट 9 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके लिए कंपनी ने मध्यस्थता निर्णय का 75% (₹.2107.66 लाख और ब्याज सहित) भाग उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के पास ₹.2860.83 लाख जमा किया है।

उपर्युक्त अनुच्छेद 4 से 7 में उल्लिखित मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

मुख्य लेखापरीक्षण मामले

8. मुख्य लेखापरीक्षण मामलों में वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणिकाओं के हमारे महत्वपूर्ण लेखापरीक्षण के व्यावसायिक निर्णय सम्मिलित हैं। इन मामलों को समग्र रूप में वित्तीय विवरणिकाओं के हमारे लेखा-परीक्षणों के प्रसंग में इन मामलों पर विचार किया गया जिनपर हमारे मत बने और हम इन मामलों पर अलग से राय प्रस्तुत नहीं करते।

वित्तीय विवरणिकाओं से पृथक जानकारी तथा उनपर लेखापरीक्षण रिपोर्ट

9. कंपनी का निदेशक बोर्ड अन्य जानकारी तैयार करने करने के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चाएं तथा विश्लेषण, बोर्ड की रिपोर्ट जिसके साथ में संलग्नक, व्यवसाय जिम्मेदारी रिपोर्ट, कॉर्पोरेट शासन प्रणाली एवं शेरधारक जानकारी सम्मिलित हैं, लेकिन इनमें समेकित वित्तीय विवरण एवं उनपर हमारे लेखापरीक्षण रिपोर्ट शामिल नहीं हैं।

10. उन वित्तीय विवरणों पर हमारे मत में अन्य जानकारी सम्मिलित नहीं है तथा हम उनपर किसी भी प्रकार के आवश्यकता निष्कर्ष प्रदान नहीं करते हैं।

11. वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण के संबंध में अन्य जानकारी पढ़ना हमारी जिम्मेदारी है तथा ऐसा करते हुए वित्तीय विवरणों के साथ उक्त जानकारी विषयवस्तु की असंगतता या लेखापरीक्षण के दौरान प्राप्त की गई जानकारी अथवा विषयवस्तु के संदर्भ में असंगतता पर विचार किया जाता है।

12. हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर यदि हम इस अन्य जानकारी के संबंध में इस निष्कर्ष पर आते हैं कि वह विषयवस्तु के संबंध में असंगत है, तो हमें उसे रिपोर्ट करना होगा। इस संदर्भ में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है।

वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन की जिम्मेदारी

13. कंपनी का निदेशक बोर्ड की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे इन वित्तीय विवरणिकाओं को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के संबंध में भारतीय लेखांकन मानकों एवं भारत में स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन के साथ अन्य विसृत आमदनी, कंपनी के ईक्विटी एवं नकद प्रवाह में परिवर्तन के बारे में सही एवं निष्पक्ष पहलु प्रस्तुत करें। इन जिम्मेदारियों में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने के लिए पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड बनाए रखने के कार्य, धोखेबाजी एवं अन्य अनियमितताओं की पहचान करने तथा उन्हें रोकने, उचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं लागू करना, निर्णय एवं प्राक्कलन विवेकपूर्ण एवं औचित्यपूर्ण हों, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अभिकल्पना, कार्यान्वयन एवं रखरखाव भी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में हों ताकि लेखांकन रिकार्डों की शुद्धता एवं पूर्णता बनाए रखने के लिए प्रभावशाली रूप से प्रचालित किए जाते हैं तथा वित्तीय विवरणिकाओं को तैयार करने तथा प्रस्तुतीकरण सही एवं शुद्ध हों एवं धोखेबाजी या गलती से मूल रूप से गलत होने की स्थिति से दूर हों। इन वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंधन, चालू संस्था के रूप में बनाए रखने की कंपनी की क्षमता, यथा लागू प्रकटीकरण, चालू संस्था एवं चालू संस्था के लेखांकन आधार का प्रयोग को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है चाहे प्रबंधन, कंपनी को परिसमाप्त करना चाहे या प्रचालनों को बंद करना चाहे अथवा ऐसा करने के अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, लागू होने पर चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार होता है, जब तक कि प्रबंधन कंपनी को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता है, या उसके पास कोई वास्तविक संपत्ति नहीं है।

14. कंपनी के निदेशक बोर्ड, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का अनुवीक्षण करने के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणिकाओं के लेखा-परीक्षण के प्रति लेखा-परीक्षकों की जिम्मेदारी

15. वित्तीय विवरणिकाओं का पूर्ण रूप से चाहे धोखेबाजी या गलती के कारण मूलतः गलत कथन होने से मुक्त होने के लिए सुनिश्चित करते हुए हमारे मत को सम्मिलित करते हुए लेखा-परीक्षक रिपोर्ट जारी करना ही हमारा उद्देश्य है। उचित आश्वासन, उच्च स्तरीय

आश्वासन होता है, लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि एसएस के आधार पर किया गया लेखा-परीक्षण हर समय गलतियों के होने से मूल गलतियों को उबारे। धोखेबाजी एवं गलती से उभरनेवाले गलत विवरण व्यक्तिगत या समग्र रूप में वित्तीय विवरणिकाओं के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है।

- एसएस के अनुसरण में किए गए लेखा-परीक्षण के एक भाग के रूप में संपूर्ण लेखापरीक्षण के दौरान हम व्यावसायिक निर्णय लेने के साथ साथ व्यावसायिक संदेह भी बनाए रखते हैं। साथ ही हम :

- वित्तीय विवरणिकाओं में धोखेबाज या गलती के कारण होनेवाले मूल गलत कथन की पहचान करते हैं तथा उनके जोखिमों का मूल्यांकन करते हैं, उन जोखिमों के प्रति प्रतिक्रियाशील लेखापरीक्षण प्रक्रियाओं की अभिकल्पना, कार्यान्वयन एवं अपनी के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उचित लेखा-परीक्षण सबूत प्राप्त करते हैं। धोखेबाजी से पैदा होनेवाले मूलतः गलत कथनों को न पहचानने का जोखिम, गलती से पैदा होनेवाले गलत कथनों से होनेवाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखेबाजी से मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का अतिक्रमण हो सकता है।

- परिस्थितियों में उचित होनेवाले लेखा-परीक्षण प्रक्रियाओं से संबद्ध आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की एक अच्छी समझ प्राप्त करते हैं। अधिनियम के धारा 143(3)(i) के अंतर्गत हम, इस राय को भी अभिव्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं कि कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था अपनाई जाती है या नहीं तथा ऐसे नियंत्रणों को प्रभावी ढंग से प्रचालित किया गया है या नहीं।

- कंपनी में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों के औचित्य को मूल्यांकित करते हैं तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन प्राक्कलनों के औचित्य एवं संबंधित प्रकटीकरणों को भी मूल्यांकित करते हैं।

- लेखांकन एवं प्राप्त किए गए लेखापरीक्षण के आधार पर चालू संस्था के उपयोग में प्रबंधन, घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता हो, जिसके कारण कंपनी की चालू संस्था के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है या नहीं, इन औचित्यों पर निष्कर्ष प्राप्त किया जाना है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सामग्री की अनिश्चितता है, हमें अपने लेखापरीक्षण की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रकटीकरण या उन प्रकटीकरणों के अपूर्ण होने अथवा हमारे मत में रूपांतरित किए जाने की ओर ध्यान आकर्षित करना है। हमारे निष्कर्ष, हमारे लेखापरीक्षण रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखापरीक्षण सबूत पर आधारित हैं। तथापि, भावी घटनाएं या परिस्थितियां, कंपनी बंद करवाने या चालू संस्था के रूप में जारी रहने का कारण बन सकती हैं।

- वित्तीय विवरणिकाओं के समग्र प्रस्तुतीकरण, संरचना एवं विषयवस्तु के साथ प्रकटीकरणों को मूल्यांकित करते हुए यह पता लगाना कि वित्तीय विवरणिकाएं आधारभूत लेन-देन एवं

घटनाएं इस प्रकार से प्रतिनिधित्व करती हैं कि वे एक निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण के रूप में साबित हों।

16. वित्तीय विवरणिकाओं में सामग्री गलत कथनों का आकार बनती है कि वे व्यक्तिगत या समग्र रूप में वित्तीय विवरणिकाओं के जानकार उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकने की क्षमता रखती हैं। हम परिमाणात्मक सामग्री एवं गुणात्मक पहलुओं (i) अपने लेखापरीक्षण के कार्यक्षेत्र की योजना बनाना तथा अपने कार्य के परिणामों को मूल्यांकित करना तथा (ii) वित्तीय विवरणिकाओं में पहचान किए गए गलत कथनों के प्रभाव को मूल्यांकित करने पर विचार करते हैं।

17. हम उन्हें संप्रेषित करते हैं जो अन्य मामलों के साथ लेखापरीक्षण कार्यक्षेत्र की योजना एवं सटीक समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षण की खोज के साथ आंतरिक नियंत्रण में अन्य कोई महत्वपूर्ण कमियों से संबंधित हैं।

18. हम शासन के अंतर्गत संस्थानों को यह भी संप्रेषित करते हैं कि हमने स्वतंत्रता संबंधी नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है तथा यह भी संप्रेषित करते हैं कि सभी संबंधितों एवं अन्य मामलों का असर हमारी स्वतंत्रता पर है और जहां भी लागू हो हमारी सुरक्षा से संबंधित है।

19. शासन के अंतर्गत संस्थानों को संप्रेषित उन मामलों में से हम उन मामलों को निश्चित करते हैं जो वर्तमान अवधि की वित्तीय विवरणिकाओं के लेखा-परीक्षणों में अत्यंत महत्वपूर्ण थे और वे मुख्य लेखा-परीक्षण मामले बन जाते हैं। हम इन मामलों को अपने लेखा-परीक्षक रिपोर्ट में तब तक सम्मिलित नहीं करते हैं जब तक उक्त मामले के सार्वजनिक प्रकटन के बारे में कोई नियम या निनियमन न हो या किन्हीं विरल परिस्थितियों में हम यह निश्चित करते हैं कि मामले को हमारी रिपोर्ट में उनसे पैदा होनेवाली प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए जिससे कि सार्वजनिक हित में ऐसे संप्रेषणों का महत्व कम पड़ने की प्रत्याशा की जाती है।

अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

20. अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) में उल्लेख किए गए अनुसार अपने रिपोर्ट के संलग्नक ए में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेश / उप-निदेशों का उल्लेख करते हैं।

21. केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 में उल्लिखित आवश्यकताओं के अनुसरण में अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा 11 के अनुसार हम अपने रिपोर्ट के अनुबंध B में आदेश के अनुच्छेद 3 एवं 4 में निर्दिष्ट मामलों पर यथा लागू अनुसार मामलों पर हमारे कथन प्रस्तुत करते हैं।

22. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसरण में हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :

ए) हमने अपनी जानकारी एवं विश्वास के आधार पर हमारे लेखा-परीक्षण के उद्देश्य से आवश्यक सभी जानकारी एवं विवरणों की मांग की है तथा उन्हें प्राप्त किया है;

बी) हमारे मत में कंपनी में कानून की आवश्यकताओं के अनुसार लेखा की उचित पुस्तकें रखी हुई हैं जो हमारे लेखापरीक्षण कार्य के लिए आवश्यक थे।

सी) तुलन पत्र, विसृत आमदनी सहित लाभ एवं हानि विवरणिका, ईक्विटी में परिवर्तन की विवरणिका एवं नकद प्रवाह की विवरणिका, लेखा पुस्तकों में किए गए उल्लेख के अनुसार हैं।

डी) हमारी राय में उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणिकाओं में कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 में उद्धृत साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखा-मानकों का अनुपालन किया गया है।

ई) कंपनी के निदेशकों से निदेशक बोर्ड द्वारा स्वीकृत 31 मार्च 2023 तक प्राप्त लिखित प्रतिवेदनों के आधार पर अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसरण में नियुक्त किसी भी निदेशक को 31 मार्च 2023 तक अनर्हक नहीं घोषित किया गया है।

एफ) कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रण की प्रचालनात्मक प्रभावात्मकता के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट के 'संलग्नक सी' का संदर्भ

लें। हमारी रिपोर्ट में कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रण की प्रचालनात्मक प्रभावात्मकता पर अपरिवर्तनशील विचारों की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है।

जी) अधिनियम की धारा 197(16) यथा संशोधित, में उल्लिखित आवश्यकताओं के अनुसार लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए गए अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय में

तथा हमारी उत्कृष्ट जानकारी एवं हमें प्रदत्त स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान अपनू निदेशकों की भुगतानित प्रतिपूर्ति, अधिनियम की धारा 197 के अनुसरण में है।

एच) कंपनी (लेखा-परीक्षण एवं लेखा-परीक्षकों) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जानेवाले अन्य मामलों के संबंध में हमारे मत में तथा हमारे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार तथा हमें प्रदत्त स्पष्टीकरणों के

आधार पर:

- i. कंपनी ने टिप्पण संदर्भ 30(15) के अनुसार अपने वित्तीय विवरणिकाओं में वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकद्दमों का असर प्रकट किया है।
- ii. यथा लागू कानून या लेखांकन मानकों की आवश्यकतानुसार कंपनी ने यदि कोई हों तो व्युत्पन्न ठेकों के साथ दीर्घकालिक ठेकों में सामग्रियों की संभावित हानि के लिए प्रावधान बनाया है।
- iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि के लिए हस्तांतरित की जानेवाली रकम के संबंध में रकम के हस्तांतरणों में कोई विलंब नहीं है।
- iv. (ए) प्रबंधन ने यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है कि उनकी जानकारी एवं विश्वास के आधार पर कंपनी द्वारा (जो सामग्री न पृथक सूत्र पर या समग्र रूप में) अग्रिम सूत्र पर या ऋण रूप में या निवेश (ऋण पर प्राप्त की गई निधि से अथवा शेयर प्रीमियम या किसी भी प्रकार के अन्य स्रोत निधि से) किसी विदेशी संस्था (“मध्यवर्ती संस्थाएं”) सहित किसी व्यक्ति, संस्था को किसी समझौता के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा कोई भी निधि को प्रदान नहीं की गई है कि मध्यवर्ती संस्थाएं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में ऋण रूप में अथवा निवेश रूप में पहचान किए गए अन्य व्यक्तियों अथवा संस्थानों को किसी भी रूप में या कंपनी की तरफ से (“अंतिम हिताधिकारियों”) या कोई गारंटी, सुरक्षा या उस प्रकार के कोई अंतिम हिताधिकारियों को प्रदान करेंगे;

(बी) प्रबंधन ने यह प्रतिवेदन दिया है कि उसकी पूर्ण जानकारी एवं पूर्ण विश्वास के आधार पर कंपनी द्वारा (जो सामग्री न पृथक सूत्र पर या समग्र रूप में) अग्रिम सूत्र पर या ऋण रूप में या निवेश (ऋण पर प्राप्त की गई निधि से अथवा शेयर प्रीमियम या किसी भी प्रकार के अन्य स्रोत निधि से) किसी विदेशी संस्था (“निधि प्रदान करनेवाली संस्थाओं”) से किसी समझौता के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा कोई भी निधि प्राप्त नहीं की गई है कि मध्यवर्ती संस्थाएं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में ऋण रूप में अथवा निवेश रूप में पहचान किए गए अन्य व्यक्तियों अथवा संस्थानों से किसी भी रूप में या कंपनी की तरफ से (“अंतिम हिताधिकारियों”) या कोई गारंटी, सुरक्षा या उस प्रकार के कोई अंतिम हिताधिकारियों प्राप्त किया गया है;

(सी) परिस्थितियों में तर्कसंगत एवं उचित पाए गए लेखापरीक्षण प्रक्रियाओं के आधार पर हमारी दृष्टि में ऐसी कोई बात नहीं आई जिसके कारण हम यह विश्वास करें कि प्रतिवेदन में उपर्युक्त (ए) और (बी) में नियम 11(ई) के उप-खंड (i) और (ii) के अनुसरण में मूलतः गलत पाए गए।

V. वित्तीय विवरणिकाओं के टिप्पण 30(20) में दिए गए अनुसार

VI. पूर्व वर्ष में घोषित प्रस्तावित एवं कंपनी द्वारा इस वर्ष भुगतानित अंतिम लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुसरण में जैसा लागू हो सही है। कंपनी लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके खाता पुस्तकों का रखरखाव करती है जिसमें लेखापरीक्षण प्रवृत्ति रिकार्ड करने (एडिट लॉग) की सुविधा है।

मेसर्स जसमिन्दर सिंह एवं असोसियेट्स के लिए

सनदी लेखाकार

एफआरएन 016192एन

ह/-

सीए जसमिन्दर सिंह

साझेदार

एम. सं. 096895

यूडीआईएन : 25096895BMG YHC5619

स्थान : चेन्नई

दिनांक : 26.05.2025

लेखा-परीक्षकों की स्वतंत्र रिपोर्ट के लिए संलग्नक 'ए'

कामराजर पोर्ट लिमिटेड के 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणिका पर समसंख्यक लेखा-परीक्षक की स्वतंत्र रिपोर्ट में "अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" शीर्षक के अंतर्गत अनुच्छेद 19 में संदर्भित संलग्नक

1.	क्या कंपनी में ऐसी कोई व्यवस्था है कि वह अपने सभी लेखांकन प्रक्रियाओं को आईटी व्यवस्था द्वारा रखा जा सके? यदि नहीं, तो आईटी व्यवस्था से बाहर लेखांकन लेन-देनों के प्रकरण का असर लेखा की अखंडता पर यदि पड़ता है, तो वित्तीय असर के साथ उसका उल्लेख करें।	कंपनी में आईटी व्यवस्था द्वारा ही लेखांकन लेन-देनों का प्रकरण होता है।
2.	क्या ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए कोई वर्तमान ऋण की पुनःसंरचना या ऋण/कर्ज/ ब्याज को छूट दिए जाने / बट्टे खाते में डालने के मामले हैं जिसे कंपनी वापस नहीं कर पाया है? यदि हां, तो उसके वित्तीय असर बताएं।	ऐसे कोई मामले जहां ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए कोई वर्तमान ऋण की पुनःसंरचना या ऋण/कर्ज/ ब्याज को छूट दिए जाने / बट्टे खाते में डाले जाने की स्थिति नहीं है जिसे कंपनी वापस नहीं कर पाया हो।
3.	क्या केन्द्र / राज्‍य सरकारी एजेन्सियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त / प्राप्य निधियों का सही लेखांकन हुआ ई / उनका सही उपयोग उनके शर्त एवं प्रतिबंधों के अनुसरण में हुआ है? विचलनों के मामलों को अधिसूचित करें	पुनरीक्षण के अंतर्गत वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी विशिष्ट योजना के लिए केन्द्र / राज्य सरकार से निधि प्राप्त नहीं किया है।

मेसर्स जसमिन्दर सिंह एवं असोसियेट्स के लिए

सनदी लेखाकार

एफआरएन 016192एन

ह/-

सीए जसमिन्दर सिंह

साझेदार

एम. सं. 096895

यूडीआईएन : 25096895BMG YHC5619

स्थान : चेन्नई

दिनांक : 26.05.2025

लेखा-परीक्षकों की स्वतंत्र रिपोर्ट के लिए संलग्नक 'बी'

(कामराजर पोर्ट लिमिटेड के वित्तीय विवरणिका पर समसंख्यक लेखा-परीक्षक की स्वतंत्र रिपोर्ट में "अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" शीर्षक के अंतर्गत अनुच्छेद 20 में संदर्भित संलग्नक)

1. (ए) (i) कंपनी अपनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों के गुणात्मक विवरणों के साथ सही रिकार्डों का रखरखाव कर रही है।
(ii) कंपनी अपने सभी अमूर्त परिसंपत्तियों के पूर्ण विवरणों के सही रिकार्ड दर्शाते हुए सही रिकार्ड का रखरखाव कर रही है।
(बी) कंपनी में उसकी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों को कवर करते हुए जांच करने हेतु एक प्रोग्राम है जो एक चरणबद्ध तरीके से जांच करती है जो हमारी राय में कंपनी के आकार एवं उसकी परिसंपत्तियों की प्रवृत्ति देखते हुए उचित प्रतीत होता है। कंपनी ने प्रोग्राम के अनुसरण में संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों की भौतिक जांच की है। हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरणों के अनुसार जांच प्रक्रियाओं में किसी भी प्रकार की भौतिक विसंगतियां नहीं हैं।
(सी) कंपनी, टिडको (950.00 एकड़) से प्राप्त किए गए 2,787.27 एकड़ भूमि क्षेत्र, टीएनईबी (1092.20 एकड़), नमक विभाग, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार (712.42 एकड़) तथा तमिलनाडु सरकार के (712.42 एकड़) तथा तमिलनाडु सरकार के (47.87 एकड़) भूमि क्षेत्र का स्वामी है, जो कंपनी के स्वामित्व के अधीन है। आगे यह भी कि टिडको से प्राप्त किए गए 297.98 एकड़, टैन्जेडुको से 995.05 एकड़, नमक विभाग से प्राप्त 712.42 एकड़ तथा तमिलनाडु सरकार से प्राप्त 0.69 एकड़ भूमिक्षेत्र सहित स्वामित्व के 2,038.10 एकड़ के कुल भूमि क्षेत्र कंपनी के नाम से पंजीकृत है तथा तमिलनाडु सरकार से प्राप्त 31.96 एकड़ भूमि को पट्टा प्रदान किया गया है तथा शेष भूमिक्षेत्र की पंजीकरण प्रक्रिया जारी है।
(डी) कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरण तथा रिकार्डों पर की गई हमारी जांच के आधार पर कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणयाअमूर्तपरिसंपत्तियां(परिसंपत्तियोंकाप्रयोगकरनेका अधिकार सहित) या दोनों का पुनःमूल्यान नहीं करवाया है।
(ई) बेनामी लेन-देन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसरण में कंपनी द्वारा बेनामी संपत्ति रखने के लिए किसी भी प्रकार के कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई है न ही लंबित हैं। तदनुसार, आदेश के खंड 3(i)(ई) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
2. (ए) कंपनी, पोर्ट के विकास एवं प्रचालन के कार्यों में लगी हुई है तथा मूल रूप से पोर्ट सेवाएं प्रदान कर रही है। कंपनी के पास कोई भौतिक वस्तुसूची नहीं है। अतः आदेश का खंड 3(ii)(ए) कंपनी पर लागू नहीं होता।
(बी) कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरण तथा रिकार्डों पर की गई हमारी जांच के आधार पर कंपनी को वर्ष के दौरान किसी भी समय वर्तमान परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से संकलित रूप में पांच करोड़ रुपयों से अधिक कार्यशील पूंजी सीमाओं की स्वीकृति नहीं दी गई है। अतः कंपनी पर आदेश का खंड 3(ii)(बी) लागू नहीं है।
3. (ए) वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी भी अन्य संस्था को कोई ऋण या ऋण के रूप में किसी भी प्रकार के अग्रिम या कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की है। तदनुसार कंपनी पर आदेश के 3(iii)(ए) और 3(iii)(ई) खंड लागू नहीं होते।
(बी) प्रदत्त ऋण एवं गारंटी के रूप में सभी ऋण एवं अग्रिम द्वारा किए गए निवेश, प्रदत्त गारंटी, सुरक्षा तथा ऋण या ऋण के रूप में किसी भी प्रकार के अग्रिम या सुरक्षा प्रथम दृष्टया, कंपनी के हित के लिए हानिकारक नहीं हैं।
(सी) कंपनी के पास वर्ष के प्रारंभ में कोई ऋण के रूप में बकाया ऋण एवं अग्रिम नहीं है, न ही वर्ष के दौरान ऋण के रूप में ऋण या अग्रिमों को स्वीकृति प्रदान की है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(iii)(सी), 3(iii)(सी), 3(iii)(ई) और 3(iii)(एफ) कंपनी पर लागू नहीं होती है।
4. कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरण तथा अपनाई गई लेखा-परीक्षण पद्धतियों को के आधार पर कंपनी ने न ही कोई निवेश किया है, कंपनी अधिनियम की धारा 185 एवं 186 का उल्लंघन करते हुए न ही ऋण दिया है, न ही कोई गारंटी या सुरक्षा दी है।
5. कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों तथा धारा 73 से 76 से संबंधित प्रावधानों के अंदर या कंपनी अधिनियम से संबंधित अन्य कोई प्रावधानों के अंदर जमा या कोई रकम प्राप्त की है। तदनुसार, कंपनी पर आदेश के खंड 3(v) के प्रावधान लागू नहीं होते।
6. हमें दी गई जानकारी एवं विवरणों के अनुसार केन्द्र सरकार ने कंपनी द्वारा प्रदत्त किसी भी प्रकार की सेवाओं के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 148 की उप-धारा (1) के अंतर्गत रिकार्ड के रखरखाव की लागत को निर्धारित नहीं किया है। तदनुसार कंपनी पर आदेश का खंड 3(vi) लागू नहीं है।

7. (ए) कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरण तथा रिकार्डों पर की गई हमारी जांच के आधार पर कंपनी प्राधिकृत अधिकारियों को सामान्यतया नियमित एवं अविवादित रूप से गूड्स एण्ड सर्विस कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, विक्रय-कर, सर्विस कर, सीमाशुल्क कर, उत्पाद शुल्क, मूल्य योजित कर, उपकर एवं अन्य कोई सांविधिक देय का भुगतान करता आ रहा है। कंपनी द्वारा 31 मार्च 2025 तक सामान्यतया नियमित एवं अविवादित रूप से गूड्स एण्ड सर्विस कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, विक्रय-कर, सर्विस कर, सीमाशुल्क कर, उत्पाद शुल्क, मूल्य

योजित कर, उपकर एवं अन्य कोई सांविधिक देय के भुगतान में नियत तारीख से छह महीनों से अधिक अवधि के लिए कोई बकाया नहीं है।

(बी) कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरण तथा रिकार्डों पर की गई हमारी जांच के आधार पर 31 मार्च 2025 तक प्राधिकृत अधिकारियों के साथ निम्नांकित विवादित कर/ ड्यूटी जमा नहीं किए गए।

सांविधिक	देय की प्रवृत्ति	रकम (रुपए लाखों में)	वह अवधि जिसके अंतर्गत रकम देय है	मंच जिसमें रकम का भुगतान लंबित है	टिप्पण, यदि कोई हों
आयकर अधिनियम 1961	आयकर	3262.20	वर्ष 2007-08 से वर्ष 2021-22 तक	सीआईटी (अपील)	कोई नहीं
गुड्स एण्ड सर्विस कर	जीएसटी	** 1352.82	वित्त वर्ष 2017-18	जेसी (अपील)	कोई नहीं

** - इसके विरुद्ध, कंपनी ने विरोध दर्शाते हुए ₹. 9.30 लाख रुपयों को जमा किया है।

8 कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरण तथा रिकार्डों पर की गई हमारी जांच के आधार पर कंपनी ने किसी भी प्रकार के लेन-देन को न प्रकट किया है न ही उन्हें समर्पित किया है जिन्हें पूर्व में वर्ष के दौरान आय के रूप में आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर मूल्यांकन के रूप में लेखा पुस्तकों में रिकार्ड नहीं किया गया है।

एफ) हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरण तथा लागू प्रक्रियाओं तथा कंपनी के वित्तीय विवरणिकों के संपूर्ण जांच के अनुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक संस्थानों, संयुक्त प्रयास या असोसियेट कंपनियों के सुरक्षा को गिरवी रखकर ऋण नहीं लिया है।

9. (ए) कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरण तथा रिकार्डों पर की गई हमारी जांच के आधार पर कंपनी ने ऋण या अन्य वापसी में न ही कोई गलती की है न ही ऋणदाता को ब्याज के भुगतान में कोई गलती की है।

10 ए) कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर या आगे किसी भी प्रकार के सार्वजनिक ऑफर (ऋण उपकरण सहित) द्वारा ऋण नहीं लिया है, तदनुसार कंपनी पर आदेश का खंड 3(x)(ए) लागू नहीं होता।

(सी) हमारे मत में हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरण के अनुसार कंपनी ने ऋण के रूप में प्राप्त राशि का उसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया जिनके लिए राशि प्राप्त की गई।

(बी) कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरण तथा रिकार्डों पर की गई हमारी जांच के आधार पर कंपनी ने वर्तमान वर्ष के दौरान शेयरों या पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से रूपांतरित की जानेवाली डिबेन्चरों का अधिमान्य आबंटन या निजी प्राइवेट प्लेसमेण्ट नहीं किया है। तदनुसार कंपनी पर आदेश का खंड 3(x) (बी) लागू नहीं होता।

डी) हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरण तथा लागू प्रक्रियाओं तथा कंपनी के वित्तीय विवरणिकों के संपूर्ण जांच के अनुसार यह रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा अल्पकालिक समय आधार पर जुटाए गए निधि का उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किए गए।

(ई) हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरण तथा लागू प्रक्रियाओं तथा कंपनी के वित्तीय विवरणिकों के संपूर्ण जांच के अनुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, असोसियेट अथवा संयुक्त प्रयास के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी संस्था या व्यक्ति से निधि प्राप्त नहीं की है।

11. (ए) कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरणों तथा हमारी उत्कृष्ट जानकारी के अनुसार हमारे लेखा-परीक्षण कार्यों की अवधि में कंपनी ने कोई धोखा नहीं किया है न ही ऐसा कुछ देखा गया है।

- (बी) वर्तमान वर्ष के दौरान तथा इस रिपोर्ट की तारीख तक केन्द्र सरकार के साथ कंपनी (लेखापरीक्षण एवं लेखा-परीक्षकों नियम, 2014 के नियम 13 के अंतर्गत निर्धारित एडीटी-4 प्रपत्र में कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं किया है।
- (सी) कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरणों तथा प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार तर्मान वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई मुखबिर शिकायतें प्राप्त नहीं की हैं।
12. कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है तथा उसपर आदेश का अनुच्छेद 3(xii) लागू नहीं होता।
13. कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरण तथा रिकार्डों पर की गई हमारी जांच के आधार पर संबंधित पार्टियों के साथ किए गए लेन-देन जहां भी लागू हो अधिनियम की धारा 177 एवं धारा 188 के अनुपालन में किए गए तथा ऐसे लेन-देनों के विवरणों को भारतीय लेखांकन- मानकों की आवश्यकतानुसार वित्तीय विवरणिकाओं में प्रकट किया गया है।
14. (ए) हमारे मत में तथा की गई जांच के आधार पर कंपनी का आंतरिक लेखापरीक्षण व्यवस्था उसके व्यवसाय के आकार और उसकी प्रवृत्ति के अनुरूप है।
(बी) हमने वर्ष के दौरान एवं आज की तारीख तक के लिए लेखा-परीक्षण के अंतर्गत कंपनी के आंतरिक लेखा-परीक्षण की जांच की है तथा कंपनी को प्रवृत्ति, समय सटीकता एवं हमारे लेखा- परीक्षण प्रक्रियाओं के अनुसार निश्चित करते हुए जारी किया है।
15. कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरण तथा रिकार्डों पर की गई हमारी जांच के आधार पर कंपनी ने निदेशकों या उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ किसी भी गैर-नकद लेन-देन नहीं किया है। तदनुसार कंपनी पर आदेश का अनुच्छेद 3(xv) लागू नहीं होता।
16. (ए) हमारी राय में कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45आईए के अंतर्गत पंजीकृत होने की यकता नहीं है। अतः आदेश के खंड 3(xvi)(ए), (बी) और (सी) के अंतर्गत रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है।
(बी) हमारी राय में कंपनी ग्रुप (रिजर्व बैंक के कोर निवेश कंपनी निदेश 2016 में दी गई परिभाषा के अनुसार) के अंदर कोर निवेश कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xvi) (डी) लागू नहीं होता।
17. कंपनी को समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष में तथा इसके पिछले वित्तीय वर्ष नकद हानि नहीं हुई है।
18. वर्ष के दौरान सांविधिक लेखा-परीक्षकों की तरफ से कोई इस्तीफा प्राप्त नहीं हुआ। अतः कंपनी पर आदेश का खंड 3(xviii) लागू नहीं होता।
19. वित्तीय अनुपातों के आधार पर वित्तीय परिसंपत्तियों का परिपक्व एवं प्रत्याशित प्राप्ति की तिथि एवं वित्तीय देयताओं के भुगतान, कंपनी द्वारा वित्तीय विवरणिकाओं के साथ प्रस्तुत अन्य जानकारी के आधार पर निदेशक बोर्ड तथा प्रबंधन की योजना के संबंध में लेखा-परीक्षकों की जानकारी के अनुसार हमारे मत में लेखा-परीक्षण रिपोर्ट की तारीख तक कोई सामग्री अनिश्चितता नहीं है तथा कंपनी तुलन पत्र की वर्तमान तारीख तक तथा जैसे ही तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष तक के लिए देय होने वाली देयताओं को पूरा करने की क्षमता रखती है।
20. (ए) चालू परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य के संबंध में संबंधित अधिनियम की धारा 135 की उप- धारा (5) के द्वितीय नियम के अनुपालन में वित्तीय वर्ष समाप्त होने के छह महीनों के अंदर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में दिए गए अनुसार कंपनी ने अप्रयुक्त रकम को निर्धारित निधि में हस्तांतरित किया है।
(बी) चालू परियोजनाओं के संबंध में अधिनियम की धारा 135(6) के प्रावधानों के अनुसराण में उक्त वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 दिनों के अंदर कंपनी ने पूर्व वित्तीय वर्ष के अंत में कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के निहित अप्रयुक्त रकम को हस्तांतरित किया है।
21. अतः स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणिकाओं के लेखा-परीक्षण के संबंध में कंपनी पर आदेश के खंड 3(xxi) के अंतर्गत रिपोर्ट जारी करने की आवश्यकता नहीं है। अतः इस रिपोर्ट में उक्त खंड के संबंध में कोई टिप्पणी सम्मिलित नहीं की गई है।

मेसर्स जसमिन्दर सिंह एवं असोसियेट्स के लिए

सनदी लेखाकार

एफआरएन 016192एन

ह/-

सीए जसमिन्दर सिंह

साझेदार

एम. सं. 096895

यूडीआईएन25096895BMG YHC5619

स्थान : चेन्नई

दिनांक : 26.05.2025

लेखा-परीक्षक के स्वतंत्र रिपोर्ट के लिए संलग्नक - सी

(कामराजर पोर्ट लिमिटेड के 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणिका पर समसंख्यक लेखा-परीक्षक की स्वतंत्र रिपोर्ट में "अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" शीर्षक के अंतर्गत अनुच्छेद 21(एफ) में संदर्भित संलग्नक)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के लेखा-परीक्षण के संयोजन में 31 मार्च 2025 तक मेसर्स कामराजार पोर्ट लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखा-परीक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन, कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ('आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षण पर मार्गदर्शन टिप्पण में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने तथा उसे बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। कंपनी के इन जिम्मेदारियों में अधिनियम की आवश्यकताओं के अंतर्गत पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अभिकल्पना, कार्यान्वयन एवं रखरखाव, उसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा करना, धोखेबाजी एवं गलतियों का रोकथाम, लेखांकन रकार्डों की पूर्णता एवं शुद्धता, समय पर विश्वसनीय जानकारी तैयार करने जैसी जिम्मेदारियां भी सम्मिलित हैं जो उसके व्यवसाय की प्रक्रिया चालू रखने के साथ-साथ कंपनी की नीति का अनुपालन करते हुए व्यवस्था एवं सक्षमता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य हैं और वे सही तरह प्रचालित भी किए जाते थे।

लेखा-परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपने लेखापरीक्षण कार्य के आधार पर अपना मत व्यक्त करें। हमने आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग ('मार्गदर्शन नोट') पर वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षण पर मार्गदर्शन टिप्पण एवं लेखापरीक्षणों पर मानकों एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर यथा लागू निर्धारित मानकों के अनुसरण में लेखापरीक्षण किया है जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा-परीक्षण द्वारा लागू होते हैं तथा दोनों को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया है। उक्त मानक एवं मार्गदर्शन टिप्पणों के अनुसार यह अनिवार्य है कि हम यह उचित आश्वासन प्राप्त करें कि

वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लागू किए तथा ऐसे नियंत्रण सभी सामग्री मामलों में प्रभावशाली ढंग से प्रचालित किए जाते हैं।

हमारे लेखा-परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी प्रभावात्मक प्रचालन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षण सबूत प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। हमारे लेखापरीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया, सामग्री कमजोरी की मौजूदगी के जोखिम का मूल्यांकन तथा मूल्यांकित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण की अभिकल्पना एवं प्रचालन प्रभावात्मकता का मूल्यांकन एवं परीक्षण के कार्य भी सम्मिलित हैं। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणिकाओं में सामग्री संबंधी गलत कथन के जोखिमों का मूल्यांकन, चाहे वे धोखेबाजी या गलती के कारण क्यों न हों उसके साथ लेखा-परीक्षक के निर्णय पर आधारित होते हैं।

हम इस बात में विश्वास रखते हैं कि हमने कंपनी के कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर अपने लेखा-परीक्षण राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए जो सबूत प्राप्त किए हैं वे पर्याप्त एवं उचित हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर वित्तीय रिपोर्टिंग का अर्थ

कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर वित्तीय रिपोर्टिंग वह प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए अपनाई जाती है तथा सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणिकाएं तैयार की जाती हैं। एक कंपनी का वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रक्रियाओं में वे सभी नीतियां एवं प्रक्रियाएं

सम्मिलित हैं जो (1) उन रिकार्डों के रखरखाव से संबंधित हैं जो कंपनी के लेन-देन तथा परिसंपत्तियों के निपटान को निष्पक्ष एवं शुद्ध रूप में प्रस्तुत कीतह हैं; (2) लेन-देन के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि उन्हें सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणिकाएं तैयार करने की अनुमति प्रदान करने हेतु आवश्यक पद्धतियों द्वारा रिकार्ड किए जाते हैं, तथा कंपनी की प्राप्तियां एवं व्यय प्रबंधन एवं निदेशकों द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर ही होते हैं (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अप्राधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान को रोकने अथवा समय पर पहचानने का मौका देती हैं जिनकी वजह से वित्तीय विवरणिकाओं पर काफी प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की सीमाएं

चूंकि, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों का उल्लंघन करने की संभावना भी शामिल है, गलती या धोखाधड़ी के

कारण महत्वपूर्ण गलत कथन हो सकती है और उसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भविष्य की अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन के तथ्य, स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं या नीतियां या प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा कम हो सकती है।

हमारा मत

हमारी राय में सभी पहलुओं में कंपनी में वित्तीय रिपोर्टिंग पर अपर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था है तथा ऐसे वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2024 तक प्रभावशाली ढंग से प्रचालित थे, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा-परीक्षण पर मार्गदर्शन नोट में उद्धृत अनिवार्य तत्वों को ध्यान में रखते हुए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग के मानदण्ड स्थापित किए।

मेसर्स जसमिन्दर सिंह एवं असोसियेट्स के लिए

सनदी लेखाकार

एफआरएन 016192एन

ह/-

सीए जसमिन्दर सिंह

साझेदार

एम. सं. 096895

यूडीआईएन : 25096895BMG YHC5619

स्थान : चेन्नई

दिनांक : 26.05.2025

कामराजर पोर्ट लिमिटेड

सीआइएन:यू45203टीएन1999पीएलसी043322

पंजीकृत कार्यालय: दूसरी मंजिल (उत्तर विंग) और तीसरी मंजिल, जवाहर बिल्डिंग, 17, राजाजी सलाई, चेन्नै - 600 001

31 मार्च 2025 तक का तुलन पत्र

(रुपए लाखों में)

विवरण	टिप्पण सं	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
		लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
आस्तियां			
गैर वर्तमान परिसंपत्तियां			
(ए) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	4	322,190.39	312,955.22
(बी) प्रगति पर पूंजीगत कार्य	5	18,446.86	27,438.85
(सी) परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार	4 A	1,639.03	1,738.53
(डी) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	6	264.95	169.62
(ई) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश	7	4,177.43	4,190.31
(ii) ऋण	8	532.21	297.35
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	9	442.82	442.82
(एफ) कर परिसंपत्ति (निवल)	14	3,258.35	3,261.60
(जी) अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियां	11	7,217.09	7,634.87
कुल गैर वर्तमान परिसंपत्तियां		358,169.12	358,129.17
वर्तमान परिसंपत्तियां आस्तियां			
(ए) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) ट्रेड प्राप्त	12	9,352.57	7,537.95
(ii) नकद एवं नकद समतुल्य	13A	15,047.35	4,080.19
(iii) नकद एवं नकद समतुल्यों को छोड़कर बैंक शेष	13B	13,000.00	8,000.00
(iv) ऋण	8	129.71	122.42
(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	9	3,201.02	261.63
(ब) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	11	3,082.63	1,587.86
कुल वर्तमान परिसंपत्तियां		43,813.29	21,590.05
कुल परिसंपत्तियां		401,982.42	379,719.22
ईक्विटी एवं देयताएं			
ईक्विटी			
(ए) ईक्विटी शेयर पूंजी	15	30,000.00	30,000.00
(बी) अन्य ईक्विटी		275,995.01	261,088.98
कुल ईक्विटी		305,995.01	291,088.98
देयताएं			
गैर वर्तमान देयताएं			
(ए) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	16	41,490.86	44,783.19
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	17	671.47	570.69
(बी) अस्थगित कर देयताएं (रुद्ध)	10	24,997.43	9,675.02
(सी) अन्य गैर वर्तमान देयताएं	19	6,868.85	6,390.52
(डी) कुल गैर वर्तमान देयताएं		74,028.60	61,419.42
वर्तमान देयताएं			
(ए) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	16	3,301.25	3,301.25
(ii) ट्रेड देय			
-सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया	20	638.48	1,605.69
-सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य क्रेडिटर्स का कुल	20	5,091.84	6,536.62
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	17	738.58	431.55
(बी) अन्य वर्तमान देयताएं	19	8,359.43	6,465.51
(सी) अन्य प्रचलित देयताएं	18	3,829.23	8,870.19
कुल वर्तमान देयताएं		21,958.81	27,210.82
कुल ईक्विटी और देयताएं		401,982.42	379,719.22
लेखांकनों के लिए टिप्पणियां	30		
सामग्री लेखांकन नीतियां एवं प्रमुख लेखांकन अनुमान और निर्णय	1 से 3		
वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पण देवें			

कामराजर पोर्ट लिमिटेड के लिए

ह/-
मुनील पालीवाल, आई.ए.एस.,
अध्यक्ष
डीआइएन : 01310101

ह/-
जे पी आईरीन सिन्धियाई.ए.एस.,
प्रबंध निदेशक
डीआइएन : 08839241

मेसर्स जसमिन्दर सिंह एवं असोसियेट्स के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.- 016192एए

ह/-
सी. एस. वेमन्ना
मुख्य वित्तीय अधिकारी (प्रभारी)
स्थान : चेन्नई
दिनांक : 26 मई 2025

ह/-
सी.ए. जसमिन्दर सिंह
साझेदार
एम. सं. 096895
यूडीआईएन : 25096895BMGYHC5619

कामराजर पोर्ट लिमिटेड

सीआइएन:यू45203टीएन1999पीएलसी043322

(चेन्नई पोर्ट प्राधिकरण की एक कंपनी) "जवाहर बिल्डिंग", नंबर.17, राजाजी सालै, चेन्नई 600 001.

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(रुपए लाखों में)

विवरण	टीप सं	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
आय			
i) परिचालन से आय	21	113,841.57	106,221.97
ii) अन्य आय	22	2,182.96	1,921.62
कुल आय		116,024.52	108,143.59
व्यय			
i) परिचालन लागत	23	10,834.67	10,476.64
ii) कर्मचारी परिलाभ	24	2,438.75	2,074.27
iii) वित्तीय लागत	25	4,366.81	6,262.61
iv) मूल्य ह्रास & परिशोधन व्यय	26	8,697.91	7,554.97
v) अन्य व्यय	27	5,932.79	5,115.95
कुल व्यय		32,270.95	31,484.44
कर से पहले लाभ / (हानि)		83,753.58	76,659.15
कर व्यय			
- प्रचलित कर (चालू कर)	10	26,556.13	24,532.63
- आस्थगित कर	10	3,264.92	2,558.49
		29,821.05	27,091.12
अवधि के लिए लाभ		53,932.53	49,568.03
अन्य विस्तारित आय			
i) वे मद जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
ए) परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन		-27.86	-218.96
ii) परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनर्मापन लाभ/(हानि) पर आयकर व्यय		9.73	76.52
बी) इक्विटी उपकरणों के उचित मूल्य में परिवर्तन	10	-12.88	39.12
iii) इक्विटी उपकरणों के उचित मूल्य में परिवर्तन पर आयकर व्यय		4.50	-13.67
अन्य व्यापक आय		-26.50	-117.00
अवधि के लिये कुल व्यापक आय		53,906.03	49,451.03
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन:			
i) मूल	29	17.98	16.52
(2) डायल्यूटेड		17.98	16.52
लेखाओं पर टीप	30		
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1 से 3		
ऊपर संदर्भित टीप इस वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं।			

कामराजर पोर्ट लिमिटेड के लिए

ह/-

सुनील पालीवाल, आई.ए.एस.,

अध्यक्ष

डीआइएन : 01310101

ह/-

जे पी आईरीन सिन्धियाई.ए.एस.,

प्रबंध निदेशक

डीआइएन : 08839241

मेसर्स जसमिन्दर सिंह एवं असोसियेट्स के लिए

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. - 016192एन

ह/-

सी. एस. वेमन्ना

मुख्य वित्तीय अधिकारी (प्रभारी)

स्थान : चेन्नई

दिनांक : 26 मई 2025

ह/-

सीए. जसमिन्दर सिंह

साझेदार

एम. सं. 096895

यूडीआईएन : 25096895BMGYHC5619

कामराजर पोर्ट लिमिटेड

सीआइएन: यू45203टीएन1999पीएलसी043322

(चेन्नई पोर्ट प्राधिकरण की एक कंपनी) "जवाहर बिल्डिंग", नंबर.17, राजाजी सालै, चेन्नई 600 001.

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह की विवरणिका

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिये लेखापरीक्षित	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिये लेखापरीक्षित
ए. प्रचालित क्रियाकलापों से नकद प्रवाह कर से पहले निवल लाभ	83,753.58	76,659.15
निम्नानुसार के लिए समायोजन :- उपदाने और छुट्टी नकदीकरण का प्रावधान	75.32	0.00
स्थायी परिसंपत्तियों की हानि / (लाभ) पर विक्रय	-	1.02
ल्यूहास एवं परिशोधन व्यय	8,697.91	7,554.97
वित्तीय लागतें	4,362.32	6,256.55
प्रत्याशित क्रेडिट हानि का प्रावधान	-	1.41
ब्याज आय	(1,709.84)	(1,316.56)
अग्रिम विकास आय	(74.79)	-
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों के पूर्व परिचालन लाभ	95,104.51	89,156.53
निम्नानुसार के लिए समायोजन :- ऋण (गैर-वर्तमान)	(234.86)	2.11
अन्य परिसंपत्तियां (गैर वर्तमान)	-	(1.94)
अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियां	(216.39)	132.10
ट्रेड प्राप्त्य	(1,814.61)	(1,663.49)
ऋण	(7.29)	(39.79)
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	(2,860.83)	726.78
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	(1,570.10)	75.92
अन्य वित्तीय देयताएं (गैर वर्तमान)	100.78	19.68
अन्य गैर वर्तमान देयताएं	478.33	(484.43)
ट्रेड देय	(2,411.99)	4,128.31
अन्य वित्तीय देयताएं	307.02	13.88
अन्य वित्तीय देयताएं	1,968.71	639.84
प्रावधान	(5,058.15)	(7,219.74)
प्रचालन क्रियाकलापों से प्राप्त नकद	83,785.11	85,485.77
आयकर (भुगतानित)/वसूल किया गया	(14,481.15)	(13,034.54)
प्रचालन क्रियाकलापों से (में प्रयुक्त) / प्राप्त निवल नकद	69,303.97	72,451.23
बी. निवेशगत गतिविधियों से नकदी प्रवाह संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, अमूर्त परिसंपत्तियां, सीडब्ल्यूआईपी का क्रय	(8,302.77)	(28,947.91)
प्राप्त ब्याज	1,631.27	1,316.56
वर्ष के दौरान निवेश	(5,000.00)	-
निवेश क्रियाकलापों से (प्रयुक्त) / प्राप्त निवल नकद	(11,671.50)	(27,631.35)
सी. वित्तीय क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		
भुगतानित लाभांश	(39,000.00)	(24,000.00)
चुकाए गए ऋण	(3,292.33)	(11,239.84)
भुगतानित ब्याज	(4,372.99)	(6,256.55)
वित्तीय क्रियाकलापों से प्राप्त / (प्रयुक्त) निवल नकद	(46,665.32)	(41,496.38)
डी. नकद एवं नकद समतुल्यों में निवल बढ़ोतरी / (कमी)	10,967.15	3,323.49
इ. अथशेष नकद एवं नकद समतुल्य	4,080.19	756.70
एफ. समापन नकद एवं नकद समतुल्य	15,047.35	4,080.19

1. नोट 13ए देखें

2. गैर-नकद वित्तीय और निवेश गतिविधियाँ

कामराजर पोर्ट लिमिटेड के लिए

ह/-
सुनील पालीवाल, आई.ए.एस.,
अध्यक्ष
डीआइएन : 01310101

ह/-
जे पी आईरीन सिन्धियाई.ए.एस.,
प्रबंध निदेशक
डीआइएन : 08839241

मेसर्स जसमिन्दर सिंह एवं असोसियेट्स के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.- 016192एन

ह/-
सी. एस. वेमन्ना
मुख्य वित्तीय अधिकारी (प्रभारी)
स्थान : चेन्नई
दिनांक : 26 मई 2025

ह/-
सी.एस. जसमिन्दर सिंह
साझेदार
एम. सं. 096895
यूडीआईएन : 25096895BMGYHC5619

31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि के लिए ईक्विटी में परिवर्तनों की विवरणिका

ईक्विटी शेयर पूंजी

(₹. लाखों में)

1 अप्रैल 2024 को शेष	वर्ष के दौरान ईक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च 2025 को शेष
30,000	-	30,000

1 अप्रैल 2023 को शेष	वर्ष के दौरान ईक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च 2024 को शेष
30,000	-	30,000

अन्य ईक्विटी

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष को लिये

विवरण	डिबेंचर मोचन रिजर्व	आरक्षिती एवं अधिशेष		ईक्विटी के अन्य घटक		कुल
		सामान्य आरक्षिती	प्रतिधारित अर्जन	निवल परिभाषित लाभ देयता/परिसंपत्ति का पुनर्मापण	एफवीटीओसीआइ - निवेश	
(रूपये लाख में)						
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि	5,044.95	7,902.00	250,172.86	(99.49)	(1,931.34)	261,088.98
लेखांकन नीति / पूर्व अवधि की त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए कुल विस्तारित आय	-	-	53,932.53	-	-	53,932.53
वर्ष के लिए अन्य विस्तारित आय	-	-	-	(18.12)	(8.38)	(26.50)
प्रतिधारित आय से हस्तांतरण	456.86	-	(456.86)	-	-	-
अंतिम लाभांश - वित्त वर्ष. 2023-24	-	-	(30,000.00)	-	-	(30,000.00)
अंतिम लाभांश - वित्त वर्ष. 2024-25	-	-	(9,000.00)	-	-	(9,000.00)
सूचनांकन अवधि के अंत में शेष	5,501.81	7,902.00	264,648.53	(117.61)	(1,939.72)	275,995.01

अन्य ईक्विटी

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष को लिये

विवरण	डिबेंचर मोचन रिजर्व	आरक्षिती एवं अधिशेष		ईक्विटी के अन्य घटक		कुल
		सामान्य आरक्षिती	प्रतिधारित अर्जन	निवल परिभाषित लाभ देयता/परिसंपत्ति का पुनर्मापण	एफवीटीओसीआइ - निवेश	
(रूपये लाख में)						
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि	6,575.47	7,902.00	223,074.30	42.96	(1,956.79)	235,637.95
लेखांकन नीति / पूर्व अवधि की त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए कुल विस्तारित आय	-	-	49,568.03	-	-	49,568.03
वर्ष के लिए अन्य विस्तारित आय	-	-	-	(142.45)	25.45	(117.00)
प्रतिधारित आय से हस्तांतरण	(1,530.52)	-	1,530.52	-	-	-
अंतिम लाभांश - वित्त वर्ष. 2022-23	-	-	(24,000.00)	-	-	(24,000.00)
अंतिम लाभांश - वित्त वर्ष. 2023-24	-	-	-	-	-	-
सूचनांकन अवधि के अंत में शेष	5,044.95	7,902.00	250,172.86	(99.49)	(1,931.34)	261,088.98

कामराजर पोर्ट लिमिटेड
सिऐएन: U45203TN1999PLC043322
जवाहर बिल्डिंग, 17, राजाजी सलाई, चेन्नै - 600 001

वित्तीय विवरणिकाओं की टिप्पणियां

1. कॉर्पोरेट जानकारी :

कामराजर पोर्ट लिमिटेड, भारत में अधिवासित कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है। कंपनी प्रायः जमीनदार पोर्ट मॉडल की तरह कार्य करता है, इन कार्यों में उनके प्रकार्य, सम्पूर्ण योजना, विकास, पोर्ट एवं सामूहिक अवरसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए निवेश इकट्रित करने तक सीमित हैं। आमतौर पर टर्मिनलों एवं प्रचालनों के विकास कार्यों को निजी प्रचालक/ कैपटिव उपभोक्ताओं को प्रदान किया गया है।

2. तैयारी का आधार :

कंपनी ने 1 अप्रैल 2015 के परिवर्तित तारीख के साथ 01 अप्रैल 2016 से प्रभावी भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा 16 फरवरी 2015 को जारी अधिसूचना के अनुसार कंपनी ने भारतीय लेखांकन नीति को अपनाया है।

वित्तीय विवरणों में ईक्विटी शेयरों को छोड़कर सम्मिलित सभी राशियां भारतीय रुपयों (रुपए लाखों में) में रिपोर्ट किए गए हैं, जिन्हें संख्याओं में अभिव्यक्त किया गया है।

3. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

3.1. प्राक्कलन व अनुमान का प्रयोग:

कंपनी के स्टैंड-अलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय, अनुमान एवं धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है जो राजस्व, व्यय, संपत्ति तथा देयताओं की रिपोर्ट की गई रकम एवं प्रकटीकरणों के साथ आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण को प्रभावित करती हैं।

3.2. प्रकार्यात्मक एवं प्रस्तुतीकरण मुद्रा :

इन वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपयों में प्रस्तुत किया गया है जो भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है तथा कंपनी का प्रकार्यात्मक मुद्रा है।

3.3. राजस्व मान्यता

1) 1)सेवाओं से प्राप्त राजस्व को प्राप्त या प्राप्त होनेवाले प्रतिफल के कुल छूट के मूल्य पर लिया जाता है जिसमें करों और शुल्कों को शामिल नहीं किया जाता है। प्रदत्त सेवा से प्राप्त राजस्व को सेवाएं पूर्ण करने के बाद उल्लेख किया जाएगा। निम्नलिखित शर्तें पूरी होने पर राजस्व को मान्यता दी जाती है :

- राजस्व की राशि को विश्वसनीयता के साथ लिया जा सकता है;
- यह संभव है कि लेन-देन से संबंधित आर्थिक लाभ, संस्था में मिल जाएंगे;
- लेन-देन की लागत और लेन-देन पूरा करने की लागत को विश्वसनीयता से लिया जा सकता है।
- इसके संग्रह के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता नहीं है।

राजस्व प्रवाह में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

- वेसल संबंधित आय
- कार्गो संबंधी आय
- बीओटी एवं अन्य पोर्ट/कैपटिव उपयोगकर्ताओं पर से होनेवाले भूमि एवं जल क्षेत्र द्वारा राजस्व भाग एवं लाइसेन्स शुल्क
- समग्र टैरिफ

निम्नलिखित प्रस्तुत विवरण में राजस्व के हर भाग के संबंध में राजस्व मान्यता :

i) वेसल संबंधी आय

वेसल से संबंधित आय में वेसल के प्रबंधन से होनेवाली आय सम्मिलित है। पोत संबंधी प्रचालनों से संबंधित राजस्व का उल्लेख विशिष्ट सेवाएं पूर्ण करने के बाद ही किया जाएगा।

ii) कार्गो संबंधी आय

कार्गो संबंधी आय में कार्गो से संबंधित सेवाएं प्रदान किए जाने पर प्राप्त आय सम्मिलित है तथा संबंधित सेवाएं पूर्ण किए जाने पर ही उनका उल्लेख किया जाएगा।

iii) बीओटी/कैपटिव उपयोग के आधार पर भूमि एवं जल क्षेत्र का लीज

ए) बीओटी प्रचालकों से प्राप्त राजस्व का परिकलन, वित्तीय वर्ष के अंत तक वृद्धि आधार पर छूट / लाइसेन्स करार के अनुसरण में कोट किए गए % पर किया जाता है।

बी) सामान्य मुद्रास्फीति प्रवृत्ति के अनुरूप स्वतः वृद्धि युक्त प्रचालन लीज से आय को ठेके के शर्तों के अनुसार हिसाब किया जाता है।

- सी) अन्य प्रचालन लीज से आय को लीज के शर्त के आधार पर उल्लेख किया जाता है।
- डी) आकस्मिक किराए को उस अवधि के आय के रूप में उल्लेख किया जाता है जिसमें वे जमा किए जाते हैं।

iv) सम्मिश्र प्रशुल्क

समग्र टैरिफ उस अर्जित आमदनी का प्रतिनिधित्व करता है जो कैप्टिव उपयोगकर्ताओं को समग्र टैरिफ के रूप में देकर प्राप्त किया जाता है।

- 2) निवेशों से लाभांश आय का वहां उल्लेख किया जाता है जहां कंपनी को भुगतान प्राप्त करने का अधिकार होता है तथा यह संभाव्य है कि लेन-देन के साथ संबद्ध आर्थिक लाभ कंपनी में सम्मिलित होते हैं और आय की रकम को विश्वसनीयता के साथ लिया जाता है।
- 3) ए) वित्तीय लिखतों से ब्याज की आय का वहां उल्लेख किया जाता है जहां संभाव्य आर्थिक लाभ कंपनी में सम्मिलित होते हैं और आय की रकम को विश्वसनीयता के साथ लिया जा सकता है। ब्याज से आय, बकाया मूलधन के संदर्भ में एवं लागू प्रभावी ब्याज दर द्वारा समय के आधार पर उपचयित होते हैं, वह दर है जो प्रारंभिक मान्यता पर उस साधन की शुद्ध वहन राशि के लिए वित्तीय साधनों के अपेक्षित जीवनकाल के माध्यम से अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को सटीक रूप से छूट देती है।

- बी) विलम्बित/विवादित राजस्व पर ब्याज आय को वसूली के आधार पर मान्यता दी जाती है।

3.4. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण :

संचित अवमूलन एवं क्षति, यदि कोई हों तो उन्हें कम करते हुए संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों का उल्लेख किया जाता है। लागत यदि कोई हों तो उन्हें संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के उपयोग हेतु तैयार होने तक प्रबंधन की इच्छानुसार सीधे अधिग्रहण के साथ जोड़कर लाभ उठाया जाता है। कंपनी, सीधी-रेखा पद्धति इस्तेमाल करते हुए परिकल्पित उपयोगी उपयोगी चीजों पर संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का अवमूलन करता है।

यदि और केवल तभी जब मद के साथ भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होते हैं तथा मद की लागत को विश्वसनीयता के साथ लिया जा सकता है। पिपिई मद की लागत नकद दर है जो उल्लेख की तारीख के समतुल्य है।

पिपिई मद की लागत में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

- i) खरीद मूल्य, जिसमें आयात शुल्क और गैर-वापसी योग्य खरीद कर शामिल हैं, व्यापार छूट, छूट, करों/शुल्कों और उपकर को घटाने

के बाद, जिस पर पूंजीगत वस्तुओं के लिए इनपुट क्रेडिट का लाभ उठाया गया है

- ii) पिपिई को स्थान पर लाने के लिए सीधे लागत से जुड़े और प्रबंधन द्वारा निर्धारित पद्धतियों से संचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक शर्तें

- iii) वस्तु का जिस पर वह स्थित है, उसके विखंडन एवं हटाने तथा उस स्थान को पुनः स्थापित करने की लागत का प्रारंभिक अनुमान।

संबंधित परिसंपत्ति वर्ग में वर्ष के दौरान दिए गए वर्ष में परिसंपत्ति के कमिशनिंग की तारीख तक लाभ प्राप्त करने के ऐसे आदेशों पर परियोजना दावे एवं ब्याज पर निर्विरोध माध्यस्थता आदेशों के कारण कंपनी द्वारा रकम देय हो जाते हैं। ठेकेदार को ऐसे आदेशों पर परिसंपत्ति के कमिशनिंग की तारीख के बाद ब्याज देय हो जाते हैं, उन्हें आदेश वर्ष में राजस्व व्यय के रूप में लिया जाता है।

जब संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों के मद के भागों के भिन्न भिन्न उपयोग काल होते हैं, उन्हें संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण जैसे अलग-अलग (मुख्य घटक) मदों के अंतर्गत हिसाब किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों के मद के निपटानों के लाभ एवं हानि को उनके वहनीय रकम के साथ निपटान से प्राप्ति राशि की तुलना द्वारा बताया जाता है तथा उन्हें लाभ या हानि की के विवरण में “अन्य आय / अन्य व्यय” के अंतर्गत नेट मूल्य में उल्लेख किए जाते हैं।

कंपनी ने उल्लेख के लिए लागत मॉडल का चयन किया है तथा उक्त मॉडल को सभी परिसंपत्तियों के वर्ग पर लागू किया जाता है। परिसंपत्ति के रूप में लेख प्राप्त करने के बाद पिपिई के मद को उसकी लागत के साथ बताया जाता है जो किसी भी प्रकार के संचित मूल्यहास तथा संचित हानि कम करते हुए किया जाता है।

प्रमुख मरम्मत एवं पूरी जांच मरम्मत की लागत :

कंपनी अपनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की वहन राशि में मद जिसे प्रतिस्थापित करने की व्ययित लागत, प्रमुख मरम्मत/ पूर्ण जांच मरम्मत की लागत का उल्लेख करती है, जब वे उल्लेख मानदण्डों को पूरा करते हैं। मद की मरम्मत/ पूरी जांच मरम्मत के शेष उपयोगी काल में प्रतिस्थापित भाग एवं मरम्मत की लागत के परिशोधन की वहन राशि को विमान्य किया जाता है।

3.5. अमूर्त परिसंपत्तियां

अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों को संचित मूल्यहास एवं हानिक यदि कोई हों तो उन्हें कम करते हुए लागत पर उनका उल्लेख किया जाता है।

पहचान करने योग्य अमूर्त परिसंपत्तियों को वहां उल्लेख किया जाता है जहां परिसंपत्ति पर कंपनी का पूरा नियंत्रण होता है; यह संभव है कि संबंधित परिसंपत्तियों से प्रत्याशित भावी आर्थिक लाभ पूर्ण एक आर्थिक अवधि से अधिक समय के लिए कंपनी में सम्मिलित होते हैं। परिशोधन, सीधे लाइन पद्धति (एसएलएम) पर दिया जाता है जो अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों के उपयोगी काल के प्रबंधन आकलन बताता है।

निश्चित काल युक्त अमूर्त परिसंपत्तियों को उपयोगी आर्थिक काल पर परिशोधित किया जाता है तथा जब भी उक्त अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति की हानि हो सकने का संकेत मिले तो उसकी हानि के लिए मूल्यांकित किया जाता है। अन्य परिसंपत्ति के वहन मूल्य के भाग बनने तक निश्चित काल युक्त अमूर्त परिसंपत्तियों के हानि व्यय को लाभ एवं हानि विवरण में उल्लेख किया जाता है।

3.6. मूल्यहास

पिपिई मद की मूल्यहास राशि को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निर्धारित पद्धति में बताए गए अनुसार सीधी रेखा आधार पर आर्बटित किया जाता है।

पिपिई के मद के हर भाग की लागत जो परिसंपत्ति की कुल लागत से संबंधित है, वह परिसंपत्ति को अवमूल्यित करता है तथा उक्त भाग का उपयोगी काल परिसंपत्ति के शेष भाग से भिन्न होता है। ऐसे सभी मदों पर मूल्यहास उनके ‘‘उपयोग के लिए उपलब्ध’’ की तारीख से विक्रय/निपटान की तारीख दिया जाता है जिसमें अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों की हानि भी सम्मिलित है। मुक्त भूमि का मूल्यहास नहीं होता है। पिपिई मद को निपटान पर या भावी आर्थिक लाभ के नहीं होने पर विमान्यीकृत किया जाता है जब उक्त परिसंपत्ति के सतत उपयोग से होने की आशा की जाती है। पोर्ट विशिष्ट परिसंपत्तियों के मामले में मूल्यहास को उस तारीख से निश्चित किया जाता है जहां से उन परिसंपत्तियों के जीवनकाल के अनुरूप ऐसे आदेश पारित और स्वीकृत किए जाते हैं।

3.7. उधार की लागतें

कंपनी, उधार की लागतों से लाभ प्राप्त करता है जो सीधा अधिग्रहण, संकीर्णन या अर्हक परिसंपत्ति से संबद्ध हैं तथा उत्पादन की परिसंपत्ति की लागत के एक भाग हैं। कंपनी, अन्य उधार लागतों का भी उल्लेख किया जाता है जो परिसंपत्ति की लागत के एक भाग हैं। कंपनी अन्य उधार लागतों को संबंधित अवधि में व्यय के रूप में उल्लेख किया जाता है जिनका व्यय वह वहन करती है। एक अर्हक परिसंपत्ति वह परिसंपत्ति है जो आवश्यक रूप से उसके उपयोग या विक्रय के लिए तैयार होने तक की अवधि का समय लेती है।

जहां तक कंपनी उधार लेती है, वह सामान्य रूप से अर्हक परिसंपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए उपयोग करती है, पूंजीकरण के लिए पात्र उधार

लागत की राशि की गणना, व्ययित राशि को पूंजीकरण दर पर लागू करके की जाती है। अर्हक परिसंपत्तियों के क्रय हेतु विशिष्ट रूप से लिए गए उधार को छोड़कर, पूंजीकरण दर को उधार की लागतों के भारित औसत पर निर्धारित किया जाता है। इनमें उधार की लागतों में समायोजन किए जाने तक विनिमय की भिन्नताएं सम्मिलित हैं।

3.8. विदेशी मुद्रा लेन-देन :

प्रकार्यात्मक मुद्राओं को छोड़कर अन्य मुद्रा में किए गए लेन-देनों को लेन-देन की तारीखों में प्रचालित विनिमय दरों उल्लेख की गई है।

हर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वित्तीय मद वित्तीय मद जिन्हें विदेशी मुद्रा द्वारा अंकित किया गया है, उन्हें रिपोर्ट करने की तारीख पर प्रचालित दरों में रूपांतरित किया गया है।

विदेशी मुद्रा वित्तीय मदों को (अतिदेय प्राप्य का निष्पादन अनिश्चित है, उसे छोड़कर) भारतीय लेखांकन नीति-21 में उल्लिखित परिभाषा के अनुसार अंतिम दर इस्तेमाल करते हुए रूपांतरित किया जाता है। गैर-वित्तीय मदों को लेन-देन की तारीख के विनिमय दर इस्तेमाल करते हुए रिपोर्ट किया जाता है। विनिमय भिन्नता के लाभ/हानि को लाभ एवं हानि के विवरण में उल्लेख किया गया है।

3.9. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को जहां अनुदान के लिए प्राप्त होने के उचित आश्वासन के साथ संबंधित शर्तों का अनुपालन किया जाता है, वहां उल्लेख किया जाता है। इन अनुदानों को अनुदान की प्रवृत्ति के आधार पर परिसंपत्तियों या राजस्व से संबंधित अनुदान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

आरंभिक स्तर पर मूल्यहास योग्य संपत्तियों से संबंधित अनुदान को आस्थगित राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है तथा इसके क्रम में उन्हें ऐसे योगदान से परिसंपत्ति के उपयोगी काल के व्यवस्थित आधार पर आमतौर पर प्राप्त अवक्षयी परिसंपत्तियों पर प्रभारित मूल्यहास में उसी अनुपात में लाभ एवं हानि की विवरणिका में उल्लेख किया जाता है। प्राक्कलन में परिवर्तनों को परिसंपत्तियों के शेष जीवनकाल पर उत्तरव्यापी प्रभाव से उल्लेख किया जाता है।

राजस्व अनुदान के रूप में प्राप्त अनुदानों को संबंधित लागतों की अवधि के व्यवस्थित आधार पर आय के रूप में उल्लेख किया जाता है जिसके लिए उसे क्षतिपूर्ति करनी है, उसका व्यय किया जाना है।

गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में अनुदान जैसे भूमि एवं अन्य स्रोतों को उचित मूल्य के रूप में उल्लेख किया जाता है, जिसे बुनियादी परिसंपत्ति के उपभोग लाभ के पैटर्न में प्रत्याशित उपयोग काल पर लाभ एवं हानि की विवरणिका में आस्थगित आय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

भारत योजना के अंतर्गत सेवा निर्यात (एसईआईएस) के अंतर्गत अनुदानों का वहां उल्लेख किया जाता है जहां अनुदान के साथ संलग्न शर्त पूर्ण किए गए हैं और यह कि अनुदान प्राप्त होने के उचित आश्वासन हैं। इन्हें उस अवधि में उल्लेख किया जाता है जिसमें उन्हें प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया जाता है यानी वह वर्ष जिसमें एसईआईएस अनुदान के लिए योग्य सेवाएं प्रदान की गईं।

3.10. प्रावधान

प्रावधानों का वहां उल्लेख किया जाता है जहां कंपनी को पूर्व घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान देयताएं (कानूनी अथवा निर्माणात्मक) हैं, संभव है कि दायित्वों को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों के बाह्य प्रवाह की आवश्यकता है तथा दायित्व की राशि से एक विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सकता है।

प्रावधानों का हर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में पुनरीक्षण किया जाता है तथा उन्हें वर्तमान उत्कृष्ट प्राक्कलन को का उल्लेख करने के लिए समायोजित किया जाता है। प्रावधान को तब वापस लिया जाता है जब दायित्व को निपटाने के लिए बाह्य प्रवाह के संगठनात्मक आर्थिक लाभों की आवश्यकता होने की संभावना नहीं है।

यदि वित्त के समय मूल्य का प्रभाव मातृक है प्रावधानों को वर्तमान पूर्व-कर दर इस्तेमाल करते हुए छूट दिया जाता है जो औचित्य के अनुसार देयताओं के लिए विशिष्ट खतरों को का उल्लेख करता है। जब छूट प्रदान करने की प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है समय बीतने के साथ-साथ प्रावधान में बढ़ोतरी को वित्तीय लागत के रूप में उल्लेख किया जाता है।

3.11. आकस्मिक देयताएं/आस्तियां:

आकस्मिक देयताएं

आकस्मिक देयताओं का उल्लेख नहीं किया जाता है लेकिन उन्हें लेखा टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है जब कंपनी के पूर्व घटनाओं के कारण संभाव्य देयताएं हैं तथा देयताओं का अस्तित्व भावी घटनाओं के होने या न होने पर आधारित है जो पूर्ण रूप से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है।

आकस्मिक देयताओं का सतत मूल्यांकन, आर्थिक स्रोतों के बाह्य प्रवाह के होने या न होने की संभावनाओं को निश्चित करने के लिए किया जाता है। यदि बाह्य प्रवाह संभाव्य है तो वित्तीय विवरणिकाओं में संबद्ध प्रावधानों का उल्लेख किया जाता है।

जहां इकाई संयुक्त रूप से एवं पृथक रूप से दायित्व के लिए उत्तरदायी है, दायित्व का वह हिस्सा जो अन्य पार्टियों द्वारा पूरा किया जाना अपेक्षित है उसे भी एक आकस्मिक दायित्व के रूप में माना जाता है। इकाई किसी प्रवाधान को देयता के उस भाग में उल्लेख किया जाता है जिसके लिए

आर्थिक लाभ को रूप देनेवाले संसाधनों का बाह्य प्रवाह होना संभाव्य बन जाता है, केवल उन्हीं विरल स्थितियों को छोड़कर जहां कोई विश्वसनीय प्राक्कलन नहीं किया जा सकता है।

आकस्मिक परिसंपत्तियां:

आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणिकाओं में उल्लेख नहीं की जाती है न ही उन्हें टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है।

3.12. कर्मचारी लाभ:

i) परिभाषित लाभ योजना :

उपादान, छुट्टी नकदीकरण/ लाभ एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए प्रावधान, अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि इस्तेमाल करते हुए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। बीमांकिक लाभ एवं हानि युक्त पुनः मापन, परिसंपत्ति सीमा पर परिवर्तन का प्रभाव तथा ब्याज को छोड़कर योजना संपत्तियों पर वसूली (यदि लागू हो) को जिस अवधि में वे होते हैं उस अवधि में अन्य विस्तृत आय में चार्ज या क्रेडिट के साथ तुरंत वित्तीय स्थिति की विवरणिका में व्यक्त किया जाता है। पुनःमापन को अन्य विस्तृत आय में बताया जाता है जिसका आरक्षित आय में तुरंत उल्लेख किया जाता है तथा उसे लाभ या हानि की विवरणिका में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाता है।

ii) परिभाषित अंशदान योजना :

भविष्य निधि में अंशदान को वृद्धि आधार पर व्यय के रूप में रिकार्ड किया जाता है।

iii) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ :

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ देयताओं को छूट रहित आधार पर लिया जाता है तथा संबंधित सेवाएं प्रदान किए जाने पर व्ययित होते हैं। यदि कंपनी द्वारा कर्मचारी प्रदत्त पूर्व सेवा के परिणामस्वरूप वर्तमान कानूनी या निर्माणात्मक दायित्वों की राशि का भुगतान किया जाना है तथा दायित्वों का प्राक्कलन विश्वसनीयता के साथ किया जाता है तो दायित्वों के प्रत्याशित भुगतान रकम का उल्लेख अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के अंतर्गत किया जाता है।

3.13. कर-निर्धारण

आयकर व्यय, वर्तमान कर एवं आस्थगित कर जोड़ का प्रतिनिधित्व करता है।

वर्तमान कर

वर्तमान कर, वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। लाभ और हानि विवरणिका तथा अन्य विस्तारित आय में रिपोर्ट किए गए अनुसार 'कर

योग्य लाभ' लाभ पूर्व कर से भिन्न है तथा उनका वर्गीकरण आगामी वर्षों में कर योग्य अथवा काट जा सकनेवाले आय या व्यय के मद में तथा कर योग्य न होने अथवा नहीं काटे जाने के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। कंपनी के वर्तमान कर का आकलन कर दर का प्रयोग करते हुए किया जाता है जिन्हें रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित अथवा पर्याप्त रूप से अधिनियमित किया जाता है।

आस्थगित कर

आस्थगित कर को रिपोर्ट की जानेवाली तारीख वित्तीय उद्देश्यों के लिए तुलन पत्र पद्धति इस्तेमाल करते हुए कर आधार एवं परिसंपत्तियों के बीच स्थायी भिन्नताएं तथा वहन राशियों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है।

हर रिपोर्टिंग तारीख पर वहन राशि के आस्थगित कर परिसंपत्तियों का पुनरीक्षण किया जाता है तथा उसे उस हद तक घटाया जाता है जहां तक परिसंपत्ति के पूर्ण अथवा किसी भाग के उपयोग की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ होने की कोई संभावना नहीं है। हर रिपोर्टिंग तारीख पर अमान्य आस्थगित कर परिसंपत्तियों का पुनः पुनरीक्षण किया जाता है तथा वहां तक मान्यता दी जाती है जहां तक वे आगामी कर योग्य लाभ, आस्थगित कर परिसंपत्तियों को वसूल करने की अनुमति देंगे।

आस्थगित कर देयताओं एवं परिसंपत्तियों को उन कर दरों पर मापा जाता है जिन्हें उन कर दरों को अधिनियमित अथवा पर्याप्त रूप से अधिनियमित किए गए हैं जिसे रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उस अवधि में लागू किए जाने की प्रत्याशा होती है जिसमें देयता को निपटाया गया हो अथवा परिसंपत्ति प्राप्त की गई।

यदि वर्तमान आयकर देयताओं के विरुद्ध वर्तमान कर परिसंपत्तियों को निर्धारित करने का वैधानिक प्रवर्तनीय अधिकार है जहां आस्थगित कर परिसंपत्तियां एवं आस्थगित कर देयताओं को निर्धारित किया जाता सकता है तथा आस्थगित कर, वही कर योग्य मद एवं वही कर निर्धारण प्राधिकरण से संबंधित है।

आस्थगित कर देयताओं एवं परिसंपत्तियों को निपटाने के बाद उनके प्रमुख घटकों के पृथकों के रूप में तुलन पत्र की तारीख प्राप्त की जाती है।

वर्ष के लिए वर्तमान एवं आस्थगित कर

वर्ष के लिए वर्तमान एवं आस्थगित कर उन मदों से संबंधित हैं जो अन्य विस्तृत आय में या सीधे इक्विटी में उल्लेख किए जाते हैं। लाभ या हानि में वर्तमान एवं आस्थगित कर का उल्लेख किया जाता है तथा इस मामले में वर्तमान एवं आस्थगित कर भी अन्य विस्तृत आय में या सीधे इक्विटी में मान्य बन जाते हैं। जहां किसी व्यावसायिक संयोग के लिए प्रारंभिक लेखा से वर्तमान कर या आस्थगित कर निर्धारित होते हैं, कर प्रभाव,

व्यावसायिक संयोग के लिए लेखा में सम्मिलित किए जाते हैं।

3.14. नुकसान :

यदि किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि (या नकद पैदा करनेवाली इकाई/ अचल संपत्ति) को उसकी वहन राशि से कम बताया जाता है तो परिसंपत्ति की वहन राशि (या नकद पैदा करनेवाली इकाई) को उसकी वसूली योग्य राशि तक कम किया जाता है।

वसूली योग्य राशि, निपटान की लागत और उपयोग में मूल्य घटा उचित मूल्य से अधिक है। उपयोग में मूल्यांकन मूल्य में प्राकलित भावी नकद प्रवाह को रकम के समय मूल्य के वर्तमान मार्केट मूल्यांकन बतानेवाले पूर्व-कर छूट दर एवं परिसंपत्ति के वे विशिष्ट जोखिम जिनके भावी नकद प्रवाह के प्राक्कलनों को समायोजित नहीं किया गया है, उनका प्रयोग करते हुए उनके वर्तमान मूल्य तक छूट दी जाती है।

जब नुकसान के उत्क्रमण को परिसंपत्ति की वहन राशि (या नकद पैदा करनेवाली इकाई) को उसकी वसूली योग्य राशि के पुनरीक्षित प्राक्कलन तक बढ़ाया जाता है ताकि बढ़ी हुई वहन राशि, मूल वहन राशि से अधिक न हो जाए जिससे कि पूर्व वर्षों में परिसंपत्ति (या नकद राशि पैदा करनेवाली इकाई) के लिए नुकसान न होने की स्थिति बताई जाए। किसी हानि के उत्क्रमण का उल्लेख तब तक लाभ एवं हानि की विवरणिका में तुरंत किया जाता है जब तक संबंधित परिसंपत्ति को पुनःमूल्यित राशि में लाया न जाए, तथा इस मामले में हानि के उत्क्रमण को पुनःमूल्यांकन बढ़ोतरी के रूप में लिया जाता है।

हर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी अपने मूर्त, अमूर्त परिसंपत्तियों की वहन राशियों का पुनरीक्षण करता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उन परिसंपत्तियों की हानि हुई है या नहीं। यदि कोई ऐसा संकेत मिलता है तो परिसंपत्ति की वसूली की राशि सही है या नहीं। यदि ऐसा कोई संकेत है तो परिसंपत्ति की वसूली की राशि का प्राक्कलन किया जाता है ताकि हानि की स्थिति (यदि कोई हो) निश्चित की जा सके। जब किसी निश्चित परिसंपत्ति की वसूली राशि का प्राक्कलन किया जाना संभव नहीं है तो कंपनी नकद पैदा करनेवाली इकाई की वसूली राशि का प्राक्कलन करती है जिसके अंतर्गत उक्त परिसंपत्ति आती है।

कम से कम वर्ष में एक बार या जब भी परिसंपत्ति की हानि के संकेत मिलने पर हानि के अनिश्चित उपयोग काल युक्त अमूर्त परिसंपत्ति एवं उपयोग हेतु अनुपलब्ध अमूर्त परिसंपत्तियों का परीक्षण किया जाता है।

3.15. प्रति शेयर अर्जन:

प्रति इक्विटी के मूल आय परिकलन, अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कंपनी के इक्विटी धारकों को मिलने वाले शुद्ध लाभ को विभाजित करते हुए किया जाता है। प्रति इक्विटी की

सुस्त कमाई का परिकलन, कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण होने वाले शुद्ध लाभ को प्रति इक्विटी शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचार किए गए इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या और जारी किए जा सकने वाले इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या से विभाजित करते हुए किया जाता है जो सभी संभाव्य सुस्त कमाई इक्विटी शेयरों के परिवर्तन पर जारी किए जाते हैं।

3.16. वित्तीय उपकरण :

i) गैर-व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण :

गैर-व्युत्पन्न वित्तीय उपकरणों में :

- वित्तीय परिसंपत्तियों में नकद एवं नकद समतुल्य, व्यवसाय प्राप्ति, कर्मचारी अग्रिम, अन्य अग्रिम, सुरक्षा जमा, इक्विटी सुरक्षाओं में निवेश तथा अन्य अर्हक वर्तमान/गैर-वर्तमान वरिसंपत्तियां सम्मिलित हैं;
- वित्तीय देयताओं में दीर्घ/ अल्पकालिक ऋण, ऋण, व्यवसाय भुगतान राशियां, सुरक्षा जमा, अवरोधन एवं अन्य अर्हक वर्तमान/ गैर-वर्तमान वरिसंपत्तियां सम्मिलित हैं;

गैर-व्युत्पन्न वित्तीय उपकरणों का उल्लेख, आरंभ में उचित मूल्य में किया जाता है जिसमें उचित मूल्य पर आरंभिक स्तर पर लाभ एवं हानि की विवरणिका में मापित उचित मूल्य पर मापित वित्तीय उपकरणों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों को अमान्य तब किया जाता है जब वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व पारितोषों के पर्याप्त जोखिम एवं प्राप्ति को हस्तांतरित किया गया है। उन मामलों में जहां परिसंपत्तियों के जोखिम एवं पारितोष न ही हस्तांतरित हैं, न ही कायम रखे जाते हैं, वहां वित्तीय परिसंपत्तियों को तभी अमान्य किया जाता है जब कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति पर नियंत्रण कायम नहीं किया है।

प्रारंभिक मान्यता के क्रम में गैर-व्युत्पन्न वित्तीय उपकरणों का वर्णन निम्नानुसार किया जाता है

ए) निवेश :

सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम एवं असोसियेट कंपनियों के इक्विटी शेयरों को भारतीय लेखांकन मानक 27 – पृथक वित्तीय विवरणिकाओं की आवश्यकताओं के अनुसार लागत के अंतर्गत उल्लेख किया जाता है। जहां भी लागू हो, भारतीय लेखांकन मानक 36 – परिसंपत्तियों की हानि के अनुसार ऐसे निवेशों के मूल्य में हानि

के लिए प्रावधान किया जाता है। हर रिपोर्टिंग तारीख पर इन निवेशों की वहन राशि का पुनरीक्षण किया जाता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि किसी नुकसान का संकेत है या नहीं। यदि ऐसा कोई संकेत मिलता है तो निवेश की वसूल योग्य राशि का आकलन किया जाता है और यदि कोई नुकसान हों तो उन्हें लाभ एवं हानि की विवरणिका में डाला जाता है।

अन्य किसी भी इक्विटी निवेशों के प्रारंभिक मान्यता पर जिसे ट्रेडिंग के लिए नहीं रखा गया हो, कंपनी ने कंपनी ने अपरिवर्तनीय रूप से निवेश के उचित मूल्य में बाद के परिवर्तनों को ओसीआई (एफवीओसीआई - इक्विटी निवेश के रूप में नामित) में प्रस्तुत करने का चुनाव किया है। यह चुनाव, निवेश-दर-निवेश के आधार पर किया जाता है। ऐसे निवेशों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मापा जाता है तथा उचित मूल्य में बाद के परिवर्तनों को अन्य विस्तृत आय (ओसीआई) में मान्यता दी जाती है। ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि ऐसे निवेशों के निपटान पर लाभ या हानि में स्थानांतरित नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त, उन्हें इक्विटी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ऐसे निवेशों से प्राप्त लाभांश को लाभ या हानि में तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है, बशर्ते कि वे निवेश पर प्रतिफल दर्शाते हों।

अन्य सभी इक्विटी निवेशों को प्रारंभिक मान्यता के समय एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब तक कि उपकरण को इक्विटी के लिए एफवीओसीआई के रूप में वर्गीकृत करने के लिए अपरिवर्तनीय नाम नहीं दिया जाता है।

बी) ऋण व प्राप्य

ऋण एवं प्राप्ति, सक्रिय मार्केट में कोट नहीं किए गए नियत अथवा निर्धारित करने योग्य गैर-व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियां हैं। उन्हें वर्तमान परिसंपत्तियों में प्रस्तुत किया जाता है, केवल उन्हें छोड़कर जो 12 महीनों से अधिक अवधि के बाद में मैच्योर होते हैं तथा उन्हें रिपोर्टिंग तारीख के बाद गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों में प्रस्तुत किया जाता है। आरंभ में ऋण एवं प्राप्ति को उचित मूल्य जोड़ सीधे रोप्य लेन-देन लागतों के रूप में उल्लेख किया जाता है तथा किसी भी प्रकार की हानि को घटाकर प्रभावी ब्याज दर पद्धतियों का इस्तेमाल करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। ऋण एवं प्राप्ति में व्यवसाय प्राप्ति, बिल नहीं किए गए राजस्व, कर्मचारी अग्रिम, सुरक्षा जमा भुगतान एवं अन्य परिसंपत्तियां शामिल हैं।

कंपनी, कंपनी के प्राप्य योग्य ऐतिहासिक भुगतान पैटर्न, ग्राहक

कॉन्सन्ट्रेशन, ग्राहक क्रेडिट क्षमता एवं वर्तमान आर्थिक प्रवृत्तियों द्वारा इकत्रित नहीं हो पाने वाले लेखाओं का प्राक्कलन करता है। यदि ग्राहक की वित्तीय स्थिति खराब होती है, यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त भत्ताओं के लिए मूल्यांकित किया जाता है।

सी) व्यवसाय एवं अन्य भुगतान :

आरंभ में व्यवसाय एवं अन्य भुगतानों को उचित मूल्य पर मान्य किया जाता है तथा उसके बाद प्रभावी ब्याज पद्धति इस्तेमाल करते हुए परिशोधित लागत में किया जाता है। इन वित्तीय उपकरणों के लिए वहन राशियां इन उपकरणों की अल्पकालिक मेच्यूरिटी के कारण लगभग उचित मूल्य के समतुल्य होते हैं।

डी) सुरक्षा जमा

प्रारंभ में सुरक्षा जमाओं को उचित मूल्य जोड़ सीधे सीधे रोप्य लेन-देन लागतों में उल्लेख किया जाता है तथा बाद में उसे किसी भी प्रकार की हानि कम करते हुए प्रभावी ब्याज पद्धति द्वारा परिशोधित लागत में मापा जाता है।

ई) कर मुक्त बॉण्ड :

प्रारंभ में कर मुक्त बॉण्डों को लेन-देन लागतों के उचित मूल्य लागतों में उल्लेख किया जाता है। आगामी अवधियों में कर मुक्त बॉण्डों को प्रभावी ब्याज पद्धति इस्तेमाल करते हुए परिशोधित लागत में प्रस्तुत किया जाता है। ब्याज व्ययों को प्रभावी ब्याज दर इस्तेमाल करते हुए परिशोधित लागतों में बताया जाता है। ब्याज व्ययों को प्रभावी ब्याज दर इस्तेमाल करते हुए कर मुक्त बॉण्डों के जीवनकाल पर वित्तीय व्यय के रूप में लाभ या हानि की विवरणिका में बताया जाता है।

ii) वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

लाभ एवं हानि द्वारा उचित मूल्य की वित्तीय परिसंपत्तियों (एफवीटीपीएल) से अलग ये वित्तीय परिसंपत्तियों को हर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में हानि के संकेतकों को मूल्यांकित किया जाता है। उन वित्तीय परिसंपत्तियों को हानि के अंतर्गत बताया जाता है जब वित्तीय परिसंपत्ति की प्रारंभिक मान्यता के बाद होनेवाली एक या उससे अधिक घटनाओं के परिणामस्वरूप उद्देश्यपरक सबूत होने पर, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्राक्कलित भावी राशि प्रभावित हुए हैं तब उन्हें नष्ट माना जाता है। विक्रय के लिए उपलब्ध निवेश (एएफएस) हेतु अपनी लागत से कम सुरक्षाओं के उचित मूल्य में काफी अधिक या काफी समय के लिए हास दिखाई देते हैं।

अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए हानि के उद्देश्यपरक सबूत में

निम्नलिखित सम्मिलित हो सकते हैं :

- जारी करनेवाले अथवा प्रतिस्थानी में अत्यधिक वित्तीय कठिनाई;
- ब्याज अथवा प्रधान भुगतानों में गलती या अपचार जैसा ठेका उल्लंघन;
- वित्तीय कठिनाइयों के कारण संभव है कि ऋणी दिवाला या वित्तीय पुनर्गठन के लिए जाएंगे; अथवा उक्त वित्तीय परिसंपत्ति हेतु सक्रिय मार्केट लुप्त हो।

व्यवसाय प्राप्ति जैसे वित्तीय परिसंपत्तियों के कुछ वर्गों को पृथक पृथक रूप में हानि के लिए मूल्यांकित किया जाता है। प्राप्यताओं के पोर्टफोलियो में उद्देश्यपरक सबूत की हानि में कंपनी के भुगतान इकत्रीकरण में पूर्व अनुभव के साथ साथ राष्ट्रीय या स्थानीय आर्थिक स्थितियों में प्राप्यताओं पर व्यतिक्रम के साथ संबद्धता स्थापित करते हैं।

उन वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए जो लागत पर वहन किए जाते हैं, उनके लिए हानि की राशि को वहन राशि युक्त परिसंपत्तियां एवं ऐसी ही वित्तीय परिसंपत्ति के लिए वसूली के वर्तमान मार्केट दर पर प्राक्कलित भावी नकद प्रवाह के वर्तमान मूल्य के बीच भिन्नता को हानि के रूप में लिया जाता है। आगामी अवधियों में ऐसी हानि का उत्क्रम नहीं किया जाएगा।

व्यवसाय प्राप्यों को छोड़कर वित्तीय परिसंपत्ति की वहन राशि को सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए सीधे हानि द्वारा कम किया जाता है, ऐसी हानि को संबंधित वित्तीय परिसंपत्ति के लिए एक भत्ता लेखा के उपयोग द्वारा कम किया जाता है। जब व्यवसाय प्राप्य को इकत्रित न कर पाने के अंतर्गत माना जाता है तथा उसे भत्ता लेखा के अंतर्गत भट्टे खाते में डाला जाता है। भट्टे खाते में डाले उसके बाद की वसूली राशियों को भत्ता लेखा के अंतर्गत क्रेडिट किया जाता है। भत्ता लेखा की वहन राशि में परिवर्तनों का उल्लेख लाभ एवं हानि की विवरणिका में किया जाता है।

परिशोधित लागत में मापित वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए यदि बाद की अवधि में हानि कम होती है और हानि की पहचान करने के बाद में होनेवाली घटना के साथ में उद्देश्यपरक रूप से उस कमी के साथ में संबद्धता बताया जा सकता है, पूर्व में मान्य हानि को उस हद तक लाभ एवं हानि की विवरणिका में उत्क्रमित किया जाता है जहां तक हानि के उत्क्रमण की तारीख के निवेश पर वहन राशि परिशोधित लागत से अधिक न हो यदि उस हानि की पहचान नहीं की जाती।

iii) वित्तीय परिसंपत्तियों का विमान्यीकरण

कंपनी, एक वित्तीय परिसंपत्ति को तब विमान्यीकृत करती है जब परिसंपत्ति से नकद प्रवाह तक ठेके के अधिकार लुप्त हो जाते हैं या जब वित्तीय परिसंपत्ति तथा मांग एवं स्वामित्व के पारितोषों को किसी दूसरे पार्टी को हस्तांतरित किया जाता है। यदि कंपनी सभी जोखिमों एवं

स्वामित्व के पारितोषों को न ही हस्तांतरित करती है और न ही अपने पास कायम रखती है और उन्हें हस्तांतरित परिसंपत्ति को नियंत्रित करती है, कंपनी अपनी कायम रखी वस्तु को पहचानती है तो परिसंपत्ति एवं संभाव्य देयताओं की रकम का भुगतानों में अपनी दिलचस्पी प्रकट करती है। यदि कंपनी हस्तांतरित वित्तीय परिसंपत्ति के सभी जोखिमों एवं स्वामित्व के पारितोषों को कायम रखती है तथा परिसंपत्ति को सतत मान्यता देती है तो वह प्राप्तियों के लिए संपार्श्विक उधार को भी मान्यता देती है।

किसी समग्र वित्तीय परिसंपत्ति के विमान्यीकरण पर परिसंपत्ति की वहन राशि एवं प्राप्त एवं प्राप्य प्रतिफल तथा संचित लाभ या हानि के जोड़ के बीच भिन्नता जिसे अन्य विसृत आय एवं इक्विटी में संचय को लाभ या हानि में उल्लेख किया जाता है।

3.17. खण्ड सूचना

कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) को भारतीय लेखांकन मानक-108, ‘‘प्रचालनात्मक खण्ड’’ प्रस्तुत परिभाषा के अनुसार मुख्य निर्णय लेनेवाले (सीओडीएम) व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता है। कंपनी के सीएमडी पृथक वित्तीय विवरणिकाओं पर आधारित खण्डों के आधार पर मूल्यांकित करता है। प्रबंधन, भारत में प्रदत्त ‘‘पोर्ट सेवाओं’’ को एक एकल रिपोर्टबल व्यवसाय / भौगोलिक खण्ड मानता है। पूर्व अवधि

3.18. पूर्व अवधि

पूर्व अवधि (अवधियों) से संबद्ध सामग्री राशि में गलतियों को पूर्व अवधि गलतियों की प्रवृत्ति युक्त नोट द्वारा प्रकट किया जाता है, ऐसी प्रत्येक पूर्व अवधि के सुधार की मात्रा उस हद तक जो प्रति शेयर के मूल एवं सुस्त कमाई व्यावहारिक परिवर्तन के साथ पूर्वव्यापी रूप से प्रस्तुत की गई हो। तथापि, जहां पूर्वव्यापी पुनःविवरणिका किसी विशिष्ट अवधि के लिए व्यावहारिक नहीं है, ऐसी परिस्थितियों तक ले जानेवाली स्थिति तथा गलती कैसे और कब हुई के विवरणों के साथ उन्हें ठीक करते हुए लेखा पर टिप्पणी में प्रकट किया जाता है।

3.19 पट्टा

कंपनी, ठेके के प्रारंभ में ठेके के विवरण उसकी सटीकता एवं लीज जैसे विवरणों को मूल्यांकित करती है। अर्थात् क्या वह ठेका किसी पहचान की गई परिसंपत्ति किसी निश्चित रकम के बदले में निश्चित अवधि के लिए उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है।

पट्टेदार के रूप में

कंपनी, अल्पकालिक लीज एवं निम्न-मूल्य परिसंपत्तियों के लीजों को

छोड़कर सभी लीजों पर एक ही प्रकार की मान्यता एवं मापन पद्धति लागू करती है। साथ ही कंपनी द्वारा लीज भुगतान करनेवाली देयताओं तथा विचाराधीन आठ प्रकार के परिसंपत्ति उपयोग अधिकार संबंधी लीज का उल्लेख किया गया है।

i) परिसंपत्ति उपयोग अधिकार

कंपनी, परिसंपत्ति उपयोग अधिकार (‘‘आरओयू परिसंपत्तियां’’ का उल्लेख लीज (यानी वह तारीख जिसमें विचाराधीन परिसंपत्ति उपयोग हेतु उपलब्ध है) की प्रारंभिक तारीख पर करती है। परिसंपत्ति उपयोग अधिकार को लागत पर, मूल्यहास एवं हानि घटाकर, तथा लीज देयताओं के पुनः मापन के लिए समायोजन पर मापा जाता है। परिसंपत्ति उपयोग अधिकार की लागत में मान्य पट्टा देयताएं, व्ययित प्रारंभिक सीधी लागतें तथा प्रारंभिक तारीख से पहले या बाद में भुगतानित लीज घटाकर प्राप्त पट्टा प्रोत्साहन सम्मिलित हैं। परिसंपत्ति उपयोग अधिकार का मूल्यहास का आकलन, अल्पकालिक पट्टा अवधि की सीधी रेखा आधार पर किया जाता है तथा परिसंपत्तियों के उपयोगकाल पर प्राक्कलन किया जाता है।

यदि पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों का स्वामित्व कंपनी को लीज अवधि के अंत में हस्तांतरित किए गए हैं, तो लागत क्रय विकल्प के अधिकार बताती है तथा परिसंपत्ति के प्राक्कलित उपयोगकाल इस्तेमाल करते हुए मूल्यहास का प्राक्कलन किया जाता है। परिसंपत्तियों के परिसंपत्ति उपयोग अधिकार पर भी हानि लागू होती है। कृपया गैर-वित्तीय वरिसंपत्तियों की हानि के अनुभाग (I) की लेखा नीतियों का संदर्भ लें।

ii) पट्टा की देयताएं

पट्टा की प्रारंभिक तारीख पर कंपनी, पट्टा देयताओं का उल्लेख पट्टा की अवधि पर किए जानेवाले पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य किया जाता है। पट्टाभुगतानों में नियत भुगतान (निश्चित नियत भुगतानों के साथ) सम्मिलित हैं, प्राप्य कोई पट्टाप्रोत्साहन, किसी इंडेक्स या दर पर निर्भर विविध पट्टा भुगतान को घटाकर मापा जाता है तथा भुगतान की जानेवाली राशियों को शेष मूल्य गारंटियों के अंतर्गत किया जाता है। पट्टाभुगतानों में कंपनी द्वारा निश्चित रूप से किए जानेवाले कुछ क्रय विकल्प के विकल्प प्रयोग मूल्य तथा यदि पट्टा की अवधि पट्टा समाप्त करने के लिए देयताएं भी सम्मिलित हैं। वे विविध पट्टा भुगतान जो किसी इंडेक्स या दर पर निर्भर नहीं है, उन्हें उस अवधि के व्यय में उल्लेख किया जाता है जिसमें वह घटना या स्थिति, भुगतान की स्थिति पैदा करता है। पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य के आकलन में कंपनी, पट्टा प्रारंभ की तारीख पर अपने वृद्धिशील ऋण दर का प्रयोग करती है क्योंकि पट्टा में अस्पष्ट ब्याज दर सीधे निर्धारित नहीं किया जा सकता। प्रारंभिक तारीख के बाद पट्टादेयताओं की राशि में वृद्धि की जाती है ताकि ब्याज का संचयन बताया जा सके तथा

भुगतानित पट्टा भुगतानों के लिए कम किया जा सके। इसके अतिरिक्त पट्टा देयताओं की वहन राशि को तब मापा जाता है जब पट्टा अवधि में रूपांतरण, परिवर्तन (उदाहरण के लिए भावी भुगतानों में परिवर्तन जो ऐसे भुगतानों को निर्धारित करने के लिए इंडैक्स या दर में परिवर्तन का प्रयोग किया जाता है) होने पर या कोई विचाराधीन परिसंपत्ति के क्रय विकल्प के लिए मूल्यांकन में परिवर्तन होता है। पट्टा देयताओं को “अन्य वित्तीय देयता” शीर्ष के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है।

iii) अल्पकालिक पट्टा एवं निम्न-मूल्य परिसंपत्तियों के लिए पट्टा

कंपनी अपने अल्पकालिक पट्टों (यानी वे लीज जिसमें प्रारंभ की तारीख से 12 महीने या उससे कम अवधि की लीज अवधि हो तथा उसमें क्रय विकल्प नहीं होता) पर पट्टा मान्यता छूट लागू करता है। इसपर निम्न-मूल्य परिसंपत्ति मान्यता छूट भी लागू करता है जिन्हें निम्न-मूल्य माना जाता है। अल्पकालिक भुगतानों पर पट्टा भुगतान एवं निम्न-मूल्य की परिसंपत्तियों को पट्टा अवधि पर सीधी रेखा आधार पर व्यय के रूप में उल्लेख किया जाता है।

पट्टा दाता के रूप में

वे लीज जिसमें कंपनी किसी परिसंपत्ति के सभी जोखिम एवं स्वामित्व पारितोष को हस्तांतरित नहीं करती, उन्हें प्रचालित पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्रचालित लीजों से किराए आय को संबंधित पट्टा की अवधि पर सीधी रेखा पर लिया जाता है। आरंभिक सीधी लागतें जो बातचीत में तथा प्रचालन पट्टा की व्यवस्था करने के लिए व्ययित होती हैं, उन्हें परिसंपत्ति की वहन राशि के साथ जोड़ा जाता है तथा उन्हें किराए आय की तरह उसी आधार पर उल्लेख किया जाता है। आकस्मिक किरायों को अर्जन की अवधि में राजस्व के रूप में उल्लेख किया जाता है। आकस्मिक भाड़ों को उस अवधि में राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें वो अर्जित होते हैं।

पट्टा को वित्तीय लीज के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जब कंपनी से परिसंपत्ति के सभी जोखिम एवं स्वामित्व के पारितोषों को ठेकेदार को हस्तांतरित करती है। ठेकेदार से वित्तीय पट्टा से राशियों का उल्लेख पट्टा में कंपनी के कुल निवेशों पर प्राप्य के रूप में उल्लेख किया जाता है। वित्त पट्टा आय को लेखा अवधियों में आबंटित किया जाता है ताकि पट्टा के संबंध में बकाया कुल निवेश पर वसूली के स्थिर आवधिक दर बताया जा सके।

3.20 प्रचलित/अप्रचलित वर्गीकरण:

कंपनी, तुलन पत्र में वर्तमान / गैर-वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर परिसंपत्तियों एवं देयताओं को प्रस्तुत करता है, यदि :

ए) वह कंपनी के सामान्य साइकिल में उनके वसूल किए जाने अथवा बेचे जाने अथवा उपभोग किए जाने की प्रत्याशा है;

बी) इस मूल रूप से ट्रेड करने के लिए रखा जाता है ;

सी) इसे रिपोर्टिंग अवधि के बाद में बारह महीनों के अंदर वसूल किए जाने की संभावना है; अथवा

डी) यह नकद है अथवा नकद के समतुल्य है, इसे रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों तक के लिए देयता निपटाने के लिए गदला जाता है या उसका उपयोग किया जाता है।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

एक देयता को वर्तमान के रूप में तभी वर्गीकृत किया जाता है यदि :

(ए) उसे सामान्य प्रचालन साइकिल में निपटाए जाने की संभावना है;

(बी) इस मूल रूप से ट्रेड करने के लिए रखा जाता है ;

(सी) इसे रिपोर्टिंग अवधि के बाद में बारह महीनों के अंदर वसूल किए जाने की संभावना है;

(डी) रिपोर्टिंग अवधि के बाद में कम से कम बारह महीनों के लिए देयता निपटान को विलंबित करने की कोई शर्त रहित अधिकार नहीं है अन्य सभी देयताओं को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिसंपत्तियों के अधिग्रहण तथा नकद में तथा नकद के समतुल्य रूप में उनके प्रकरण एवं वसूली के बीच में निहित समय को ही प्रचालन साइकिल माना जाता है।

कंपनी का सामान्य प्रचालन चक्र बारह महीने है।

3.21 शेरहोल्डरों में लाभांश वितरण :

बोर्ड के निदेशकों द्वारा प्रस्तावित लाभांशों को वित्तीय विवरणिकाओं में तब उल्लेख किया जाता है जब उन्हें वार्षिक सामान्य बैठक में शेरहोल्डरों का अनुमोदन मिल जाता है।

3.22. पूर्व भुगतानित व्यय

हर शीर्ष के अंतर्गत राजस्व व्यय को वर्तमान वर्ष में तथा रकम के रु.20,000 से अधिक होने पर पूर्व भुगतानित में अलग किया जाता है।

3.23. मोचन निषेध के लिए प्रीमिया

ऋणों या कोई भी अन्य भाग के लिए मोचन निषेध के लिए प्रीमिया का उल्लेख वर्ष के वित्तीय लागत के अंतर्गत उल्लेख किया जाता है जिसमें मोचन निषेध प्रभावित हुआ है।

3.24. परिनिर्धारित नुकसान

परिनिर्धारित नुकसान को असंशय आधार पर उल्लेख किया जाता है।

एवं नकद के समतुल्य में, बैंक में उपलब्ध तथा बैंक में मांग जमा, कुल बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट भी सम्मिलित हैं जो मांग पर चुकाने योग्य होते हैं और कंपनी की नकदी प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा माने जाते हैं।

3.25. नकद प्रवाह विवरणिका

नकद प्रवाह विवरणिका को अप्रत्यक्ष पद्धति इस्तेमाल करते हुए रिपोर्ट किया जाता है। नकद प्रवाह के विवरणिका के उद्देश्य के लिए नकद

4. संपत्ति, संयंत्र व उपकरण

(रुपये लाखों में)

विवरण	1 अप्रैल 2024 को सकल वहन मूल्य	जोड़	निपटान / समायोजन	1 मार्च 2025 को सकल वहन मूल्य	1 अप्रैल 2024 तक संचित मूल्यहास	वर्ष के लिए मूल्यहास	निपटान / समायोजन	31 मार्च 2025 तक संचित मूल्यहास	31 मार्च 2025 तक वहन मूल्य
भूमि	63,952.64	-	-	63,952.64				-	63,952.64
भवन, शेड और अन्य संरचनाएं	21,999.52	115.61	-	22,115.14	2,480.36	480.69	-	2,961.04	19,154.09
वार्प्स एवं सीमाएं	64,485.91	-	-	64,485.91	12,722.70	1,536.35	-	14,259.04	50,226.86
रोड	30,048.76	331.26	-	30,380.02	7,435.19	2,615.35	-	10,050.54	20,329.48
रेलवे ट्रैक और सिग्नलिंग व्यवस्था	8,795.38	16,612.50	-	25,407.88	4,518.49	1,454.63	-	5,973.12	19,434.76
डॉक, सीवॉल, पायर और ब्रेक वॉटर	72,034.64	-	-	72,034.64	14,946.55	937.10	-	15,883.65	56,150.98
नैविगेशनल हायता	381.67	-	-	381.67	316.83	6.61	-	323.45	58.22
वाहन	198.41	15.53	-	213.94	124.35	21.66	-	146.00	67.93
इलेक्ट्रिकल संस्थापन	2,521.92	338.70	-	2,860.62	1,626.08	148.57	-	1,774.65	1,085.97
पानी, संचार के संस्थापन	306.19	-	-	306.19	184.51	8.69	-	193.19	113.00
इलेक्ट्रिकल अप्लायेन्स	261.52	23.01	-	284.53	181.24	18.98	-	200.22	84.31
कार्यालय उपकरण	457.85	50.18	-	508.03	220.54	53.73	-	274.28	233.75
फर्नीचर और फिटिंग	1,150.01	0.23	-	1,150.24	737.88	89.78	-	827.66	322.58
कंप्यूटर	1,161.73	150.13	-	1,311.86	941.21	77.86	-	1,019.07	292.79
पोर्ट बेसिन और प्रवेश चैनल	104,965.37	-	-	104,965.37	15,219.76	934.96	-	16,154.71	88,810.65
संयंत्र एवं मशीनरी	3,222.28	163.53	-	3,385.81	1,357.38	172.97	-	1,530.35	1,855.46
सुरक्षा परिसंपत्ति	93.16	-	-	93.16	68.66	7.61	-	76.27	16.89
कुल	376,036.94	17,800.69	0.00	3,93,837.63	63,081.74	8,565.51	0.00	71,647.25	322,190.39
पूर्व वर्ष	326,981.85	49,066.20	-11.11	3,76,036.94	55,760.52	7,329.28	-8.08	63,081.72	312,955.22

- (i) a) कंपनी के पास तमिलनाडु सरकार, टीएनईबी, टीआईडीसीओ और वाणिज्य मंत्रालय के नमक विभाग से अधिगृहीत 2802.49 एकड़ जमीन है, जिसमें से 2787.27 एकड़ कंपनी के कब्जे में है, शेष 15.22 एकड़ जमीन पर अभी कब्जा लिया जाना बाकी है तथा उक्त जमीनें मुकदमे के अधीन थे। मुकदमे के तहत 15.22 एकड़ जमीन में से, श्रीमती पप्पा और थिरु पी. सेल्वराज ने क्रमशः दो रिट याचिकाएं डब्ल्यूपी संख्या 26041/2001 और 26042/2001 दायर किया, जिन्होंने भूमि अधिग्रहण के खिलाफ जमीन वापस प्राप्त किया गया। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 19.11.2019 के फैसले द्वारा जहां तक याचिकाकर्ताओं की भूमि का संबंध था, भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4(1) के अंतर्गत अधिसूचना को तथा धारा 6 के अंतर्गत घोषणा को रद्द किया। न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4(1) के अंतर्गत नई अधिसूचना जारी कर भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही नए सिरे से शुरू करने की सलाह दी।
- b) कंपनी ने डबल्यू.पी. संख्या 26041/2001 और 26042/2001 के मामले में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 19.11.2019 के निर्णय के विरुद्ध अपील न करने का निर्णय लिया।
- (ii) a) कंपनी ने टिडको से 950 एकड़ भूमि खरीदी, जिसमें से 297.98 एकड़ भूमि कंपनी के नाम पर पंजीकृत है, 2.02 एकड़ सरकारी पोरामबोक भूमि है, जिसके लिए हस्तांतरण प्रक्रिया जारी है तथा शेष 650 एकड़ भूमि के लिए स्वामित्व हस्तांतरण प्रक्रिया जारी है।
- b) कंपनी ने टैन्जेडको से 1092.20 एकड़ की भूमि का क्रय किया है जिसमें से 995.05 एकड़ की भूमि को कंपनी के नाम से पंजीकृत किया गया तथा शेष 97.15 एकड़ की सरकारी पोरामबोक भूमि की स्वामित्व हस्तांतरण प्रक्रिया जारी है।
- c) कंपनी ने लवण विभाग से 712.42 एकड़ भूमि का क्रय किया है तथा उसे कंपनी के नाम से पंजीकृत किया है।
- d) कंपनी ने तमिलनाडु सरकार से 31.96 भूमि का क्रय किया है जिसमें से 0.31 एकड़ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा पुनः प्राप्त किया गया तथा उक्त की प्रतिपूर्ति गलती से श्री एतिराज को प्रदान किया गया। इस मामले को माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा माननीय उच्च न्यायालय ने श्री एतिराज को प्रतिपूर्ति की रकम वापस करने का निदेश दिया। रकम वापस प्राप्त की गई तथा उसे उप-न्यायालय, पोन्नेरी में जमा किया गया। तिरुवल्लूर के जिला कलेक्टर ने न्यायालय के निदेश पर उप-न्यायालय पोन्नेरी से जमा की गई प्रतिपूर्ति रकम को वसूल करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।
- e) कंपनी ने रेलवे साइडिंग के लिए तमिलनाडु सरकार से 0.69 एकड़ भूमि का क्रय किया है तथा पट्टा प्राप्त किया है।
- (iii) कंपनी ने मेसर्स ऐन्नोर टैंक टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स ऐन्नोर कोल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड तथा मेसर्स एसआइसीएएल आयर्न ओर टर्मिनल्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स अदानी कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स ऐन्नोर अल्ट्र टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स आईओसी एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड एवं मेसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसे बीओटी प्रचालकों को क्रमशः 40.11, 134.06, 116.75, 95.08, 42.41, 128.51 & 5.00 (कुल 561.92 एकड़) को आबंटित किया है। पोर्ट ने मेसर्स आईओसीएल को ब्रह्म फार्मेट खुरदरा ईंधन आऊटलेट संस्थापित करने के लिए दिनांक 09.09.2024 से 60 वर्षों की अवधि तक के लिए 22,500 वर्गमीटर (5.50 एकड़) भूमि को पट्टे पर प्रदान किया है।

5. मुख्य प्रगतिशील कार्य

विवरण	1 अप्रैल 2024 का अथशेष	वर्ष के दौरान जोड़/समायोजन	वर्ष के दौरान पूंजीकृत/समायोजन	31 मार्च 2025 को शेष
सीडब्ल्यूआईपी - भवन, शेड एवं अन्य संरचनाएं	972.92	1,090.26	-	2,063.19
सीडब्ल्यूआईपी - वाफर्स एवं सीमाएं	-	-	-	-
सीडब्ल्यूआईपी - रोड	289.69	41.57	-331.26	-
सीडब्ल्यूआईपी - रेलवे ट्रैक एवं सिग्नलिंग व्यवस्था	20,638.82	702.65	-16,612.50	4,728.97
सीडब्ल्यूआईपी - डॉक, सीवॉल, पायर्स एवं ब्रेक वॉटर	-	-	-	-
सीडब्ल्यूआईपी - नेविगेशनल सहायता	-	-	-	-
सीडब्ल्यूआईपी - वाहन	-	-	-	-
सीडब्ल्यूआईपी - इलेक्ट्रिकल संस्थापनाएं	1,802.18	442.57	-398.70	1,846.05
सीडब्ल्यूआईपी - पोर्ट बेसिन एवं प्रवेश चैनल	3,660.23	4,057.22	-	7,717.45
सीडब्ल्यूआईपी - संयंत्र एवं मशीनरी	75.00	927.20	-163.53	838.67
सीडब्ल्यूआईपी - फर्नीचर एवं फिटिंग	-	-	-	-
सीडब्ल्यूआईपी - कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	-	-	-	-
कुल	27438.85	8611.27	(17603.26)	18446.86
पूर्व वर्ष	43763.51	32077.31	(48401.97)	27438.85

5. (ए) परिसंपत्तियों का प्रयो का अधिकार

विवरण	1 अप्रैल 2024 तक सकल वहन मूल्य	जोड़	निपटान / समायोजन	31 मार्च 2025 तक सकल वहन मूल्य	1 अप्रैल 2024 तक संचित मूल्यहास	वर्ष के लिए मूल्यहास	निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2025 संचित मूल्यहास	31 मार्च 2025 तक वहन मूल्य
पंजीकृत कार्यालय के पट्टे की परिसंपत्तियां	2,564.80	-	-	2,564.80	826.26	99.50	-	925.77	1,639.03
कुल	2,564.80	-	-	2,564.80	826.26	99.50	-	925.77	1,639.03
पूर्व वर्ष	2,564.80	-	-	2,564.80	730.39	95.87	-	826.26	1,738.53

6. अमूर्त परिसंपत्तियां - सॉफ्टवेयर

विवरण	1 अप्रैल 2024 तक सकल वहन मूल्य	जोड़	निपटान / समायोजन	31 मार्च 2025 तक सकल वहन मूल्य	1 अप्रैल 2024 तक संचित मूल्यहास	वर्ष के लिए मूल्यहास	निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2025 संचित मूल्यहास	31 मार्च 2025 तक वहन मूल्य
पंजीकृत कार्यालय के पट्टे की परिसंपत्तियां	1,232.79	128.24	-	1,361.03	1,063.18	32.90	-	1,096.08	264.95
कुल	1,232.79	128.24	-	1,361.03	1,063.18	32.90	-	1,096.08	264.95
पूर्व वर्ष	1,104.73	128.07	-	1,232.79	933.37	129.81	-	1,063.18	169.62

7. निवेश

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
गैर-वर्तमान लागत पर किया गया निवेश		
एसोसिएट्स के इक्विटी उपकरणों में निवेश कन्याकुमारी पोर्ट लिमिटेड के इक्विटी शेयर (रु.10/- प्रति शेयर के कुल 20,000 इक्विटी शेयर, पूर्व वर्ष - रु.10/- प्रति शेयर के कुल 20,000 इक्विटी शेयर)	2.00	2.00
अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर किया गया निवेश		
सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के इक्विटी शेयर #	3,000.00	3,000.00
घटा : निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	-3000.00	-3000.00
चेन्नई एन्नोर पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड के इक्विटी शेयर (रु.10/- प्रति शेयर के 3,40,00,000 इक्विटी शेयर; पूर्व वर्ष - रु.10/- प्रति शेयर के 3,40,00,000 इक्विटी शेयर)	3400.00	3400.00
	720.00	720.00
भारतीय पत्तन रेल निगम लिमिटेड के इक्विटी शेयर (रु.10/- प्रति शेयर के 72,00,00,000 इक्विटी शेयर; पूर्व वर्ष - (रु.10/- प्रति शेयर के 72,00,00,000 इक्विटी शेयर) (रु.1515.15/- प्रति शेयर के 66 इक्विटी शेयर; पूर्व वर्ष - रु.1515.52/- प्रति शेयर के 66 इक्विटी शेयर)	1.00	1.00
उद्धृत निवेश भारतीय ड्रेड्जिंग निगम में 10,000 शेयर (31 मार्च 2025 तक मार्केट मूल्य - रु. 54,52,500/- पूर्व वर्ष - रु. 67,30,500/-)	54.43	67.31
कुल	4177.43	4190.31

#. चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर 14.09.2007 से निकर्षण कार्य स्थगित है और तबसे इस परियोजना में कोई आगे की प्रगति नहीं है, प्रबंधन ने सेतुसमुद्रम निगम लिमिटेड के इक्विटी शेयर में निवेश पर हास के लिये प्रावधान किया है।

8. ऋण व अग्रिम

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
गैर-वर्तमान		
सुरक्षित (अच्छा माना जाता है)		
कर्मचारियों को अग्रिम (गृह निर्माण अग्रिम)	525.27	283.99
कर्मचारियों को अग्रिम (वाहन अग्रिम)	6.93	13.35
कुल	532.21	297.35
वर्तमान		
सुरक्षित (अच्छा माना जाता है)		
कर्मचारियों को अग्रिम (गृह निर्माण अग्रिम)	101.64	65.60
कर्मचारियों को अग्रिम (वाहन अग्रिम)	9.48	2.78
कर्मचारियों को अग्रिम (अन्य)	18.59	20.54
कर्मचारियों को अग्रिम (बाढ़ अग्रिम)	-	33.50
कुल	129.71	122.42

कर्मचारियों को अग्रिम (घर निर्माण अग्रिम) टाइटल डीड जमा करने के ज्ञापन के लंबित होने तक - रु.248.77 लाख (पिछले वर्ष शून्य)।

9. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(रुपए लाखों में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2025 को	यथा 31 मार्च, 2024 को
गैर-वर्तमान		
जमा		
- संबंधित पार्टियों को छोड़कर अन्य अग्रिम	183.16	183.16
- संबंधित पार्टियों के अग्रिम	259.66	259.66
कुल	442.82	442.82
वर्तमान		
- अल्पकालिक सावधि जमा	2,860.83	37.08
- संबंधित पार्टियों के अग्रिम	-	-
प्राप्त आय	340.19	224.54
कुल	3201.02	261.63

अल्पावधि जमा रु.2860.83 लाख, उच्च न्यायालय में जमा राशि को दर्शाता है, जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार मध्यस्थता निर्णय का 75% है।

10. कर व्यय

विवरणिका के लाभ और व्यय में पहचाना गया कर

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
वर्तमान आयकर		
वर्तमान वर्ष के संबंध में	26,556.13	24,532.63
उप योग (ए)	26,556.13	24,532.63
आस्थगित कर व्यय		
अस्थायी भिन्नताओं की उत्पत्ति और उलटाव	3,264.92	2,558.49
उप कुल (बी)	3,264.92	2,558.49
कुल (ए+बी)	29821.05	27091.12

अन्य व्यापक आय में पहचान किया गया कर

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
परिभाषित हित योजना बीमाकिक लाभ (हानि)	9.73	76.52
इंक्विटी उपकरणों के उचित मूल्य में परिवर्तन	4.50	-13.67
कुल	14.24	62.84

वर्ष के दौरान आस्थगित कर शेष में परिवर्तन तथा श्रेणीवार ब्यौरा

रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
विलंबित कर देयता		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	(40,329.11)	(37,093.88)
उप कुल	(40,329.11)	(37,093.88)
विलंबित कर परिसंपत्तियां		
खराब एवं संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान	1,359.75	1,359.75
एमएटी क्रेडिट अर्हकता	12,340.23	24,411.95
परिभाषित हित योजना की ओर	174.80	133.66
निवेश में घटा	1,048.32	1,048.32
अन्य	408.59	465.18
उप कुल	15331.68	27418.86
निवल घटा कर परिसंपत्तियां / (देयताएं)	(24,997.43)	(9,675.02)

11. अन्य आस्तियां

(रुपये लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
अप्रचलित		
ठेकेदारों को अग्रिम	-	-
पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम	6,783.44	7,417.61
पूर्व भुगतानित व्यय	176.56	82.94
आस्थगित कर्मचारी लागत	257.09	129.08
परिभाषित हित योजना परिसंपत्ति/(देयताएँ) - उपदान	-	5.24
परिभाषित हित योजना परिसंपत्ति/(देयताएँ) अर्जित अवकाश नकदीकरण	-	-
योग	7217.09	7634.87
वर्तमान		
ठेकेदारों को अग्रिम	1,741.02	770.69
पूर्व भुगतानित व्यय	235.53	135.58
जीएसटी इनपुट क्रेडिट	1,106.07	681.59
अन्य परिसंपत्तियां	-	-
योग	3082.63	1587.86

गैर-वर्तमान के अंतर्गत पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम में ₹.4509.50 लाख शामिल हैं, जो दिनांक 22.06.2001 को चेन्नई पत्तन प्राधिकरण से परिसंपत्ति एवं देनदारों पर अधिग्रहण प्राप्त करते समय मद्रास उच्च न्यायालय को संदर्भित परियोजना ठेकेदारों को भुगतानित अतिरिक्त भुगतान है।

12 व्यापार प्राप्य

(रुपए लाखों में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2025 को	यथा 31 मार्च, 2024 को
ट्रेड प्राप्य		
असुरक्षित		
- अचछे माने गए	9,352.57	7,537.95
- क्रेडिट हानि	3,891.22	3,891.22
अन्य ऋणी (छह मास से कम)	-3,891.22	-3,891.22
कुल	9352.57	7537.95

13. (ए) नकदी व नकदी समतुल्य (तुल्यांश)

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
नकदी हाथ में	0.58	0.35
चेक, ड्राफ्ट हाथ में	-	-
बैंकों में शेष राशि	4,946.77	2,079.84
उप-योग (ए)	4947.35	2080.19
अन्य बैंक शेष		
- सावधि जमा		
- 3 माह से कम	10,100.00	2,000.00
कुल	15047.35	4080.19

13 (बी) नकद एवं नकद समतुल्यों को छोड़कर अन्य बैंक शेष

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
नकद एवं नकद समतुल्यों को छोड़कर अन्य बैंक शेष - सावधि जमा - 3 माह से अधिक लेकिन 12 महीनों से कम	13,000.00	8,000.00
कुल	13000.00	8000.00

14. वर्तमान कर परिसंपत्तियां

(रुपये लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
अग्रिम कर एवं स्रोत पर कर कटौती आयकर के लिए प्रावधान	121,452.50 -118,194.16	106,971.36 -103,709.75
कुल	3258.35	3261.60

15. इक्विटी शेयर पूंजी

(रुपये लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
प्रधिकृत रु.10/- प्रति इक्विटी शेयर 500,000,000 इक्विटी शेयर निर्गमित, अभिदत्त व पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर 10 रूपये- प्रति 300,000,000 इक्विटी शेयर	50,000.00 30,000.00	50,000.00 30,000.00
	30,000.00	30,000.00

शेयर पूंजी का समाधान:

विवरण	31 मार्च 2025 तक	
	शेयरों की संख्या	रकम
अथशेष इक्विटी शेयर जोड़ : वर्ष में जारी / अभिदत्त शेयरों की संख्या, शेयर पूंजी	300000000 -	3000000000 -
समापन शेष	300000000	3000000000

विवरण	यथा 31 मार्च, 2024 को	
	शेयरों की संख्या	राशि
प्रारंभिक इक्विटी शेयर जोड़: शेयरों की संख्या, वर्ष की अवधि में निर्गमित/अभिदत्त शेयर पूंजी	300000000 -	3000000000 -
समापन शेष	300000000	3000000000

5 प्रतिशत से अधिक अंशधारण कर रहे अंशधारक द्वारा कंपनी में धारित शेयर

अंशधारक का नाम	%	यथा 31 मार्च, 2025 को	यथा 31 मार्च, 2024 को
चेन्नई पत्तन प्राधिकरण	100%	30,000	30,000

भारत सरकार ने दिनांक 25.03.2020 को शेयर क्रय करार द्वारा कंपनी में धारित अपने संपूर्ण इक्विटी शेयर, चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी को विनिवेशित कर दिया

16. उधार

(रुपये लाखों में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2025 को	यथा 31 मार्च, 2024 को
सुरक्षित - गैर वर्तमान		
सावधि ऋण		
चेन्नई पत्तन प्राधिकरण	11,301.25	13,602.50
कर मुक्त बॉण्ड		
(i) श्रृंखला 2012-13	1,166.95	1,166.02
(ii) श्रृंखला 2013-14	28,522.66	28,514.67
असुरक्षित - गैर वर्तमान		
सावधि ऋण		
एचडीएफसी बैंक से ऋण	500.00	1,500.00
कुल	41490.86	44783.19
सुरक्षित - वर्तमान		
गैर वर्तमान ऋण की वर्तमान मेच्यूरिटी		
- चेन्नई पत्तन प्राधिकरण	2,301.25	2,301.25
- कर मुक्त बॉण्ड - क्रम 2013-14	-	-
- कर मुक्त बॉण्ड - क्रम 2012-13	-	-
असुरक्षित - वर्तमान		
गैर वर्तमान ऋण की वर्तमान मेच्यूरिटी		
एचडीएफसी बैंक से ऋण	1,000.00	1,000.00
कुल	3301.25	3301.25

सुरक्षित मोचनीय गैर-परिवर्तनीय बॉण्ड

(i) सममूल्य पर मोचनीय, कुल राशि रु.11,71,56,000/- युक्त रु.1000/- अंकित मूल्य के 117156, 15 वर्षीय बॉण्ड, दिनांक 25.03.2028 को खुदरा निवेशकों के लिए क्रमशः 7.51% और 7.67% की ब्याज दर और अन्य निवेशकों के लिए क्रमशः 7.01% और 7.17% की वार्षिक ब्याज दर पर देय हैं। उक्त बॉण्ड दिनांक 25.03.2013 को पंजीकृत बाण्ड ट्रस्ट डीड की शर्तों के आधार पर स्मॉल क्रेफ्ट जेडटी-1, 2 एवं 3 तथा सामान्य कार्गो बर्थ जैसी परिसंपत्तियों से सुरक्षित किए गए हैं।

(ii) सममूल्य पर मोचनीय, कुल राशि रु. 79,49,51,000/- युक्त रु.1000/- अंकित मूल्य के 794951, 10 वर्षीय बॉण्ड, दिनांक 25.03.2024 को देय थे तथा बॉण्ड धारकों को नियत तारीख पर भुगतान किया गया। आगे, कुल राशि रु.191,66,30,000/- /- युक्त रु.1000/- अंकित मूल्य के 1916630, 15 वर्षीय बॉण्ड, दिनांक 25.03.2029 को खुदरा निवेशकों के लिए क्रमशः 8.61%, 9% और 9% की ब्याज दर तथा अन्य निवेशकों के लिए 8.75% ब्याज दर पर वार्षिक स्तर पर देय हैं। उक्त बॉण्ड दिनांक 19.03.2014 को पंजीकृत बाण्ड ट्रस्ट डीड की शर्तों के आधार पर नार्थ ब्रेक वॉटर जैसी कंपनी की परिसंपत्तियों से सुरक्षित किए गए हैं।

चेन्नई पत्तन प्राधिकरण से सावधि ऋण

चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट को देय सावधि ऋण में वर्ष 2001-02 में परिसंपत्तियों और देनदारियों के अधिग्रहण के समय परिवर्तन किया गया तथा इसे दिनांक 30.06.2012 से प्रारंभ होनेवाले 60 समान तिमाही किश्तों में चुकाया जाना है। इस अवधि के दौरान आज तक किश्तों का भुगतान किया जा चुका है। उपरोक्त ऋण कंपनी की विशेष रूप से चिह्नित अचल संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित है। कंपनी ने मूल ऋण की समान शर्तों पर क्रमशः दिनांक 18.06.2018 एवं 29.09.2018 को ₹.70 करोड़ एवं ₹.20 करोड़ की अतिरिक्त राशि का उधार लिया

एचडीएफसी बैंक से सावधि ऋण

एचडीएफसी बैंक ने 27 जुलाई 2021 को 91 दिनों की टी बिल प्लस 1.80% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर ₹.50 करोड़ का असुरक्षित रुपया सावधि ऋण के लिए संस्वीकृति प्रदान की है, जिसकी पुनर्भुगतान अवधि तिमाही आधार पर होगी तथा एक वर्ष की मोहलत सहित पाँच वर्षों के अंदर चुकाना होगा। वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी ने पूंजीगत परियोजनाओं के लिए ₹.40 करोड़ ऋण प्राप्त किया है।

17. अन्य वित्तीय देयताएं

(रुपए लाखों में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2025 को	यथा 31 मार्च, 2024 को
गैर वर्तमान		
सुरक्षित जमा	671.47	570.69
देय प्रतिधारण राशि	-	-
कुल	671.47	570.69
वर्तमान		
सुरक्षा जमा	410.05	148.11
देय प्रतिधारण राशि	169.69	156.10
अन्य देयताएं	158.84	127.35
कुल	738.58	431.55

18. प्रावधान

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
अ-प्रचलित		
कर्मचारी लाभ के लिए		
छुट्टी नकदीकरण	80.80	61.50
उपदान	23.91	-
कार्य-निष्पादन आधारित वेतन	271.00	258.00
उप कुल (ए)	375.71	319.50
अन्य		
व्यय		
- राजस्व	3073.02	8550.69
- पूंजी	380.50	-
उप कुल (बी)	3453.52	8550.69
कुल (ए+बी)	3829.23	8870.19

19. अन्य देयताएं

(रुपए लाखों में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2025 को	यथा 31 मार्च, 2024 को
गैर चर्तमान		
अग्रिम में प्राप्त आय	-	-
अग्रिम पट्टा प्रभार	6,385.19	5,882.87
आस्थगित उचित मूल्यांकन लाभ - सुरक्षा जमा	483.66	507.65
कुल	6868.85	6390.52
वर्तमान		
अग्रिम में प्राप्त आय	708.07	610.35
अन्य सांविधिक भुगतान	4,319.35	2,737.60
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	2,697.97	2,484.28
अग्रिम पट्टा प्रभार	440.05	462.88
अन्य देयताएं	193.98	170.40
कुल	8359.43	6465.51

अ-प्रचलित के अंतर्गत प्राप्त आय रु.5094.01 लाख रुपये के अग्रिम में इंडियन ऑयल एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड से दिनांक 31 जुलाई 2015 को हुए अनुज्ञप्ति समझौते के अनुसार एलएनजी टर्मिनल के निर्माण के लिये आवंटित 5,20,000 वर्ग मीटर भूमि के लिये 30 वर्ष हेतु अग्रिम अनुज्ञप्ति शुल्क के रूप में प्राप्त राशि सम्मिलित है।

20. देय ट्रेड

(रुपये लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
सूक्ष्म एवं छोटे उद्यमों के कारण कुल बकाया देय	638.48	1,605.69
सूक्ष्म एवं छोटे उद्यमों को छोड़कर क्रेडिटर्स को देय बकाया	5,091.84	6,536.62
कुल	5730.33	8142.32

21. प्रचालनों से राजस्व

(रुपये लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
पट्टे से आय		
कोयने पर समग्र टैरिफ	34,189.70	33,303.25
ऐस्टेट आय	2,826.96	2,617.24
राजस्व भाग	42,985.60	39,097.05
समुद्री सेवाएं		
वेसल संबंधी आय	23,887.75	23,717.62
कार्गो संबंधी सेवाएं		
वार्फेज	7,206.15	5,485.24
रॉयल्टी	1,996.11	1,616.38
अन्य प्रचालन राजस्व		
अन्य सेवाएं	749.31	385.18
कुल	1,13,841.57	1,06,221.97

22. अन्य आय

(रुपये लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
बैंकों से ब्याज	1,395.92	1,197.85
कर्मचारी अग्रिमों पर ब्याज	49.50	31.31
ब्याज - अन्य	264.42	87.40
आयकर वसूली पर ब्याज	-	118.02
अन्य गैर प्रचालित आय		
वैयक्तिक एवं वाहन प्रवेश पास	101.10	102.94
चल परिसंपत्तियों के क्रय से लाभ	-	1.02
अन्य आय	372.02	383.08
कुल	2182.96	1921.62

23. प्रचालन लागत

(रुपये लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
टाइम चार्टर क्रेफ्ट	3,398.60	3,245.08
परामर्श सेवाएं - प्रचालन	128.09	109.99
पवर एवं पानी प्रभार	348.87	337.96
पर्यावरण	446.60	508.10
अनुसंधान एवं विकास व्यय	-	28.88
ईंधन व्यय	1,169.48	1,358.55
मैनिंग सर्विसेज	966.29	844.06
सर्वेक्षण और रखरखाव ड्रेजिंग	9.96	125.04
मरम्मत और रखरखाव	1,651.12	1,260.89
प्रोत्साहन	2,382.43	2,354.96
बीमा	333.24	303.13
कुल	10,834.67	10,476.64

24. कर्मचारी लाभ व्यय

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
वेतन और मजदूरी	1,744.65	1,531.15
भविष्य निधि में योगदान	134.37	125.48
कर्मचारी कल्याण व्यय	14.26	14.45
प्रदर्शन संबंधी वेतन	279.73	260.42
कर्मचारी चिकित्सा व्यय	60.38	42.27
टर्मिनल लाभ	205.37	100.50
कुल	2438.75	2074.27

25. वित्त लागत

(रुपये लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
ब्याज व्यय :		
- बैंकों से	150.36	150.60
- करमुक्त बंधपत्र - 2012-13	89.60	83.92
- करमुक्त बंधपत्र - 2013-14	2,541.99	3,229.17
- अन्य	1,580.37	2,792.86
अन्य उधारी लागतें:		
- करमुक्त बंधपत्र व्यय	4.49	6.07
कुल	4366.81	6262.61

26. मूल्यहास और परिशोधन व्यय

(रुपये लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
वर्ष के लिए मूल्यहास / परिशोधन मूर्त परिसंपत्ति	8,565.51	7,329.28
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियाँ	99.50	95.87
अमूर्त परिसंपत्तियाँ	32.90	129.81
योग	8697.91	7554.97

27. अन्य व्यय

(रुपये लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
AMC - सॉफ्टवेयर व्यय	437.15	365.58
- सांविधिक लेखापरीक्षा	7.00	6.00
- कर लेखापरीक्षण शुल्क	1.00	1.00
- अन्य सेवाओं के लिए भुगतान	2.60	1.60
- व्ययों की प्रतिपूर्ति	0.70	0.60
इलेक्ट्रिसिटी एवं पानी के प्रभार	54.87	126.83
कानून एवं व्यावसायिक प्रभार	256.30	315.33
विविध व्यय	412.68	283.03
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	15.93	21.78
किराया, दर एवं कर	163.45	77.10
रक्षा एवं सुरक्षा व्यय	1,411.50	1,321.70
कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी व्यय	1,444.81	983.07
सदस्यता और सदस्यता शुल्क	257.91	162.32
संचार व्यय	45.96	77.19
यात्रा और परिवहन	57.02	34.79
वाहन प्रचालन खर्च	389.58	373.65
विज्ञापन और प्रचार व्यय	124.63	251.07
मैनिंग अनुबंध - व्यवस्थापक	849.71	711.91
अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान	-	1.41
कुल	5932.79	5115.95

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

ए. जहां कंपनी, कंपनी अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत आती है, वहां सीएसआर गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित का खुलासा किया जाएगा:

(रुपए लाखों में)

क्रम सं.	क्रियाकलाप का नाम	व्ययित रकम
(i)	वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि,	1255.04
(ii)	व्ययित राशि	745.11
(iii)	वर्ष के अंत में कमी,	509.92
(iv)	पिछले वर्षों की कुल कमी	कमी नहीं है
(v)	कमी का कारण	लागू नहीं
(vi)	सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति,	शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, ग्रामीण विकास आदि।
(vii)	संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण, उदाहरण के लिए, प्रासंगिक लेखांकन मानक के अनुसार सीएसआर व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा नियंत्रित ट्रस्ट में योगदान	कोई नहीं
(viii)	जहां संविदात्मक दायित्व में प्रवेश करने से उत्पन्न देयता के संबंध में प्रावधान किया जाता है, वहां वर्ष के दौरान प्रावधान में होने वाले परिवर्तनों को अलग से दर्शाया जाएगा।	509.92

बी. वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि:

(रुपए लाखों में)

क्रम सं.	विवरण	नकद में भुगतान किया जाना है
(i)	किसी भी संपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	0.00
(ii)	उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	745.11
	कुल	745.11

28. अति विशिष्ट मद

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
अति विशिष्ट मद - तट संरक्षण संरचना	-	-
योग	-	-

29. प्रति शेयर अर्जन

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
वर्ष के लिये कुल व्यापक आय	5,390,602,592.45	4,94,51,03,406.91
शेयरों की भारित औसत संख्या - मूल	300000000	300000000
शेयरों की भारित औसत संख्या - अवमिश्रित	300000000	300000000
प्रति शेयर अर्जन - मूल	17.98	16.52
प्रति शेयर अर्जन - अवमिश्रित	17.98	16.52

नोट 30: टिप्पणी प्रकीकरण

1. प्रतिबद्धताएं:

पूंजी प्रतिबद्धताएं:

पूंजीगत व्यय (अग्रिमों का निवल) पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि रु.56115.73 लाख है (पिछले वर्ष यह रु.8378.61 लाख था)।

2. सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान

(रुपये लाखों में)

विवरण	2024-25	2023-24
संपरीक्षा शुल्क	7.00	6.00
कर संपरीक्षा शुल्क	1.00	1.00
प्रमाणन शुल्क	2.60	1.60
वापसी: - अपने पास से किया गया व्यय	0.70	0.60

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के क्रम में अतिरिक्त जानकारी

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	विवरण	2024-25	2023-24
ए	निम्नलिखित पर विदेशी मुद्रा में व्यय :		
	i. व्यावसायिक एवं परामर्श शुल्क	-	-
	ii. दौरे एवं यात्रा	5.70	0.63
	iii. बचाव निधि सहित विदेशी मुद्रा ऋण पर ब्याज	-	-
	iv. अन्य		
बी	विदेशी मुद्रा में आय	-	-

3. 31 मार्च 2025 तक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों संबंधी जानकारी :

(रुपये लाखों में)

क्रमांक	विवरण	2024-25	2023-24
1	किसी भी आपूर्तिकार के अभुगतानित रकम का शेष : ए) प्रधान राशि बी) उस पर ब्याज	638.48 -	1605.69 -
2	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार भुगतान की गई ब्याज की राशि, साथ ही नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को भुगतानित राशि;	कोई नहीं	कोई नहीं
3	भुगतान करने में आवधिक विलंब के लिए देय व देय राशि (जो भुगतान किया गया है, लेकिन वर्ष के नियत दिन से परे भुगतान किया गया है), किंतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना;	कुछ नहीं	कुछ नहीं
4	संचित ब्याज एवं शेष अभुगतानित रकम	कोई नहीं	कोई नहीं
5	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के प्रयोजन हेतु उस तिथि तक बकाया और आगामी वर्षों में भी देय ब्याज की राशि, जब तक कि उपरोक्त देय ब्याज वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान नहीं कर दिया जाता है।	कोई नहीं	कोई नहीं

कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम के उद्यमियों का वर्गीकरण किया गया है।

भारतीय लेखांकन मानकों की आवश्यकतानुसार प्रकटीकरण

5. भारतीय लेखांकन मानक 107 संबंधी प्रकटीकरण – वित्तीय उपकरण

5.1 वर्गों के अनुसार वित्तीय उपकरण

वित्तीय लिखतों का अग्रणीत मूल्य व उचित मूल्य श्रेणीवार निम्नानुसार था:

(31 मार्च, 2025 को राशि लाख में)

विवरण	परिशोधित लागत	लागत पर	लाभ एवं हानि द्वारा उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां/देयताएं	ओसीआई द्वारा उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां/ देयताएं	कुल उचित मूल्य	कुल उचित मूल्य
आस्तियां:						
गैर वर्तमान निवेश (संदर्भ टिप्पणी सं.7)	-	2.00	4121.00	54.43	4177.43	4177.43
नकद एवं नकद तुल्य (संदर्भ टिप्पण सं 13ए)	15047.35		-	-	15047.35	15047.35
नकद एवं नकद तुल्यों को छोड़कर बैंक में शेष (संदर्भ टिप्पण सं 13बी)	13000.00	-	-	-	13000.00	13000.00
ट्रेड प्राप्त्य (संदर्भ टिप्पण सं 12)	9352.57		-	-	9352.57	9352.57
ऋण एवं अग्रिम (संदर्भ टिप्पण 8)	661.92		-	-	661.92	661.92
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (संदर्भ टिप्पण सं 9)	3643.85		-	-	3643.85	3643.85
देयताएं :						
चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट से सावधि ऋण (संदर्भ टिप्पण सं 16)	13602.50		-	-	13602.50	13602.50
कर मुक्त बांड (संदर्भ नोट संख्या 16)	29689.61	-	-	-	29689.61	29689.61
कर मुक्त बॉण्ड (संदर्भ टिप्पण सं 16)	1500.00		-	-	1500.00	1500.00
सूक्ष्म एवं सूक्ष्म उद्यमों को ट्रेड देय-बकाया देय (संदर्भ टिप्पण सं 20)	638.48		-	-	638.48	638.48
सूक्ष्म एवं सूक्ष्म उद्यमों को छोड़कर अन्य को ट्रेड देय-बकाया देय (संदर्भ टिप्पण सं 20)	5091.84		-	-	5091.84	5091.84
अन्य वित्तीय देयताएं (संदर्भ टिप्पण सं 17)	1410.04		-	-	1410.04	1410.04

विवरण	परिशोधित लागत	लागत पर	लाभ एवं हानि द्वारा उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां/देयताएं	ओसीआई द्वारा उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां/देयताएं	कुल उचित मूल्य	कुल उचित मूल्य
परिसंपत्तियां :						
गैर वर्तमान निवेश (संदर्भ टिप्पणी सं.7)	-	2.00	4121.00	67.31	4190.31	4190.31
नकद एवं नकद तुल्य (संदर्भ टिप्पणी सं 13ए)	4080.19		-	-	4080.19	4080.19
नकद एवं नकद तुल्यों को छोड़कर बैंक में शेष (संदर्भ टिप्पणी सं 13बी)	8000.00	-	-	-	8000.00	8000.00
ट्रेड प्राप्त्य (संदर्भ टिप्पणी सं 12)	7537.95		-	-	7537.95	7537.95
ऋण एवं अग्रिम (संदर्भ टिप्पणी 8)	419.77	-	-	-	419.77	419.77
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (संदर्भ टिप्पणी सं 9)	704.45		-	-	704.45	704.45
देयताएं :						
चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट से सावधि ऋण (संदर्भ टिप्पणी सं 16)	15903.75	-	-	-	15903.75	15903.75
कर मुक्त बॉण्ड (संदर्भ टिप्पणी सं 16)	29680.69	-	-	-	29680.69	29680.69
एचडीएफसी बैंक से ऋण (संदर्भ टिप्पणी सं 16)	2500.00		-	-	2500.00	2500.00
सूक्ष्म एवं सूक्ष्म उद्यमों को ट्रेड देय-बकाया देय (संदर्भ टिप्पणी सं 20)	1605.69	-	-	-	1605.69	1605.69
सूक्ष्म एवं सूक्ष्म उद्यमों को छोड़कर अन्य को ट्रेड देय-बकाया देय (संदर्भ टिप्पणी सं 20)	6536.62	-	-	-	6536.62	6536.62
अन्य वित्तीय देयताएं (संदर्भ टिप्पणी सं 17)	1002.24		-	-	1002.24	1002.24

5.2. उचित मूल्य पदानुक्रम

- **स्तर 1** - समान आस्तियों अथवा देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित)।
- **स्तर 2** - स्तर 1 में सम्मिलित उद्धृत मूल्यों के अतिरिक्त अन्य विनिष्ठियां जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से (अर्थात् मूल्यों के रूप में) (अर्थात् मूल्यों से व्युत्पन्न) आस्ति या देयता के लिए अवलोकन योग्य हैं।
- **स्तर 3** - उन आस्तियों अथवा देयताओं के लिये आगत, जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा (अलक्ष्य आगत) पर आधारित नहीं हैं।

निम्नलिखित तालिका उचित मूल्य पर मापी गई परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य पदानुक्रम प्रस्तुत करती है :

(रुपये लाखों में)

विवरण	वर्ष 31.03.2025 के लिये				वर्ष 31.03.2024 के लिये			
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	योग	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	योग
वित्तीय परिसंपत्तियां								
अनुद्धृत इक्विटी उपकरणों में निवेश	-	-	4,123.00	4,123.00	-	-	4,123.00	4,123.00
उद्धृत इक्विटी उपकरणों में निवेश	54.43	-	-	54.43	67.31	-	-	67.31

5.3 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम कारक

कंपनी की गतिविधियाँ सीमित वित्तीय जोखिमों के संपर्क में हैं: मार्केट जोखिम, क्रेडिट जोखिम और परिसमापन जोखिम। कंपनी का प्राथमिक ध्यान वित्तीय मार्केट की अप्रत्याशितता का पूर्वानुमान लगाना और अपने वित्तीय निष्पादन पर संभावित प्रतिकूल प्रभावों को कम करना है।

ए) बाजार जोखिम

मार्केट जोखिम वह जोखिम है जिसमें वित्तीय साधनों के भावी नकदी प्रवाह के उचित मूल्य में, मार्केट मूल्य में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव होगा।

कंपनी के पास मार्केट जोखिम के रूप में ब्याज दर जोखिम है। कंपनी के पास कोई व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्ति नहीं होने के कारण कंपनी को अपने वित्तीय साधनों पर मूल्य जोखिम नहीं है।

ब्याज दर जोखिम:

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो किसी वित्तीय साधन के उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह में मार्केट ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव करेगा। मार्केट ब्याज दरों में परिवर्तन के जोखिम का जोखिम मुख्य रूप से अस्थिर ब्याज दरों वाले दीर्घकालिक ऋण दायित्वों से संबंधित है।

कंपनी को चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट से प्राप्त ऋणों पर ब्याज दर जोखिम है, क्योंकि यह वार्षिक ब्याज दर पुनर्निर्धारण भारतीय स्टेट बैंक की एमसीएलआर दर में होने वाले परिवर्तन से जुड़ा हुआ है।

कंपनी ने एचडीएफसी बैंक से टर्म लोन लिया है क्योंकि वार्षिक ब्याज दर का निर्धारण 91 दिनों के T बिलों में होने वाले परिवर्तन पर आधारित है।

रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, कंपनी के ब्याज-असर वाले वित्तीय साधनों की ब्याज दर प्रोफ़ाइल निम्नानुसार है :

(रुपये लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-
- बैंक के साथ सावधि जमा	23100.00	10000.00
- कर्मचारी अग्रिम	643.33	365.73
वित्तीय देयताएं		
- कर मुक्त बॉण्ड	29689.61	29680.69

परिवर्तनीय दर उपकरण		
- चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट से ऋण	13602.50	15903.75
- विदेशी मुद्रा ऋण	-	-
- एचडीएफसी बैंक	1500.00	2500.00

बी) क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम का तात्पर्य प्रतिपक्ष द्वारा अपने दायित्व से चूकने के जोखिम से है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय हानि होती है। चूंकि, कंपनी आमतौर पर प्रमुख बंदरगाह सेवाओं के लिए अपनी आय के संबंध में पूर्व भुगतान निर्धारित करती है, सामान्यतया किसी को कोई क्रेडिट नहीं दिया जाता है। ऐसे मामलों में कोई क्रेडिट डिफॉल्ट जोखिम नहीं होता है। हालांकि, जहाँ कंपनी कुछ सहायक / समर्थन सेवाएँ प्रदान करती है, वहाँ चालान बनाए जाते हैं, जब भी सेवाएँ प्रदान की जाती हैं और उपयोगकर्ता शुल्क, लाइसेंस शुल्क आदि पर असहमति के मामलों में विवादों के निपटान पर और इन मामलों में, क्रेडिट डिफॉल्ट जोखिम का एक तत्व हो सकता है।

ट्रेड प्राप्ति

कंपनी के 31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2024 की तिथियों की बकाया व्यापार प्राप्तियां, क्रमशः रु. 9352.57 लाख और रु. 7537.95 लाख है। व्यापार प्राप्तियां आमतौर पर असुरक्षित होती हैं और ग्राहकों से प्राप्त राजस्व से प्राप्त होती हैं। चूंकि, अधिकांश बंदरगाह सेवाएँ अग्रिम में संग्रह करके पूर्व-वसूली के आधार पर प्रदान की जाती हैं, इसलिए व्यापार प्राप्तियां ज्यादातर एस्टेट किराए और संबद्ध सेवाओं के लिए अभुगतानित राजस्व बकाया होती हैं। विवादित ऋणों के लिए प्रावधान प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर समीक्षा की जाती है तथा मामले के आधार पर प्रावधान किया जाता है।

कंपनी ने दिनांक 24.07.2023 को एसआईओटीएल के परिसमापक के समक्ष परिचालन ऋणदाता की हैसियत से फॉर्म सी में 65.29 करोड़ रुपये का दावा किया है। परिसमापक ने दिनांक 03.08.2023 के ई-मेल द्वारा उक्त दावे को आंशिक रूप से खारिज किया है। परिसमापक के समक्ष रु.65.29 करोड़ रुपये के दावे में से, लाइसेंस शुल्क पर बकाया राशि के रूप में रु.9.37 करोड़ विलंबित भुगतानों पर ब्याज के रूप में रु.14.97 करोड़ तथा अन्य के रूप में रु.2.05 करोड़ राशि को लेखा नीति के अनुसार लेखांकन पुस्तकों में मान्यता नहीं दी गई है।

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					
	6 महीनों से कम	6 महीने - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 से अधिक वर्ष	कुल
(i) अविवादित व्यापार प्राप्तियां अच्छा समझा गया	6003.73	87.28	4.11	0.33	32.53	6127.99
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्तियां जिनके क्रेडिट जोखिम में अत्यधिक वृद्धि है	-	-	-	-	-	-
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्तियां — खराब क्रेडिट	-	-	-	-	3891.22	3891.22
(iv) अविवादित व्यापार प्राप्तियां – अच्छा समझा गया	68.90	220.98	359.45	149.75	2425.50	3224.58
(v) अविवादित व्यापार प्राप्तियां — जिनके क्रेडिट जोखिम में अत्यधिक वृद्धि है	-	-	-	-	-	-
(vi) अविवादित व्यापार प्राप्तियां — खराब क्रेडिट	-	-	-	-	-	-

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					
	6 महीनों से कम	6 महीने - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 से अधिक वर्ष	कुल
(i) अविवादित व्यापार प्राप्तियां अच्छा समझा गया	4516.10	19.90	30.73	3.24	33.27	4603.24
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्तियां जिनके क्रेडिट जोखिम में अत्यधिक वृद्धि है	-	-	-	-	-	-
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्तियां - खराब क्रेडिट	-	-	-	915.55	2975.67	3891.22
(iv) अविवादित व्यापार प्राप्तियां - अच्छा समझा गया	274.56	84.89	149.75	638.38	1787.12	2934.70
(v) अविवादित व्यापार प्राप्तियां - जिनके क्रेडिट जोखिम में अत्यधिक वृद्धि है	-	-	-	-	-	-
(vi) अविवादित व्यापार प्राप्तियां - खराब क्रेडिट	-	-	-	-	-	-

व्यापार प्राप्तियों की हानि के लिए प्रावधान प्रत्येक मामले के आधार पर उस वर्ष में किया जाता है जब कंपनी की वसूली के विश्लेषण के आधार पर वसूली योग्यता को संदिग्ध माना जाता है या रियायतकर्ता करारों के कुछ खंडों की व्याख्या पर विवादों के संभावित परिणाम पर आधारित होता है। कंपनी उन सभी अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर विचार करती है जो क्षतिग्रस्त नहीं हैं और समीक्षाधीन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के लिए देय हैं और वे अच्छी क्रेडिट गुणवत्ता की हैं।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

नकदी एवं नकदी समतुल्य से संबंधित ऋण जोखिम को नगण्य माना जाता है क्योंकि बैंक हमारे प्रतिपक्ष हैं। हम बैंकों के साथ सावधि जमा की ऋण गुणवत्ता पर विचार करते हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक की विनियामक निगरानी के अधीन हैं, और हम इन बैंकिंग संबंधों को निरंतरता के आधार पर समीक्षा करते हैं। कर्मचारी ऋण से संबंधित ऋण जोखिम को नगण्य माना जाता है क्योंकि ऋण या तो संपत्ति के शीर्षक विलेख के बंधक के रूप में या उस वाहन के बंधक के रूप में सुरक्षित है जिसके लिए कर्मचारियों को ये ऋण दिए गए हैं। इसके अलावा, कंपनी के पास कर्मचारियों के कारण टर्मिनल लाभों पर विनियोजन अधिकार है। इसलिए, इन वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए हानि के प्रावधान की कोई आवश्यकता नहीं है। हम रिपोर्टिंग तिथियों पर उपरोक्त सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को अच्छी ऋण गुणवत्ता वाला मानते हैं।

सी) चक्रनिधि जोखिम

हमारे चक्रनिधियों की आवश्यकताओं का अनुवीक्षण प्रतिमाह एवं वार्षिक अनुमानों के आधार पर की जाती है। नकदी तथा नकदी समकक्ष,

परिचालन से उत्पन्न नकदी कंपनी के तरलता के मुख्य स्रोत हैं,

हम नकदी प्रवाह के सतत अनुवीक्षण से पर्याप्त नकदी और नकदी समकक्ष बनाए रखते हुए अपनी चक्रनिधियों की आवश्यकताओं का प्रबंधन करते हैं। किसी भी कमी का पता लगाने के लिए शुद्ध नकदी आवश्यकताओं की तुलना उपलब्ध नकदी से की जाती है।

अल्पावधि चक्रनिधि की आवश्यकता में मुख्य रूप से व्यापार देय, देय व्यय, कर्मचारी बकाया, ऋणों की वर्तमान परिपक्वताओं का पुनर्भुगतान आदि के निपटान हेतु आवश्यक संसाधन शामिल हैं, जो प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार व्यवसाय के सामान्य क्रम के दौरान उत्पन्न होते हैं। हम अपनी अल्पावधि चक्रनिधि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नकदी और नकदी समकक्षों में पर्याप्त संतुलन बनाए रखते हैं।

हम समय-समय पर दीर्घकालिक परिसमापन आवश्यकताओं का आकलन द्वारा आंतरिक स्रोतों के माध्यम से उनका प्रबंधन किया जाता है। हमारी गैर-वर्तमान देनदारियों में चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट से उधार, कर मुक्त बॉण्ड और एचडीएफसी बैंक से सावधि ऋण, देय प्रतिधारण राशि और सुरक्षा जमा शामिल हैं।

नीचे दी गई तालिका गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता के विवरण प्रस्तुत किए गए हैं। यह तालिका वित्तीय देनदारियों के बिना छूट वाले नकदी प्रवाह के आधार पर तैयार की गई है, जो कि उस प्रारंभिक तिथि पर आधारित है जिस पर कंपनी को भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है। तालिका में मूलधन और ब्याज दोनों के नकदी प्रवाह शामिल हैं।

(रुपए लाखों में 31 मार्च 2025 तक)

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष तक	1-3 वर्ष	3-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी ऋण	1150.62	1150.62	4602.48	4602.48	2096.30	13602.50
एचडीएफसी से ऋण	500.00	500.00	500.00	-	-	1500.00
कर मुक्त बॉण्ड	-	-	1171.56	19166.30	9351.75	29689.61
प्रतिधारण धन	169.69	-	-	-	-	169.69
सुरक्षा जमा	-	410.05	-	-	671.47	1081.52
अन्य देयताएं	-	158.84	-	-	-	158.84
कुल	1820.31	2219.51	6274.04	23768.78	12119.52	46202.16

(रुपए लाखों में 31 मार्च 2024 तक)

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष तक	1-3 वर्ष	3-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी ऋण	1150.62	1150.62	4602.48	4602.48	4397.55	15903.75
एचडीएफसी से ऋण	500.00	500.00	1500.00	-	-	2500.00
कर मुक्त बॉण्ड	-	-	-	20332.32	9348.37	29680.69
प्रतिधारण धन	156.10	-	-	-	-	156.10
सुरक्षा जमा	-	148.11	-	-	570.69	718.80
अन्य देयताएं	-	127.35	-	-	-	127.35
कुल	1806.72	1926.08	6102.48	24934.80	14316.61	49086.69

वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए ट्रेड देय की नियत तारीख अनुसूची

(रुपए लाखों में)

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई	638.48	-	-	-	638.48
(ii) अन्य	4479.47	197.76	104.74	309.87	5091.84
(iii) विवादित देय – एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादित देय – अन्य	-	-	-	-	-

तृतीय वर्ष 24-25 के लिए ट्रेड देय की नियत तारीख अनुसूची

(रुपए लाखों में)

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई	1605.69	-	-	-	1605.69
(ii) अन्य	6121.30	104.81	141.82	168.69	6536.62
(iii) विवादित देय – एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादित देय – अन्य	-	-	-	-	-

6. भारतीय लेखांकन मानक संबंधी प्रकटीकरण (आईएनडी एएस)-21

“विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों के प्रभाव”

लाभ एवं हानि विवरण में डेबिट की गई विनिमय अंतर (निवल) राशि अन्य व्यय के अंतर्गत शून्य (पिछले वर्ष - शून्य) है।

7. भारतीय लेखांकन मानक संबंधी प्रकटीकरण (आईएनडी एएस)-36

“परिसंपत्तियों की हानि”

वर्ष के दौरान, कंपनी ने भारतीय लेखा मानक-36 के अनुसरण में परिसंपत्तियों की हानि के लिए अपनी अचल परिसंपत्तियों की समीक्षा की है और यह पाया गया कि वर्तमान वित्त वर्ष में परिसंपत्तियों की कोई हानि नहीं हुई है (शून्य) (पिछले वर्ष - शून्य)।

8. भारतीय लेखांकन मानक संबंधी प्रकटीकरण (आईएनडी एएस)-20 “ सरकारी अनुदानों का लेखांकन एवं सरकारी सहायता का प्रकटीकरण

(रुपए लाखों में)

के लिए प्राप्त अनुदान	2024-25	2023-24
सरकारी अनुदान	-	-
कुल प्राप्त अनुदान	-	-

9. भारतीय लेखांकन मानक के संबंध में प्रकटीकरण आईएनडी एएस)-19 “ कर्मचारी लाभ”

विभिन्न कर्मचारी लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण निम्नानुर है:

ए) भविष्य निधि :

कंपनी की भविष्य निधि को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा किया जाता है। कंपनी भविष्य निधि में पूर्व निर्धारित दर पर निश्चित अंशदान का भुगतान करती है।

बी) उपदान :

कंपनी का एक परिभाषित लाभ उपदान योजना है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने लगातार पांच साल या उससे अधिक समय तक की सेवा प्रदान की है, उसे सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, सेवा समाप्ति तथा विकलांगता या मृत्यु पर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन (15/26 x अंतिम आहरित मूल वेतन और महंगाई भत्ता) के हिसाब से उपदान प्राप्त करने का अधिकार है। इस उद्देश्य के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया है। इस योजना का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा किया जा रहा है जिसके लिए कंपनी ने एक मास्टर पॉलिसी ली है।

यह योजना, कंपनी द्वारा वित्तपोषित है तथा बीमाकर्ता, यानी भारतीय जीवन बीमा निगम को उनकी मांग के अनुसार अंशदान का भुगतान किया जाता है। परिभाषित लाभ योजना के लिए शुद्ध दायित्व की पहचान और भारतीय लेखा मानक-19 के अंतर्गत आवश्यक जानकारी का खुलासा बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार किया जाता है।

सी) सेवानिवृत्ति योजना :

कंपनी ने एक गैर-अंशदायी कर्मचारी समूह सेवानिवृत्ति पेंशन योजना लागू की है जिसका प्रबंधन भी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है। कंपनी द्वारा नामांकित कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12% योगदान निगम को दिया जाता है।

इस अवधि के लिए योजना में योगदान को प्रोद्भवन आधार पर कर्मचारी लागत के अंतर्गत समूहीकृत किया जाता है। प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के मामले में, पेंशन अंशदान की गणना ऋणदाता संगठन/भारत सरकार के नियमों के अनुसार की जाती है तथा इसका लेखा-जोखा प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है।

डी) छुट्टी:

कंपनी अपने कर्मचारियों को अर्जित अवकाश लाभ और अर्द्ध-वेतन अवकाश प्रदान करती है, जो वर्ष में क्रमशः 30 दिन और 20 दिन के हिसाब से अर्जित होते हैं। अर्जित अवकाश को एक कैलेंडर वर्ष में एक बार नकद किया जा सकता है, जबकि पात्रता के अनुसार अधिकतम 30 दिनों की अवधि के लिए सेवा में रहते हुए तथा सेवानिवृत्ति पर, अधिकतम 300 दिनों तक सीमित किया जा सकता है।

अर्जित अवकाश पर देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

बी. लाभ और हानि विवरण, अन्य व्यापक आय (ओसीआई) और बैलेंस शीट और अन्य प्रकटीकरणों में मान्यता प्राप्त विभिन्न परिभाषित लाभों की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है:

(रुपए लाखों में)

विवरण		उपदान वित्त पोषित)	छुट्टी नकदीकरण (वित्त पोषित)
परिभाषित लाभ दायित्व	सी. वाई.	594.04	522.12
	पी. वाई.	502.47	454.15
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	सी. वाई.	570.13	441.32
	पी. वाई.	507.71	392.65
वित्तपोषित स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]	सी. वाई.	23.91	80.80
	पी. वाई.	(5.24)	61.50
परिसंपत्ति की अधिकतम सीमा का प्रभाव	सी. वाई.	0	0
	पी. वाई.	0	0
शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्तियां/(देयताएं)	सी. वाई.	23.91	80.80
	पी. वाई.	(5.24)	61.50

परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन

(रुपए लाखों में)

विवरण		उपदान वित्त पोषित)	छुट्टी नकदीकरण (वित्त पोषित)
वर्ष के प्रारंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	सी. वाई.	507.72	392.65
	पी. वाई.	491.79	414.57
ब्याज आय	सी. वाई.	37.45	28.97
	पी. वाई.	36.19	29.27
नियोक्ता अंशदान	सी. वाई.	30.84	23.89
	पी. वाई.	39.07	107.81
भुगतानित लाभ	सी. वाई.	(7.39)	(5.47)
	पी. वाई.	(58.99)	(157.37)
पुनः मापन – योजना परिसंपत्तियों पर वापसी	सी. वाई.	1.52	1.27
	पी. वाई.	(0.33)	(1.62)
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	सी. वाई.	570.13	441.32
	पी. वाई.	507.72	392.65

लाभ और हानि एवं अन्य विसृत आय के विवरण में स्वीकृत राशि

(रुपए लाखों में)

विवरण		उपदान वित्त पोषित)	छुट्टी नकदीकरण (वित्त पोषित)
वर्तमान सर्विस लागत	सी. वाई	33.62	31.49
	पी. वाई.	32.11	39.26
पूर्व सर्विस लागत – योजना संशोधन	सी. वाई	-	-
	पी. वाई.	-	-
कटौती लागत/ (क्रेडिट)	सी. वाई	-	-
	पी. वाई.	-	-
निपटान लागत/ (क्रेडिट)	सी. वाई	-	-
	पी. वाई.	-	-
सर्विस लागत (ए)	सी. वाई	33.62	31.49
	पी. वाई.	32.11	39.26
निवल परिभाषित लाभ देयता/ (परिसंपत्तियों) पर निवल ब्याज (बी)	सी. वाई	(1.49)	3.57
	पी. वाई.	(5.31)	(5.91)
लाभ एवं हानि में स्वीकृत राशि (ए+बी)	सी. वाई	32.13	43.19
	पी. वाई.	26.79	194.06
ओसीआई में कुल प्रतिपूर्ति	सी. वाई	27.86	-
		58.26	-

सुग्राहिता विश्लेषण

(रुपए लाखों में 31 मार्च 2025 तक)

पूर्वधारणा	पूर्वधारणा में परिवर्तन	उपदान (निधि प्राप्त)	छुट्टी (निधि प्राप्त)
वेतन में वृद्धि दर	1.00%	631.27	548.18
	-1.00%	557.58	497.77
क्षयण दर	1.00%	603.09	523.76
	-1.00%	583.91	520.36
छूट की दर	1.00%	547.89	501.09
	-1.00%	646.60	545.02
मृत्यु दर	10.00%	594.47	522.20
	-10.00%	593.61	522.04

(रुपए लाखों में 31 मार्च 2024 तक)

पूर्वधारणा	पूर्वधारणा में परिवर्तन	उपदान (निधि प्राप्त)	छुट्टी (निधि प्राप्त)
वेतन में वृद्धि दर	1.00%	536.89	477.44
	-1.00%	466.37	432.42
क्षयण दर	1.00%	511.3	456.01
	-1.00%	492.62	452.15
छूट की दर	1.00%	461.59	435.41
	-1.00%	549.18	474.58
मृत्यु दर	10.00%	502.87	454.23
	-10.00%	502.07	454.07

बीमांकिक पूर्वधारणा

विवरण		उपदान (वित्त पोषित)	छुट्टी (वित्त पोषित)
प्रयुक्त पद्धति	सी.वाई.	पीयूसी	पीयूसी
	पी.वाई.	पीयूसी	पीयूसी
छूट की दर	सी.वाई.	6.79%	6.79%
	पी.वाई.	7.21%	7.21%
वेतन वृद्धि दर	सी.वाई.	5%	5%
	पी.वाई.	5%	5%
योजना परिसंपत्ति की वापसी दर	सी. वाई	-	-
	पी. वाई.	-	-
आहरण दर	सी. वाई	1% से 3%	1% से 3%
	पी. वाई.	1% से 3%	1% से 3%

(रुपए लाखों में)

विवरण		उपदान (वित्त पोषित)	छुट्टी (वित्त पोषित)
सेवानिवृत्ति की आयु	सी. वाई.	60 वर्ष	60 वर्ष
	पी. वाई.	60 वर्ष	60 वर्ष
औसत भविष्य सेवा	सी. वाई.	13.02	13.02
	पी. वाई.	13.85	13.85
मृत्यु दर	सी. वाई.	आईएएलएम (2012-14) तालिका	आईएएलएम (2012-14) तालिका
	पी. वाई.	आईएएलएम (2006-08) तालिका	आईएएलएम (2006-08) तालिका
विकलांगत दर	सी. वाई.	कोई स्पष्ट लोडिंग नहीं	कोई स्पष्ट लोडिंग नहीं
	पी. वाई.	कोई स्पष्ट लोडिंग नहीं	कोई स्पष्ट लोडिंग नहीं
सेवाकाल में छुट्टी नकदीकरण दर	सी. वाई.	-	10.00%
	पी. वाई.	-	10.00%
छुट्टी लेने का दर	सी. वाई.	-	2.00%
	पी. वाई.	-	2.00%

योजना परिसंपत्तियों में निवेश का वर्ग

निवेश वर्ग	योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य का %
बीमा पॉलिसी	100%

10. भारतीय लेखांकन मानक के संबंध में प्रकटीकरण (आईएनडी एस)-108 “प्रचालनात्मक खण्ड”

कंपनी मुख्य रूप से एक खंड - बंदरगाह सेवाएं प्रदान करती है तथा इसमें कोई रिपोर्ट करने योग्य भौगोलिक खंड नहीं है।

कंपनी निम्नलिखित ग्राहकों से राजस्व प्राप्त करती है जो कंपनी के राजस्व का 10 प्रतिशत या उससे अधिक है। अन्य ग्राहकों के संबंध में, उनका व्यक्तिगत हिस्सा कंपनी के राजस्व का 10% से कम है।

ग्राहक	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
टीएनपीजीसीएल (पूर्व में टैन्जेडको)	16775.40	19508.14
एनटीईसीएल (टीएनपीजीसीएल एवं एनटीपीसीएल का जेबी)	17414.29	13795.11
एनटीईसीएल (टीएनपीजीसीएल एवं एनटीपीसीएल का जेबी)	20613.90	18945.53
अदानी ऐननोर कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड	13076.85	12311.06

11. भारतीय लेखांकन मानक के संबंध में प्रकटीकरण (आईएनडी एस)-23 “उधार की लागत”

वर्ष के दौरान पूंजीकृत उधार लागत संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण/प्रगतिशील पूंजीगत कार्यों (सीडब्ल्यूआईपी) की संबंधित वहन राशि में 131.23 लाख रुपये (पिछले वर्ष रु.131.23 लाख) है।

12. भारतीय लेखांकन मानक 24 के संबंध में प्रकटीकरण “संबंधित पार्टि प्रकटीकरण”

ए. सरकारी संबंधी संस्थाओं से अलग अनुरूप के लिए प्रकटीकरण

(ए) संबंधित पार्टियों की सूची :

मुख्य प्रबंध व्यक्ति :

नाम	पदनाम
श्री सुनील पालीवाल, आईएएस,	अध्यक्ष
श्रीमती जे. पी. आइरीन सिन्धिया, आईएएस,	प्रबंध निदेशक
श्री एस. विश्वनाथन आईएएस,	नामांकित निदेशक
श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव, एफसीए, डीआईएसए (आईसीएआई)	स्वतंत्र निदेशक (दिनांक 05.11.2024 तक)
श्री आर. एम. नारायणन, एफसीए, सीपीए, पीजपीजीडीएम	स्वतंत्र निदेशक (दिनांक 13.11.2024 से)
कैप्टन अनूप कुमार शर्मा	स्वतंत्र निदेशक
श्रीमती सरला बालगोपाल,, आईटीआरएस (सेवानिवृत्त)	स्वतंत्र निदेशक
श्रीमती कविता सातवी	मुख्य वित्त अधिकारी
श्रीमती जयलक्ष्मी श्रीनिवासन	कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी (30.04.2025 तक)

मुख्य प्रबंध व्यक्तियों के लिए प्रतिपूर्तिमेसर्स कन्याकुमारी पोर्ट लिमिटेड
(रुपये लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
पारिश्रमिक एवं लघु-अवधि परिलाभ	117.24	103.70
रोजगार पश्चात् लाभ	12.56	9.26
अन्य दीर्घकालिक लाभ	-	-
शेयर आधारित भुगतान	-	-
बैठक शुल्क	-	-
बैठक शुल्क	24.40	15.40
कुल	154.20	128.36
वर्ष के दौरान ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	-	-
वर्ष के दौरान जारी अग्रिम	-	-
ऋण एवं अग्रिमों का अंतिम शेष	-	-

बी. अन्य संस्थाएं :

- मेसर्स कन्याकुमारी पोर्ट लिमिटेड,

सी. चेन्नई पोर्ट प्राधिकरण

अन्य संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन :

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
भुगतानित ब्याज	1553.20	1782.42
चुकाया गया ऋण	2301.25	2301.25
लीज किराया व्यय	52.60	50.36
परियोजना प्रबंधन सेवाएं	144.91	43.43
अंतरिम एवं अंतिम लाभांश	39000.00	24000.00
कार्मिकशक्ति	609.86	472.93
अन्य	161.78	129.72
सावधि ऋण का अंतिम शेष	13602.50	15903.75
भुगतानित ब्याज	259.66	259.66

13. भारतीय लेखांकन मानक 116 के संबंध में प्रकटीकरण "पट्टा"

ए. प्रचालित पट्टा

i) पट्टेदार के रूप में

- अग्रिम शुल्क भुगतान को छोड़कर गैर-रद्द करने योग्य प्रचालित पट्टों के अंतर्गत भावी न्यूनतम पट्टा भुगतान

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
1 वर्ष की अवधि से अधिक नहीं	-	-
1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्षों से अधिक नहीं	-	-
5 वर्षों से अधिक	-	-

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
न्यूनतम पट्टे भुगतान	-	-

पट्टों की व्यवस्था :

कंपनी ने चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट से कार्यालय परिसर, अग्रिम प्रीमियम पट्टे भुगतान पर 30 वर्षों के लिए पट्टे पर लिया है।

ii. पट्टाकार के रूप में

- गैर-रद्द करने योग्य प्रचालित पट्टे के अंतर्गत भावी न्यूनतम पट्टा प्राप्य (रुपये लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिये
1 वर्ष पश्चात नहीं	3749.896	3571.33
1 वर्ष पश्चात, किंतु 5 वर्ष पश्चात नहीं	21756.57	20720.54
5 वर्ष पश्चात	70420.47	75206.40

• पट्टे की व्यवस्था :

कंपनी द्वारा अपनाए गए व्यवसाय मॉडल के अनुसार, कार्गो टर्मिनलों के विकास, संचालन, विपणन और रखरखाव का काम 30 साल के लाइसेंस/रियायती समझौते पर कैप्टिव/पीपीपी बीओटी ऑपरेटर्स को दिया गया है। कंपनी ने लाइसेंस/रियायती समझौते के अनुसार बीओटी ऑपरेटर्स/कैप्टिव उपयोगकर्ताओं के माध्यम से बर्थ के विकास के लिए जल क्षेत्र एवं भूमि क्षेत्र को पट्टे पर दिया है।

14. भारतीय लेखांकन मानक 33 के संबंध में प्रकटीकरण “ अर्जन प्रति शेयर(ईपीएस)”

ए) मूलभूत ईपीएस

मूल ईपीएस की गणना में प्रयुक्त साधारण शेयरों की आय और भारत औसत संख्या निम्नानुसार है:

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के लिए कंपनी के मालिकों को देय लाभ (हानि)	53932.53	49568.03
प्रति शेयर मूल आय की गणना में प्रयुक्त आय (ए)	53932.53	49568.03
प्रति शेयर मूल आय के उद्देश्य के लिए साधारण शेयरों की भारत औसत संख्या (बी)	300000000	300000000
मूल ईपीएस (ए/बी) - रु.	17.98	16.52

बी) डायल्यूटेड ईपीएस

डायल्यूटेड ईपीएस की गणना में प्रयुक्त साधारण शेयरों की आय और भारत औसत संख्या निम्नानुसार है:

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिये
वर्ष के लिए कंपनी के मालिकों को देय लाभ (हानि)	53932.53	49568.03
प्रति शेयर मूल आय की गणना में प्रयुक्त आय (ए)	53932.53	49568.03
प्रति शेयर मूल आय के उद्देश्य के लिए साधारण शेयरों की भारत औसत संख्या (बी)	300000000	300000000
मूल ईपीएस (ए/बी) - रु.	17.98	16.52

15. भारतीय लेखांकन मानक 37 संबंधी प्रकटीकरण “प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसंपत्तियां”

आकस्मिक देयताएं

(i) विवादित कर मांग :

विवादित कर मामले की कुल रकम रु. 6542.40 लाख (पूर्व वर्ष रु. 2647.08 लाख है) है जिसे अपील अधिकारियों के समक्ष समाधान हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

(ii) ठेका / आपूर्ति कार्य :

हमारी परियोजनाओं में निर्माण/आपूर्ति और कार्यों के निष्पादन के लिए कुछ

ठेकेदारों ने कंपनी पर कुल रु. 3873.34 लाख (पिछले वर्ष: रु. 4116.44 लाख) का दावा किया है, जिसमें ठेके मूल्य में वृद्धि, मूल्य वृद्धि के साथ कार्य अनुसूची में संशोधन, कार्य की विस्तारित अवधि के लिए मुआवजा, निष्क्रिय शुल्क आदि की मांग की गई है। इन दावों को कंपनी द्वारा संबंधित ठेके के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य नहीं होने के रूप में उन पर विवाद चल रहा है। कंपनी इन दावों के निपटान के लिए ठेके में उल्लेख किए गए विवाद समाधान तंत्र के तहत विभिन्न विकल्पों का अनुसरण कर रही है।

(iii) (ए) पीपीपी रियायतग्राहियों के साथ राजस्व ठेके – मेसर्स ईसीटीपीएल :

केपीएल ने कंटेनर टर्मिनल के विकास के लिये 15.03.2014 मेसर्स अडानी एन्नोर कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड के साथ पीपीपी डीएफबीओटी विधि के अंतर्गत 30 वर्ष के लिये समझौता किया था।

केपीएल ने 30 वर्ष की अवधि के लिए कंटेनर टर्मिनल के विकास हेतु दिनांक 05.03.2014 को पीपीपी डीएफबीओटी मोड के अंतर्गत मेसर्स अडानी एन्नोर कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड के साथ रियायत समझौता करार पर हस्ताक्षर किया है।

रियायतग्राही द्वारा विवाद और दाव के कारण निम्नानुसार हैं :

- (ए) परियोजना के चरण-I में देरी केपीएल के कारण हुई है
- (बी) परियोजना के चरण-II में देरी केपीएल के कारण हुई है, इसलिए केपीएल द्वारा लक्ष्य-चिह्नों में संशोधन किया जाना चाहिए।
- (सी) चरण I और चरण II में एल.डी. अप्रवर्तनीय हैं तथा केपीएल द्वारा वापस किया जाना चाहिए।
- (डी) केपीएल द्वारा परामर्श नोटिस जारी करना तथा उसे पुनः प्रवर्तित करना गैरकानूनी है।
- (इ) 1405 करोड़ रुपये का दावा करने वाले कानून में परिवर्तन का आह्वान तथा रियायत समझौते का विस्तार और संशोधन।
- (एफ) वास्तविक परियोजना लागत, अनुमानित परियोजना लागत तथा वित्तीय दस्तावेजों को वैध और लागू करने योग्य घोषित करना और केपीएल द्वारा उन्हें रिकॉर्ड में लेना।
- (जी) ईसीटीपीएल द्वारा भुगतान किए गए पट्टा किराये और रॉयल्टी की वापसी
- (एच) ब्याज का दावा

कंपनी ने रियायतग्राही के दावों का पूर्ण रूप से अस्वीकार किया है तथा रु.16781 लाख की रकम का प्रतिदावा प्रस्तुत किया है।

मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने 28.05.2024 को एक निर्णय पारित किया तथा निर्णय में एक बहुमत निर्णय एवं असहमति निर्णय शामिल था। बहुमत निर्णय ने दावेदार (मेसर्स ईसीटीपीएल) के सभी दावों को स्वीकार किया है तथा कंपनी (केपीएल) द्वारा दायर सभी प्रतिदावों को अस्वीकार किया है। जबकि असहमतिपूर्ण निर्णय ने मेसर्स ईसीटीपीएल के सभी दावों को खारिज किया है तथा केपीएल के सभी प्रतिदावों को स्वीकार किया है। अब, कंपनी ने बहुमत के निर्णय को चुनौती देते हुए मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत वैधानिक अपील दायर किया है और यह माननीय मद्रास उच्च न्यायालय की एकल पीठ के समक्ष लंबित है क्योंकि बहुमत का निर्णय कानून के तहत स्पष्ट रूप से अवैध और विकृत है।

बी) पीपीपी रियायतग्राहियों के साथ राजस्व ठेके – मेसर्स एसआईओटीएल :

कामराजर पोर्ट लिमिटेड (कंपनी) ने दिनांक 11.7.2016 को मेसर्स एसआईसीएल आयरन ओर टर्मिनल एग्रीमेंट (एसआईओटीएल) के साथ पीपीपी-डीबीएफओटी आधार पर “मौजूदा आयरन ओर टर्मिनल में कोयला संचालन में संशोधन” हेतु लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर किया है। इसकी क्षमता 12 मिलियन टन प्रति वर्ष है। यह करार 27 वर्षों की अवधि के लिए निर्धारित किया गया जिसकी अनुमानित परियोजना लागत रु.229 करोड़ है और राजस्व-साझाकरण मॉडल 52.524% है। परियोजना की कार्यान्वयन अवधि 12 महीने निर्धारित की गई थी।

जून 2021 तक, 71.62% भौतिक कार्य पूर्ण किया गया। एसआईओटीएल के ऋणदाता, यस बैंक और यूको बैंक ने दिसंबर 2020 में वित्तीय चूक की घोषणा की, जिससे परियोजना के वित्तपोषण अस्थिर हो गया जिससे कंपनी ठेका समाप्त करने के लिए बाध्य होना पड़ा। ठेका समाप्ति के बाद, एसआईओटीएल के अधूरे दस्तावेजों और उसके बाद के कानूनी विवादों के कारण परिसंपत्ति हस्तांतरण एवं मुआवजे की गणना में विलंब हुआ।

इस बीच, मेसर्स यस बैंक लिमिटेड ने दिनांक 16.12.2022 को असाइनमेंट डीड द्वारा केपीएल और मेसर्स एसआईओटीएल के बीच लाइसेंस करार के तहत परियोजना संबंधी प्रदत्त ऋण को मेसर्स जेसी फ्लार्वर्स एआरसी को सौंप दिया। मेसर्स यस बैंक लिमिटेड द्वारा उपरोक्त असाइनमेंट, केपीएल को बिना किसी सूचना/अनुमोदन के, एसएआरएफईएसआइ अधिनियम 2002 के तहत किया गया था।

एसआईओटीएल ने वर्ष 2022 में कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) प्रारंभ किया, जो बाद में जून 2023 में जारी एनसीएलटी आदेश के तहत परिसमापन में परिवर्तित हुआ। परिणामस्वरूप:

आकस्मिकता देयताओं का सारांश:

- परियोजना की संपत्तियाँ आंशिक रूप से परिसमापक के अधीन हैं, तथा बर्त अभी भी कंपनी परिसर में “जैसी है” स्थिति में है। इसका कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं हुआ है।
- चालू कानूनी विवादों के कारण मुआवजा लंबित है।
- कंपनी ने एसआईओटीएल के विरुद्ध रु. 65.29 करोड़ प्रचलनात्मक दावा दायर किया है, जिसे परिसमापक द्वारा आंशिक स्वीकृति दी गई है तथा एनसीएलटी के समक्ष अपील लंबित है।
- लाइसेंस करार के अनुसार मुआवजा देने के लिए परिसमापक द्वारा दायर रिट अपील मद्रास उच्च न्यायालय में लंबित है। कंपनी मुआवजा और संपत्ति अधिग्रहण की सुविधा के लिए परियोजना परिसंपत्तियों का नए सिरे से मूल्यांकन करने की योजना बना रही है।

(सी) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) :

राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष मूल आवेदन माननीय दायर किया गया, जिसमें एनसीटीपीएस द्वारा फ्लाइंग ऐश के अवैध निर्वहन एवं केपीएल द्वारा बकिंगम नहर एवं कोसास्थलैयार नदी में ड्रेज्ड मिट्टी के कथित डंपिंग तथा कोसास्थलैयार नदी के अतिक्रमण एवं केपीएल तथा एनसीटीपीएस द्वारा ड्रेज्ड मिट्टी के डंपिंग से संबंधित मुद्दे उठाए गए, जिससे मछली पकड़ने वाले समुदायों की आजीविका प्रभावित हुई हैं। माननीय एनजीटी ने 20.01.2020 को अपना आदेश पारित किया जिसमें कंपनी को एनजीटी द्वारा नियुक्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर सुधार के उद्देश्य से अंतरिम पर्यावरण मुआवजे के रूप में 8.34 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया। एनजीटी के आदेश से व्यथित होकर, कंपनी ने माननीय एनजीटी के समक्ष एक समीक्षा आवेदन दायर किया। दिनांक 06.11.2020 को समीक्षा आदेश पारित किए गए जिसके तहत दिनांक 20.01.2020 के पूर्वआदेश को इस सीमित सीमा में संशोधित किया और कंपनी को अंतरिम मुआवजे के रूप में 4 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया। कंपनी द्वारा दिनांक 26.12.2020 के समीक्षा आदेश को चुनौती देते हुए भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सिविल अपील दायर की गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 05.01.2021 को एनजीटी के आदेशों पर रोक लगाई है तथा प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। मामला अंतिम सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

आकस्मिक देयताओं का सारांश :

(रुप लाखों में)

विवरण	2024-25	2023-24
विवಾದित कर मांग लेकिन ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	6542.40	2647.08
कंपनी के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया		
- एनजीटी	400.00	400.00
- ठेका / आपूर्ति कार्य	3873.34	4116.44
कुल	10815.74	7163.52
पीपीपी रियायतग्राहियों के साथ राजस्व अनुबंध के विरुद्ध दावे	161533.31	162968.63

16. प्रत्याशित क्रेडिट हानि ('ईसीएल')

हानि प्रावधान, प्राप्य राशियों की अपेक्षित समयावधि एवं संग्रह के अपेक्षित समय पर चूक के जोखिम के मूल्यांकन पर आधारित हैं। कंपनी इन मान्यताओं को बनाने और हानि गणना के लिए इनपुट चुनने में विवेक का उपयोग करती है, जो कंपनी के संग्रह के पिछले इतिहास, ग्राहक की ऋण पात्रता, वर्तमान मार्केट स्थितियों के साथ-साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भविष्य के अनुमानों पर आधारित है।

17. सीडबल्यूआईपी परिपक्वन अनुसूची

(31 मार्च 2025 तक रुपए लाखों में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगतिशील परियोजनाएं	7589.67	5430.07	1079.44	3606.09	17705.28
अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएं	-	-	-	741.58	741.58
कुल	7589.67	5430.07	1079.44	4347.67	18446.86

(31 मार्च 2024 तक रुपए लाखों में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगतिशील परियोजनाएं	5881.01	102.44	19503.22	1210.60	26697.27
अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएं	-	-	-	741.58	741.58
कुल	5881.01	102.44	19503.22	1952.18	27438.85

18. शेष राशि की पुष्टि :

व्यापार प्राप्य/देय, सावधि ऋण तथा अग्रिम, जीएसटी इनपुट क्रेडिट/ जीएसटी एवं जमा, पुष्टि और समाधान के अधीन हैं।

(रुपये लाखों में)

19. पूंजी प्रबंधन :

कंपनी की पूंजी में इक्विटी शेयर पूंजी, प्रतिधारित आय एवं अनुर्य इक्विटी, इक्विटी धारकों के लिए आरोप्य है। उद्देश्य शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करना ही कंपनी के पूंजी प्रबंधन का प्राथमिक ध्येय है। कंपनी अपनी पूंजी का प्रबंधन करती है तथा आर्थिक एवं मार्केट स्थितियों में बदलाव को मद्देन रखते हुए इसमें समायोजन करती है।

कंपनी, गियरिंग अनुपात का उपयोग करते हुए पूंजी का अनुवीक्षण करती है, जो कुल पूंजी जोड़ शुद्ध ऋण से विभाजित निवल ऋण है। निवल ऋण में नकदी एवं बैंक शेष राशि को घटाकर दीर्घकालिक और अल्पकालिक उधार शामिल हैं। इक्विटी में इक्विटी शेयर पूंजी और रिजर्व शामिल हैं जिन्हें पूंजी के रूप में प्रबंधित किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में गियरिंग निम्नानुसार है :

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
कुल ऋण	44792.11	48084.44
घटा : नकद एवं नकद समतुल्य	15047.35	4080.19
निवल ऋण	29744.76	44004.25
कुल इक्विटी	305995.01	291088.98
निवल ऋण से इक्विटी अनुपात	9.72%	15.12%

20. 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभांशों की सूचना :

वर्ष के दौरान, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इक्विटी शेयर पूंजी के 100% दर पर अंतिम लाभांश का भुगतान किया, अर्थात् रु.10 प्रति इक्विटी शेयर, जो कुल रु.300 करोड़ है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इक्विटी शेयर पूंजी के 30% दर से अंतरिम लाभांश का भी भुगतान किया, अर्थात् रु.3 प्रति इक्विटी, जो कुल 90 करोड़ है।

21. अतिरिक्त विनियामक सूचना

ए. विश्लेषणात्मक अनुपात

अनुपात	अंश-गणक	विभाजक	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक	% भिन्नता *
वर्तमान अनुपात	वर्तमान परिसंपत्तियां	वर्तमान देयताएं	1.91	0.79	141.77%
ऋण – इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	शेयरहोल्डर्स इक्विटी	0.15	0.17	(11.76%)
ऋण सर्विस कवरेज अनुपात	ऋण सर्विस के लिए अर्जन (कर के बाद लाभ + अवमूल्यन + वित्त लागत + संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों के विक्रय से लाभ)	ऋण सर्विस (ब्याज + मूलधन की चुकौती)	8.74	7.26	20.39%
लाभांश (आरओई)	निवल लाभ	शेयरहोल्डर्स की इक्विटी	18.07%	17.81%	1.46%
व्यापार प्राप्य टर्नोवर अनुपात (टाइम में)	प्रचालनों से आय	व्यापार प्राप्यताएं	13.48	15.84	(14.90%)
निवल लाभ अनुपात	निवल लाभ	प्रचालनों से आय	46.5%	45.84%	1.44%
नियोजित पूंजी पर रिटर्न (आरओसीई)	ब्याज से पहले अर्जन, विशिष्ट मद एवं कर	निवल मूल्य + ऋण	28.46%	28.13%	1.17%

सभी लागू अनुपातों को प्रकट किया गया है।

* भिन्नता के कारण :

वर्तमान अनुपात: मुख्य रूप से नकदी और नकदी समकक्षों और व्यापार प्राप्य (राजस्व हिस्सा प्राप्य) में वृद्धि और चालू देयताओं में कमी (कर मुक्त बांड के मोचन के कारण) के कारण वृद्धि हुई है।

22. मेसर्स कन्याकुमारी पोर्ट लिमिटेड

कंपनी ने कन्याकुमारी पोर्ट लिमिटेड (केकेपीएल) की चुकता पूंजी का 40% हिस्सा के 2 लाख रुपये इक्विटी का निवेश किया है, साथ ही वीओसी-टीपीटी (40%) और चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी (20%) का भी निवेश किया है। वर्तमान में केकेपीएल परियोजना-पूर्व गतिविधियां कर रहा है। केकेपीएल एक सहयोगी कंपनी है अतः इसके वित्तीय विवरणों को भारतीय लेखांकन मानकों 27 के अनुसरण में समेकित करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त वित्त वर्ष 2023-24 की अवधि में केकेपीएल में कोई महत्वपूर्ण आय/व्यय नहीं था।

कंपनी ने कन्याकुमारी पोर्ट लिमिटेड (केकेपीएल) की चुकता पूंजी का 40%, वीओसी-टीपीटी (40%) तथा चेन्नई पोर्ट प्राधिकरण (20%) के साथ, ₹.2 लाख इक्विटी का निवेश किया है। केकेपीएल परियोजना-

पूर्व गतिविधियों को अंजाम देने की प्रक्रिया में है। तथापि, कामराजर पोर्ट लिमिटेड (केपीएल) एक सहयोगी कंपनी है, कंपनी अधिनियम की धारा 2(6) के अनुसार, कंपनी का केकेपीएल प्रबंधन पर नियंत्रण नहीं है और इसलिए, इसके वित्तीय विवरणों को भारतीय मानक ब्यूरो -110 - समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार समेकित करने की आवश्यकता नहीं है।

23. पूर्व वर्ष के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो वहां उन्हें पुनःस्थापित किया गया है।

24. वित्तीय विवरणिकाओं का अनुमोदन

निदेशक मंडल ने वित्तीय विवरणिकाओं को अनुमोदन प्रदान किया है तथा 26 मई 2025 को जारी करने के लिए अधिकृत किया है।

कामराजर पोर्ट लिमिटेड के लिए

ह/-

सुनील पालीवाल, आई.ए.एस., **जे पी आईरीन सिन्थियाई.ए.एस.,**
अध्यक्ष प्रबंध निदेशक
डीआइएन : 01310101 डीआइएन : 08839241

ह/-

सी. एस. वेमन्ना
मुख्य वित्तीय अधिकारी (प्रभारी)

स्थान : चेन्नई
दिनांक : 26 मई 2025

मेसर्स जसमिन्दर सिंह एवं असोसियेट्स के लिए

सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.- 016192एन

ह/-

सीए. जसमिन्दर सिंह,
साझेदार
एम. सं. 096895
आईएन : 25096895BMGYHC5619

प्रपत्र एओसी -1

[कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129
की उपधारा (3) के प्रथम परंतुक के क्रम में]
सहायक कंपनियों/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की
मुख्य विशेषताओं से युक्त विवरण

भाग "बी": असोसियेट्स एवं संयुक्त उद्यम

सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के क्रम में विवरण

क्रम सं	असोसियेट /संयुक्त उद्यम का नाम	कत्रियाकुमरी पोर्ट लिमिटेड
1	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन-पत्र की तिथि	31.03.2025
2	वह तिथि जिसमें असोसियेट या संयुक्त उद्यम संबद्ध हुआ या अधिग्रहित हुआ	11.02.2019
3	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित असोसियेट/संयुक्त उद्यमों के शेयर	
A	संख्या	20,000 शेयर
B	असोसियेट /संयुक्त उद्यम में निवेश की तिथि	₹.2,00,000/-
C	होल्डिंग की सीमा %	40%
4	किस प्रकार इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है	नगण्य प्रभाव
5	असोसियेट/संयुक्त उद्यम को एकीकृत न किए जाने का कारण	असोसिएट को एकीकृत करने के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है।
6	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारिता के कारण निवल मूल्य	(10,81,767)
7	वर्ष के लिए लाभ /हानि	
A	एकीकरण पर विचार	कोई नहीं
B	एकीकरण के लिए विचार नहीं किया गया	(17,537)

उन असोसियेट कंपनियों के नाम जिन्होंने अभी तक प्रचालन शुरू नहीं किया है:

क्रम सं	सीआईएन /अन्य कोई पंजीकरण संख्या	उन असोसियेट और संयुक्त उद्यमों के नाम जिन्होंने अभी तक प्रचालन शुरू नहीं किया है
1	यू61100टीएन2019जीओ1127401	कत्रियाकुमरी पोर्ट लिमिटेड

वर्ष के दौरान समाप्त हो चुके या असोसियेट या संयुक्त उद्यम न रहे असोसियेट या संयुक्त उद्यमों की संख्या – शून्य

कामराजर पोर्ट लिमिटेड के लिए

ह/-
सुनील पालीवाल, आई.ए.एस.,
अध्यक्ष
डीआईएन : 01310101

ह/-
कविता सातवी
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/-
जे. पी. आईरीन सिन्धिया, आई.ए.एस.,
प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08839241

ह/-
आर. रूपा
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी